दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जुलाई भाग-2
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोनः 8750187501

ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- विश्व युवा कौशल दिवस 7
- स्थगन प्रस्ताव 9
- ड्रोन नीति का मसौदा, 2021 10
- स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 12
- महिला आरक्षण विधेयक 13
- देशद्रोह कानून को चुनौती 15
- स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड' रिपोर्ट 17
- टीपू सुल्तान 18
- संसदीय सत्र 20
- लोकपाल के लिये जाँच निदेशक 21
- कापू समुदाय को आरक्षण 22
- 97वें संशोधन के प्रावधान रद्द 24
- भारत की अपतटीय पवन ऊर्जा के लिये रोडमैप 26
- भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता हेतु नई पहलें 27
- भारत में जल क्षेत्र के लिये भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियाँ 29
- नई विंटेज वाहन नीति 32
- बर्ड फ्लू: एवियन इन्फ्लुएंज़ा 33
- OBC वर्ग के तहत उप-वर्गीकरण से जुड़े आयोग के कार्यकाल में विस्तार 34
- आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 36
- भारत में निगरानी कानून और गोपनीयता 38
- उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्ति 39
- मत की गोपनीयता 41
- चंद्र शेखर आज़ाद 42
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध 43

नोट :

- राइट टू बी फॉरगॉटन 44
- आई-एसटीईएम इंटर चरण -2 46
- उत्प्रवासन विधेयक 2021 47
- FCRA प्रमाणपत्र का निलंबन 49
- भारत का वन आवरण और बंजर भूमि 51
- नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 53
- संपत्ति नष्ट करने के मामले में को संसदीय प्रतिरक्षा नहीं: सर्वोच्च न्यायालय 54
- सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का सामाजिक लेखा-परीक्षण 56
- शिक्षा क्षेत्र हेतु नई पहलें 57
- NEET का अखिल भारतीय कोटा 59
- मैनुअल स्कैवेंजिंग का खतरा 60
- क्रीमी लेयर: OBC 62

आर्थिक घटनाक्रम 63

- भारत में वस्त्र उद्योग 63
- किसान सारथी' मंच 64
- विदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क कंपनियों पर प्रतिबंध 65
- ड्रैगन फ्रूट 67
- एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट 68
- आईबीबीआई विनियम 2016 में संशोधन 70
- वाणिज्यिक जहाज़ों को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी योजना 72
- RBI की डिजिटल मुद्रा 73
- भारत में निवेश संवर्द्धन 75
- स्पेशलिटी स्टील हेतु पीएलआई योजना 77
- विशेष आर्थिक क्षेत्र 78
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 80
- डिजिटल और सतत् व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र का सर्वेक्षण 2021 82
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन विधेयक), 2021 83
- काले धन के खतरे से निपटना 86
- डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना 89
- आर्थिक उदारीकरण के 30 वर्ष 91
- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 92

नोट :

- केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होंगे गैर-बैंक PSPs 93
- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम' (DICGC) विधेयक, 2021 95
- फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 97
- विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक, 2021 98
- सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना 99
- MSMEs के लिये ऋण वृद्धि 100

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **103**

- दक्षिण अफ्रीका में हिंसक विरोध प्रदर्शन 103
- G7 की बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव 105
- क्यूबा में विरोध-प्रदर्शन 107
- दक्षिण एशियाई पहल 108
- नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन 110
- अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई: चीन-पाकिस्तान 111
- अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा 112
- शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक 115

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **117**

- हबल स्पेस टेलीस्कॉप 117
- पेगासस स्पाईवेयर 118
- नासा का नया अंतरिक्षयान: NEA स्काउट 120
- 'हाई एल्टीट्यूड बैलून' के माध्यम से इंटरनेट 122
- सौर ऊर्जा में घरेलू विनिर्माण 123
- एक्सोप्लैनेट के आसपास 'मून- फॉर्मिंग' क्षेत्र 125
- मंकीपॉक्स 127
- GRB 200826A: गामा-किरण विस्फोट 128
- रूस का 'नौका' मॉड्यूल 130

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **132**

- अमेज़न वन: कार्बन उत्सर्जक के रूप में 132
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिये उभारते बाज़ार 133
- फिट फॉर 55 पैकेज: यूरोपीय संघ 135
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु नवीन आयोग 137

नोट :

- चरम जलवायु घटनाएँ 138
- प्रदूषित नदी विस्तार 140
- नमक-स्रावित करने वाली मैंग्रोव प्रजाति के जीनोम की डिकोडिंग 142
- पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका खारिज 144
- ऊर्जा एवं जलवायु पर G20 की बैठक 144
- सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) 147
- गंगा बेसिन में शहरों को जल संवेदनशील बनाने की पहल 148
- अर्थ ओवरशूट डे, 2021 149
- अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 151
- सतलुज नदी प्रदूषण 152

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 154

- भूस्खलन और फ्लैश फ्लड 154
- चंद्रमा के डगमगाने का प्रभाव 155
- आल्प्स के बदलते भू-दृश्य 157
- बादल फटना 158

सामाजिक न्याय 160

- भारत में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर 160
- वैवाहिक अधिकारों की बहाली को चुनौती 161
- मध्याह्न भोजन योजना पर नया अध्ययन 163
- इंडिया इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2021: ऑक्सफैम 166
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 168
- स्माइल (SMILE) योजना 170
- नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिये समझौते 171
- मृत्युपूर्व घोषणा' और संबंधित नियम 173
- कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश 175
- निमोनिया 176
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 177
- केंदू पत्ता 179
- भारत में गंभीर तीव्र कुपोषण 180
- ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम: टीम क्लॉ 182

नोट :

कला एवं संस्कृति **185**

- आषाढ़ पूर्णिमा- धम्म चक्र दिवस 185
- भारत का 40वाँ विश्व धरोहर स्थल: धौलावीरा 186

आंतरिक सुरक्षा **189**

- पुलिस सुधार 189
- आकाश मिसाइल और MPATGM: DRDO 190
- कटलैस एक्सप्रेस' अभ्यास 192

चर्चा में **194**

- AI द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन 194
- गेको की नई प्रजाति: ओडिशा 194
- उमंग एप 195
- भारतीय श्रम सम्मेलन 196
- मंकी बी वायरस 197
- स्टैंड अप इंडिया' योजना 198
- विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर हुआ लिवरपूल 199
- गाँव बूरा: असम 200
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 201
- भारत का 39वाँ विश्व धरोहर स्थल: रामप्पा मंदिर 201
- गरीब नवाज़ रोज़गार योजना 202
- कारगिल विजय दिवस 203
- अभ्यास इंद्र-21 204
- कांजीवरम सिल्क साड़ी: तमिलनाडु 205
- SLDE एवं GHG कैलकुलेटर 206
- सूर्य की 'नियर-सर्फेस शीयर लेयर' 207
- जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल 208
- आमागढ़ फोर्ट: राजस्थान 209
- बायोटेक-प्राइड 210
- भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 36वाँ संस्करण 211

विविध **212**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

विश्व युवा कौशल दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day) मनाया गया, यह प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है।

- इसे वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly- UNGA) द्वारा नामित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

विश्व युवा कौशल दिवस के विषय में:

- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य विश्व के युवाओं को रोज़गार, काम और उद्यमिता के लिये आवश्यक कौशल प्रदान करना है।
  - इंचियोन घोषणा: एजुकेशन 2030 मिशन (Incheon Declaration: Education 2030) जो मुख्यत: तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, की प्राप्ति करना।"
    - यह दृष्टिकोण सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal)-4 द्वारा पूरी तरह से धारण कर लिया गया है, जिसका उद्देश्य "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिये आजीवन अवसरों को बढ़ावा देना है"।
  - लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये।
- वर्ष 2021 की थीम:
  - 'युवा कौशल पोस्ट-महामारी की पुनर्कल्पना' (Reimagining Youth Skills Post-Pandemic)।

कोविड-19 के दौरान युवा रोज़गार और स्कूलों की स्थिति:

- यूनेस्को (UNESCO) के अनुमानों के अनुसार, मार्च 2020 और मई 2021 के बीच 50% देशों में 30 सप्ताह से अधिक समय तक स्कूल बंद रहे थे।
- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण (Technical and Vocational Education and Training-TVET) के एक सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं (जिसे यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था) ने खुलासा किया कि दूरस्थ शिक्षा कौशल प्रदान करने का सबसे सामान्य तरीका था।
- वयस्कों (Adult) के 3.7% की तुलना में युवा (Youth) रोज़गार पिछले वर्ष 8.7% गिर गया।

भारत द्वारा घोषणा:

- प्रधानमंत्री ने 75 नए स्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों (Jan Shikshan Sansthan- JSS) की घोषणा की और इसके लिये विशेष रूप से बनाया गया एक पोर्टल भी लॉन्च किया।
  - जेएसएस का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-साक्षर, नव-साक्षर और साथ ही स्कूल छोड़ने वालों को संबंधित क्षेत्र के बाज़ार के लिये प्रासंगिक कौशल की पहचान करके व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- उद्योग की मांग के अनुरूप 57 नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया।

युवा कौशल के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदम

- औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (ITI): वर्ष 1950 में संकल्पित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (ITIs) का उद्देश्य भारत में मौजूदा प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है।

नोट :

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 : इसे भारत के युवाओं को रोज़गारपरक कौशल में दक्ष बनाने हेतु वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया, जिसमें 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
- पूर्व शिक्षण मान्यता (RPL) कार्यक्रम: व्यक्तियों द्वारा अधिगृहीत पूर्व कौशल को मान्यता प्रदान करने के लिये इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के प्रमुख घटकों में से एक है।
  - इसके तहत एक व्यक्ति का मूल्यांकन कौशल के एक निश्चित सेट के साथ या पूर्व शिक्षण अनुभव के आधार पर किया जाता है और उसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुसार ग्रेड के साथ प्रमाणित किया जाता है।
- राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (NCS) परियोजना : राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (National Career Service- NCS) परियोजना के तहत रोज़गार चाहने वाले पंजीकृत उम्मीदवारों के लिये वर्ष 2015 में 'मुफ्त ऑनलाइन कॅरियर कौशल प्रशिक्षण' की शुरुआत की गई।
- कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्यायन (SMART): यह देश के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्यायन, ग्रेडिंग, संबद्धता और निरंतर निगरानी पर केंद्रित एक एकल विंडो आईटी एप्लीकेशन प्रदान करता है।
- आजीविका संवर्द्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (SANKALP) योजना: यह योजना अभिसरण एवं समन्वय के माध्यम से ज़िला-स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिये कौशल सुदृढ़ीकरण (STRIVE): औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिये कौशल सुदृढ़ीकरण: स्ट्राइव योजना आईटीआई और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता एवं दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता प्राप्त भारत सरकार की परियोजना है।
- प्रधानमंत्री युवा योजना (युवा उद्यमिता विकास अभियान): वर्ष 2016 में शुरू किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिये एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना; उद्यमशीलता समर्थन नेटवर्क की वकालत करना तथा आसान पहुँच सुनिश्चित करना एवं समावेशी विकास के लिये सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना है।
- युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक (YUVA) योजना, युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिये एक परामर्श कार्यक्रम है।
- कौशलाचार्य पुरस्कार: इस पुरस्कार को कौशल प्रशिक्षकों द्वारा दिये गए योगदान को मान्यता देने और अधिक प्रशिक्षकों को कौशल भारत मिशन में शामिल होने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स' अथवा 'श्रेयस (SHREYAS): इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) के माध्यम से वर्ष 2019 सत्र के सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण यानी 'असीम' (ASEEM): वर्ष 2020 में शुरू किया गया यह पोर्टल कौशल युक्त लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करता है।

जनजातीय समुदाय के लिये विशेष पहल:

- गोल कार्यक्रम (Going Online As Leaders' -GOAL): इस कार्यक्रम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जिससे आदिवासी युवाओं और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों यथा- बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, आदिवासी कला एवं संस्कृति आदि में डिजिटल कौशल व प्रौद्योगिकी के माध्यम से दीर्घकालिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त हो सके।

इसी प्रकार वन धन योजना आदिवासी समाज को नए अवसरों से प्रभावी ढंग से जोड़ रही है।

नोट :

स्थगन प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शिरोमणि अकाली दल (राजनीतिक दल) ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों पर सरकार के खिलाफ लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) लाने का फैसला किया है।

- प्रस्ताव और संकल्प सामान्य जनहित के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिये प्रक्रियात्मक उपकरण हैं।

प्रमुख बिंदु:

- स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में तत्काल सार्वजनिक महत्त्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है।
  - इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्त्व शामिल है, इसलिये राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- इसे एक असाधारण उपकरण के रूप में माना जाता है क्योंकि यह सदन के सामान्य कार्य को बाधित करता है। इसे स्वीकार करने के लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है।
- इस प्रस्ताव पर कम-से-कम दो घंटे तीस मिनट तक चर्चा चलनी चाहिये।
- स्थगन प्रस्ताव की निम्नलिखित सीमाएँ भी हैं
  - इस प्रस्ताव के तहत जिस मामले पर चर्चा की जानी है, वह निश्चित होना चाहिये। किसी स्थगन प्रस्ताव को तब तक स्वीकृत नहीं किया जाता जब तक उसके तथ्य निश्चित नहीं होते हैं।
  - स्थगन प्रस्ताव के तहत किसी ऐसे मामले पर चर्चा नही की जा सकती है जो सदन में पहले से चला आ रहा हो अर्थात् वह मामला अविलंबित होना अनिवार्य है।
  - वह मामला लोक महत्त्व का हो और इतना महत्त्वपूर्ण होना चाहिये कि उसके लिये सदन की आम कार्यवाही रोकी जा सके।
  - इसका संबंध हाल ही में घटी किसी विशेष घटना से होना चाहिये।
  - विषय का संबंध विशेषाधिकार के मामले से नहीं होना चाहिये और इसके तहत न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है।
  - मामला ऐसा होना चाहिये जिसके लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार ज़िम्मेदार हो।

भारतीय संसद में प्रस्तावों के प्रकार

विशेषाधिकार प्रस्ताव:

- यह किसी सदस्य द्वारा तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है।
- इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

निंदा प्रस्ताव:

- लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। इसे एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है।
- इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिये मंत्रिपरिषद की निंदा करने हेतु स्थानांतरित किया गया है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- यह संसद में एक सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर एक आधिकारिक बयान मांगने के लिये प्रस्तुत किया जाता है।
- इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

नोट :

स्थगन प्रस्ताव

- इसे लोकसभा में हाल के किसी अविलंबनीय लोक महत्त्व के परिभाषित मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्त्व शामिल होता है।
- इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

अनियत दिवस प्रस्ताव

- यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है लेकिन इस पर चर्चा के लिये कोई तारीख तय नहीं की गई है।
- इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

अविश्वास प्रस्ताव

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात् इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

धन्यवाद प्रस्ताव

- प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में 'धन्यवाद प्रस्ताव' पर चर्चा होती है।
- धन्यवाद प्रस्ताव को सदन में पारित किया जाना चाहिये। अन्यथा यह सरकार की हार के समान है।

कटौती प्रस्ताव

- कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों में निहित एक विशेष शक्ति है जो अनुदान की मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक में सरकार द्वारा विशिष्ट आवंटन के लिये चर्चा की जा रही मांग का विरोध करती है।
- यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अविश्वास प्रस्ताव के समान होगा और यदि सरकार निम्न सदन में बहुमत सिद्ध करने में विफल रहती है, तो वह सदन के मानदंडों के अनुसार इस्तीफा देने के लिये बाध्य होगी।
- निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से मांग की मात्रा को कम करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है:
  - नीति कटौती प्रस्ताव: इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए", (मांग में अंतर्निहित नीति से अननुमोदन प्रकट करने के लिये हो) ऐसा प्रस्ताव "नीति कटौती प्रस्ताव" कहा जाएगा।
  - अर्थव्यवस्था में कटौती का प्रस्ताव: इसे इस तरह से पेश किया जाता है कि मांग की राशि एक निर्दिष्ट राशि से कम हो जाए।
  - टोकन कटौती प्रस्ताव: इसके अंतर्गत सदस्य किसी मंत्रालय की अनुदान मांगों में से 100 रुपए की टोकन कटौती का प्रस्ताव करते हैं। सरकार से कोई विशेष शिकायत होने पर भी सदस्य ऐसा करते हैं।
- इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

ड्रोन नीति का मसौदा, 2021

चर्चा में क्यों ?

नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने "विश्वास, स्वप्रमाणन एवं बिना किसी हस्तक्षेप के निगरानी" के आधार पर भारत में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मसौदा नियम जारी किये हैं।

- नए नियम मार्च 2021 में अधिसूचित मौजूदा मानवरहित विमान प्रणाली (Unmanned Aircraft System- UAS) नियमों का स्थान लेंगे।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

उद्देश्य:

- विभिन्न प्रकार अनुमोदन प्राप्त करने के लिये व्यवसाय के अनुकूल सिंगल-विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में "डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म" का निर्माण करना।
  - डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और अधिकांश अनुमतियाँ सेल्फ-जनरेटेड होंगी।

प्रावधान:

- अनुमोदन: विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता प्रमाणपत्र, रखरखाव प्रमाणपत्र, आयात क्लियरेंस, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, संचालन परमिट, अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्राधिकार, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, रिपोट पायलट प्रशिक्षक प्राधिकार, ड्रोन पोर्ट प्राधिकार आदि संबंधी मंज़ूरी को रद्द करना।
  - शुल्क को न्यूनतम स्तर पर करना।
- डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म: डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल ज़ोन के तौर पर वायुसीमा मानचित्र प्रदर्शित किया जायेगा।
  - यह एक सुरक्षित और स्केलेबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा जो 'नो पर्मिशन–नो टेक-ऑफ' (NPNT), वास्तविक समय में ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग जैसे सुरक्षा तत्त्वों को समर्थन प्रदान करेगा।
- हवाई अड्डे की परिधि में कमी: मसौदा नियम हवाई अड्डे की परिधि को 45 किमी. से घटाकर 12 किमी. करने का प्रावधान करते हैं।
  - नियम के अनुसार, हरे ज़ोन में 400 फीट तक और हवाईअड्डे की 8 से 12 किमी. की परिधि में 200 फीट तक की उड़ान के लिये 'नो फ्लाइट' अनुमति लेना आवश्यक होगा।
- पायलट लाइसेंस: गैर-व्यावसायिक उपयोग, नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के माइक्रो ड्रोन के लिये किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
  - भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- ड्रोन कॉरिडोर: मंत्रालय कार्गो डिलीवरी के लिये ड्रोन कॉरिडोर के विकास की सुविधा भी देगा और व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिये एक ड्रोन संवर्द्धन परिषद की स्थापना की जाएगी।
- सुरक्षा विशेषताएँ: मसौदा नियम में रीयल-टाइम ट्रैकिंग और जियो-फेंसिंग जैसी सुरक्षा सुविधाओं का भी प्रावधान है, जिन्हें भविष्य में अधिसूचित किये जाने की आशा है और अनुपालन के लिये छह महीने का समय दिया जाएगा।
- ड्रोन कवरेज में वृद्धि: ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इसमें ड्रोन टैक्सी भी शामिल हैं, जबकि उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने का काम भारतीय गुणवत्ता परिषद तथा इसके द्वारा अधिकृत प्रमाणन संस्थाओं को सौंपा गया है।

विश्लेषण:

- जम्मू में हाल की ड्रोन घटनाओं के बाद भी ड्रोन नीति को उदार बनाने का निर्णय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सरकार के साहसिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है और ड्रोन द्वारा उत्पन्न खतरे को दूर करने हेतु काउंटर-ड्रोन तकनीक के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- वर्तमान मसौदा एक स्वागत योग्य कदम है जो भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी में निवेश को सुविधाजनक बनाने में सहायता करेगा।

भारत में ड्रोन विनियमों के नियम:

- मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियम, 2020
- नेशनल काउंटर रोग ड्रोन दिशा-निर्देश, 2019

ड्रोन

- ड्रोन मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft) के लिये प्रयुक्त एक आम शब्दावली है। मानव रहित विमान के तीन उप-सेट हैं- रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (Remotely Piloted Aircraft), ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट (Autonomous Aircraft) और मॉडल एयरक्राफ्ट (Model Aircraft)।
  - रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में रिमोट पायलट स्टेशन, आवश्यक कमांड और कंट्रोल लिंक तथा अन्य घटक होते हैं।

नोट :

- ड्रोन को उनके वज़न के आधार पर पाँच श्रेणियों में बाँटा गया है-
  - नैनो- 250 ग्राम से कम
  - माइक्रो- 250 ग्राम से 2 किग्रा. तक
  - स्माल- 2 किग्रा. से 25 किग्रा. तक
  - मीडियम- 25 किग्रा. से 150 किग्रा. तक
  - लार्ज- 150 किग्रा. से अधिक

स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने संयुक्त रूप से स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण (School Innovation Ambassador Training Program- SIATP) की शुरुआत की।

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक आदि-प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है जो प्रशिक्षण इनपुट का भंडार भी है।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- स्कूली शिक्षकों के लिये अभिनव और अपनी तरह के अनूठे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), डिज़ाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार निर्माण आदि में प्रशिक्षण देना है।
- यह छात्रों को भविष्य के लिये तैयार करने हेतु शिक्षकों को परिवर्तन-एजेंट और नवाचार दूत बनाएगा।

डिज़ाइन और सहयोग:

- कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा स्कूली शिक्षकों के लिये "उच्च शैक्षिक संस्थान के संकाय सदस्यों हेतु नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" के आधार पर डिज़ाइन किया गया है।
  - प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा।
- यह शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और AICTE का एक सहयोगी प्रयास है।

लाभ:

- यह देश भर में बड़ी संख्या में आदिवासी स्कूलों के बच्चों में रचनात्मकता का विकास कर उन्हें लाभान्वित करेगा।
- यह नवाचार क्षमताओं वाले लाखों छात्रों का पोषण करेगा, नवाचार की संस्कृति विकसित करेगा और एक नए एवं जीवंत भारत की नींव रखेगा।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों को SIATP से बहुत लाभ होगा क्योंकि यह जनजातीय बच्चों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा देने के लिये जनजातीय मामलों के मंत्रालय का एक प्रयास है।
  - जनजातीय बच्चों के लिये EMRS एक और महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके तहत अगले तीन वर्षों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 740 EMRS स्थापित किये जाएंगे।
  - इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी।

अन्य महत्त्वपूर्ण संबंधित पहलें:

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020
- निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिये राष्ट्रीय पहल)
- दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर)

नोट :

समग्र शिक्षा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

- इस परिषद की स्थापना नवंबर 1945 में राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी।
- इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के लिये उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करना और समन्वित तथा एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, AICTE में निहित हैं:
  - मानदंडों और मानकों के नियोजन, निर्माण और रखरखाव के लिये सर्वोच्च प्राधिकरण।
  - प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वित्तपोषण, निगरानी और मूल्यांकन करना।
  - प्रमाणन और पुरस्कारों की समानता बनाए रखना।
  - गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
  - देश में तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन।

इनोवेशन सेल

- यह देश भर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
  - इसे वर्ष 2018 में AICTE परिसर में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य युवा छात्रों को नए विचारों से अवगत कराकर उन्हें प्रोत्साहित करना है, जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रारंभिक वर्षों में नवीन गतिविधियाँ होती हैं, जिन्हें HEI में नेटवर्क ऑफ इनोवेशन क्लब (Network of Innovation Club) के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

महिला आरक्षण विधेयक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक राजनीतिक दल ने दीर्घ अवधि से लंबित महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill to Parliament) को मानसून सत्र से पहले संसद में लाने की मांग की है।

- इस विधेयक को मई 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया था और एक स्थायी समिति (Standing Committee) के पास भेजा गया था। इसे वर्ष 2010 में सदन में पारित किया गया तथा अंत में लोकसभा को प्रेषित किया गया। हालाँकि यह बिल 15वीं लोकसभा के साथ लैप्स हो गया।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- इस बिल का मूल विचार एक संवैधानिक संशोधन से उत्पन्न हुआ था जिसे वर्ष 1993 में पारित किया गया था।
- इस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि ग्राम पंचायत के सरपंचों की एक- तिहाई संख्या महिलाओं के लिये आरक्षित होनी चाहिये।
- इस प्रकार के महिला आरक्षण को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तक विस्तारित करने के लिये महिला आरक्षण विधेयक को दीर्घकालिक योजना के रूप में देखा गया था।

महिला आरक्षण विधेयक के विषय में:

- यह विधयक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित करता है।
- आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रीय आधार पर आवंटित किया जा सकता है।
- इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

नोट :

आवश्यकता:

- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, राजनीतिक सशक्तीकरण सूचकांक में भारत के प्रदर्शन में गिरावट आई है और साथ ही महिला मंत्रियों की संख्या वर्ष 2019 के 23.1% से घटकर वर्ष 2021 में 9.1% तक पहुँच गई है।
- सरकार के आर्थिक सर्वेक्षणों में भी यह माना जाता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है।
- विभिन्न सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि पंचायती राज संस्थानों में महिला प्रतिनिधियों ने गाँवों में समाज के विकास और समग्र कल्याण में सराहनीय कार्य किया है तथा उनमें से कई निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर काम करना चाहेंगी, हालाँकि उन्हें भारत में प्रचलित राजनीतिक संरचना में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - इन चुनौतियों में उचित राजनीतिक शिक्षा की कमी, समाज में महिलाओं की कम वित्तीय शक्ति, यौन हिंसा, असुरक्षित पितृसत्ता की अभिव्यक्ति, पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू कार्य का असमान वितरण आदि शामिल हैं।
  - कई ग्रामीण इलाकों में 'पंचायत पति' की अवधारणा यानी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रॉक्सी के रूप में प्रयोग करना भी काफी प्रचलित है।

महत्त्व

- महिला राजनीतिक सशक्तीकरण तीन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है:
  - महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता।
  - महिलाओं को उनकी क्षमता के पूर्ण विकास का अधिकार।
  - महिलाओं के आत्म प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्णय का अधिकार।
- राजनीतिक निर्णयन प्रकिया में लैंगिकता संबंधी एक महत्त्वपूर्ण अंतर विद्यमान है, ऐसे में किशोर लड़कियों को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिये प्रेरित करने हेतु महिला नेताओं को आगे आने की आवश्यकता है।

मुद्दे:

- तर्क दिया गया है कि यह महिलाओं की असमान स्थिति को कायम रखेगा क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्द्धी नहीं माना जाएगा।
- यह भी तर्क दिया जाता है कि यह नीति चुनावी सुधार के बड़े मुद्दों जैसे- राजनीति के अपराधीकरण और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र से ध्यान भटकाती है।
- यह महिला उम्मीदवारों के लिये मतदाताओं की पसंद को प्रतिबंधित करता है।
- प्रत्येक चुनाव में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन से एक सांसद का अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये काम करने हेतु प्रोत्साहन कम हो सकता है क्योंकि वह उस निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ने के लिये अपात्र हो सकता है।
  - कुछ विशेषज्ञों ने वैकल्पिक तरीकों को अपनाने/बढ़ावा देने का सुझाव दिया है, जैसे- राजनीतिक दलों और दोहरे सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण।

आगे की राह:

- पंचायती राज संस्थाओं ने महिला प्रतिनिधियों को ज़मीनी स्तर पर व्यवस्था में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई राज्यों ने चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिये 50% आरक्षण दिया है।
- पार्टी स्तर पर मौलिक सुधार महिला आरक्षण विधेयक के लिये एक आवश्यक और रणनीतिक पूरक के रूप में काम करेंगे। भले ही महिला आरक्षण विधेयक भी पटरी से उतर गया हो, लेकिन राजनीति में महिलाओं के प्रवेश हेतु राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक ढाँचे को और अधिक अनुकूल बनाने से नहीं रोकना चाहिये।
- यहाँ 'कोटा' शब्द के भारतीय दृष्टिकोण को पश्चिम के दृष्टिकोण से रेखांकित करना और अलग करना महत्त्वपूर्ण है। पश्चिम के विपरीत जहाँ कोटा लगभग एक बुरा शब्द है, भारतीय प्रतिमान में ऐसे कोटा को सामाजिक लाभ के लिये अमूल्य उपकरण के रूप में देखा गया है।
  - यह सदियों से जारी उत्पीड़न को रोकने के लिये एक उपकरण है।
- यहाँ तक कि जब महिलाएँ राजनीति में पुरुषों के समान पदों पर होती हैं, तो उन्हें उल्लिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत की जनता के बीच संस्थागत, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। लैंगिक समानता सतत् विकास लक्ष्यों का भी एक हिस्सा है।

नोट :

देशद्रोह कानून को चुनौती

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) में एक याचिका दायर कर देशद्रोह कानून पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

याचिकाकर्त्ता का दृष्टिकोण:

- लगभग 60 वर्ष पुराने फैसले ने भारतीय दंड संहिता में देशद्रोह कानून को बनाए रखने में मदद की।
- केदारनाथ मामले में वर्ष 1962 का फैसला, जिसने औपनिवेशिक विरासत के अवशेष, धारा 124A (देशद्रोह) को बरकरार रखा था, ऐसे समय में दिया गया था जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'द्रुतशीतन प्रभाव' (प्रतिबंधात्मक कानून से उत्पन्न प्रभाव) जैसे सिद्धांत अनसुने थे। यह फैसला ऐसे समय में आया जब मौलिक अधिकारों का दायरा और अंतर-संबंध प्रतिबंधात्मक था।
  - केदार नाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाए गए प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि अगर कानून द्वारा स्थापित सरकार को उलट दिया जाता है तो राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हालाँकि यह कहा गया है कि धारा 124A केवल उन अभिव्यक्तियों पर लागू होगी जो या तो हिंसा का इरादा रखती हैं या जिनमें हिंसा कराने की प्रवृत्ति है।

न्यायालय का फैसला:

- यह सरकार को एक कड़ा संदेश देता है कि नागरिकों के 'भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के मौलिक अधिकारों को रौंदने के लिये अधिकारियों द्वारा देशद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय जनता की मांग के प्रति संवेदनशील हैं, जिस तरह से कानून प्रवर्तन अधिकारी स्वतंत्र भाषण को नियंत्रित करने और पत्रकारों, कार्यकर्त्ताओं तथा असंतुष्टों को जेल भेजने एवं उन्हें वहाँ रखने के लिये राजद्रोह कानून का उपयोग कर रहे हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिये।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का समय बीत चुका है।
- न्यायालय ने कहा, "सरकार के प्रति असंतोष" की असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट परिभाषाओं के आधार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है और संवैधानिक रूप से अनुमेय भाषण पर 'द्रुतशीतन प्रभाव' (Chilling Effect) का कारण बनता है।

राजद्रोह कानून की पृष्ठभूमि:

- राजद्रोह संबंधी कानून प्राय: 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बनाए गए थे, जब सांसदों का यह मानना था कि सरकार के प्रति केवल अच्छी राय को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिये, क्योंकि सरकार के प्रति नकारात्मक राय सरकार और राजशाही के लिये हानिकारक हो सकती थी।
- इस कानून को मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार-राजनेता थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता (IPC) को लागू करते समय इस प्रावधान को उसमें शामिल नहीं किया गया था।
- हालाँकि वर्ष 1870 में जब इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिये एक कानून की आवश्यकता महसूस हुई तब सर जेम्स स्टीफन द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया और इसके माध्यम से भारतीय दंड संहिता में धारा 124A को शामिल किया गया।
  - यह उस समय असंतोष की किसी भी आवाज़ को दबाने के लिये बनाए गए कई कठोर कानूनों में से एक था।
  - अंग्रेज़ों द्वारा महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे प्रमुख राजनेताओं को गिरफ्तार करने और उनकी आवाज़ को दबाने के लिये भी इस कानून का प्रयोग किया गया था।

  वर्तमान में राजद्रोह कानून: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत देशद्रोह एक अपराध है।
- IPC की धारा 124A
  - यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।

नोट :

- विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।

- राजद्रोह के अपराध हेतु दंड
  - राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  - इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से रोका जा सकता है।
    - आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है।

विश्लेषण:

धारा 124A के पक्ष में तर्क:

- यह राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में उपयोगी है।
- यह चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाता है।
- यदि अदालत की अवमानना पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है तो सरकार की अवमानना पर भी सज़ा होनी चाहिये।
- विभिन्न राज्यों में कई ज़िले माओवादी विद्रोह और विद्रोही समूहों का सामना करते रहे हैं, वे खुले तौर पर क्रांति द्वारा राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की वकालत करते हैं।
- इस पृष्ठभूमि में धारा 124A को समाप्त करने की सलाह केवल इसलिये गलत होगी क्योंकि इसे कुछ अत्यधिक प्रचारित मामलों में गलत तरीके से लागू किया गया है।

धारा 124A के विरुद्ध तर्क:

- यह वाक् और अभिव्यक्ति की संवैधानिक रूप से गारंटीशुदा स्वतंत्रता के वैध व्यवहार पर एक बाधा है।
- सरकार की असहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मज़बूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्त्व हैं। उन्हें देशद्रोह के रूप में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिये।
- भारतीयों पर अत्याचार करने के लिये देशद्रोह का परिचय देने वाले अंग्रेज़ों ने अपने देश में स्वयं इस कानून को समाप्त कर दिया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत इस धारा को समाप्त न करे।
- धारा 124A के तहत 'असंतोष' जैसे शब्द अस्पष्ट हैं और जाँच अधिकारियों के व्यवहार एवं कल्पनाओं के अंतर्गत अलग-अलग व्याख्याओं के अधीन हैं।
- IPC और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2019 में ऐसे प्रावधान हैं जो "सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने" या "हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने" संबंधी मामलों में दंडित करते हैं। ये राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिये पर्याप्त हैं।
- राजद्रोह कानून का राजनीतिक असंतोष से बचने के लिये एक उपकरण के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है।
- वर्ष 1979 में भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) की पुष्टि की, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों को निर्धारित करता है। हालाँकि देशद्रोह का दुरुपयोग व मनमाने ढंग से आरोप लगाना भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं है।

आगे की राह:

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। जो अभिव्यक्ति या विचार उस समय की सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है, उसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिये।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये धारा 124A का दुरुपयोग एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिये। केदारनाथ मामले में दी गई कैविएट के अनुसार, कानून के तहत मुकदमा चलाकर इसके दुरुपयोग की जाँच की जा सकती है। इसे बदले हुए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत तथा आवश्यकता, आनुपातिकता और मनमानी के निरंतर विकसित होने वाले परीक्षणों के आधार पर जाँचने की आवश्यकता है।

नोट :

स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 (SOFI)' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट ने भोजन के सेवन और कुपोषण पर कोविड-19 महामारी से प्रेरित आय में हानि के प्रभाव का अध्ययन किया है।

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई है।
- इससे पहले वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, 2021 (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान- IFPRI द्वारा जारी) में कहा गया है कि बढ़ती गरीबी और घटती आजीविका का प्रभाव खाद्य असुरक्षा के बढ़ते स्तर तथा आहार की गुणवत्ता में कमी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- विकासशील और अविकसित दुनिया पर प्रभाव: खाद्य सुरक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव लगभग सभी निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों पर अधिक पड़ा है।
  - इसके अलावा वे देश जहाँ महामारी नियंत्रण उपाय के परिणामस्वरूप जलवायु संबंधी आपदाएँ या संघर्ष या आर्थिक मंदी के साथ-साथ दोनों थे, उन्हें सबसे अधिक नुकसान हुआ।
  - दुनिया के आधे से अधिक कुपोषित एशिया (418 मिलियन) में और एक-तिहाई से अधिक अफ्रीका (282 मिलियन) में पाए जाते हैं।
  - वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में अफ्रीका में लगभग 46 मिलियन अधिक, एशिया में 57 मिलियन अधिक और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन में लगभग 14 मिलियन अधिक लोग भूख से प्रभावित थे।
- सतत् विकास लक्ष्यों से चूकने की संभावना: वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों (गरीबी उन्मूलन- एसडीजी 1 और भूख- एसडीजी 2) को प्राप्त करने के लिये किसी भी पोषण संकेतक के संदर्भ में विश्व प्रतिबद्धताएँ संतोषजनक नहीं हैं।
  - यह इस निष्कर्ष में परिलक्षित होता है कि पाँच वर्षों तक अपरिवर्तित रहने के बाद अल्पपोषण की व्यापकता केवल एक वर्ष में 1.5 प्रतिशत अंक बढ़ गई।
  - कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक पोषण हस्तक्षेपों में व्यवधान और आहार संबंधी व्यवहारों पर नकारात्मक प्रभावों के कारण कुपोषण को खत्म करने के प्रयासों को चुनौती मिली है।
- स्वस्थ भोजन तक पहुंच में समस्याएँ: वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में लगभग 11.8 करोड़ अधिक लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जो कि तकरीबन 18% की वृद्धि है।
  - आय में कमी के कारण स्वस्थ भोजन के लिये लोगों के सामर्थ्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
  - दुनिया में लगभग तीन में से एक व्यक्ति (लगभग 3 बिलियन) के पास वर्ष 2020 में पर्याप्त भोजन नहीं था।
  - खाद्य प्रणालियों को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक (जैसे- संघर्ष या जलवायु प्रभाव) और आंतरिक कारक (जैसे कम उत्पादकता एवं अक्षम खाद्य आपूर्ति श्रृंखला) पौष्टिक खाद्य पदार्थों की लागत को बढ़ा रहे हैं, जो कि कम आय के साथ-साथ स्वस्थ भोजन तक पहुँच की समस्या और गंभीर कर रही है।
- लैंगिक असमानता: पुरुषों और महिलाओं के बीच भोजन की पहुँच में काफी अंतर दिखाई देता है।
  - वर्ष 2020 में खाद्य-सुरक्षा के मामले में प्रत्येक 10 पुरुषों की तुलना में 11 महिलाएँ असुरक्षित थीं, जबकि वर्ष 2019 में यह संख्या 10.6 से अधिक थी।
  - दुनिया में प्रजनन आयु की लगभग एक-तिहाई महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं।

भारतीय परिदृश्य

कुपोषण की स्थिति:

- वर्ष 2018-20 के दौरान भारत में कुल आबादी के बीच कुपोषण का प्रसार 15.3% था, जो कि इसी अवधि के दौरान वैश्विक औसत (8.9%) की तुलना में काफी खराब प्रदर्शन है।
  - हालाँकि इसे वर्ष 2004-06 (21.6%) की तुलना में एक सुधार के रूप में देखा जा सकता है।

नोट :

- वर्ष 2020 में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 17.3% बच्चे ऊँचाई की तुलना में कम वज़न के साथ 'वेस्टेड ग्रोथ' का सामना कर रहे थे, जो कि अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है।
  - लगभग 31% बच्चों की उम्र की तुलना में लंबाई कम है (स्टंटेड), जो कि वर्ष 2012 में 41.7% की तुलना में बेहतर स्थिति है, किंतु यह अभी भी दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है।
- भारत में वयस्क आबादी में मोटापे के मामले 2012 के 3% से बढ़कर 2016 में 3.9% हो गए हैं।
- प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया का प्रसार वर्ष 2012 के 53.2% से वर्ष 2019 में 53% हो गया जिसमें मामूली सुधार हुआ है।

संबंधित पहलें:

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
- वन नेशन वन राशन कार्ड
- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना

आगे की राह:

- रिपोर्ट में निम्नलिखित छह तरीके बताए गए हैं जिनके माध्यम से खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के प्रमुख कारकों से निपटने के लिये खाद्य प्रणालियों को बदला जा सकता है तथा स्थायी एवं समावेशी रूप से सस्ता व स्वस्थ आहार तक सभी की पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।
  - संघर्षरत क्षेत्रों में मानवतावादी, विकास और शांति निर्माण नीतियों को एकीकृत करने का प्रयास करना- उदाहरण के लिये परिवारों को भोजन के लिये संपत्ति बेचने से रोकने हेतु सामाजिक सुरक्षा उपाय अपनाना।
  - छोटे किसानों को जलवायु जोखिम बीमा और पूर्वानुमान-आधारित वित्तपोषण तक व्यापक पहुँच प्रदान करके खाद्य प्रणालियों में जलवायु लचीलापन को बढ़ाना।
  - महामारी या खाद्य मूल्य अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिये इन-काइंड या कैश सपोर्ट प्रोग्राम के माध्यम से आर्थिक प्रतिकूलता के प्रति कमज़ोर वर्ग के लोगों को मज़बूती प्रदान करना।
  - पौष्टिक खाद्य पदार्थों की लागत को कम करने के लिये आपूर्ति शृंखलाओं में हस्तक्षेप करना- बायोफोर्टिफाइड फसलों के रोपण को प्रोत्साहित कर फल और सब्जी उत्पादकों के लिये बाजारों तक पहुँच आसान बनाना।
  - गरीबी और संरचनात्मक असमानताओं से निपटना- उदाहरण के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब समुदायों में खाद्य मूल्य शृंखला को बढ़ावा देना।
  - खाद्य प्रणाली को मज़बूत करना और उपभोक्ता व्यवहार को बदलना- उदाहरण के लिये औद्योगिक ट्रांस वसा को समाप्त करना और खाद्य आपूर्ति में नमक तथा चीनी की मात्रा को कम करना या बच्चों को खाद्य विपणन के नकारात्मक प्रभाव से बचाना।

टीपू सुल्तान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मुंबई में एक उद्यान का नामकरण टीपू सुल्तान के नाम से किये जाने के कारण विवाद उत्पन्न हो गया।

प्रमुख बिंदु

संक्षिप्त परिचय

- नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र और एक महान योद्धा थे, जिन्हें 'मैसूर के बाघ' के रूप में भी जाना जाता है।
- वह अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू में पारंगत एक सुशिक्षित व्यक्ति थे।

नोट :

- हैदर अली (शासनकाल- 1761 से 1782 तक) और उनके पुत्र टीपू सुल्तान (शासनकाल- 1782 से 1799 तक) जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर की शक्ति में काफी बढ़ोतरी हुई।
  - टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें उनके द्वारा शुरू किये गए सिक्के, एक नया मौलूदी चंद्र-सौर कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की।
- पारंपरिक भारतीय हथियारों के साथ-साथ उन्होंने तोपखाने और रॉकेट जैसे पश्चिमी सैन्य तरीकों को अपनाया ताकि उनकी सेनाएँ प्रतिद्वंद्वियों को मात दे सकें और उनके विरुद्ध भेजी गई ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबला कर सकें।

सशस्त्र बलों का रखरखाव:

- टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल के आधार पर संगठित किया।
  - यद्यपि उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिये फ्राँसीसी अधिकारियों की मदद ली, किंतु उन्होंने फ्राँसीसी अधिकारियों को कभी भी एक दबाव समूह के रूप में विकसित होने की अनुमति नहीं दी।
- वह नौसैनिक बल के महत्त्व से अच्छी तरह वाकिफ थे।
  - वर्ष 1796 में उन्होंने 'नौवाहन विभाग बोर्ड' की स्थापना की और 22 युद्धपोतों तथा 20 फ्रिगेट के बेड़े के निर्माण की योजना बनाई।
  - उन्होंने मैंगलोर, वाजेदाबाद और मोलिदाबाद में तीन डॉकयार्ड स्थापित किये। हालाँकि उनकी योजनाएँ साकार नहीं हो सकीं।

मराठों के खिलाफ युद्ध:

- वर्ष 1767 में टीपू ने पश्चिमी भारत के कर्नाटक क्षेत्र में मराठों के खिलाफ घुड़सवार सेना की कमान संभाली और वर्ष 1775-79 के बीच कई मौकों पर मराठों के खिलाफ युद्ध किया।

आंग्ल-मैसूर युद्धों में भूमिका:

- अंग्रेज़ों ने हैदर और टीपू को एक ऐसे महत्त्वाकांक्षी, अभिमानी और खतरनाक शासकों के रूप में देखा जिन्हें नियंत्रित करना अंग्रेज़ों के लिये आवश्यक हो गया था।
- चार आंग्ल-मैसूर युद्ध हुए जिनके आधार पर निम्नलिखित संधियाँ की गईं।
  - 1767-69: मद्रास की संधि।
  - 1780-84: मैंगलोर की संधि।
  - 1790-92: श्रीरंगपटनम की संधि।
  - 1799: सहायक संधि।
- कंपनी ने अंततः श्रीरंगपटनम के युद्ध में जीत हासिल की और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपटनम की रक्षा करते हुए मारा गया।
- मैसूर को वाडियार वंश के पूर्व शासक वंश के अधीन रखा गया था और राज्य के साथ एक सहायक गठबंधन किया गया।

अन्य संबंधित बिंदु:

- वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षक भी थे तथा उन्हें भारत में 'रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी' के रूप में श्रेय दिया जाता है।
  - उन्होंने रॉकेट के संचालन की व्याख्या करते हुए एक सैन्य मैनुअल (फतुल मुजाहिदीन) लिखा।
- टीपू लोकतंत्र के एक महान प्रेमी और महान राजनयिक थे जिन्होंने वर्ष 1797 में जैकोबिन क्लब की स्थापना में श्रीरंगपटनम में फ्राँसीसी सैनिकों को समर्थन दिया था।
  - टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब के सदस्य बने और स्वयं को सिटीज़न टीपू कहलाने की अनुमति दी।
  - उन्होंने श्रीरंगपटनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया।

सहायक संधि

- लॉर्ड वेलेजली ने वर्ष 1798 में भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासकों को अपने शत्रुओं के विरुद्ध अंग्रेज़ों से सुरक्षा प्राप्त करने के बदले ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिये आर्थिक भुगतान करने को बाध्य किया गया था।

नोट :

- सहायक संधि करने वाले देशी राजा अथवा शासक किसी अन्य राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने या अंग्रेज़ों की सहमति के बिना समझौते करने के लिये स्वतंत्र नहीं थे।
- यह संधि राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति थी, लेकिन इसका पालन अंग्रेज़ों ने कभी नहीं किया।
- मनमाने ढंग से निर्धारित एवं भारी-भरकम आर्थिक भुगतान ने राज्यों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया एवं राज्यों के लोगों को गरीब बना दिया।
- वहीं ब्रिटिश अब भारतीय राज्यों के व्यय पर एक बड़ी सेना रख सकते थे।
  - वे संरक्षित सहयोगी की रक्षा एवं विदेशी संबंधों को नियंत्रित करते थे तथा उनकी भूमि पर शक्तिशाली सैन्य बल की तैनाती करते थे।
- सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था।
- इस संधि पर वर्ष 1801 में अवध के नवाब को हस्ताक्षर करने के लिये मजबूर किया गया।
- पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वर्ष 1802 में बेसिन में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किये।

संसदीय सत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मंत्रिपरिषद और कैबिनेट समितियों में फेरबदल के बाद संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है।

प्रमुख बिंदु

संसदीय सत्र

- संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है।
- संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है।
  - यह निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। राष्ट्रपति के नाम पर ही संसद सदस्यों को संसदीय सत्र की बैठक के लिये बुलाया जाता है।
- भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा (अर्थात् संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया) के मुताबिक संसद के एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं।
  - सबसे लंबा, बजट सत्र (पहला सत्र) जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है।
  - दूसरा सत्र तीन सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है।
  - शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है।

संसद सत्र आहूत करना:

- सम्मन (Summoning) संसद के सभी सदस्यों को बैठक के लिये बुलाने की प्रक्रिया है। सत्र को आहूत करने के लिये राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय-समय पर सम्मन जारी करता है, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिये। अर्थात् संसद सत्र का आयोजन वर्ष में कम-से-कम दो बार किया जाना चाहिये।

स्थगन:

- स्थगन की स्थिति में सभा की बैठक समाप्त हो जाती है और सभा अगली बैठक के लिये नियत समय पर पुन: समवेत होती है। स्थगन एक निर्दिष्ट समय के लिये हो सकता है जैसे घंटे, दिन या सप्ताह।
- यदि सभा को अगली बैठक के लिये निर्धारित किसी निश्चित समय/तिथि के बिना समाप्त कर दिया जाता है, तो इसे अनिश्चित काल के लिये स्थगन कहा जाता है।
- स्थगन और अनिश्चित काल के लिये स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) के पास होती है।

नोट :

सत्रावसान:

- सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त होना है, न कि विघटन (लोकसभा के मामले में क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है)।
- सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

कोरम:

- कोरम अथवा गणपूर्ति का तात्पर्य सदन की बैठक आयोजित करने हेतु उपस्थित आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या से है।
- संविधान द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिये कोरम हेतु सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 निर्धारित की गई है।
- इस प्रकार लोकसभा की बैठक के संचालन हेतु कम-से-कम 55 सदस्य, जबकि राज्यसभा की बैठक के संचालन के लिये कम-से-कम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिये।

संसद का संयुक्त सत्र (अनुच्छेद 108):

- किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों (लोकसभा तथा राज्यसभा) के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है।
- संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाता है यदि वह भी अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति इस दायित्व को निभाता है।
  - यदि उपरोक्त में से कोई भी उपस्थित न हो तो दोनों सदनों की सहमति से संसद का कोई अन्य सदस्य इसकी अध्यक्षता कर सकता है।

लोकपाल के लिये जाँच निदेशक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सूचना का अधिकार (RTI) के अंतर्गत मांगे गए उत्तर के जवाब से पता चला है कि लोकपाल (Lokpal) के अस्तित्व में आने के दो वर्ष से अधिक समय के बाद भी केंद्र ने अब तक जाँच निदेशक (Director of Inquiry) की नियुक्ति नहीं की है।

प्रमुख बिंदु

जाँच निदेशक के विषय में:

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, एक जाँच निदेशक होगा, जो केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20 (1) (बी) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, लोक सेवकों के संबंध में शिकायतों को लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जाँच के लिये केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) को भेजा जाता है।
- जाँच निदेशक की नियुक्ति न करना भारत में मज़बूत लोकपाल के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है।

लोकपाल के विषय में:

- लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है जो जनहित का प्रतिनिधित्व करता है।
  - भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- भारत में लोकपाल की अवधारणा स्वीडन से ली गई है।
- लोकपाल (सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करने वाली सर्वोच्च संस्था) मार्च 2019 में अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ अस्तित्व में आया।
- भारत के पहले प्रशासनिक सुधार आयोग (1966- 1970) ने नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिये 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' के रूप में नामित दो विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की थी।
  - भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल, जबकि राज्य स्तर पर लोकायुक्त अधिकृत है।

नोट :

- भ्रष्टाचार के मामलों में लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में सभी संसद सदस्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी आते हैं।
- इसके अलावा लोकपाल केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित संस्था के किसी भी सदस्य के संबंध में भ्रष्टाचार विरोधी शिकायतों की भी जाँच कर सकता है।
- वर्तमान में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (Justice Pinaki Chandra Ghose) लोकपाल के अध्यक्ष हैं।
- लोकपाल एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं।

लोकपाल से संबंधित मुद्दे:

- लोकपाल राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति समिति में भी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होते हैं।
  - लोकपाल की नियुक्ति हेतु चयन समिति प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होती है जो कि समिति का अध्यक्ष होता है इसके अलावा इस समिति में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित एक न्यायाधीश तथा एक प्रख्यात न्यायविद शामिल होते हैं ।
- लोकपाल की नियुक्ति में हेरफेर की संभावना बनी रहती है क्योंकि नियुक्ति हेतु 'प्रतिष्ठित न्यायविद' या 'ईमानदार व्यक्ति'के लिये कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है।
- सबसे बड़ी कमी न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखना है।
- लोकपाल को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान नहीं है तथा लोकपाल के खिलाफ अपील करने हेतु पर्याप्त प्रावधान भी नहीं हैं।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ उल्लेखित अपराध का आरोप लगाने के दिन से सात वर्ष की अवधि के बाद शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है।

आगे की राह:

- भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने हेतु लोकपाल संस्था को कार्यात्मक स्वायत्तता और जनशक्ति की उपलब्धता दोनों के संदर्भ में मज़बूत किया जाना चाहिये।
- इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त को वित्तीय, प्रशासनिक एवं कानूनी रूप से उन लोगों से स्वतंत्र किया जाना चाहिये जिनके खिलाफ उन्हें जाँच और मुकदमा चलाने का अधिकार होता है।
- किसी एक संस्था या प्राधिकरण में बहुत अधिक शक्ति के संकेंद्रण से बचने हेतु उचित जवाबदेही तंत्र के साथ विकेंद्रीकृत संस्थानों की बहुलता की आवश्यकता है।
- अधिक पारदर्शिता, सूचना का अधिकार अधिनियम को सशक्त बनाना, मज़बूत व्हिसलब्लोअर (Whistleblower) संरक्षण व्यवस्था के साथ-साथ एक नैतिक रूप से मज़बूत नेतृत्व की आवश्यकता है जो स्वयं को भी सार्वजनिक जाँच के दायरे में लाने हेतु तैयार हो।

कापू समुदाय को आरक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये 10% आरक्षण की घोषणा की है।

- यह आरक्षण संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार बढ़ाया गया है।

प्रमुख बिंदु

कापू समुदाय के बारे में:

- कापू मुख्य रूप से आंध्र-तेलंगाना क्षेत्र का एक कृषि प्रधान समुदाय है।
- ऐसा माना जाता है कि इन्होंने हज़ारों साल पहले गंगा के मैदानी इलाकों संभवत: काम्पिल्य (अयोध्या के पास) से प्रवास किया था।
- उन्होंने वर्तमान तेलंगाना में प्रवेश किया और गोदावरी के किनारे के जंगलों को साफ कर वहीं बस गए तथा खेती करना शुरू किया।
- कापू समुदाय स्वयं को 'पिछड़ी जातियों' की श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले वे पिछड़ी जाति में ही शामिल थे।

नोट :

- कापू समुदाय को पिछड़ी जातियों में शामिल करने के लिये पहला व्यापक विरोध वर्ष 1993 में हुआ था।
  - तब उन्हें 'पिछड़ी जातियों' में शामिल करने के लिये एक सरकारी आदेश जारी किया गया था। हालाँकि इस आदेश का पालन नहीं किया गया।

अन्य पिछड़ा वर्ग

- अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes- OBC) भारत सरकार द्वारा उन जातियों को वर्गीकृत करने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द है जो शैक्षिक या सामाजिक रूप से वंचित हैं।
- यह सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC तथा ST) के साथ-साथ भारत की जनसंख्या के विभिन्न आधिकारिक वर्गीकरणों में से एक है।
- वर्ष 1980 की मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या में OBC वर्ग की आबादी 52% थी तथा वर्ष 2006 में जब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन हुआ था, तब इस वर्ग की कुल आबादी 41% निर्धारित की गई।
- संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है।

EWS आरक्षण के लिये दिशानिर्देश:

- ऐसे व्यक्ति जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत कवर नहीं किया गया है और जिनकी सकल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान करने के उद्देश से 'आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग' (EWS) के रूप में पहचाना गया है।
- सकल वार्षिक आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से प्राप्त आय शामिल है।
- इस उद्देश्य के लिये परिवार के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन तथा उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे।

संविधान (103वाँ) संशोधन अधिनियम:

- इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करते हुए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तथा नौकरियों में आर्थिक आरक्षण (10% कोटा) की शुरुआत की।
  - इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) को सम्मिलित किया गया था।
- यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिये उपलब्ध 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किये गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था।
- यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

EWS आरक्षण की स्थिति:

- 10% EWS आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा रोज़गार के अवसरों (इंद्रा साहनी वाद 1992 द्वारा निर्धारित) में आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन करता है।
- सरकार का मानना यह है कि यद्यपि सामान्यतया 50% आरक्षण का नियम है, लेकिन वह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के समाज के सदस्यों के उत्थान के लिये मौजूदा विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संविधान के संशोधन को नहीं रोकेगा।
- वर्तमान में मामला सर्वोच्च न्यायालय में है जहाँ उसने हाल ही में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को यह कहते हुए संदर्भित किया कि इसमें 'कानून के पर्याप्त प्रश्न' शामिल हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार, कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों को ऐसे मामलों की सुनवाई करने की आवश्यकता होती है जिनमें संविधान की 'व्याख्या के रूप में कानून का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न' या अनुच्छेद 143 के तहत कोई संदर्भ शामिल है, जो की शक्ति से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करेंगे।
- सर्वोच्च न्यायालय की कम-से-कम पाँच जजों वाली न्यायपीठ (Bench) को संविधान पीठ कहा जाता है।

नोट :

97वें संशोधन के प्रावधान रद्द

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने गुजरात उच्च न्यायालय के वर्ष 2013 के फैसले को बरकरार रखते हुए संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है।

- न्यायालय का यह फैसला संघवाद को बढ़ावा देता है क्योंकि 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों (एक ऐसा क्षेत्र जिसे अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदानकर्त्ता माना जाता है) पर राज्यों के अनन्य अधिकार को सीमित कर दिया है।

सहकारी समितियाँ:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation- ILO) के अनुसार, सहकारिता व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।
- सहकारी समितियाँ कई प्रकार की होती हैं जैसे- उपभोक्ता सहकारी समिति (Consumer Cooperative Society), उत्पादक सहकारी समिति (Producer Cooperative Society), ऋण सहकारी समिति (Credit Cooperative Society), आवास सहकारी समिति (Housing Cooperative Society) और विपणन सहकारी समिति (Marketing Cooperative Society)।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) द्वारा वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (International Year of Cooperatives) घोषित किया गया था।
- भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसने विश्व के सबसे बड़े सहकारी आंदोलन की नींव रखी।
  - हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' का निर्माण किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

मुद्दे:

- 97वें संशोधन के माध्यम से संविधान में प्रस्तुत किया गया भाग IXB, सहकारी समितियों के क्रियान्वयन हेतु शर्तों को निर्धारित करता है।
- संशोधन में प्रावधान, संविधान द्वारा आवश्यक राज्य विधानसभाओं द्वारा उनकी पुष्टि किये बिना संसद द्वारा पारित किये गए।
- यह एक सहकारिता के निदेशकों की संख्या या उनके कार्यकाल की अवधि और यहाँ तक कि उसका सदस्य बनने के लिये आवश्यक विशेषज्ञता का निर्धारण करने की सीमा तक विस्तारित है।

97वें संशोधन के अन्य प्रमुख प्रावधान

- संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 ने भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग IXA (नगर पालिका) के ठीक बाद एक नया भाग IXB जोड़ा है।
- संविधान के भाग-III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में "यूनियन (Union) और एसोसिएशन (Association)" के बाद "सहकारिता" (Cooperative) शब्द जोड़ा गया था। यह सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर सहकारी समितियाँ बनाने में सक्षम बनाता है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (Directive Principles of State Policy-भाग IV) में "सहकारी समितियों के प्रचार" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था।

केंद्र सरकार का तर्क:

- इसने सहकारिता के कामकाज में 'व्यावसायिकता' और स्वायत्तता को प्रेरित करने के सरकार के प्रयास को उचित ठहराया।
- सदस्यों की जवाबदेही की कमी के कारण सेवाओं की खराब गुणवत्ता और उत्पादकता में गिरावट देखी गई है।
- यहाँ तक कि इनके चुनाव भी समय पर नहीं होते हैं। सहकारी समितियों को सुस्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलने की ज़रूरत है।

नोट :

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- राज्यों का विशेष विधान:
  - जहाँ तक विधायी शक्तियों का संबंध है, संविधान को अर्द्ध-संघीय के रूप में वर्णित किया गया है, हालाँकि संघीय सर्वोच्चता सिद्धांत के मद्देनज़र राज्यों की तुलना मंश केंद्र के पक्ष में झुकाव है।
    - अर्द्ध-संघवाद का अर्थ है एकात्मक राज्य और एक संघ के बीच राज्य का एक मध्यवर्ती रूप।
  - हालाँकि अपने स्वयं के क्षेत्र में राज्यों के पास विशेष रूप से उनके लिये आरक्षित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है।
  - भाग IX B, जिसमें अनुच्छेद 243ZH से 243ZT शामिल हैं, ने राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के तहत सहकारी क्षेत्र पर राज्य विधानसभाओं की "अनन्य विधायी शक्ति" को "महत्त्वपूर्ण और पर्याप्त रूप से प्रभावित" किया है।
  - वास्तव में अदालत ने स्पष्ट किया कि कैसे अनुच्छेद 243ZI यह उपबंध करता है कि एक राज्य केवल 97वें संवैधानिक संशोधन के भाग IXB के प्रावधानों के अधीन किसी समाज के निगमन, विनियमन और समापन को लेकर कानून बना सकता है।
- राज्यों द्वारा अनुमोदित नहीं:
  - यह माना गया कि 97वें संविधान संशोधन के लिये संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार कम-से-कम आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रविष्टि से संबंधित है जो एक विशेष राज्य के विषय (सहकारी समितियाँ) रूप में थी।
    - अनुच्छेद 368(2) के तहत संसद विशेष बहुमत से विधेयक पारित कर संविधान में संशोधन कर सकती है।
  - चूँकि 97वें संशोधन के मामले में ऐसा अनुसमर्थन नहीं किया गया था, इसलिये इसे रद्द किया जा सकता था।
- बहुराज्य सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों की वैधता बरकरार:
  - इसने अनुसमर्थन की कमी के कारण 'बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS)' से संबंधित संशोधन के भाग IXB के कुछ हिस्सों पर प्रहार नहीं किया।
  - जब MSCS पर विचार किया जाता है तब इसका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये विधायी शक्तियाँ भारत संघ की होंगी जो प्रविष्टि 44 सूची I (संघ सूची) में निहित हैं।
  - यह घोषित किया गया है कि संविधान का भाग IXB केवल तभी तक प्रभावी होगा जब तक यह विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित है।

विधायी शक्तियों में अंतर करने के लिये सूचियाँ

- तीन ऐसी सूचियाँ हैं जो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान करती हैं :
  - संघ सूची (सूची I)- इसमें 98 विषय (मूल रूप से 97) शामिल हैं और इसमें वे विषय शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय महत्त्व के हैं तथा जिनके लिये पूरे देश में समान कानून है।
    - इन मामलों के संबंध में केवल केंद्रीय संसद ही कानून बना सकती है, उदाहरण के लिये रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संघ कर आदि।
  - राज्य सूची (सूची II)- इसमें 59 विषय (मूल रूप से 66) हैं और इसमें स्थानीय या राज्य हित के विषय शामिल हैं।
    - ये विषय राज्य विधानमंडलों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। जैसे- लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि और वन आदि।
  - समवर्ती सूची (सूची-III)- इसमें 52 (मूल रूप से 47) विषय हैं जिनके संबंध में केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है। समवर्ती सूची का उद्देश्य अत्यधिक कठोरता से बचने के लिये विषयों को केंद्र एवं राज्य दोनों को एक उपकरण के रूप में प्रदान करना था।
  - यह एक 'ट्विलाइट ज़ोन' है, क्योंकि महत्त्वपूर्ण मामलों के लिये राज्य पहल नहीं कर सकते हैं, जबकि संसद ऐसा कर सकती है।

नोट :

भारत की अपतटीय पवन ऊर्जा के लिये रोडमैप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है।

- भारत की तटरेखा 7,600 किमी. है जिसके माध्यम से 127 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।

प्रमुख बिंदु

अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में:

- वर्तमान में पवन ऊर्जा के सामान्यत: दो प्रकार है : तटवर्ती पवन फार्म जो भूमि पर स्थित पवन टर्बाइनों के व्यापक रूप में स्थापित हैं और अपतटीय पवन फार्म जो जल निकायों में स्थित प्रतिष्ठान हैं।
- अपतटीय पवन ऊर्जा का तात्पर्य जल निकायों के अंदर पवन फार्मों की स्थापना से है। वे बिजली उत्पन्न करने के लिये समुद्री हवाओं का उपयोग करते हैं। ये पवन फार्म या तो फिक्स्ड-फाउंडेशन टर्बाइन (Fixed-Foundation Turbines) या फ्लोटिंग विंड टर्बाइन (Floating wind Turbines) का उपयोग करते हैं।
  - एक फिक्स्ड-फाउंडेशन टर्बाइन उथले जल में निर्मित होता है, जबकि एक फ्लोटिंग विंड टर्बाइन गहरे जल में निर्मित होता है जहाँ इसकी नींव समुद्र तल से लगी होती है। फ्लोटिंग विंड फार्म अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं।
- अपतटीय पवन फार्म को तट से कम-से-कम 200 समुद्री मील और समुद्र में 50 फीट गहरा होना चाहिये।
- अपतटीय पवन टर्बाइन बिजली उत्पादन करते हैं जो समुद्र तल में दबे केबलों के माध्यम से तट पर वापस आ जाती है।

भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति:

- मार्च 2021 में एक वर्ष में भारत की पवन बिजली उत्पादन क्षमता 39.2 गीगावाट (GW) तक पहुँच गई है। अगले पाँच वर्षों में और 20 गीगावाट अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2010 और 2020 के बीच पवन उत्पादन की कुल वार्षिक वृद्धि दर 11.39% रही है, जबकि स्थापित क्षमता के मामले में यह दर 8.78% रही है।
- व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य 95% से अधिक संसाधन सात राज्यों में स्थित हैं: आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु।

लाभ:

- जल निकायों पर हवा की गति अधिक और दिशा सुसंगत होती है, जिसके परिणामस्वरूप अपतटीय पवन फार्म मानक स्थापित क्षमता से अधिक बिजली उत्पन्न करते हैं।
- तटवर्ती टर्बाइनों की तुलना में ऊर्जा की समान क्षमता का उत्पादन करने के लिये कम अपतटीय टर्बाइनों की आवश्यकता होती है।
- अपतटीय पवन फार्म में तटवर्ती पवन फार्म की तुलना में अधिक उपयोग क्षमता (CUF) होती है। इसलिये अपतटीय पवन ऊर्जा लंबे समय तक संचालन की अनुमति देती है।
  - एक विंड टर्बाइन CUF औसत आउटपुट ऊर्जा के लिये अधिकतम ऊर्जा क्षमताओं के विभाजन के समान है।
- बड़ी और ऊँची अपतटीय पवन चक्कियों का निर्माण संभव है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होती है।
- इसके अतिरिक्त पवन का प्रवाह पहाड़ियों या इमारतों द्वारा बाधित नहीं होता है।

चुनौतियाँ:

- अत्यधिक स्थापना लागत:
  - भारत में स्थानीय सबस्ट्रक्चर निर्माताओं, इनस्टॉलेशन जहाज़ों और प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है। अपतटीय पवन टर्बाइनों को तटवर्ती पवन फार्मों की तुलना में मज़बूत संरचनाओं की आवश्यकता होती है। यह उच्च स्थापना लागत का कारण बन सकता है।

नोट :

- अत्यधिक रखरखाव लागत:
  - समुद्री लहरों और तेज़ हवाओं के कारण, विशेष रूप से तूफान के दौरान पवन टर्बाइनों को नुकसान हो सकता है, जिसके कारण अपतटीय पवन फार्मों को रखरखाव की आवश्यकता होती है, जो कि अधिक महँगा हो सकता है।

पवन ऊर्जा से संबंधित नीतियाँ:

- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति: राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018 का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, ट्रांसमिशन बुनियादी अवसंरचना तथा भूमि के इष्टतम एवं कुशल उपयोग के लिये बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर फोटोवोल्टिक हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु एक अवसंरचना का निर्माण करना है।
- राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति: राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को अक्तूबर 2015 में भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में 7600 किलोमीटर की भारतीय तटरेखा के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा विकसित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था।

आगे की राह

- अक्षय खरीद दायित्व: इसके माध्यम से बिजली वितरण कंपनियाँ, खुली पहुँच वाले उपभोक्ता और कैप्टिव उपयोगकर्त्ता अपनी कुल बिजली खपत के हिस्से के रूप में स्वच्छ ऊर्जा खरीद सकते हैं।
- कम कर: भारत में जीएसटी कानून, बिजली और इसकी बिक्री को जीएसटी से छूट देता है। इसके विपरीत पवन ऊर्जा उत्पादन कंपनियाँ परियोजना की स्थापना के लिये वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद हेतु जीएसटी का भुगतान करते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) का दावा नहीं कर सकती हैं।
- फीड-इन टैरिफ: डिस्कॉम फीड-इन टैरिफ (Feed-in Tariff- FiT) नियमों को अपना सकते हैं और अपतटीय पवन ऊर्जा खरीद को अनिवार्य बना सकते हैं। एफआईटी को प्रत्येक अपतटीय पवन परियोजना के अनुरूप बनाया जा सकता है। एफआईटी का उपयोग विकास के शुरुआती चरणों में अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये किया जा सकता है जब तक कि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य न हो जाए।
- डीम्ड जनरेशन प्रोविज़न: राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (State Load Dispatch Centre) की बड़ी मात्रा में बिजली को अवशोषित करने में असमर्थता के कारण अपतटीय पवन परियोजनाओं को कटौती की चिंताओं के खिलाफ संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिये अपतटीय पवन को "डीम्ड जेनरेशन प्रोविज़न" (Deemed Generation Provision) किया जा सकता है।

भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता हेतु नई पहलें

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (Azadi Ka Amrut Mahotsav) के हिस्से के रूप में भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता की दिशा में सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों की घोषणा की।

- इन पहलों की शुरुआत "स्थायी आवास के लिये लक्ष्य: ऊर्जा दक्षता निर्माण में नई पहल 2021" (Aiming for Sustainable Habitat: New Initiatives in Building Energy Efficiency 2021) का उद्घाटन करते हुए की गई, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) द्वारा लॉन्च किया गया।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

- इस ब्यूरो को विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जा आधिक्य को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विकासशील नीतियों और रणनीतियों में सहायता करता है।
- यह अपने कार्यों को करने में मौजूदा संसाधनों एवं बुनियादी ढाँचे की पहचान तथा उपयोग करने के लिये नामित उपभोक्ताओं, एजेंसियों व अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

शुरू की गई पहलें:

- ईको निवास संहिता:
  - भारत के ऊर्जा संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु आवासीय भवनों (Energy Conservation Building Code for Residential- ECBC-R) के लिये यह एक ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है।
  - यह ईको निवास संहिता 2021 के साथ कोड अनुपालन दृष्टिकोण और भवन सेवाओं के लिये न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन आवश्यकताओं एवं सत्यापन ढाँचें को निर्दिष्ट करता है।
- हैंडबुक फॉर लर्निंग:
  - वेब आधारित एक मंच "द हैंडबुक ऑफ रेप्लिकेबल डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिसिएंट रेज़िडेन्शियल बिल्डिंग्स" उपलब्ध होगा जिसका उपयोग भारत में कम ऊर्जा खपत वाले भवनों के निर्माण में एक उपयोगी और अपनाई जा सकने योग्य सूचनाओं एवं जानकारियों के स्रोत के रूप में किया जा सकेगा।
- निर्माण सामग्री की ऑनलाइन डॉयरेक्टरी:
  - ऊर्जा दक्षता वाले भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण सामग्री के लिये मानकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के उद्देश्य से भवन निर्माण सामग्री की एक ऑनलाइन डॉयरेक्टरी तैयार की जाएगी।
- निर्माण पुरस्कार:
  - निर्माण पुरस्कार (NEERMAN यानी नेशनल एनर्जी एफिसिएन्सी रोडमैप फॉर मूवमेंट टूवर्ड्स एफोर्डेबल एंड नेचुरल हैबीटेट) की घोषणा की जाएगी जिसका उद्देश्य BEE की ऊर्जा बचत भवन संहिता के अनुरूप तैयार असाधारण रूप से ऊर्जा बचत भवन प्रारूपों को प्रोत्साहित करना है।
- ऑनलाइन स्टार रेटिंग टूल:
  - यह पेशेवरों को अपने घरों में ऊर्जा दक्षता के सबसे उन्नत विकल्पों को अपनाने के लिये निर्णय करने में मदद करेगा।
  - व्यक्तिगत उपयोग वाले भवनों में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा बचत को बेहतर करने के लिये ऊर्जा दक्षता वाले घरों की रेटिंग हेतु ऑनलाइन स्टार रेटिंग टूल तैयार किया जा चुका है।
- प्रशिक्षण:
  - ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) 2017 और इको निवास संहिता (ENS) 2021 के अंतर्गत 15000 वास्तुकारों, अभियंताओं एवं सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

महत्त्व:

- निर्माण क्षेत्र, उद्योग के बाद विद्युत का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन वर्ष 2030 तक इसके सबसे बड़े ऊर्जा खपत वाले क्षेत्र बनने की उम्मीद है।
- ऐसी पहलों से देश भर में आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो सतत् आवास की ओर अग्रसर करेगा।
  - भारत को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिये यह पहल एक लंबा सफर तय करेगी।

भारत में ऊर्जा दक्षता

ऊर्जा दक्षता:

- ऊर्जा दक्षता का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिये कम ऊर्जा का उपयोग करना अर्थात् ऊर्जा की बर्बादी को समाप्त करना।
- ऊर्जा दक्षता कई तरह के लाभ प्रदान करती है जैसे- ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा आयात की मांग को कम करना और घरेलू तथा अर्थव्यवस्था-व्यापी स्तर पर लागत को कम करना।

नोट :

ट्रांज़ीसन:

- भारत का ऊर्जा क्षेत्र सरकार की हाल की विकासात्मक महत्त्वाकांक्षाओं के साथ परिवर्तन के लिये तैयार है, उदाहरण के लिये वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 175 गीगावाट, सभी के लिये 24X7 बिजली, वर्ष 2022 तक सभी के लिये आवास, 100 स्मार्ट सिटी मिशन, ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना, रेलवे क्षेत्र का विद्युतीकरण, घरों का 100% विद्युतीकरण, कृषि पंप सेटों का सौरीकरण और स्वच्छ भोजन पकाने की स्थितियों को बढ़ावा देना।

ऊर्जा दक्षता की संभावना:

- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक (WEO 2010) के अनुसार, ऊर्जा दक्षता में लगभग 51% की अधिकतम ग्रीनहाउस गैस (GHG) के न्यूनीकरण की क्षमता है, इसके बाद नवीकरणीय (32%), जैव ईंधन (1%), परमाणु (8%), कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (8%) है।
  - 'वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक' (World Energy Outlook- WEO) रिपोर्ट 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' द्वारा जारी की जाती है।
- भारत महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा दक्षता नीतियों (IEA-भारत 2020) के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2040 तक बिजली उत्पादन हेतु 300 गीगावाट के नए निर्माण से बच सकता है।

सकारात्मक:

- ऊर्जा दक्षता उपायों के सफल कार्यान्वयन ने 2017-18 के दौरान देश की कुल बिजली खपत में 7.14% की बिजली बचत और 108.28 मिलियन टन CO_2 के उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दिया।

ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने संबंधी अन्य पहलें:

- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT):
  - प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Acheive and Trade-PAT) के तहत ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये यह एक बाज़ार आधारित तंत्र है।
  - यह 'संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन' (NMEEE) का हिस्सा है जो 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना' (NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक है।
- मानक और लेबलिंग:
  - यह योजना वर्ष 2006 में लॉन्च की गई थी और वर्तमान में रूम एयर कंडीशनर (फिक्स्ड/वेरिएबल स्पीड), सीलिंग फैन, रंगीन टेलीविज़न, कंप्यूटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, वितरण ट्रांसफार्मर, घरेलू गैस स्टोव, औद्योगिक मोटर, एलईडी लैंप तथा कृषि पम्पसेट जैसे उपकरणों पर लागू होती है।
- ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC):
  - इसे वर्ष 2007 में नए वाणिज्यिक भवनों के लिये विकसित किया गया था।
  - यह 100kW (किलोवाट) के कनेक्टेड लोड या 120 KVA (किलोवोल्ट-एम्पीयर) और उससे अधिक की अनुबंध मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिये न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है।
- मांग पक्ष प्रबंधन (DSM):
  - इसका आशय विद्युत मीटर की मांग या ग्राहक-पक्ष पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से उपायों के चयन, नियोजन और कार्यान्वयन से है।

भारत में जल क्षेत्र के लिये भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एसोसिएशन ऑफ जियोस्पेशियल इंडस्ट्रीज़ ने "भारत में जल क्षेत्र के लिये भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की क्षमता" (Potential of Geospatial Technologies for the Water Sector in India) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में जल क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का उल्लेख किया गया है जो भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग से लाभान्वित कर सकते हैं।

- प्रत्येक वर्ष जैसे-जैसे भारत में जल संकट की गंभीरता बढ़ रही है, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियाँ जल संकट से निपटने के लिये तरह-तरह के संसाधनों का इस्तेमाल कर रही हैं। उनमें से एक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना भी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

भारत में जल क्षेत्र का अवलोकन:

- मांग-आपूर्ति असंतुलन: भारत में विश्व की आबादी का लगभग 17% हिस्सा है, लेकिन विश्व के ताज़े जल के भंडार का केवल 4% है और भारत वर्तमान में एक गंभीर जल चुनौती का सामना कर रहा है।
  - इसके अलावा भारत के जलाशयों की कुल क्षमता 250 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm) है, जबकि सतह पर इसकी कुल जल धारण क्षमता लगभग 320 bcm है।
- जल संग्रहण की कम दर: भारत को प्रत्येक वर्ष वर्षा या अन्य स्रोतों जैसे- ग्लेशियरों के माध्यम से 3,000 bcm जल प्राप्त होता है; इसमें से केवल 8% का ही संग्रहण किया जाता है।
- भूजल का अति-निष्कर्षण और अति-निर्भरता: भारत में प्रतिवर्ष 458 bcm की दर से भूजल का निष्कर्षण होता है, जबकि यह पृथ्वी से लगभग 650 bcm जल का निष्कर्षण करता है।
  - भारत के 89% जल संसाधनों का उपयोग कृषि के लिये किया जाता है, जिसमें से 65% की आपूर्ति भूजल निष्कर्षण से की जाती है।
  - इस प्रकार भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भूजल संरक्षण है।
- जल संकट: नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत के 12 प्रमुख नदी घाटियों में लगभग 820 मिलियन लोग अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं।
- गुणात्मक मुद्दा: जल उपलब्धता की कमी का मुद्दा जल की गुणवत्ता से जुड़ा मुद्दा है।
  - भारत के 600 ज़िलों में से एक-तिहाई में भूजल मुख्य रूप से फ्लोराइड और आर्सेनिक के माध्यम से दूषित है।
  - इसके अलावा भारत की पर्यावरण रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, 2011-2018 के बीच सकल प्रदूषणकारी उद्योगों की संख्या में 136 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जल संरक्षण की आवश्यकता:

- जनसंख्या घनत्व और कृषि के लिये जल की आवश्यकता को देखते हुए भारत भूजल पर बहुत अधिक निर्भर है और जहाँ तक जल संकट का संबंध है, यह सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक है।
- व्यक्तिगत, औद्योगिक और कृषि उपयोग के लिये सभी को स्वच्छ पानी की उपलब्धता न केवल यह सुनिश्चित करेगी कि भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने दृष्टिकोण तक पहुँचे बल्कि यह इसे संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सक्षम बनाएगा।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के बारे में:

- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग पृथ्वी और मानव समाज के भौगोलिक मानचित्रण एवं विश्लेषण में योगदान करने वाले आधुनिक उपकरणों की श्रेणी का वर्णन करने के लिये किया जाता है।
- 'भू-स्थानिक' शब्द एक एकल तकनीक को नहीं, बल्कि उन प्रौद्योगिकियों के संग्रह को संदर्भित करता है जो भौगोलिक जानकारी एकत्र करने, उनका विश्लेषण, संग्रहण, प्रबंधन, वितरण, एकीकरण और प्रस्तुत करने में मदद करते हैं।
- मोटे तौर पर इसमें निम्नलिखित प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं:
  - रिमोट सेंसिंग
  - जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली)
  - GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम)
  - सर्वेक्षण
  - 3डी मॉडलिंग
- लाभ: भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी बेहतर माप, प्रबंधन और परिसंपत्तियों के रखरखाव, संसाधनों की निगरानी एवं यहाँ तक कि पूर्वानुमान तथा नियोजित हस्तक्षेप के लिये निर्देशात्मक विश्लेषण प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

नोट :

जल क्षेत्र हेतु भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी:

- जल संकट से निपटने के लिये सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग, जीपीएस आधारित उपकरण और सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5 जी, रोबोटिक्स तथा डिजिटल ट्विन जैसी भू-स्थानिक एवं डिजिटल तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

भारत में संचालित प्रमुख जल परियोजनाएँ:

- भारत में जल संकट को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के नाम से एक अलग मंत्रालय गठित किया। पहले जल एक ऐसा विषय था जिसे लगभग नौ मंत्रालयों द्वारा देखा जाता था।
- जल जीवन मिशन
- बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP)
- नमामि गंगे
- राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP)
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत)
- राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM)
- नदी बेसिन प्रबंधन
- अटल भूजल योजना (ABHY)
- राष्ट्रीय जल मिशन

डिजिटल ट्विन

- यह भौतिक दुनिया की एक आभासी प्रतिकृति है। इसकी गतिशीलता और प्रक्रियाएँ हमें वास्तविक जीवन स्थितियों का अनुकरण करने तथा इसके प्रभाव का विश्लेषण करने की अनुमति देती हैं।
- डिजिटल ट्विन तीन भागों से बने होते हैं:
  - भौतिक दुनिया में भौतिक संस्थाओं।
  - आभासी दुनिया में आभासी मॉडल।
  - जुड़ा हुआ डेटा जो दो विश्व को जोड़ता है।
- डिजिटल ट्विन्स न केवल भौतिक संपत्तियों (पाइप, पंप, वाल्व, टैंक आदि) के डिजिटल भाग को एकीकृत करते हैं, बल्कि मौसम संबंधी रिकॉर्ड जैसे ऐतिहासिक डेटा सेट को भी शामिल करते हैं, जो उन्हें कई विश्लेषणों के लिये उपयोग करने की अनुमति देता है।

आगे की राह

- दीर्घकालिक भू-स्थानिक दृष्टि: विभिन्न कार्यक्रमों में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये उपयोगकर्त्ता विभागों को भू-स्थानिक कार्यान्वयन के परिणामों हेतु दीर्घकालिक दृष्टि से अपनाने की आवश्यकता है।
- एकीकृत भू-स्थानिक मंच: विभिन्न संगठनों द्वारा उपयोग किये जाने वाले डेटा और प्रौद्योगिकी को जोड़ने हेतु एक एकीकृत सहयोगी मंच को स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचना तक निर्बाध पहुँच हेतु विकसित करने एवं निर्णय लेने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है।
- डेटा और सिस्टम एकीकरण: जनसांख्यिकी, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और अन्य मापदंडों सहित विभिन्न डेटासेट को जल से संबंधित स्थानिक एवं गैर-स्थानिक डेटा के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है, जैसे- मिट्टी की नमी, वार्षिक वर्षा, नदियाँ, जलभृत, भूजल स्तर, जल की गुणवत्ता आदि।

नोट :

- जल उपयोग दक्षता में सुधार: भारत में कृषि क्षेत्र जल संसाधनों का सबसे बड़ा उपयोगकर्त्ता है।
  - यह 80-85% जल संसाधनों का उपयोग करता है, जबकि जल के उपयोग की केवल 30-35% दक्षता है।
  - जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिये भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है, ताकि इसे कम-से-कम 50% तक बढ़ाया जा सके।
- सर्वोत्तम उपायों को साझा करना: राज्य सरकारों के साथ या जल क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रों में सर्वाधिक अच्छे कार्य हुए है।
  - इस संदर्भ में अत्यधिक ज्ञान/जानकारी उपलब्ध है, जो हितधारकों को लाभ उठाने में मदद कर सकती है तथा इससे कार्य का दोहराव भी नहीं होगा।
  - जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ज्ञान (Knowledge) पोर्टल के रूप में इस तरह के ज्ञान आधारित संरचना का एक केंद्रीय भंडार बनाए रखा जा सकता है जिसमें केस स्टडी, सर्वोत्तम उपाय, उपकरण, डेटा स्रोतों पर जानकारी आदि शामिल हैं।

नई विंटेज वाहन नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है।

- इसमें 50 वर्षों से अधिक पुराने विंटेज वाहनों के लिये कुछ विशेष प्रावधान हैं।

प्रमुख बिंदु:

विंटेज वाहनों की परिभाषा:

- सभी दो और चार पहिया वाहन जो 50 वर्ष तथा उससे अधिक पुराने हैं एवं वर्तमान में अपने मूल रूप में हैं व जिनमें कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

विनियमन:

- इन्हें नियमित और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये संचालित नहीं किया जाएगा तथा उन्हें एक विशेष पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
- इसके अलावा वाहन मालिक अपनी पुरानी कारों का किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं जैसे कि प्रदर्शनी के रूप में या सवारी वाहन के लिये।
- नए पंजीकरण नियमों के अनुसार जो वाहन पहले से पंजीकृत हैं, वे अपना मूल पंजीकरण चिह्न (Registration Mark) बरकरार रख सकते हैं, साथ ही नए पंजीकरण एक अद्वितीय विंटेज (VA) श्रृंखला के तहत होंगे।
  - पंजीकरण की जानकारी MORTH के परिवहन पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
  - पंजीकरण प्रमाणपत्र 10 वर्षों के लिये वैध होगा, उसके बाद उसका नवीनीकरण कराना होगा।
- विंटेज के रूप में पंजीकृत वाहनों की बिक्री और खरीद की अनुमति है; इसके लिये खरीदार तथा विक्रेता को अपने संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरणों को सूचित करना होगा।
- पुराने वाहनों को स्क्रैपेज पॉलिसी से बाहर रखा गया है। अगर कोई वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराना है तो 50 वर्ष की अवधि तक हर पाँच वर्ष में फिटनेस टेस्ट पास करके इसके उपयोग को जारी रखा जा सकता है।

महत्त्व:

- विंटेज वाहन के लिये विभिन्न राज्यों में पंजीकरण की प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु वर्तमान में कोई नियम नहीं है।
- नए नियम किसी भी नवीन पंजीकरण के लिये बाधा रहित प्रक्रिया प्रदान करेंगे।
- इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है।

नोट :

बर्ड फ्लू: एवियन इन्फ्लुएंज़ा

चर्चा में क्यों ?

इस वर्ष हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू के कारण पहली मानव मृत्यु दर्ज की गई। यह H5N1 एवियन इन्फ्लूएंज़ा वायरस के कारण हुई।

- इससे पहले चीन ने H10N3 बर्ड फ्लू के पहले मानव संक्रमण की सूचना दी थी।

प्रमुख बिंदु:

- यह दुनिया भर में जंगली पक्षियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवियन इन्फ्लूएंज़ा (AI) टाइप A वायरस के कारण होने वाली बीमारी है।
  - AI वायरस को उनकी रोगजनकता के आधार पर 'लो पैथोजेनिक AI' (LPAI)) और हाई पैथोजेनिक AI (HPAI) वायरस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। H5N1 स्ट्रेन HPAI वायरस के अंतर्गत आते हैं।
- यह वायरस मुर्गियों, बत्तखों, टर्की सहित घरेलू मुर्गियों को संक्रमित कर सकता है और थाईलैंड के चिड़ियाघरों में सूअरों, बिल्लियों यहाँ तक कि बाघों में H5N1 संक्रमण की खबरें मिली हैं।

प्रभाव:

- विशेष रूप से पोल्ट्री उद्योग के लिये इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
- किसान अपने पशु समूहों में उच्च स्तर की मृत्यु दर का अनुभव कर सकते हैं, जिनकी दर अक्सर लगभग 50% होती है।

मनुष्यों में संक्रमण:

- वायरस के संचरण का सबसे आम मार्ग संक्रमित पक्षियों के साथ सीधा संपर्क है, यह या तो मृत या जीवित या संक्रमित पोल्ट्री के पास दूषित सतहों या हवा के संपर्क में आने से फैलता है।
- 40 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों और बच्चों को इससे सबसे अधिक प्रभावित देखा गया तथा इसमें 10-19 वर्ष के बच्चों में मृत्यु दर अधिक देखी गई है।

मनुष्यों में लक्षण:

- इसमें हल्के से गंभीर इन्फ्लूएंज़ा के लक्षण जैसे- बुखार, खाँसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, पेट दर्द, दस्त, उल्टी लोगों में गंभीर साँस की बीमारी (जैसे- साँस लेने में कठिनाई, निमोनिया, तीव्र श्वसन की समस्या, वायरल निमोनिया) तथा परिवर्तित मानसिक स्थिति, दौरे आदि देखे जा सकते हैं।

रोकथाम और उन्मूलन:

- रोग के प्रकोप से बचाव हेतु सख्त जैव सुरक्षा उपाय और स्वच्छता आवश्यक है।
- यदि जानवरों में संक्रमण का पता चलता है, तो संक्रमित और संपर्क में आए जानवरों को मारने की नीति का उपयोग आमतौर पर रोग को तीव्रता से नियंत्रित करने तथा रोग के उन्मूलन हेतु किया जाता है।
- WHO की वैश्विक प्रयोगशाला प्रणाली, वैश्विक इन्फ्लूएंजा निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली (GISRS), इन्फ्लूएंज़ा वायरस के प्रसार के उपभेदों की पहचान और निगरानी करती है तथा विभिन्न देशों में मानव स्वास्थ्य एवं उपलब्ध उपचार या नियंत्रण उपायों हेतु देशों को जोखिम आधारित सलाह प्रदान करती है।

भारत में बर्ड फ्लू की स्थिति:

- दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच भारत के विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू के ताज़ा मामले सामने आए हैं, जिससे पूरे देश में अफरातफरी मच गई है।
- इससे पहले वर्ष 2019 में भारत को 'एवियन इन्फ्लूएंज़ा' (H5N1) से मुक्त घोषित किया गया था, इस संबंध में 'विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन' (OIE) को भी अधिसूचित किया जा चुका है।

नोट :

- विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, दुनिया भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु उत्तरदायी एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में है।

इन्फ्लूएंज़ा वायरस के प्रकार

- इन्फ्लूएंज़ा वायरस चार प्रकार के होते हैं: इन्फ्लूएंज़ा A, B, C और D
  - इन्फ्लूएंज़ा A और B दो प्रकार के इन्फ्लूएंज़ा हैं जो लगभग प्रत्येक वर्ष मौसमी संक्रमण जनित महामारी का कारण बनते हैं।
  - इन्फ्लूएंज़ा विषाणु C सामान्यत: मनुष्यों में होता है लेकिन यह विषाणु कुत्तों एवं सूअरों को भी प्रभावित करता है।
  - इन्फ्लूएंज़ा D मुख्य रूप से मवेशियों में पाया जाता है। इस विषाणु के अब तक मनुष्यों में संक्रमण या बीमारी उत्पन्न करने के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

एवियन इन्फ्लूएंज़ा टाइप A वायरस

- इन्फ्लूएंज़ा A वायरस को दो प्रकार के प्रोटीन HA (Hemagglutinin) और NA (Neuraminidase) के आधार पर 18HA और 11NA उप-प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है।
- इन दो प्रोटीनों के कई संयोजन संभव हैं जैसे, H_5N_1, H_7N_2, H_9N_6, $H_{17}N_{10}$, $H_{18}N_{11}$ आदि।
- इन्फ्लूएंज़ा A के सभी ज्ञात उप-प्रकार $H_{17}N_{10}$ और $H_{18}N_{11}$ उप-प्रकारों को छोड़कर अन्य सभी वायरस पक्षियों को संक्रमित कर सकते हैं, जो केवल चमगादड़ों में पाए गए हैं।

आगे की राह

- संभावित रोगों के परिवर्तन/आगमन की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिये हमारे पर्यावरण में जंगली पक्षी और पशु रोग की मॉनीटरिंग की आवश्यकता है।
- कम रोगजनक वायरस के लिये पोल्ट्री और घरेलू जलपक्षी की जाँच हेतु एक गहन अध्ययन की आवश्यकता है।
- अध्ययन में यह भी पाया गया है कि H_5N_1 का प्रकोप झीलों, नदियों और तटीय आर्द्रभूमि के निकटतम स्थानों पर अधिक था। घरेलू पोल्ट्री व जंगली जलपक्षियों द्वारा सतही जल के मिश्रित उपयोग को अवरुद्ध करके एवियन इन्फ्लूएंज़ा वायरस के चक्रण को बाधित किया जा सकता है।
- स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के कई जलपक्षी स्थलों की निगरानी पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।

OBC वर्ग के तहत उप-वर्गीकरण से जुड़े आयोग के कार्यकाल में विस्तार

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लये गठित आयोग के कार्यकाल को 31 जनवरी, 2022 तक विस्तारित करने को मंज़ूरी दे दी है।

- यह आयोग का ग्यारहवाँ विस्तार है, जिसे शुरुआत में मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट जमा करनी थी।

प्रमुख बिंदु

विस्तार के बारे में:

- यह आयोग को विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा।
- इसके उद्देश्यों में OBC समूह के भीतर उप-वर्गीकरण के लिये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से एक प्रक्रिया, मानदंड, नियम और पैरामीटर तैयार करना तथा OBC की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उप-जातियों या समानार्थक शब्दों की पहचान करना एवं उन्हें उनके संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करना शामिल है।

नोट :

आयोग:

- 2 अक्तूबर, 2017 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित इस आयोग को रोहिणी आयोग (Rohini Commission) भी कहा जाता है।
- इसका गठन केंद्रीय OBC सूची में 5000-विषम जातियों को उप-वर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने के लिये किया गया था ताकि केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसरों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
- वर्ष 2015 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes- NCBC) ने सिफारिश की थी कि OBC को अत्यंत पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।
  - NCBC को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जाँच करने का अधिकार है।

अब तक किया गया कार्य:

- आयोग ने अब तक राज्य सरकारों, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों, सामुदायिक संघों आदि के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इसके अलावा आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्रीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में भर्ती होने वाले OBC छात्रों के जाति-वार डेटा प्राप्त कर उसका विश्लेषण किया है।
- इस वर्ष की शुरुआत में आयोग ने OBC को चार उप-श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, जिनकी संख्या 1, 2, 3 और 4 थी और 27% आरक्षण को क्रमश: 2%, 6%, 9% और 10% में विभाजित किया गया था।
- इसके अलावा आयोग ने सभी OBC रिकॉर्ड के पूर्ण डिजिटलीकरण और OBC प्रमाण पत्र जारी करने की एक मानकीकृत प्रणाली की भी सिफारिश की है।

संभावित परिणाम

- आयोग की सिफारिशों से OBC की मौजूदा सूची में उन समुदायों को लाभ मिल सकता है, जो अब तक केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्ति और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिये OBC आरक्षण योजना का कोई बड़ा लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार, भारतीय राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करने के लिये तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान के लिये एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं।
- इस प्रकार नियुक्त आयोग राष्ट्रपति को निर्दिष्ट मामलों की जाँच करेगा और राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट पेश करेगा जिसमें उनके द्वारा पाए गए तथ्यों को निर्धारित किया जाएगा और ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जो वे उचित समझें।
- राष्ट्रपति इस प्रकार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिये एक ज्ञापन के साथ उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण

- वर्ष 1953 में स्थापित कालेलकर आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला प्रथम आयोग था।
- मंडल आयोग की रिपोर्ट, 1980 में OBC जनसंख्या 52% होने का अनुमान लगाया गया था और 1,257 समुदायों को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  - इसने OBC को शामिल करने के लिये मौजूदा कोटा, जो केवल SC/ST के लिये था, को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की।
- केंद्र सरकार ने OBC [अनुच्छेद 16 (4)] के लिये यूनियन सिविल पदों और सेवाओं में 27% सीटें आरक्षित कीं। कोटा बाद में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों [अनुच्छेद 15 (4)] में लागू किया गया ।
  - वर्ष 2008 मे सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को OBC के बीच क्रीमी लेयर (उन्नत वर्ग) को बाहर करने का निर्देश दिया।

नोट :

- 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जो पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था।

आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 (Essential Defence Services Bill, 2021) पेश किया।

- यह जून 2021 में जारी किये गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है और आवश्यक रक्षा सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल करने एवं किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन पर रोक लगाता है।

प्रमुख बिंदु

आवश्यक रक्षा सेवाएँ:

- इसमें किसी भी प्रतिष्ठान या उपक्रम में वे सेवाएँ शामिल हैं जो किसी भी रक्षा संबंधी उद्देश्यों या सशस्त्र बलों की स्थापना या उनकी रक्षा से जुड़ी हैं तथा आवश्यक वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन से संबंधित हैं।
  - इसमें ऐसी सेवाएँ भी शामिल हैं जो बंद (Ceased) होने पर ऐसी सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान या उसके कर्मचारियों की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
- इसके अतिरिक्त सरकार किसी भी सेवा को एक आवश्यक रक्षा सेवा के रूप में घोषित कर सकती है, यदि इसकी समाप्ति निम्नलिखित को प्रभावित करती है:
  - रक्षा उपकरण या वस्तुओं का उत्पादन।
  - ऐसे उत्पादन में जुड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाइयों का संचालन या रखरखाव।
  - रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रखरखाव।

हड़ताल की परिभाषा :

- इसे एक साथ कार्यरत व्यक्तियों के एक निकाय द्वारा कार्य की समाप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
  - सामूहिक आकस्मिक अवकाश।
  - किसी भी संख्या में व्यक्तियों को कार्यरत रखना या रोज़गार स्वीकार करने से समन्वित इनकार।
  - जहाँ आवश्यक रक्षा सेवाओं के रख-रखाव हेतु ऐसा कार्य ज़रूरी हो, वहाँ ओवरटाइम कार्य प्रणाली से इनकार करना।
  - कोई अन्य आचरण जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक रक्षा सेवाओं के कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है या होने की संभावना है।
- हड़ताल, तालाबंदी और छँटनी पर रोक:
  - सरकार आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छँटनी पर रोक लगा सकती है।
  - साथ ही भारत की संप्रभुता और अखंडता, किसी भी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के हित में यदि आवश्यक हो तो ऐसा आदेश जारी कर सकता है।

दंड:

- अवैध तालाबंदी और छँटनी:
  - अवैध तालाबंदी या छँटनी करने वाले नियोक्ताओं को एक वर्ष तक की कैद या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों सज़ा एक साथ दी जा सकती है।
- हड़ताल:
  - अवैध हड़ताल शुरू करने वाले या उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सज़ा एक साथ दी जा सकती है।

नोट :

- अवैध हड़ताल जारी रखने के लिये उकसाने या जान-बूझकर ऐसे उद्देश्यों के लिये पैसे की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक की कैद या 15,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सज़ा एक साथ हो सकती है।
  - ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा नियमों और शर्तों के अनुसार बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
  - ऐसे मामले में जिसमें जाँच करना व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है, उसमें संबंधित प्राधिकारी को बिना किसी पूछताछ के कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने की अनुमति दी जाती है।
- सभी अपराधों की सज़ा संज्ञेय (Cognisable) और गैर-जमानती होगी।
  - संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक उपयोगिता सेवा:

- यह सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (Public Utility Service) के अंतर्गत आवश्यक रक्षा सेवाओं को शामिल करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act), 1947 में संशोधन करेगा।
  - बिजली, पानी, गैस, परिवहन आदि जैसी बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति करने वाले उपक्रम जनोपयोगी सेवा प्रदाता के दायरे में आते हैं।

हड़ताल का अधिकार

- हड़ताल के अधिकार को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) मौलिक अधिकारों के रूप में कुछ स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की गारंटी देता है जैसे:
  - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
  - शांति पूर्वक और हथियारों के बिना सम्मेलन की स्वतंत्रता।
  - संगम या संघ बनाने का अधिकार।
  - पूरे भारत क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता।
  - भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता।
  - किसी भी व्यवसाय, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने की स्वतंत्रता।
- हालाँकि भारत के संविधान में हड़ताल को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1958 के मामले को यह कहकर सुलझा लिया कि हड़ताल मौलिक अधिकार नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है।
- भारत ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत हड़ताल को एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

- यह सार्वजनिक उपयोगिता सेवा और हड़ताल को परिभाषित करता है, यह हड़ताल के अधिकार पर कुछ निषेध भी लगाता है। यह प्रावधान करता है कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति अनुबंध का उल्लंघन कर हड़ताल पर नहीं जाएगा, जो इस प्रकार है:
  - हड़ताल से पहले छह सप्ताह के भीतर नियोक्ता को हड़ताल का नोटिस दिये बिना।
  - ऐसा नोटिस देने के चौदह दिनों के भीतर।
  - पूर्वोक्त ऐसे किसी नोटिस में निर्दिष्ट हड़ताल की तिथि की समाप्ति से पहले।
  - सुलह अधिकारी के समक्ष किसी भी सुलह की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान और ऐसी कार्यवाही के समापन के सात दिन बाद।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि ये प्रावधान कामगारों को हड़ताल पर जाने से नहीं रोकते हैं, लेकिन उन्हें हड़ताल पर जाने से पहले शर्त को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये प्रावधान केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवा (Public Utility Service) पर लागू होते हैं।

नोट :

भारत में निगरानी कानून और गोपनीयता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक वैश्विक सहयोगी खोजी प्रयास से पता चला है कि पेगासस (Pegasus) नामक परिष्कृत स्पाइवेयर का उपयोग करके लक्षित निगरानी के लिये भारत में कम-से-कम 300 व्यक्तियों की संभावित रूप से पहचान की गई थी। हालाँकि सरकार ने दावा किया है कि भारत में सभी इंटरसेप्शन/अवरोध कानूनी रूप से होते हैं।

- भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों- टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत होती है।
- जहाँ टेलीग्राफ अधिनियम कॉल्स के अवरोधन से संबंधित है, वहीं सूचना प्रौद्योगिकी को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी से निपटने के लिये अधिनियमित किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

टेलीग्राफ अधिनियम:

- इस कानून की धारा 5(2) के तहत सरकार केवल कुछ स्थितियों में ही कॉल को इंटरसेप्ट कर सकती है:
  - जहाँ भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित की बात हो।
  - राज्य की सुरक्षा के हित में।
  - विदेशी राज्यों या सार्वजनिक व्यवस्था के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
  - किसी अपराध को करने के लिये उकसाने से रोकना।

नोट:

ये वही प्रतिबंध हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं।

- हालाँकि ये प्रतिबंध तभी लगाए जा सकते हैं, जब सार्वजनिक आपात की स्थिति हो या सार्वजनिक सुरक्षा के हित का मामला हो।
- इसके अलावा निगरानी के लिये किसी व्यक्ति के चयन का आधार और सूचना एकत्र करने की सीमा को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है।
- यह वैध इंटरसेप्शन पत्रकारों के खिलाफ नहीं हो सकता।
  - भारत में प्रकाशन के इरादे से केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेश, बशर्ते कि उनके प्रसारण को इस उपधारा के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
- सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ' (1996) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी की ओर इशारा करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियाँ की थीं-
  - टैपिंग किसी व्यक्ति की निजता पर गंभीर आक्रमण है।
  - इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक सरकार अपने खुफिया संगठन के माध्यम से कुछ हद तक निगरानी अभियान चलाती है, लेकिन साथ ही नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा की जानी भी आवश्यक है।
- इंटरसेप्शन के लिये स्वीकृति: सर्वोच्च न्यायालय की उपयुक्त टिप्पणियों ने वर्ष 2007 में टेलीग्राफ नियम में नियम 419A को पेश करने और बाद में वर्ष 2009 में आईटी अधिनियम में बदलाव करने का आधार प्रस्तुत किया था।
  - नियम 419A में कहा गया है कि गृह मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव (संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं) केंद्र के मामले में इंटरसेप्शन का आदेश पारित कर सकता है और इसी तरह के प्रावधान राज्य स्तर पर भी मौजूद हैं।

आईटी अधिनियम, 2000

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिये अवरोधन, निगरानी एवं सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

नोट :

- हालाँकि आईटी अधिनियम की धारा 69 का दायरा टेलीग्राफ अधिनियम की तुलना में बहुत व्यापक व अस्पष्ट है, क्योंकि इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शुरू करने की एकमात्र शर्त 'अपराध की जाँच' करना है।
- ये प्रावधान समस्याग्रस्त हैं और सरकार को इंटरसेप्शन एवं निगरानी गतिविधियों के संबंध में पूरी तरह से अस्पष्टता प्रदान करते हैं।

निगरानी से संबंधित मुद्दे:

- कानूनी खामियाँ: सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के अनुसार, विधिक अंतराल निगरानी की अनुमति देता है तथा गोपनीयता को प्रभावित करता है। उदाहरण :
  - इंटरसेप्शन (Interception) के प्रकार जैसे मुद्दों पर अस्पष्टता, सूचना के विवरण का स्तर जिसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है और सेवा प्रदाताओं से सहायता के परिणामस्वरूप कानून को दरकिनार करने में तथा राज्य द्वारा निगरानी में सहायता करती है।
- मौलिक अधिकारों का प्रभावित होना : एक निगरानी प्रणाली की मौजूदगी निजता के अधिकार (केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित) तथा संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत वाक् स्वतंत्रता एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता के अभ्यास को प्रभावित करती है।
- अधिनायकवादी शासन: निगरानी, सरकारी कामकाज में सत्तावाद के प्रसार को बढ़ावा देती है क्योंकि यह कार्यपालिका को नागरिकों पर अधिक शक्ति का प्रयोग करने और उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने की अनुमति देती है।
- प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा: पेगासस (Pegasus) के उपयोग पर वर्तमान खुलासे से पता चलता है कि कई पत्रकारों पर भी निगरानी रखी गई थी। इससे प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

आगे की राह

- भारतीय निगरानी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें निगरानी की नैतिकता को शामिल किया जाना चाहिये और निगरानी के नैतिक पहलुओं पर विचार करना चाहिये।
- इस संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक, 2019 के अधिनियमित होने से पहले एक समग्र बहस की आवश्यकता है।
- ताकि मौलिक अधिकारों की आधारशिला के खिलाफ कानून का परीक्षण किया जा सके और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास एवं देश की सुरक्षा को संतुलित किया जा सके।

उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने राज्यसभा को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी।

- मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है।
- इसके लिये राज्य के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक अधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

प्रमुख बिंदु

HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति:

- संविधान का अनुच्छेद 217: यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
  - मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
- परामर्श प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
  - यह प्रस्ताव दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।

नोट :

- सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने की सलाह देता है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा।

- तदर्थ न्यायाधीश: संविधान के अनुच्छेद 224A के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
  - किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति, जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, से उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा।
  - हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों (Pendency of Cases) से निपटने के लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर ज़ोर दिया है।
    - अदालत ने तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc Judge) की नियुक्ति और कार्यपद्धति हेतु मौखिक दिशा-निर्देश दिये हैं।

कॉलेजियम सिस्टम:

- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा) के माध्यम से विकसित हुई है।
- विकास:
  - इसने प्रथम न्यायाधीश मामले (First Judges Case) में वर्ष 1981 के अंतर्गत फैसला सुनाया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सिफारिश की "प्राथमिकता" को "ठोस कारण होने पर अस्वीकार किया जा सकता है।
    - तत्कालीन सरकार ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका को प्राथमिकता दी।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले (Second Judges Case) में वर्ष 1993 में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत, यह मानते हुए की कि परामर्श से तात्पर्य सहमति है।
    - इसमें कहा गया है कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से गठित एक संस्थागत राय थी।
- तीसरे न्यायाधीश मामले (Third Judges Case) में वर्ष 1998 के अनुसार राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बहुसंख्यक न्यायाधीशों का परामर्श माना जाएगा, इस परामर्श में मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श शामिल होंगे।

शामिल मुद्दे:

- बोझिल प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अत्यधिक देरी होती है और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की घटती संख्या न्याय वितरण तंत्र को प्रभावित कर सकती है।
- पारदर्शिता का अभाव: औपचारिक मानदंडों की अनुपस्थिति के कई चिंताजनक निहितार्थ हैं।
  - वर्तमान में यह जाँचने हेतु कोई संरचित प्रक्रिया नहीं है कि कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित किसी न्यायाधीश के हितों का कोई टकराव है या नहीं।
- अनुचित प्रतिनिधित्व: कॉलेजियम प्रणाली संरचनात्मक रूप से समाज के विशेष वर्गों का पक्ष लेती है तथा आबादी के उन समूहों से काफी दूर है जिनके न्याय हेतु वह प्रतिनिधित्व करना चाहती है।
- उच्च न्यायालयों में रिक्तियाँ: 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1,098 है, लेकिन कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या केवल 645 है तथा 453 न्यायाधीशों की कमी है।
- लंबित मामलों की उच्च संख्या: विभिन्न स्तरों पर भारत के कई न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या लगभग 3.7 करोड़ है, इस प्रकार एक बेहतर न्यायिक प्रणाली की मांग बढ़ रही है।

नोट :

सुधार के प्रयास:

- 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से कॉलेजियम को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया था।
- NJAC ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव रखा।
  - आयोग द्वारा उन सदस्यों का चयन किया जाएगा जो न्यायपालिका, विधायिका और नागरिक समाज से संबंधित होंगे।
- सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने वर्ष 2015 में NJAC को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह भारत के संविधान के मूल ढाँचे (आधारभूत संरचना) का उल्लंघन करता है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये खतरा है।

आगे की राह:

- यह एक स्थायी स्वतंत्र निकाय के बारे में सोचने का समय है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ प्रक्रिया को संस्थागत बनाने हेतु न्यायिक प्रधानता की गारंटी देता है लेकिन न्यायिक अनन्यता की नहीं।
  - इसे स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिये, विविधता को प्रतिबिंबित करना चाहिये, पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिये।
- एक निश्चित संख्या में रिक्तियों के लिये आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या का चयन करने के बजाय कॉलेजियम द्वारा राष्ट्रपति को वरीयता और अन्य वैध मानदंडों के क्रम में नियुक्त करने के लिये संभावित नामों का एक पैनल प्रदान करना चाहिये।

मत की गोपनीयता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी भी चुनाव में, चाहे वह संसदीय हो या राज्य विधानमंडल का, मतदान की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है।

- इसने 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़' मामले में अपने वर्ष 2013 के फैसले को दोहराया।

प्रमुख बिंदु:

नवीनतम निर्णय की मुख्य विशेषताएँ:

- मौलिक अधिकार का भाग: गोपनीयता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का ही एक भाग है।
- किसी की पसंद की गोपनीयता से ही लोकतंत्र मज़बूत होता है।
- आधारभूत ढाँचे का हिस्सा: लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव संविधान के आधारभूत ढाँचे का हिस्सा हैं।
  - केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) के ऐतिहासिक निर्णय में 'मूल संरचना' की अवधारणा अस्तित्व में आई।
- बूथ कैप्चरिंग पर: बूथ कैप्चरिंग और/या फर्जी वोटिंग को लोहे के हाथों से निपटा जाना चाहिये, क्योंकि यह अंततः कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है।
  - किसी को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमज़ोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- गैर-कानूनी सभा पर: एक बार जब गैर-कानूनी सभा सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में स्थापित हो जाती है, तो गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी होता है।
  - बल का उपयोग: भले ही यह विधानसभा के किसी एक सदस्य द्वारा किया गया मामूली सा व्यवहार हो, परंतु यदि इसे एक बार गैर-कानूनी कार्य के रूप में स्थापित कर दिया गया तो इसे दंगों की परिभाषा में शामिल किया जाता है।
  - यह आवश्यक नहीं है कि गैर-कानूनी बल या हिंसा सभी के द्वारा हो, लेकिन यह दायित्व विधानसभा के सभी सदस्यों के लिये है।
  - भारतीय कानून के अनुसार, 'गैर-कानूनी सभा' की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में निर्धारित की गई है।

नोट :

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ केस, 2013 में निर्णय:

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो दो मुख्य बातें सामने आईं, वे इस प्रकार हैं:
  - वोट के अधिकार में वोट न देने का अधिकार अर्थात् अस्वीकार करने का अधिकार भी शामिल है।
  - गोपनीयता का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक अभिन्न अंग है।
- अस्वीकार करने का अधिकार: इसका तात्पर्य है कि मतदान करते समय एक मतदाता को चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार को न चुनने का भी पूर्ण अधिकार है।
  - इस तरह के अधिकार का तात्पर्य तटस्थ रहने के विकल्प से है। यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उद्भूत हुआ है।
  - मतदान के समय 'उपरोक्त में से कोई नहीं' ('None of the Above'- NOTA) बटन का विकल्प शामिल करने से चुनावी प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ सकती है।
- गोपनीयता का अधिकार:
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अनुसार प्रतिशोध, दबाव या ज़बरदस्ती के डर के बिना मतदान करना मतदाता का केंद्रीय अधिकार है।
    - अत: निर्वाचक की पहचान की सुरक्षा करना और उसे गोपनीयता प्रदान करना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का अभिन्न हिस्सा है।
  - मतदान करने वाले मतदाताओं और मतदान न करने वाले मतदाताओं के बीच अंतर करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-19(1)(A) तथा अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है।
  - मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 21(3) और 'इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकस राईट' का अनुच्छेद-25(B) 'गोपनीयता के अधिकार' से संबंधित हैं।

अन्य संबंधित निर्णय:

- इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया था कि मतपत्रों की गोपनीयता का सिद्धांत संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है और इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1951 की धारा 94 के तहत संदर्भित किया गया है।
  - यह धारा मतदाताओं के वोट की पसंद के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के विशेषाधिकार को बरकरार रखती है।

चंद्र शेखर आज़ाद

चर्चा में क्यों ?

23 जुलाई को भारत ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

प्रमुख बिंदु

- जन्म: आज़ाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में हुआ था।
- प्रारंभिक जीवन: चंद्रशेखर, जो कि उस समय 15 वर्षीय छात्र थे, दिसंबर 1921 में एक असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
  - मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर उन्होंने अपना नाम "आज़ाद" (द फ्री) तथा अपने पिता का नाम "स्वतंत्रता" (स्वतंत्रता) और अपना निवास स्थान "जेल" बताया था।
  - इसलिये उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा।

स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान:

- हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन: गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (Hindustan Republican Association- HRA) में शामिल हो गए।
  - HRA भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में पूर्वी बंगाल में शचींद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली ने अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में की थी।

नोट :

- सदस्य: भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकउल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी।

- काकोरी षडयंत्र: क्रांतिकारी गतिविधियों के लिये अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से किया जाता था। उसी के अनुरूप वर्ष 1925 में HRA द्वारा काकोरी (लखनऊ) के पास काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी।
  - इस योजना को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथनाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था।
- हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन: HRA को बाद में 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
  - इसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकउल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी।
  - HSRA ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिये वर्ष 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिसकर्मी जे.पी. सॉन्डर्स को गोली मारने की योजना बनाई।

मृत्यु: 27 फरवरी, 1931 को इलाहाबाद के आज़ाद पार्क में उनका निधन हो गया।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance- AMR) द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला।

प्रमुख बिंदु

रोगाणुरोधी प्रतिरोध:

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance-AMR) का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी, आदि) द्वारा एंटीमाइक्रोबियल दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइरियल और एंटीहेलमिंटिक्स) जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिये किया जाता है, के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेने से है।
- परिणामस्वरूप मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, संक्रमण जारी रहता है और दूसरों में फैल सकता है।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को कभी-कभी "सुपरबग्स" के रूप में जाना जाता है।

AMR के प्रसार का कारण:

- रोगाणुरोधी दवा का दुरुपयोग और कृषि में अनुचित उपयोग।
- दवा निर्माण स्थलों के आसपास संदूषण शामिल हैं, जहाँ अनुपचारित अपशिष्ट से अधिक मात्रा में सक्रिय रोगाणुरोधी वातावरण में मुक्त हो जाते है।

भारत में AMR:

- भारत में बड़ी आबादी के संयोजन के साथ बढ़ती हुई आय जो एंटीबायोटिक दवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करती है, संक्रामक रोगों का उच्च बोझ और एंटीबायोटिक दवाओं के लिये आसान ओवर-द-काउंटर (Over-the-Counter) पहुँच की सुविधा प्रदान करती है, प्रतिरोधी जीन की पीढ़ी को बढ़ावा देती है।
- बहु-दवा प्रतिरोध निर्धारक, नई दिल्ली मेटालो-बीटा-लैक्टामेज़-1 (एनडीएम -1), इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर तेज़ी से उभरा है।
  - अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अन्य भाग भी दक्षिण एशिया से उत्पन्न होने वाले बहु-दवा प्रतिरोधी टाइफाइड से प्रभावित हुए हैं।
- भारत में सूक्ष्मजीवों (जीवाणु और विषाणु सहित) के कारण सेप्सिस से प्रत्येक वर्ष 56,000 से अधिक नवजात बच्चों की मौत होती है जो पहली पंक्ति के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं।

नोट :

AMR को संबोधित करने के लिये किये गए उपाय:

- AMR नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम: इसे वर्ष 2012 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं की स्थापना करके AMR निगरानी नेटवर्क को मज़बूत किया गया है।
- AMR पर राष्ट्रीय कार्ययोजना: यह स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है और अप्रैल 2017 में विभिन्न हितधारक मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क (AMRSN): इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था ताकि देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के सबूत और प्रवृत्तियों तथा पैटर्न का अनुसरण किया जा सके।
- AMR अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने AMR में चिकित्सा अनुसंधान को मज़बूत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाओं को विकसित करने की पहल की है।
  - ICMR ने नॉर्वे की रिसर्च काउंसिल (RCN) के साथ मिलकर वर्ष 2017 में रोगाणुरोधी प्रतिरोध में अनुसंधान हेतु एक संयुक्त आह्वान शुरू किया।
  - ICMR ने संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय (BMBF), जर्मनी के साथ AMR पर शोध के लिये एक संयुक्त भारत-जर्मन सहयोग किया है।
- एंटीबायोटिक प्रबंधन कार्यक्रम: ICMR ने अस्पताल के वार्डों और आईसीयू में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग तथा अति प्रयोग को नियंत्रित करने के लिये भारत में एक पायलट परियोजना पर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम शुरू किया है।
  - DCGI ने अनुपयुक्त पाए गए 40 फिक्स डोज़ कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- AMR के लिये एकीकृत स्वास्थ्य निगरानी नेटवर्क: एकीकृत AMR निगरानी नेटवर्क में हिस्सा लेने के लिये भारतीय पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं की तैयारी का आकलन करना।
  - ICMR ने जानवरों और मनुष्यों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध पैटर्न की तुलना के लिये एक पशु चिकित्सा मानक संचालन प्रक्रिया (Vet-SOPs) भी विकसित की है।
- अन्य
  - भारत ने कम टीकाकरण कवरेज को संबोधित करने के लिये मिशन इंद्रधनुष जैसी कई गतिविधियाँ शुरू की हैं, साथ ही निगरानी एवं जवाबदेही में सुधार के लिये सूक्ष्म योजना और अन्य अतिरिक्त तंत्रों को मज़बूत किया गया है।
  - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ अपने सहयोगात्मक कार्य के लिये AMR को शीर्ष 10 प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पहचाना है।

AMR पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का पक्ष

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने AMR को वैश्विक स्वास्थ्य के लिये शीर्ष दस खतरों में से एक के रूप में पहचाना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुशंसा की है कि देशों को वित्तपोषण और क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ाने के लिये अपनी राष्ट्रीय कार्ययोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये, मज़बूत नियामक प्रणाली स्थापित करनी चाहिये तथा मनुष्यों, जानवरों एवं पौधों के स्वास्थ्य में पेशेवरों द्वारा एंटीमाइक्रोबियल के उत्तरदायी एवं विवेकपूर्ण उपयोग के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का समर्थन करना चाहिये।
- साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे कई उपाय सुझाए हैं जो प्रभाव को कम करने और इस प्रतिरोध के प्रसार को सीमित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किये जा सकते हैं।

राइट टू बी फॉरगॉटन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक रियलिटी शो के प्रतियोगी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जिसमें उसके "राइट टू बी फॉरगॉटन (RTBF)" का हवाला देते हुए अपने वीडियो, फोटो और लेख आदि को इंटरनेट से हटाने की मांग की गई है।

नोट :

- याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर याचिका में यह भी कहा गया कि "राइट टू बी फॉरगॉटन" "निजता के अधिकार" के अनुरूप है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का एक अभिन्न अंग है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- राइट टू बी फॉरगॉटन (RTBF): यह इंटरनेट, सर्च , डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब यह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है।
- उत्पत्ति: गूगल स्पेन मामले में यूरोपीय संघ के न्यायालय ("CJEU") के वर्ष 2014 के निर्णय के बाद RTBF प्रचलन में आया।
  - RTBF को सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation- GDPR) के तहत यूरोपीय संघ में एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
  - यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में कई न्यायालयों द्वारा इसे बरकरार रखा गया है।
- भारत में स्थिति: भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो विशेष रूप से भूल जाने के अधिकार का प्रावधान करता हो। हालाँकि निजी डेटा संरक्षण विधेयक (Personal Data Protection Bill) 2019 इस अधिकार को मान्यता देता है।
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act), 2000 कंप्यूटर सिस्टम से डेटा के संबंध में कुछ उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
    - इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और उसमें संग्रहीत डेटा के अनधिकृत उपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक और RTBF:

- दिसंबर, 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये प्रावधान करना है।
- "डेटा प्रिंसिपल के अधिकार" शीर्षक वाले इस मसौदा विधेयक के अध्याय V के खंड 20 में 'राइट टू बी फॉरगॉटन' का उल्लेख है।
  - इसमें कहा गया है कि "डेटा प्रिंसिपल (जिस व्यक्ति से डेटा संबंधित है) को 'डेटा फिड्यूशरी' द्वारा अपने व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने या रोकने का अधिकार होगा।"
  - इसलिये मोटे तौर पर 'राइट टू बी फॉरगॉटन' के तहत उपयोगकर्त्ता डेटा न्यासियों द्वारा रखी गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को डी-लिंक कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, हटा सकते हैं या सही कर सकते हैं।
    - डेटा फिड्यूशरी का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जिसमें राज्य, कंपनी, कोई कानूनी संस्था या कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो अकेले या दूसरों के साथ मिलकर व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करता है।
  - डेटा सुरक्षा प्राधिकरण (DPA): यद्यपि व्यक्तिगत डेटा और जानकारी की संवेदनशीलता को संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन डेटा सुरक्षा प्राधिकरण (DPA) द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी।
    - इसका मतलब यह है कि ड्राफ्ट बिल कुछ प्रावधान करता है जिसके तहत एक डेटा प्रिंसिपल अपने डेटा को हटाने की मांग कर सकता है, उसके अधिकार DPA के लिये काम करने वाले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर द्वारा प्राधिकरण के अधीन हैं।
    - डेटा प्रिंसिपल के अनुरोध का आकलन करते समय इस अधिकारी को व्यक्तिगत डेटा की संवेदनशीलता, प्रकटीकरण के पैमाने, प्रतिबंधित होने की मांग की डिग्री, सार्वजनिक जीवन में डेटा प्रिंसिपल की भूमिका और कुछ अन्य के बीच प्रकटीकरण की प्रकृति की जाँच करने की आवश्यकता होगी।

निजता का अधिकार और 'राइट टू बी फॉरगॉटन':

- 'राइट टू बी फॉरगॉटन' किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार के दायरे में आता है, जिसे प्राय: व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 द्वारा विनियमित किया जाता है।
- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक पुट्टस्वामी मामले में अपने निर्माण में 'निजता के अधिकार' को मौलिक अधिकार घोषित किया था।

नोट :

- न्यायलय ने अपने निर्माण में स्पष्ट किया था कि 'निजता का अधिकार अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है।'

चुनौतियाँ

- सार्वजनिक रिकॉर्ड के साथ टकराव: 'राइट टू बी फॉरगॉटन' अथवा भूल जाने का अधिकार सार्वजनिक रिकॉर्ड से जुड़े मामलों के विरुद्ध हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये न्यायालयों के निर्णयों को हमेशा सार्वजनिक रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-74 के अनुसार इन्हें सार्वजनिक दस्तावेज़ की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
  - आधिकारिक सार्वजनिक रिकॉर्ड, विशेष रूप से न्यायिक रिकॉर्ड को 'राइट टू बी फॉरगॉटन' के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह दीर्घकाल में न्यायिक प्रणाली में आम जनता के विश्वास को कमज़ोर करेगा।
- व्यक्ति बनाम समाज: 'राइट टू बी फॉरगॉटन' व्यक्तियों की निजता के अधिकार और समाज के सूचना के अधिकार तथा प्रेस की स्वतंत्रता के बीच दुविधा पैदा करता है।

आगे की राह

- गोपनीयता के अधिकार और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा (अनुच्छेद-21) तथा इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की सूचना की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-19) के बीच संतुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है।
- डेटा संरक्षण कानून के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित किया जाना आवश्यक है और दो मौलिक अधिकारों के बीच संघर्ष को कम किया जाना चाहिये जो भारतीय संविधान के स्वर्ण त्रिमूर्ति (अनुच्छेद-14,19 और 21) का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

आई-एसटीईएम इंटर चरण -2

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधाएँ मानचित्र (Indian Science Technology and Engineering facilities Map- I-STEM) परियोजना को पाँच वर्ष (वर्ष 2026 तक) के लिये विस्तार दिया गया है तथा इसने अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

I-STEM:

- I-STEM के विषय में:
  - I-STEM अनुसंधान एवं विकास (Research and Development- R&D) सुविधाओं को साझा करने के लिये एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है।
  - यह पोर्टल शोधकर्त्ताओं को उपकरणों के उपयोग के लिये स्लॉट तक पहुँचने के साथ-साथ परिणामों के विवरण जैसे- पेटेंट, प्रकाशन और प्रौद्योगिकियों को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- लॉन्च:
  - PM-STIAC: यह एक व्यापक परिषद है जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय को विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्थिति का आकलन करने, भविष्य का रोडमैप विकसित करने, चुनौतियों को समझने आदि विषय पर प्रधानमंत्री को सलाह देने की सुविधा प्रदान करती है।
  - इस पोर्टल को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया। यह प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (Prime Minister's Science, Technology & Innovation Advisory Council- PM-STIAC) के तत्त्वावधान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक पहल है।

नोट :

- लक्ष्य:
  - I-STEM का लक्ष्य शोधकर्त्ताओं को संसाधनों से जोड़कर देश के R&D पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है।
  - स्वदेशी प्रौद्योगिकियों एवं वैज्ञानिक उपकरणों के विकास को बढ़ावा देना और I-STEM वेब पोर्टल के माध्यम से देश में मौजूदा सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं तक पहुँच को सक्षम करके शोधकर्त्ताओं को आवश्यक आपूर्ति व सहायता प्रदान करना।
- चरण-I:
  - पहले चरण में पोर्टल को देश भर के 1050 संस्थानों के 20,000 से अधिक उपकरणों के साथ सूचीबद्ध किया गया है जिसमें 20,000 से अधिक भारतीय शोधकर्त्ता शामिल हैं।
- चरण-II:
  - पोर्टल एक डिजिटल कैटलॉग के माध्यम से सूचीबद्ध स्वदेशी प्रौद्योगिकी के तहत उत्पादों की मेज़बानी करेगा। यह छात्रों और वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने हेतु आवश्यक चयनित R&D (अनुसंधान और विकास) सॉफ्टवेयर की मेज़बानी और पहुँच प्रदान करेगा।
  - यह पोर्टल विभिन्न सिटी नॉलेज और इनोवेशन क्लस्टर्स के लिये विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार (Science Technology and Innovation- STI) पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्मित सहयोग और साझेदारी के माध्यम से R&D बुनियादी ढाँचे के प्रभावी उपयोग को बढ़ाने हेतु एक मंच भी प्रदान करेगा।
  - नए चरण को एक गतिशील डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया जाएगा जो विशेष रूप से टायर 2 और टायर 3 शहरों के लिये तथा उभरते स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र हेतु अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देगा।

उत्प्रवासन विधेयक 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) ने उत्प्रवासन विधेयक 2021 के लिये सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किये हैं। यह विधेयक विदेशों में रोज़गार चाहने वाले नागरिकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार हेतु दीर्घावधि से लंबित अवसर प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- यह विधेयक वर्ष 1983 के उत्प्रवास अधिनियम को बदलने का इरादा रखता है।
- विधेयक में व्यापक उत्प्रवास प्रबंधन की परिकल्पना की गई है, भारतीय नागरिकों के विदेशी रोज़गार को नियंत्रित करने वाले नियामक तंत्र स्थापित किये गए हैं और प्रवासियों के कल्याण के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु एक ढाँचा स्थापित किया गया है।
- इस विधेयक में एक त्रिस्तरीय संस्थागत ढाँचे का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:
  - यह (MEA) में एक नया प्रवासी नीति प्रभाग शुरू करता है जिसे केंद्रीय प्रवास प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
  - यह एक प्रवासी नीति और योजना ब्यूरो के निर्माण का प्रस्ताव करता है तथा प्रवासी प्रशासन ब्यूरो दिन-प्रतिदिन के परिचालन मामलों को संभालेगा एवं प्रवासियों के कल्याण की देखरेख करेगा।
  - यह प्रवासियों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये एक मुख्य प्रवासी अधिकारी के अधीन नोडल एजेंसियों का प्रस्ताव करता है।
- यह सरकारी अधिकारियों को श्रमिकों द्वारा विधेयक के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किये जाने पर उनके पासपोर्ट रद्द या निलंबित करने और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाकर दंडित करने की अनुमति देता है।
  - विधेयक को लागू कर इसका उपयोग उन श्रमिकों पर नकेल कसने हेतु एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है जो अपंजीकृत दलालों के माध्यम से या पर्यटक वीज़ा जैसे अनियमित व्यवस्था के माध्यम से प्रवास करते हैं।

नोट :

- प्रस्तावित कानून मानव संसाधन एजेंसियों के पंजीकरण, रख-रखाव, वैधता और नवीनीकरण तथा प्रमाण पत्र को रद्द करने का भी प्रावधान करेगा।
  - इसके अलावा अधिकारियों को सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियों का अधिकार होगा।

विधेयक की आवश्यकता:

- श्रम प्रवास उत्प्रवास अधिनियम, 1983 द्वारा नियंत्रित होता है जो सरकार द्वारा प्रमाणित भर्ती एजेंटों, सार्वजनिक या निजी एजेंसियों के माध्यम से व्यक्तियों को काम पर रखने के लिये एक तंत्र स्थापित करता है।
  - यह संभावित नियोक्ताओं के लिये श्रमिकों की व्यवस्था करने हेतु एजेंटों के दायित्वों की रूपरेखा तैयार करता है, सेवा शुल्क की सीमा निर्धारित करता है और श्रमिकों की यात्रा तथा रोज़गार दस्तावेज़ों की सरकारी समीक्षा की व्यवस्था करता है (जिसे उत्प्रवास मंज़ूरी के रूप में जाना जाता है)।
  - उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को खाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्प्रवास के विशिष्ट संदर्भ में अधिनियमित किया गया है, जो वर्तमान में उत्प्रवास के व्यापक भू-आर्थिक, भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक प्रभाव को संबोधित करने में विफल रहा है।
- वर्षों से प्रवासी श्रमिकों की स्थिति की स्वतंत्र जाँच ने गंभीर शोषणकारी प्रथाओं को रेखांकित किया है, जिनमें शामिल हैं:
  - अधिक भर्ती शुल्क
  - अनुबंध प्रतिस्थापन
  - धोखाधड़ी
  - पासपोर्ट प्रतिधारण
  - मज़दूरी का भुगतान न करना या कम भुगतान
  - खराब आवास की स्थिति
  - भेदभाव और दुर्व्यवहार के अन्य रूप
- उदाहरण के लिये हाल के महीनों में मीडिया रिपोर्टों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे अरब खाड़ी राज्यों/पश्चिम एशिया में अधिकांश प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु दिल के दौरे और श्वसन विफलताओं की वजह से होती है।

संबद्ध मुद्दे:

- मानवाधिकार फ्रेमवर्क की कमी: प्रवासियों और उनके परिवारों के अधिकारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक मानवाधिकार ढाँचे/ फ्रेमवर्क की कमी के कारण विधेयक की आलोचना की जाती है। उदाहरण :
  - कानून के तहत दंडात्मक प्रावधान, प्रवासी कामगारों के लिये विकल्पों का अपराधीकरण करते हैं, क्योंकि वे कानून से अनभिज्ञ होते हैं या नियोक्ताओं के प्रभाव में या बस एक अच्छी नौकरी खोजने के लिये तत्पर होते हैं।
  - इसके अलावा एक अनियमित स्थिति में प्रवासियों को डर रहता है कि उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उनका पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है, उनसे की जाने वाली दुर्व्यवहार की घटना की शिकायत करने या समाधान करने की संभावना कम होती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं: विधेयक जनशक्ति एजेंसियों को श्रमिकों से सेवा शुल्क लेने की अनुमति देता है, और यहाँ तक कि एजेंटों को अपनी सीमा निर्धारित करने की भी अनुमति देता है।
  - हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सामान्य सिद्धांत यह मानते हैं कि भुगतान का वहन नियोक्ता को करना चाहिये न कि श्रमिकों को।
  - कामगारों द्वारा भुगतान की जाने वाली भर्ती फीस उनकी बचत को खत्म कर देती है, उन्हें उच्च ब्याज ऋण लेने के लिये मज़बूर करती है, श्रमिकों को बंधुआ श्रमिक के रूप में ऋण बंधन की स्थिति में डाल देती है।
- न्यून लिंग आयाम: यह विधेयक श्रम प्रवास के लिंग आयामों को भी पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है।
  - महिलाओं की भर्ती में उनके समकक्षों की तुलना में सीमित एजेंसियाँ होती हैं तथा हाशिये पर स्थित वर्ग के अनौपचारिक क्षेत्रों और/या अलग-अलग व्यवसायों में नियोजित होने की अधिक संभावना होती है जिसमें श्रम, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन शोषण सामान्य मुद्दे हैं।

नोट :

आगे की राह

- समावेशी विकास सुनिश्चित करने और संकटपूर्ण प्रवास को कम करने के लिये भारत को प्रवास केंद्रित नीतियों, रणनीतियों और संस्थागत तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है।
- इससे गरीबी में कमी और सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की भारत की संभावनाओं में वृद्धि होगी।

FCRA प्रमाणपत्र का निलंबन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative- CHRI) ने अपने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act- FCRA) प्रमाणपत्र को 180 दिनों तक निलंबित करने के गृह मंत्रालय के निर्णय को चुनौती दी है।

- गृह मंत्रालय (MHA) ने FCRA अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन में CHRI's के प्रमाणपत्र को निलंबित कर दिया था।

प्रमुख बिंदु:

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010:

- भारत में व्यक्तियों के विदेशी धन को एफसीआरए अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है और गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- व्यक्तियों को MHA की अनुमति के बिना विदेशी राशि स्वीकार करने की अनुमति है।
  - हालाँकि ऐसे विदेशी अंश की स्वीकृति हेतु मौद्रिक सीमा 25,000 रुपए से कम होगी।
- यह अधिनियम इस बात को सुनिश्चित करता है कि विदेशी अंश प्राप्त करने वाले उस निर्दिष्ट उद्देश्य का पालन करते हैं जिसके लिये इसे प्राप्त किया गया है।
- अधिनियम के तहत संगठनों को हर पाँच वर्ष में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020:

- विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर रोक: अधिनियम लोक सेवकों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है। लोक सेवक में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जो सेवा में है या जिसे सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है या किसी सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन हेतु सरकार द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है।
- विदेशी अंशदान का अंतरण: अधिनियम विदेशी अंशदान को स्वीकार करने के लिये पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी अंशदान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
- पंजीकरण के लिये आधार: अधिनियम विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सभी पदाधिकारियों, निदेशकों या प्रमुख पदाधिकारियों हेतु एक पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार संख्या को अनिवार्य बनाता है।
- FCRA खाता: अधिनियम में कहा गया है कि विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की ऐसी शाखाओं जो FCRA खाते के रूप में बैंक द्वारा निर्दिष्ट हैं, में प्राप्त किया जाना चाहिये।
- प्रशासनिक उद्देश्यों के लिये विदेशी अंशदान के उपयोग में कमी: अधिनियम प्रस्ताव करता है कि प्राप्त कुल विदेशी धन का 20% से अधिक का खर्च प्रशासनिक कार्यों हेतु नहीं किया जा सकता है। FCRA, 2010 में यह सीमा 50% थी।
- प्रमाण पत्र का समर्पण: अधिनियम केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र के समर्पण (Surrender of Certificate) की अनुमति देता है।
- अन्य विनियम:
  - विदेशी अंशदान का दायरा बढ़ाना: मौजूदा नियमों के अंतर्गत किसी भी विदेशी/विदेशी स्रोत द्वारा भारतीय रुपए में दिये गए दान, जिसमें भारतीय मूल के विदेशी जैसे- भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के कार्डधारक शामिल हैं, को भी विदेशी योगदानकर्त्ता के रूप में माना जाना चाहिये।

नोट :

- FATF के मानकों को पूरा करना: दिशानिर्देशों में कहा गया है कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF) के मानकों के अनुसार अच्छी प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिये।
- इसने गैर-सरकारी संगठनों (NGO) से किसी भी दाता या प्राप्तकर्त्ता की "संदिग्ध गतिविधियों" के विषय में मंत्रालय को सूचित करने और "भर्ती के समय अपने कर्मचारियों की उचित जाँच करने" के लिये कहा।

CHRI का तर्क:

- निलंबन आदेश FCRA अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित योजना के ढाँचे के विपरीत है और यहाँ तक कि निलंबन आदेश भी बिना कोई जाँच शुरू किये पारित कर दिया गया था।
- निलंबन आदेश पूरी तरह से गलत तथ्यों पर आधारित था और प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

FCRA से संबंधित मुद्दे:

- दायरा परिभाषित नहीं है: यह राष्ट्रीय हित या राज्य के आर्थिक हित के लिये हानिकारक किसी भी गतिविधि हेतु विदेशी योगदान की प्राप्ति को प्रतिबंधित करता है।
  - हालाँकि "सार्वजनिक हित" पर कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं है।
- मौलिक अधिकारों को सीमित करता है: FCRA प्रतिबंधों का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(सी) के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता दोनों अधिकारों पर गंभीर परिणाम देखा गया है।

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (CHRI)

- 'राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल' (CHRI) एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, जो राष्ट्रमंडल में मानव अधिकारों के व्यावहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कार्य करता है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली

राष्ट्रमंडल

- उत्पत्ति: यह दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय राजनीतिक संघों में से एक है। इसकी जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में खोजी जा सकती हैं, जब कुछ देशों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन का शासन था।
  - इनमें से कुछ देश ब्रिटेन के सम्राट को राज्य का प्रमुख मानते हुए स्वशासी बन गए। उन्होंने 'ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस' का गठन किया।
  - वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल अस्तित्त्व में आया तब से अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप स्थित कई स्वतंत्र देश राष्ट्रमंडल में शामिल हो चुके हैं।
- सदस्यता: राष्ट्रमंडल 54 स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ है।
  - इसकी सदस्यता स्वतंत्र एवं समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। रवांडा और मोज़ाम्बिक का ब्रिटिश साम्राज्य से कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है।

आगे की राह

- विदेशी योगदान पर अत्यधिक विनियमन उन गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज़ को प्रभावित कर सकता है, जो ज़मीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उन अंतरालों को कम करने में सहायता करते हैं, जहाँ सरकार अपना काम करने में विफल रहती है।
- आवश्यक है कि ये विनियमन राष्ट्रीय सीमाओं के पार संसाधनों के साझाकरण में बाधा न उत्पन्न करें, क्योंकि सीमा पार संसाधनों का साझाकरण वैश्विक समुदाय के कामकाज़ के लिये काफी आवश्यक है और इसे तब तक हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि यह मानने का कारण न हो कि धन का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिये किया जा रहा है।

नोट :

भारत का वन आवरण और बंजर भूमि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (MoEFCC) ने देश में वन क्षेत्र के विषय में राज्यसभा (Rajya Sabha) को सूचित किया।

- यह सूचना भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report), 2019 के आधार पर दी गई, जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा भारत के वनों का 16वाँ द्विवार्षिक मूल्यांकन है।
- बंजर भूमि एटलस (Wasteland Atlas), 2019 के अनुसार देश में बंजर भूमि (Wasteland) के विषय में भी जानकारी प्रदान की गई थी।

प्रमुख बिंदु

वन की परिभाषा:

- 'वन' शब्द को किसी भी केंद्रीय वन अधिनियम, अर्थात् भारतीय वन अधिनियम (1927), या वन संरक्षण अधिनियम (1980) में परिभाषित नहीं किया गया है।
  - केंद्र सरकार ने वन को परिभाषित करने के लिये कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है।
  - भारतीय वन अधिनियम, 1927 राज्यों को अपने क्षेत्रों में आरक्षित वनों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
- वनों की परिभाषा को राज्य अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। यह विशेषाधिकार राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (T.N. Godavarman Thirumulpad vs the Union of India), 1996 केस में दिया।
  - न्यायालय ने कहा कि"वन" शब्द को उसके "शब्दकोश के अर्थ" के अनुसार समझा जाना चाहिये।
  - इस विवरण में सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल हैं, चाहे उन्हें आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा के रूप में नामित किया गया हो।

कुल वन क्षेत्र:

- देश में कुल वन क्षेत्र लगभग 7,67,419 वर्ग किलोमीटर है, हालाँकि मंत्रालय ने अभी तक विवादित वन क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया है।

श्रेणी-वार वन क्षेत्र:

- आरक्षित वन श्रेणी:
  - ये वन क्षेत्र प्रत्यक्ष तौर पर सरकार की निगरानी में होते हैं।
  - मवेशी चराने के व्यावसायिक उद्देश्य के लिये इसमें किसी भी सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं होती है।
  - इस श्रेणी के अंतर्गत कुल क्षेत्र 4,34,853 वर्ग किलोमीटर है।
- संरक्षित वन श्रेणी:
  - इस श्रेणी के वनों की देखभाल सरकार द्वारा की जाती है।
  - स्थानीय लोगों को वन में बिना किसी गंभीर क्षति किये वनोपज के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति है।
  - इस श्रेणी के अंतर्गत कुल क्षेत्र 2,18,924 वर्ग किलोमीटर है।
- असुरक्षित वन श्रेणी
  - ये अवर्गीकृत वन होते हैं।
  - पेड़ काटने या मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
  - इस श्रेणी के अंतर्गत कुल क्षेत्र 1,13,642 वर्ग किलोमीटर है।

नोट :

बंजर भूमि:

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित बंजर भूमि एटलस, 2019 के अनुसार, देश में कुल बंजर भूमि लगभग 5,57,665.51 वर्ग किलोमीटर है।
- बंजर भूमि को ऐसी भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग कृषि, व्यावसायिक उपयोग या वन भूमि के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये इसमें उन घास के मैदानों को शामिल किया जा सकता है जिनका उपयोग समुदायों द्वारा पशुओं की चराई के लिये किया जाता है।

सरकार की पहल:

- हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
  - यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक है।
  - इसे फरवरी 2014 में देश के जैविक संसाधनों और प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से संबद्ध आजीविका की रक्षा करने एवं पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण तथा भोजन- पानी एवं आजीविका- सुरक्षा पर वानिकी के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP):
  - इसे निम्नीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिये वर्ष 2000 से लागू किया गया है।
  - इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA Funds):
  - इसे 2016 में लॉन्च किया गया था , इसके फंड का 90% राज्यों को दिया जाना है, जबकि 10% केंद्र द्वारा बनाए रखा जाता है।
  - धन का उपयोग जलग्रहण क्षेत्रों के उपचार, प्राकृतिक उत्पादन, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों व गांवों के पुनर्वास, मानव-वन्यजीव संघर्षों को रोकने, प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने, काष्ठ सुरक्षा वाले उपकरणों की आपूर्ति तथा संबद्ध गतिविधियों के लिये किया जा सकता है।
- नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेज़र्टिफिकेशन
  - इसे 2001 में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये तैयार किया गया था।
  - इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:
  - इस योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया गया, इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
    - सूक्ष्म-सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूँद अधिक फसल) को अपनाने हेतु।
    - जलभृतों के पुनर्भरण में वृद्धि करना और शहरों के आस-पास के क्षेत्रों में कृषि के लिये उपचारित नगरपालिका आधारित जल के पुन: उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाकर स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं की शुरुआत करना तथा परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली में अधिक-से-अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना।

वनों के लिये संवैधानिक प्रावधान:

- वनों को भारतीय संविधान की (सातवीं अनुसूची) समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।
- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से वन एवं वन्यजीवों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
- संविधान के अनुच्छेद 51 ए (जी) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।
- राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों में अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने एवं देश के वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

नोट :

विधान

- भारत के वन वर्तमान में राष्ट्रीय वन नीति, 1988 द्वारा शासित हैं, जिसका केंद्रीय बिंदु पर्यावरण संतुलन और आजीविका है।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006 वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों तथा अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका सहित विभिन्न आवश्यकताओं, आवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों हेतु निर्भर हैं।

नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद ने नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021 पारित किया है। यह विधेयक प्रकाश स्तंभ अधिनियम, 1927 को निरस्त कर उसका स्थान लेगा, जो कि पारंपरिक नौवहन सहायता यानी लाइटहाउस को नियंत्रित करने वाला नौ दशक पुराना कानून है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- अब तक भारत में सुरक्षित नेविगेशन हेतु लाइटहाउस और लाइटशिप का प्रशासन एवं प्रबंधन प्रकाश स्तंभ अधिनियम, 1927 द्वारा शासित है।
- प्रकाश स्तंभ दो मुख्य उद्देश्यों- नौवहन सहायता के रूप में और नौकाओं को खतरनाक क्षेत्रों की चेतावनी देने का काम करते हैं।
  - यह समुद्र पर यातायात संकेत की तरह है।
- हालाँकि जैसे-जैसे तकनीक विकसित हुई, वैसे-वैसे सिस्टम लगाए गए और रडार एवं अन्य सेंसर की मदद से जहाज़ों को स्थिति के बारे में सलाह दी जाने लगी।
  - इस प्रकार पोत यातायात सेवा (VTS) अस्तित्व में आई और इसे व्यापक स्वीकार्यता मिली।
- समुद्री नौवहन प्रणालियों के लिये इन आधुनिक व तकनीकी रूप से बेहतर सेवाओं ने उनकी स्थिति को 'निष्क्रिय' सेवा से 'इंटरैक्टिव' सेवा में बदल दिया है।
- इसे एक उपयुक्त वैधानिक ढाँचा प्रदान करने के लिये नए अधिनियम की आवश्यकता है जो नेविगेशन के लिये समुद्री सहायता की आधुनिक भूमिका को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन करता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- प्रमुख उद्देश्य
  - वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और तकनीकी विकास को शामिल करना।
  - नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का समायोजन करना।
  - विधायी ढाँचे को उपयोगकर्त्ता के अनुकूल बनाना।
  - व्यापकता व सुगमता को बढ़ावा देना।
- कानून का दायरा: यह विधेयक क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ और विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित समग्र भारत पर लागू होता है।
- परिभाषित तंत्र: यह 'नेविगेशन के लिये सहायता' को एक उपकरण, प्रणाली या सेवा के रूप में परिभाषित करता है, जिसे जहाज़ों के बाह्य स्वरुप, व्यक्तिगत जहाज़ों और पोत यातायात के सुरक्षित एवं कुशल नेविगेशन को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन और संचालित किया जाता है।
  - पोत यातायात सेवा का अर्थ पोत यातायात की सुरक्षा और दक्षता में सुधार एवं पर्यावरण की रक्षा के लिये अधिनियम के तहत लागू की गई सेवा है।

नोट :

- संस्थागत तंत्र: विधेयक में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक महानिदेशक की नियुक्ति करेगी, जो नेविगेशन में सहायता से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा।
  - यह ज़िला स्तर के लिये उप-महानिदेशकों और निदेशकों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है।
- हेरिटेज लाइटहाउस: विधेयक केंद्र सरकार को अपने नियंत्रण में नेविगेशन के लिये किसी भी सहायता को 'विरासत लाइटहाउस' के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।
  - नौवहन सहायक के रूप में उनके कार्य के अलावा ऐसे प्रकाश स्तंभ शैक्षिक, सांस्कृतिक और पर्यटन उद्देश्यों के लिये विकसित किये जाएंगे।
- अपराध और दंड: इसमें अपराधों की एक नई अनुसूची शामिल है, साथ ही नेविगेशन में सहायता को बाधित करने और नुकसान पहुँचाने तथा केंद्र सरकार एवं अन्य निकायों द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है।

लाभ:

- इसमें नौचालन के लिये सहायता एवं पोत परिवहन सेवाओं से संबद्ध मामलों हेतु बेहतर कानूनी ढाँचा और समुद्री नौचालन के क्षेत्र में भावी विकास शामिल है।
- नौवहन की सुरक्षा एवं दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिये पोत परिवहन सेवाओं का प्रबंधन।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 'नौचालन के लिये सहायता' और पोत परिवहन सेवाओं के ऑपरेटरों हेतु प्रशिक्षण तथा प्रमाणन के माध्यम से कौशल विकास।
- वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण और प्रमाणन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये संबद्ध संस्थानों की लेखापरीक्षा एवं प्रत्यायन।
- सुरक्षित और प्रभावी नौचालन के उद्देश्य से डूबे हुए/फँसे हुए जहाज़ों की पहचान करने के लिये जल में "मलबे" को चिह्नित करना।
- शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के उद्देश्य से प्रकाश स्तम्भों का विकास, जो कि तटीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करते हुए उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।

संपत्ति नष्ट करने के मामले में को संसदीय प्रतिरक्षा नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा में आरोपित विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।

- वर्ष 2015 में सत्तारूढ़ केरल सरकार ने राज्य विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और बजट भाषण को बाधित करने वाले अपने विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने हेतु सर्वोच न्यायालय से अपील की थी।

प्रमुख बिंदु:

याचिकाकर्त्ता की दलीलें:

- केरल सरकार ने यह तर्क देते हुए संसदीय विशेषाधिकार का दावा किया था कि घटना विधानसभा हॉल के अंदर हुई थी।
- याचिकाकर्त्ता ने आपराधिक अभियोजन हेतु छूट का दावा प्रस्तुत किया था।
- उन्होंने तर्क दिया था कि पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से पहले अध्यक्ष की पूर्व मंज़ूरी आवश्यक थी।

निर्णय के मुख्य बिंदु:

- संसदीय विशेषाधिकार का प्रयोग प्रतिरक्षा हेतु नहीं: जो विधायक तोड़फोड़ और सामान्य तबाही में लिप्त हैं, वे संसदीय विशेषाधिकार एवं आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं।
- बर्बरता आवश्यक विधायी कार्रवाई नहीं है: सांसदों के पास ऐसे विशेषाधिकार होते हैं जो सार्वजनिक कार्यों को करने के लिये आवश्यक होते हैं।
  - विधायी कार्य करने हेतु सदन के अंदर तोड़फोड़ और संपति को नष्ट करना आवश्यक नहीं है।

नोट :

- बर्बरता और विरोध का अधिकार: विधानसभा में तोड़फोड़ की तुलना विपक्षी विधायकों के विरोध के अधिकार से नहीं की जा सकती।
  - निर्वाचित विधायिका का कोई भी सदस्य आपराधिक कानून (लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984) के प्रतिबंधों से ऊपर होकर विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है, यह सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।
  - सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने की तुलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग से नहीं की जा सकती।
- सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना: विधायकों को अपना कर्तव्य निभाने के लिये सार्वजनिक विश्वास के मापदंडों के भीतर कार्य करना चाहिये।
  - क्योंकि उन्होंने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ लेते हुए पदभार ग्रहण किया था।
  - इसलिये उन्हें भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना एवं अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये।

संसदीय विशेषाधिकार के विषय में:

- संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार तथा उन्मुक्तियाँ हैं, ताकि वे "अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन" कर सकें।
  - जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है तथा यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है।
- संविधान (संसद के लिये अनुच्छेद 105 और राज्य विधानसभाओं हेतु अनुच्छेद 194) में दो विशेषाधिकारों (संसद में बोलने की स्वतंत्रता तथा इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार) का उल्लेख है।
- लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 के अनुरूप विशेषाधिकार को नियंत्रित करता है।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार:

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: संसद/राज्य विधानसभा के सदस्यों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है।
  - किसी भी सदस्य से सदन की चारदीवारी के बाहर कहीं भी कार्य नहीं लिया जा सकता है (उदाहरणत: कानून की अदालत) या सदन और उसकी समितियों में विचार व्यक्त करने के लिये उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
  - हालाँकि एक सदस्य को संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार है, उसे संसद के बाहर इसे पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।
- गिरफ्तारी से मुक्ति: किसी भी सदस्य को दीवानी मामले में सदन के स्थगन के 40 दिन पहले और बाद में तथा सदन के सत्र के दौरान भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
  - इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी सदस्य को उस सदन की अनुमति के बिना संसद की सीमा के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जिससे वह संबंधित है।
- गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट: संसद/विधानसभा के सदस्यों को भी गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्राप्त है।

सामूहिक विशेषाधिकार:

- वाद-विवाद और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार: संसद/विधानसभा आवश्यकता पड़ने पर प्रेस को अपनी कार्यवाही प्रकाशित करने से रोक सकती है।
- अजनबियों को बाहर करने का अधिकार: संसद/विधानसभा को किसी भी समय गलियारा (Galleries) से अजनबियों (कोई सदस्य या आगंतुक) को बाहर करने और बंद दरवाज़ों में बहस करने का अधिकार प्राप्त है।
- सदस्यों और बाहरी लोगों को दंडित करने का अधिकार: भारत में संसद/विधानसभा को सदन की अवमानना के दोषी लोगों को दंडित करने के लिये दंडात्मक शक्तियाँ दी गई हैं।

नोट :

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का सामाजिक लेखा-परीक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने वित्त वर्ष 2021-22 में सूचना-निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखापरीक्षा (Information-Monitoring, Evaluation and Social Audit- I-MESA) नामक एक योजना तैयार की है।

प्रमुख बिंदु

I-MESA योजना के विषय में:

- इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 से विभाग की सभी योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाएगी।
- यह सामाजिक लेखापरीक्षा राज्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों (Social Audit Unit) और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के माध्यम से की जाती है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ:

- आर्थिक विकास के लिये योजनाएँ:
  - अनुसूचित जातियों (Scheduled Caste) के लिये ऋण गारंटी योजना।
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम।
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम।
  - अनुसूचित जाति को विशेष केंद्रीय सहायता।
  - अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता योजना।
- स्व-रोज़गार:
  - हाथ से मैला उठाने वालों के लिये पुनर्वास योजना।
  - अनुसूचित जातियों के लिये उद्यम पूंजी कोष।
- सामाजिक अधिकारिता के लिये योजनाएँ:
  - नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिये केंद्र प्रायोजित योजना।
  - प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।

सामाजिक लेखापरीक्षा

सामाजिक लेखापरीक्षा के विषय में:

- अर्थ: यह सरकार और लोगों (विशेष रूप से वे लोग जो योजना से प्रभावित हैं) द्वारा संयुक्त रूप से किसी योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन है।
- लाभ: यह योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु एक सशक्त माध्यम है।
  - सामाजिक अंकेक्षण सामाजिक कल्याण के लिये उठाए गए कदमों के उद्देश्यों और वास्तविकता के बीच अंतर को पाटने का काम करता है।
- स्थिति:
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National National Rural Employment Guarantee Act- MGNREGA) ग्राम पंचायतों में शुरू की गई सभी परियोजनाओं की ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला अधिनियम था।

नोट :

- अधिकांश राज्यों ने एक स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) की स्थापना की है तथा कुछ अन्य राज्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य कार्यक्रमों में सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा शुरू कर दी है।

चुनौतियाँ:

- भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सामाजिक लेखापरीक्षा को संस्थागत बनाने में पर्याप्त प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का मतलब है कि देश के कई हिस्सों में सामाजिक लेखापरीक्षा कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रभावित है।
- ग्राम सामाजिक अंकेक्षण सुविधादाताओं सहित सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों को प्रतिरोध और धमकी का सामना करना पड़ रहा है तथा सत्यापन हेतु प्राथमिक अभिलेखों तक पहुँचने में भी मुश्किल हो रही है।
- आम जनता के बीच शिक्षा, जागरूकता और क्षमता निर्माण की कमी के कारण लोगों की भागीदारी नगण्य रही है।
- सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की जाँच और कार्रवाई करने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी का अभाव है।

सुझाव:

- नागरिक समूहों को सामाजिक लेखापरीक्षा को मज़बूत करने हेतु अभियान चलाने और राजनीतिक कार्यकारी तथा इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक ज़िले में सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञों की टीम स्थापित की जानी चाहिये जो सामाजिक लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों (हितधारकों) के प्रशिक्षण हेतु ज़िम्मेदार हों।
- सामाजिक अंकेक्षण के तरीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिये जैसे कि सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना और अंकेक्षण करना एवं उसे ग्राम सभा में प्रस्तुत करना।
- सामाजिक अंकेक्षण की प्रणाली को एक संस्थागत ढाँचे की स्थापना करने के लिये सहक्रियात्मक समर्थन और अधिकारियों द्वारा किसी भी निहित स्वार्थ के बिना प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता होती है।

शिक्षा क्षेत्र हेतु नई पहलें

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किये गए सुधारों की पहली वर्षगाँठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र में कई पहलों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।

- प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA) और स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) जैसे पोर्टलों द्वारा निभाई गई भूमिका का भी उल्लेख किया।

प्रमुख बिंदु

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट:

- इसे एक डिजिटल बैंक के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसमें कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के छात्रों का डेटा स्टोर किया जाएगा। यह बहुविषयक और समग्र शिक्षा की सुविधा हेतु एक प्रमुख साधन है। यह उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये कई प्रविष्टियाँ तथा निकास विकल्प प्रदान करेगा।
- यह युवाओं को भविष्योन्मुखी बनाएगा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित अर्थव्यवस्था के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा।

क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग:

- देश के आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में पाँच भारतीय भाषाओं : हिंदी, तमिल, तेलुगू, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने की योजना है।
  - शिक्षण के इस माध्यम से मातृभाषा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा जिससे गरीब, ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि के छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा।

नोट :

- हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किये गए एक सर्वेक्षण में यह पाया कि 42% छात्रों ने क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग करने का पक्ष लिया।

- AICTE संसाधनों का एक डेटाबेस तैयार कर रहा है ताकि कॉलेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक कार्यक्रम पेश करने की अनुमति मिल सके तथा इंजीनियरिंग सामग्री का 11 भाषाओं में अनुवाद करने हेतु एक उपकरण विकसित किया जा सके।

विद्या प्रवेश और सफल:

- ग्रेड 1 के छात्रों के लिये तीन महीने का प्ले आधारित स्कूल मॉड्यूल और CBSE स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिये एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढाँचा, सफल (स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग लेवल) जारी किया जाएगा।

नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर (NDEAR)

- यह नए शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करेगा, जिससे एक डिजिटल नींव तैयार करने में मदद मिलेगी, साथ ही सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों और केंद्र को स्व-शासन के लिये बढ़ावा देगा।
- यह शिक्षाविदों को प्रतिभा और क्षमताओं के आधार पर मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है, जिससे छात्रों को उनकी विशिष्टताओं के क्षेत्र में और अधिक समझने में मदद मिलेगी, जिसका उपयोग उनके भविष्य के पेशे में किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (NETF):

- यह प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों पर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र साक्ष्य-आधारित सलाह प्रदान करेगा। ज़मीनी स्तर पर शिक्षा में प्रौद्योगिकी की पहुँच में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  - स्कूलों को छात्रों को उभरते तकनीकी कौशल सिखाने के लिये योग्य शिक्षकों को भी नियुक्त करना होगा।
- इस फोरम की स्थापना के बाद शैक्षणिक सामग्री और अनुसंधान को बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी कदमों के बारे में स्कूल-वार सूचना मांगी जाएगी।
- इसे सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, किंतु बाद के चरण में निजी वित्तपोषण और उद्योग निकायों से समर्थन जुटाया जाएगा।

निष्ठा 2.0:

- इससे शिक्षकों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक प्रशिक्षण मिलेगा और वे अपने सुझाव विभाग को दे सकेंगे। इसमें 12 सामान्य और 56 विषय-विशिष्ट मॉड्यूल सहित 68 मॉड्यूल होंगे तथा इसमें लगभग 10 लाख शिक्षक शामिल होंगे।
  - निष्ठा विश्व में अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों को प्रेरित तथा सुसज्जित करता है।

एक विषय के रूप में सांकेतिक भाषा:

- भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language) को पहली बार भाषा विषय का दर्जा दिया गया है। छात्र इसे एक भाषा के रूप में भी पढ़ सकेंगे।
- 3 लाख से अधिक छात्र ऐसे हैं जिन्हें अपनी शिक्षा के लिये सांकेतिक भाषा की आवश्यकता है। इससे भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा मिलेगा और दिव्यांगों को मदद मिलेगी।

संबंधित पिछली पहलें

- प्रौद्योगिकी वर्द्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
- प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप (PMRF)
- शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के संवर्द्धन के लिये योजना (SPARC)
- सर्व शिक्षा अभियान
- नीट (NEET)

नोट :

- प्रज्ञाता
- मध्याह्न भोजन योजना
- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

NEET का अखिल भारतीय कोटा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) हेतु अखिल भारतीय कोटा (All India Quota- AIQ) योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) हेतु 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये 10% कोटा की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

अखिल भारतीय कोटा (AIQ) योजना के बारे में:

- वर्ष 1986 में AIQ योजना को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत पेश किया गया था ताकि किसी भी राज्य के छात्रों को दूसरे राज्य में स्थित मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने की स्थिति में डोमिसाइल से मुक्त तथा योग्यता के आधार पर अवसर (Domicile-Free Merit-Based Opportunities) प्रदान किया जा सके।
  - इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में UG सीटों का 15% और PG सीटों का 50% कोटा शामिल है।
  - राज्य के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सीटों का शेष हिस्सा अपने-अपने राज्यों में रहने वाले छात्रों के लिये आरक्षित है।
- जनवरी 2007 में अभय नाथ बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य (Abhay Nath v University of Delhi and Others) केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जातियों के लिये 15% और अनुसूचित जनजातियों हेतु 7.5% आरक्षण AIQ में शामिल किया जाए।
  - वर्ष 2007 तक मेडिकल प्रवेश के लिये अखिल भारतीय कोटा के भीतर कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया था।
- जब वर्ष 2007 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम प्रभावी हुआ, तो ओबीसी को एकसमान 27% आरक्षण प्रदान किया गया, यह योजना सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में लागू की गई थी।
  - हालाँकि इसे राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की AIQ सीटों तक विस्तारित नहीं किया गया था।
  - संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत 10% ईडब्ल्यूएस कोटा भी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया गया है, लेकिन राज्य संस्थानों के लिये राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) एआईक्यू में लागू नहीं किया गया है।
- अब इस फैसले के बाद मेडिकल कॉलेजों में एआईक्यू के भीतर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिये मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से आरक्षण की पेशकश की जाएगी।
  - इस निर्णय से दी गई श्रेणियों के तहत हज़ारों छात्रों को मदद मिलेगी।

NEET के विषय में:

- राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (National Eligibility-cum-Entrance Test- NEET) देश के सभी स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा है।
- वर्ष 2016 तक अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (All India Pre-Medical Test- AIPMT) मेडिकल कॉलेजों के लिये राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा थी।
  - जबकि राज्य सरकारें उन सीटों के लिये अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करती थीं, जिन पर अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा नहीं होती थी।

नोट :

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम (Indian Medical Council Act), 1956 की नई सम्मिलित धारा 10-D को बरकरार रखा, जो हिंदी, अंग्रेज़ी और विभिन्न अन्य भाषाओं में स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों के लिये एक समान प्रवेश परीक्षा प्रदान करती है।
  - वर्तमान में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (National Medical Commission Act), 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने के बाद निरस्त कर दिया गया है, जो 8 अगस्त, 2019 को अस्तित्व में आया था।
- यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency) द्वारा आयोजित किया जाता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग का खतरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र ने दावा किया है कि पिछले पाँच वर्षों में हाथ से मैला ढोने (Manual scavenging) के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है।

- हालाँकि सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक के अनुसार, वर्ष 2016 और वर्ष 2020 के बीच मैनुअल स्कैवेंजिंग' (Manual Scavenging) के कारण देश भर में 472 तथा वर्ष 2021 में अब तक 26 मौतें दर्ज की गईं।
  - सफाई कर्मचारी आंदोलन मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन के लिये एक मुहिम है।
- संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ 'जीवन जीने के अधिकार' की गारंटी देता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिये अधिमान्य है।

प्रमुख बिंदु

मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging):

- मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) को "सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, नालियों और सीवर की सफाई" के रूप में परिभाषित किया गया है।

कुप्रथा के प्रसार का कारण:

- उदासीन रवैया: कई अध्ययनों में राज्य सरकारों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त कर पाने में असफलता को स्वीकार न करना और इसमें सुधार के प्रयासों की कमी को एक बड़ी समस्या बताया है।
- आउटसोर्स की समस्या: कई स्थानीय निकायों द्वारा सीवर सफाई जैसे कार्यों के लिये निजी ठेकेदारों से अनुबंध किया जाता है परंतु इनमें से कई फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेटर" (fly-By-Night Operator), सफाई कर्मचारियों के लिये उचित दिशानिर्देश एवं नियमावली का प्रबंधन नहीं करते हैं।
  - ऐसे में सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर इन कंपनियों या ठेकेदारों द्वारा मृतक से किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार कर दिया जाता है।
- सामाजिक मुद्दा: मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा जाति, वर्ग और आय के विभाजन से प्रेरित है।
- यह प्रथा भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जहाँ तथाकथित निचली जातियों से ही इस काम को करने की उम्मीद की जाती है।
- "मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोज़गार और शुष्क शौचालय का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993" के तहत देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया है, हालाँकि इसके साथ जुड़ा कलंक और भेदभाव अभी भी जारी है।
  - यह सामाजिक भेदभाव मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य को छोड़ चुके श्रमिकों के लिये आजीविका के नए या वैकल्पिक माध्यम प्राप्त करना कठिन बना देता है।

नोट :

उठाए गए कदम:

- मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020:
  - इसमें सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने, 'ऑन-साइट' सुरक्षा के तरीके पेश करने और सीवर से होने वाली मौतों के मामले में मैनुअल स्कैवेंजर्स को मुआवज़ा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
  - यह मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में संशोधन होगा।
  - इसे अभी कैबिनेट की मंज़ूरी प्राप्त नहीं हुई है।
- मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 :
  - 1993 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए 2013 का अधिनियम सूखे शौचालयों पर प्रतिबंध के अतिरिक्त अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों, या गड्ढों की सभी मैनुअल स्कैवेंजिंग सफाई को गैरकानूनी घोषित करता है।
- अत्याचार निवारण अधिनियम
  - वर्ष 1989 में अत्याचार निवारण अधिनियम, स्वच्छता कार्यकर्त्ताओं के लिये एक एकीकृत उपाय बन गया, क्योंकि मैला ढोने वालों में से 90% से अधिक लोग अनुसूचित जाति के थे। यह मैला ढोने वालों को निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया।
- सफाईमित्र सुरक्षा चुनौती:
  - इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में विश्व शौचालय दिवस (19 नवंबर) पर लॉन्च किया गया था।
  - सरकार ने सभी राज्यों के लिये अप्रैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने हेतु इस 'चुनौती' का शुभारंभ किया है, इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को अपरिहार्य आपात स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित गियर और ऑक्सीजन टैंक आदि प्रदान किये जाते हैं।
- 'स्वच्छता अभियान एप':
  - इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान और जियोटैग करने के लिये विकसित किया गया है, ताकि अस्वच्छ शौचालयों को सेनेटरी शौचालयों से प्रतिस्थापित किया जा सके तथा हाथ से मैला ढोने वालों को जीवन की गरिमा प्रदान करने के लिये उनका पुनर्वास किया जा सके।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के तहत सरकार के लिये उन सभी लोगों की पहचान करना अनिवार्य कर दिया, जो वर्ष 1993 से सीवेज के काम करने के दौरान मारे गए हैं और साथ ही सभी के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवज़ा प्रदान करने के भी निर्देश दिये गए थे।

आगे की राह

- उचित पहचान: राज्यों को दूषित कीचड़ की सफाई में संलग्न श्रमिकों की पहचान करनी चाहिये और उनका एक उचित रिकॉर्ड बनाना चाहिये।
- स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना: 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है और स्मार्ट शहरों एवं शहरी विकास के लिये उपलब्ध धन से मैला ढोने की समस्या का समाधान करने की वकालत की गई थी।
- सामाजिक संवेदनशीलता: हाथ से मैला ढोने के पीछे की सामाजिक स्वीकृति को संबोधित करने के लिये पहले यह स्वीकार करना आवश्यक है कि हाथ से मैला ढोने की यह प्रथा जाति व्यवस्था में अंतर्हित है।
- सख्त कानून की आवश्यकता: यदि कोई कानून राज्य एजेंसियों पर स्वच्छता सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक वैधानिक दायित्व निर्धारित करता है, तो इसके माध्यम से अधिकारियों द्वारा श्रमिकों की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

नोट :

क्रीमी लेयर: OBC

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कुछ सांसदों ने संसद के मानसून सत्र में 'क्रीमी लेयर' को परिभाषित करने का मुद्दा उठाया है।

इसके अलावा न्यायमूर्ति रोहिणी समिति ओबीसी कोटा के उप-वर्गीकरण पर विचार कर रही है कि यदि कोई विशेष समुदाय या समुदायों का समूह ओबीसी कोटा से सबसे अधिक लाभान्वित हो रहा है, तो इन विसंगतियों को किस प्रकार दूर किया जाए।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की सिफारिश के आधार पर सरकार ने अगस्त 1990 में सिविल पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के लिये 27% आरक्षण अधिसूचित किया था।
- इसे चुनौती दिये जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 1992 में (इंदिरा साहनी वाद) OBC के लिये 27% आरक्षण को बरकरार रखा था, हालाँकि यह क्रीमी लेयर की अवधारणा के अधीन था।

परिभाषा

- यह एक अवधारणा है जो उस सीमा को निर्धारित करती है जिसके भीतर ओबीसी आरक्षण लाभ लागू होता है।
- यद्यपि सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिये 27% कोटा निर्धारित है, किंतु जो लोग 'क्रीमी लेयर' (आय और माता-पिता के रैंक के आधार पर विभिन्न श्रेणियाँ) के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इस कोटा का लाभ नहीं मिलता है।
- आय सीमा के अलावा क्रीमी लेयर की वर्तमान परिभाषा अभी भी समान ही है।

क्रीमी लेयर के अंतर्गत परिभाषित श्रेणियाँ:

- 8 लाख से अधिक आय:
  - जो सरकार में नहीं हैं उनके लिये मौजूदा सीमा 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष है।
  - आय सीमा हर तीन वर्ष में बढ़ाई जानी चाहिये। इसे पिछली बार वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था (अब तीन वर्ष से अधिक)।
- माता-पिता की रैंक: सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये सीमा उनके माता-पिता की रैंक पर आधारित होती है, न कि आय पर।
  - उदाहरण के लिये एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाता है यदि उसके माता-पिता में से कोई एक संवैधानिक पद पर हो, यदि माता-पिता को सीधे ग्रुप-A में भर्ती किया गया है या यदि माता-पिता दोनों ग्रुप-B सेवाओं में हैं।
  - यदि माता-पिता 40 वर्ष की आयु से पहले पदोन्नति के माध्यम से ग्रुप-A में प्रवेश करते हैं, तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में शामिल होंगे।
  - सेना में कर्नल या उच्च पद के अधिकारी के बच्चे और नौसेना तथा वायु सेना में समान रैंक के अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अन्य कई मानदंड भी मौजूद हैं।

सरकार का प्रस्ताव:

- कैबिनेट नोट के मसौदे में कहा गया है कि क्रीमी लेयर का निर्धारण सभी प्रकार की आय जिसमें आयकर के लिये वेतन की गणना शामिल है, पर किया जाएगा लेकिन कृषि आय पर नहीं।
- सरकार 12 लाख रुपए तक की आय पर आम सहमति पर विचार कर रही है, जबकि संसद समिति ने यह सीमा प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक करने की सिफारिश की है।
  - इसने OBC की क्रीमी लेयर श्रेणी के लिये वार्षिक आय सीमा की गणना करते समय वेतन और कृषि राजस्व को बाहर करने की भी सिफारिश की।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

भारत में वस्त्र उद्योग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये कपड़ा मंत्रालय (Ministry of Textile) द्वारा की गई पहलों की गहन समीक्षा की।

प्रमुख बिंदु

कपड़ा और वस्त्र उद्योग के विषय में:

- कपड़ा और वस्त्र उद्योग श्रम प्रधान क्षेत्र है जो भारत में 45 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है, रोज़गार के मामले में इस क्षेत्र का कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान है।
- भारत का कपड़ा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और पारंपरिक कौशल, विरासत तथा संस्कृति का भंडार एवं वाहक है।
- इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है-
  - असंगठित क्षेत्र छोटे पैमाने का है जो पारंपरिक उपकरणों और विधियों का उपयोग करता है। इसमें हथकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशम उत्पादन शामिल हैं।
  - संगठित क्षेत्र आधुनिक मशीनरी और तकनीकों का उपयोग करता है तथा इसमें कताई, परिधान एवं वस्त्र शामिल हैं।

वस्त्र उद्योग का महत्त्व:

- यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन का 7%, भारत की निर्यात आय में 12% और कुल रोज़गार में 21% से अधिक का योगदान देता है।
- भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों (Technical Textile) का छठा (विश्व में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक) बड़ा उत्पादक देश है।
  - तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक कपड़े होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं।
- भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है जिसकी विश्व में हाथ से बुने हुए कपड़े के मामले में 95% हिस्सेदारी है।

भारतीय वस्त्र उद्योग की चुनौतियाँ

- अत्यधिक खंडित: भारतीय वस्त्र उद्योग अत्यधिक खंडित है और इसमें मुख्य तौर पर असंगठित क्षेत्र तथा छोटे एवं मध्यम उद्योगों का प्रभुत्व देखने को मिलता है।
- पुरानी तकनीक: भारतीय वस्त्र उद्योग के समक्ष नवीनतम तकनीक तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है (विशेषकर लघु उद्योगों में) और ऐसी स्थिति में यह अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार में वैश्विक मानकों को पूरा करने में विफल रहा है।
- कर संरचना संबंधी मुद्दे: कर संरचना जैसे- वस्तु एवं सेवा कर (GST) घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में वस्त्र उद्योग को महँगा एवं अप्रतिस्पर्द्धी बनाती है।
- स्थिर निर्यात: इस क्षेत्र का निर्यात स्थिर है और पिछले छह वर्षों से 40 अरब डॉलर के स्तर पर बना हुआ है।
- व्यापकता का अभाव: भारत में परिधान इकाइयों का औसत आकार 100 मशीनों का है जो बांग्लादेश की तुलना में बहुत कम है, जहाँ प्रति कारखाना औसतन कम-से-कम 500 मशीनें हैं।

नोट :

- विदेशी निवेश की कमी: ऊपर दी गई चुनौतियों के कारण विदेशी निवेशक वस्त्र उद्योग में निवेश करने के बारे में बहुत उत्साहित नहीं हैं जो कि एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है।
  - यद्यपि इस क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों के दौरान निवेश में तेज़ी देखी गई है, किंतु उद्योग ने अप्रैल 2000 से दिसंबर 2019 तक केवल 3.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया है।

प्रमुख पहल:

- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Amended Technology Upgradation Fund Scheme- ATUFS): वर्ष 2015 में सरकार ने कपड़ा उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ATUFS) को मंज़ूरी दी।
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Parks- SITP): यह योजना कपड़ा इकाइयों की स्थापना के लिये विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करती है।।
- समर्थ (कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना): कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिये वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु समर्थ योजना (SAMARTH Scheme) की शुरुआत की गई।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्द्धन योजना (North East Region Textile Promotion Scheme- NERTPS): यह कपड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों को बुनियादी ढाँचा, क्षमता निर्माण और विपणन सहायता प्रदान करके NER में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है।
- पावर-टेक्स इंडिया: इसमें पावरलूम टेक्सटाइल में नए अनुसंधान और विकास, नए बाज़ार, ब्रांडिंग, सब्सिडी और श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ शामिल हैं।
- रेशम समग्र योजना: यह योजना घरेलू रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि आयातित रेशम पर देश की निर्भरता कम हो सके।
- जूट आईकेयर: वर्ष 2015 में शुरू की गई इस पायलट परियोजना का उद्देश्य जूट की खेती करने वालों को रियायती दरों पर प्रमाणित बीज प्रदान करना और पानी सीमित परिस्थितियों में कई नई विकसित रेटिंग प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है।
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन: इसका उद्देश्य देश को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थान देना और घरेलू बाज़ार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक घरेलू बाज़ार का आकार 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है।

आगे की राह:

- वस्त्र क्षेत्र में काफी संभावनाएँ हैं और इसे नवाचारों, नवीनतम प्रौद्योगिकी और सुविधाओं का उपयोग करके महसूस किया जाना चाहिये।
- भारत वस्त्र उद्योग के लिये मेगा अपैरल पार्क और साझा बुनियादी ढाँचे की स्थापना करके इस क्षेत्र को संगठित कर सकता है। अप्रचलित मशीनरी और प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- भारत को वस्त्र क्षेत्र के विकास हेतु एक व्यापक खाका तैयार करने की ज़रूरत है। इसके एक बार तैयार हो जाने के बाद देश को इसे हासिल करने के लिये मिशन मोड में कार्य करने की ज़रूरत होगी।

किसान सारथी' मंच

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' (ICAR) ने अपना 93वाँ स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर 'किसान सारथी' मंच का शुभारंभ किया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

- यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 'कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग' (DARE) के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

नोट :

- इसकी स्थापना जुलाई 1929 में हुई थी और इसे पूर्व में 'इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च' के नाम से जाना जाता था।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिये शीर्ष निकाय है।

प्रमुख बिंदु

किसान सारथी' मंच:

- इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है।
- यह किसानों को उनकी वांछित भाषा में 'सही समय पर सही जानकारी' प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- यह किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) के वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष तौर कृषि और संबद्ध विषयों पर वार्ता करने एवं व्यक्तिगत सलाह लेने में मदद करेगा।
  - किसान इसका उपयोग कर खेती के नए तरीके भी सीख सकते हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र:

- यह भारत में एक कृषि विस्तार केंद्र है। ये केंद्र आमतौर पर एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े ICAR और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं तथा व्यावहारिक कृषि अनुसंधान को लागू करने का लक्ष्य रखते हैं।
- यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (National Agricultural Research System- NARS) का अभिन्न अंग है।
  - पहला KVK वर्ष 1974 में पुदुचेरी में स्थापित किया गया था।
- KVK का अधिदेश इसके अनुप्रयोग और क्षमता विकास के लिये प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा प्रदर्शन है।
- KVK भी गुणवत्तापूर्ण तकनीकी उत्पादों जैसे- बीज, रोपण सामग्री, पशुधन आदि का उत्पादन करते हैं और इसे किसानों को उपलब्ध कराते हैं।
- KVK योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है और कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों तथा कृषि में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGO) द्वारा स्वीकृत हैं।
- KVK प्रयोगशालाओं और खेत के बीच एक सेतु का काम करते हैं। सरकार के अनुसार, ये वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

अन्य संबंधित पहलें:

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- पीएम किसान संपदा योजना
- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

विदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क कंपनियों पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने तीन विदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क फर्मों- मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब को भारत में डेटा संग्रहण करने के मुद्दे पर नए ग्राहक बनाने से रोक दिया है।

- RBI के इस निर्णय से एक्सिस बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक सहित निजी क्षेत्र के पाँच बैंक प्रभावित होंगे।
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में 'डेटा स्थानीयकरण' से संबंधित प्रावधान भी हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

डेटा संग्रहण पर RBI का परिपत्र- अप्रैल 2018:

- सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को यह सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया था कि भारत में छह महीने के भीतर उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डेटा (पूरा लेन-देन विवरण, एकत्रित या संसाधित किया गया संदेश या भुगतान निर्देश के हिस्से के रूप में संपूर्ण डेटा) को एक तंत्र में संग्रहीत किया जाए।
- उन्हें RBI को अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही 'कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम - इंडिया' (सीईआरटी-आईएन) पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट' प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है।

भुगतान फर्मों द्वारा किये गए गैर-अनुपालन का कारण:

- उच्च लागत:
  - वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसी भुगतान कंपनियाँ जो वर्तमान में देश के बाहर भारतीय लेन-देन संबंधी डेटा का भंडारण और उसे संसाधित करती हैं, ने कहा है कि उनके सिस्टम केंद्रीकृत हैं और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि डेटा स्टोरेज़ को भारत में स्थानांतरित करने के लिये उन्हें लाखों डॉलर खर्च करने होंगे।
- अन्य देशों में स्थानीयकरण की मांग:
  - एक बार जब यह व्यवस्था भारत में लागू हो जाती है, तो अन्य देशों से भी इसी प्रकार की मांग की जा सकती है, जिससे उनकी योजनाएँ बाधित होंगी।
- स्पष्टता का अभाव
  - यद्यपि वित्त मंत्रालय ने डेटा स्थानांतरित करने में मानदंडों में कुछ ढील देने का सुझाव दिया था, किंतु रिज़र्व बैंक ने यह कहते हुए बदलाव करने से इनकार कर दिया कि डिजिटल लेन-देन के बढ़ते उपयोग के मद्देनज़र भुगतान प्रणालियों की निगरानी की जानी आवश्यक है।

रिज़र्व बैंक के इस कदम का महत्त्व

- संस्थाओं को नए ग्राहकों को शामिल करने से प्रतिबंधित किये जाने का रिज़र्व बैंक का निर्णय यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण होगा कि सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटर केवल भारत में अपने एंड-टू-एंड लेन-देन डेटा को स्टोर या स्थानीयकृत करें।
- इस तरह के कदम का प्राथमिक उद्देश्य प्रभावी कानून प्रवर्तन आवश्यकताओं को पूरा करना है क्योंकि कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिये डेटा एक्सेस सदैव एक चुनौती रही है।

भुगतान फर्मों का विनियमन:

- मास्टरकार्ड, वीज़ा और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) जैसी फर्में 'भुगतान एवं निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007' के तहत भारत में कार्ड नेटवर्क संचालित करने हेतु अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर हैं।
- अधिनियम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिये नामित प्राधिकरण है। रिज़र्व बैंक की भुगतान प्रणाली भुगतानकर्त्ता एवं लाभार्थी के बीच भुगतान को सक्षम बनाती है तथा इसमें समाशोधन, भुगतान या निपटान या वे सभी प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं।
  - इसमें पेपर-आधारित यथा- चेक, डिमांड ड्राफ्ट और डिजिटल जैसे- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT), भीम एप, सेटलमेंट सिस्टम दोनों शामिल हैं।
- रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंक संस्थाओं जैसे- प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारीकर्त्ता, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म आदि को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का सदस्य बनने और 'रियल टाइम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट' (RTGS) तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देने का फैसला किया है।

आगे की राह

- सभी संस्थाओं के लिये आरबीआई के स्थानीयकरण जनादेश का पालन करना आवश्यक है। साथ ही यह सच है कि कठिन स्थानीयकरण भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है।

नोट :

- भारत को कानून प्रवर्तन के लिये एक अधिक प्रभावी तंत्र हेतु म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (Mutual Legal Assistance Treaty) से आगे बढ़कर यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ डेटा ट्रांसफर हेतु द्विपक्षीय संधियों पर आधारित प्रणाली को अपनाने की ज़रूरत है।
- यह सुनिश्चित करने पर विचार किया जाना चाहिये कि डेटा तक पहुँच भारतीय कानून प्रवर्तन आवश्यकताओं के अनुसार समय पर पूरा हो, साथ ही तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिये डेटा प्रवाह की अनुमति दी जाए।

ड्रैगन फ्रूट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को महाराष्ट्र के एक किसान द्वारा उत्पादित ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) की अपनी पहली खेप का निर्यात किया।

प्रमुख बिंदु:

ड्रैगन फ्रूट के बारे में:

- ड्रैगन फ्रूट (Hylocereus Undatus) अमेरिका का एक स्थानीय/देशज फल है। यह कैक्टेशिया फेमली (Cactaceae Family) का सदस्य है।
- विश्व में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे- 'पिटाया' (Pitaya), 'पिठाया' (Pitahaya), स्ट्रॉबेरी नाशपाती (Strawberry Pear) और रात की रानी (Queen Of The Night)। भारत में इसे 'कमलम' (Kamalam) के नाम से भी जाना जाता है।

जलवायु स्थिति:

- यह कठोर होता है तथा विभिन्न प्रकार की मृदाओं में विविध जलवायु परिस्थितियों में बढ़ता है, खासकर भारत के अर्द्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में।
- मृदा में थोड़ी अम्लीयता की मात्रा ड्रैगन फ्रूट के बढ़ने हेतु बेहतर होती है तथा यह मृदा में कुछ लवणों को भी सहन करने में सक्षम है।
- भारत में ड्रैगन फ्रूट मानसूनी मौसम (जून से नवंबर) तैयार होता है।

विशेषताएँ:

- इसके फूल की प्रकृति उभयलिंगी (नर और मादा अंग एक ही फूल में) होती है और इसके फूल रात के समय में ही खिलते हैं।
- इसका पौधा 20 से अधिक वर्षों तक फल देने में सक्षम होता है, जो उच्च न्यूट्रास्युटिकल गुणों (औषधीय प्रभाव वाले) से युक्त होता है, साथ ही यह मूल्य वर्द्धित प्रसंस्करण उद्योगों (Value-Added Processing Industries) हेतु भी महत्त्वपूर्ण है।
- यह विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है।

भारत में लोकप्रियता:

- 1990 के दशक में ड्रैगन फ्रूट को भारत के घरेलू बगीचों में उगाया जाने लगा था।
- ड्रैगन फ्रूट्स के कम रखरखाव और उच्च लाभप्रदता ने पूरे भारत में कृषक समुदाय को आकर्षित किया है।
- इससे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के साथ-साथ कई उत्तर-पूर्वी राज्यों में ड्रैगन फ्रूट की खेती में भारी वृद्धि हुई है।
- देश में हर वर्ष लगभग 12,000 टन फलों का उत्पादन होता है।

संबंधित मुद्दे:

- उच्च निवेश: ड्रैगन फ्रूट का पौधा लताओं वाला होता है, जिसे बढ़ने के लिये किसी सहारे की आवश्यकता होती है और इसलिये किसानों को इसकी खेती में बुनियादी ढाँचे के निर्माण में प्रति एकड़ लगभग 3.5 लाख रुपए का निवेश करने की आवश्यकता होती है।
  - इसमें ड्रिप सिंचाई (Drip Irrigation) के लिये आवश्यक पूँजी शुरुआती निवेश है।

नोट :

- फूल आने में समस्याएँ: सामान्यत: इसके लिये अर्द्र-शुष्क और शुष्क इलाकों में सूर्यताप एक आम कारण है, जिसे मोरिंगा, सेसबानिया जैसे पेड़ लगाकर या कृत्रिम छाया जाल लगाकर रोका जा सकता है।

सरकार की पहल:

- महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री और इसकी खेती के लिये सब्सिडी प्रदान करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने की पहल की है।
- MIDH फल, सब्जी, जड़ एवं कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको, बाँस आदि बागवानी क्षेत्र की फसलों के समग्र विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  - MIDH योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014-15 से लगातार कार्यान्वित कर रहा है।

एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट

चर्चा में क्यों ?

'भारत में मौद्रिक संचरण' पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR - रेपो दर की तरह) से जुड़े बकाया ऋणों की हिस्सेदारी सितंबर 2019 के दौरान 2.4% से बढ़कर मार्च 2021 के दौरान 28.5% हो गई।

- EBLR से जुड़े ऋण में यह वृद्धि मौद्रिक नीति संचरण में महत्त्वपूर्ण सुधार में योगदान करेगी।
- हालाँकि अभी भी बकाया ऋणों का 71.5% इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (IBLR- जैसे आधार दर और MCLR) से जुड़े ऋण हैं, जो मौद्रिक नीति संचरण को प्रभावित करते हैं।

नोट:

- मौद्रिक नीति का संचरण: मौद्रिक नीति के संचरण से तात्पर्य है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नीति दर में किये गए परिवर्तन आर्थिक गतिविधि (जैसे ऋण) तथा मुद्रास्फीति के माध्यम से कैसे संचालित होते हैं।
- रेपो दर: इसे बेंचमार्क ब्याज दर के रूप में भी जाना जाता है तथा यह वह दर है जिस पर RBI अल्पावधि के लिये बैंकों को ऋण देता है। यहाँ केंद्रीय बैंक प्रभूतियाँ खरीदता है।

प्रमुख बिंदु

इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (IBLR):

- इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (IBLR) संदर्भित ऋण दरों का एक समूह है, जिसकी गणना बैंक के वर्तमान वित्तीय अवलोकन, जमा और गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) आदि जैसे कारकों पर विचार करने के बाद की जाती है। BPLR, आधार दर, MCLR इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट के उदाहरण हैं।
- बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR):
  - BPLR का उपयोग बैंकों द्वारा जून 2010 तक ऋण देने के लिये बेंचमार्क दर के रूप में किया जाता था।
  - इसके तहत बैंक ऋणों की दर फंड की वास्तविक लागत पर तय की गई थी।
  - हालाँकि BPLR को बदल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह एक अपारदर्शी प्रणाली बन गई। थोक ऋण (कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण) का अनुबंध उप-बीपीएल दरों पर किया गया था और इसमें सभी बैंक ऋण का लगभग 70% शामिल था।
  - इस प्रणाली के तहत बैंक खुदरा, छोटे एवं मध्यम उद्योग के ग्राहकों से उच्च ब्याज दर वसूल कर कॉर्पोरेट ऋणों को सब्सिडी दे रहे थे।
- आधार दर:
  - जून 2010 से अप्रैल 2016 के बीच बैंकों से लिया गया ऋण आधार दर (Base Rate) पर दिया जाता था।
  - इस अवधि के दौरान आधार दर न्यूनतम ब्याज दर थी जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को ऋण दे सकते थे।
  - आधार दर की गणना तीन मापदंडों पर की जाती है - धन की लागत, संसाधनों की असंबद्ध लागत और निवल मूल्य पर वापसी।

नोट :

- इसलिये दर अलग-अलग बैंकों पर निर्भर करती थी और जब भी उनके फंड की लागत तथा अन्य मापदंडों में बदलाव होता था, वे इसमें परिवर्तन करते थे।

- ऋण दर की सीमांत लागत (MCLR):
  - यह अप्रैल 2016 में प्रभावी हुआ। यह फ्लोटिंग-रेट ऋणों के लिये एक बेंचमार्क ऋण दर है। यह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार दे सकते हैं।
  - यह दर चार घटकों- धन की सीमांत लागत (Marginal Cost Of Funds), नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio), परिचालन लागत (Operating Costs) और परिपक्वता अवधि (Tenor Premium) पर आधारित है।
  - MCLR वास्तविक जमा दरों से जुड़ा हुआ है। इसलिये जब जमा दरों में वृद्धि होती है, तो यह इंगित करता है कि बैंकों की ब्याज दर बढ़ने की संभावना है।

IBLR से जुड़े ऋणों से संबंधित मुद्दे:

- IBLR व्यवस्था के साथ समस्या यह थी कि जब RBI ने रेपो और रिवर्स रेपो दरों में कटौती की तो बैंकों ने उधारकर्त्ताओं को पूरा लाभ नहीं दिया।
- IBLR लिंक्ड लोन के ब्याज दर में बैंक के प्रसार, उनके वर्तमान वित्तीय अवलोकन, जमा एवं गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) आदि सहित कई वेरिएबल होते हैं।
  - इसके कारण इस तरह के आंतरिक बेंचमार्क ने RBI रेपो दर नीति में बदलाव के अनुसार ब्याज दरों में तेज़ी से बदलाव की सुविधा के लिये कुछ कार्य किये हैं।
  - आंतरिक बेंचमार्क व्यवस्था के तहत ब्याज दर निर्धारण प्रक्रियाओं में अस्पष्टता उधार दरों के संचरण में बाधा उत्पन्न करती है।

EBLR और इसके लाभ:

परिचय:

- पूर्ण पारदर्शिता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिये RBI ने बैंकों को 1 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी ऋण श्रेणी के भीतर एक समान बाहरी बेंचमार्क अपनाने का आदेश दिया।
- MCLR के विपरीत प्रत्येक बैंक के लिये आंतरिक प्रणाली थी, RBI ने बैंकों को 4 बाहरी बेंचमार्किंग तंत्रों में से चुनने का विकल्प दिया है:
  - RBI रेपो रेट
  - 91 दिवसीय टी-बिल यील्ड
  - 182 दिवसीय टी-बिल यील्ड
  - वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित कोई अन्य बेंचमार्क बाज़ार ब्याज दर।
    - T-Bill या ट्रेज़री बिल भारत सरकार द्वारा बाद की तारीख में गारंटीकृत पुनर्भुगतान के साथ एक वचन पत्र के रूप में जारी किये गए मुद्रा बाज़ार के साधन हैं।
    - वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2 जुलाई, 2015 को एक स्वतंत्र बेंचमार्क प्रशासक के रूप में मान्यता दी गई थी।

लाभ:

- बैंक, बाहरी बेंचमार्क पर विस्तार तय करने के लिये स्वतंत्र हैं।
  - हालाँकि ब्याज दर को हर तीन महीने में कम-से-कम एक बार बाहरी बेंचमार्क के अनुसार रीसेट किया जाना चाहिये।
- बाहरी प्रणाली होने के नाते अर्थात् कोई भी नीतिगत दर में कटौती का प्रभाव उधारकर्त्ताओं पर तेज़ी से पड़ेगा।
- बाहरी बेंचमार्किंग को अपनाने से ब्याज दरें पारदर्शी होंगी।
  - उधारकर्त्ता को निश्चित ब्याज दर पर प्रत्येक बैंक के लिये प्रसार या लाभ मार्जिन का भी पता चल जाएगा, जिससे ऋण की तुलना आसान और अधिक पारदर्शी हो जाएगी।

नोट :

आगे की राह:

- छोटी बचत योजनाओं और ऋण म्यूचुअल फंड योजनाओं जैसे प्रतिस्पर्द्धी बचत साधनों द्वारा दी जाने वाली उच्च ब्याज दरों ने विशेष रूप से ईजिंग साइकिल (Easing Cycle) के दौरान संचरण को बाधित किया है।
- इस प्रकार सरकार को दीर्घावधि में राजकोषीय नीति को मौद्रिक नीति के साथ सिंक्रनाइज़ करना चाहिये।

आईबीबीआई विनियम 2016 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (The Insolvency and Bankruptcy Board of India-IBBI) ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉरपोरेट्स के लिये दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन किया है।

- संशोधनों का उद्देश्य कॉरपोरेट्स के लिये दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।
- मार्च 2021 में इनसॉल्वेंसी लॉ कमेटी (ILC) की एक उपसमिति द्वारा 'दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड' (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016 के मूल ढाँचे के भीतर प्री-पैक ढाँचे (Pre-Pack Framework) की सिफारिश की गई है।

प्रमुख बिंदु

पूर्व नाम और पता का खुलासा:

- इस संशोधन के तहत कॉरपोरेट्स के लिये दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) का संचालन करने वाले दिवाला पेशेवर (IP) के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कॉर्पोरेट देनदार (CD) के वर्तमान नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से दो वर्ष पूर्व तक की अवधि में उसके नाम अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते में हुए बदलावों का खुलासा करे और सभी संचार एवं रिकॉर्ड में उसका उल्लेख करे ।
  - CIRP में कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिये आवश्यक कदम शामिल हैं जैसे- ऑपरेशन के लिये नए फंड जुटाना, कंपनी को बेचने हेतु एक नए खरीदार की तलाश करना आदि।
  - सीडी, कॉर्पोरेट संगठन के किसी भी व्यक्ति को कर्ज दे सकता है।
- कॉरपोरेट देनदार (CD) दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपना नाम अथवा पंजीकृत कार्यालय का पता बदल सकता है। ऐसे मामलों में हितधारकों को नए नाम या पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो सकती है। परिणामस्वरूप वे CIRP में भाग लेने में विफल हो सकते हैं।

पेशेवरों की नियुक्ति:

- संशोधन में प्रावधान है कि अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) या समाधान पेशेवर (RP) पंजीकृत मूल्यांकनकर्त्ताओं के अलावा किसी पेशेवर को नियुक्त कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसे पेशेवर की सेवाओं की आवश्यकता है और CD के पास ऐसी सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
- ऐसी नियुक्तियाँ एक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष आधार पर की जाएंगी।

लेन-देन से बचना:

- RP यह पता लगाने के लिये बाध्य है कि क्या CD लेन-देन के अधीन है, अर्थात् तरजीही लेन-देन, कम मूल्य वाले लेन-देन, ज़बरन क्रेडिट लेन-देन, धोखाधड़ी व्यापार, गलत व्यापार से उचित राहत की मांग करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास आवेदन दायर कर सकते हैं।

महत्त्व:

- यह हितधारकों को अपने पुराने मूल्य को वापस पाने की अनुमति देगा और हितधारकों को इस तरह के लेन-देन करने से हतोत्साहित करेगा।

दिवाला: यह एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति या कंपनियाँ अपना बकाया कर्ज़ चुकाने में असमर्थ होती हैं।

नोट :

दिवालियापन: यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत ने किसी व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया है, इस समस्या को हल करने और लेनदारों के अधिकारों की रक्षा के लिये उचित आदेश पारित कर दिया जाता है। यह कर्ज चुकाने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

अधिनियमन:

- IBC को वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था।
- इसका उद्देश्य विफल व्यवसायों की समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज़ करना है।

उद्देश्य:

- इसके अलावा दिवाला समाधान के लिये सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों हेतु एक साझा मंच बनाने के लिये मौजूदा विधायी ढाँचे के प्रावधानों को समेकित करना।
- यह निर्धारित करता है कि एक तनावग्रस्त कंपनी की समाधान प्रक्रिया को अधिकतम 270 दिनों में पूरा करना होगा।

दिवाला समाधान की सुविधा के लिये संस्थान:

- दिवाला पेशेवर:
  - ये पेशेवर समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं, देनदार की संपत्ति के प्रबंधन और लेनदारों को निर्णय लेने में सहायता करने के लिये जानकारी प्रदान करते हैं।
- दिवाला व्यावसायिक एजेंसियाँ :
  - ये एजेंसियाँ दिवाला पेशेवरों को प्रमाणित करने और उनके प्रदर्शन के लिये आचार संहिता लागू करने हेतु परीक्षा आयोजित करती हैं।
- सूचना उपयोगिताएँ:
  - लेनदारों को देनदार द्वारा दिये गए ऋण की वित्तीय जानकारी की रिपोर्ट करनी होगी। इस तरह की जानकारी में ऋण, देनदारियों और चूक के रिकॉर्ड शामिल होंगे।
- निर्णायक प्राधिकारी:
  - कंपनियों के लिये समाधान प्रक्रिया की कार्यवाही राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा और व्यक्तिगत समाधान प्रक्रिया की कार्यवाही ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) द्वारा की जाती है।
  - अधिकारियों के कर्तव्यों में समाधान प्रक्रिया शुरू करने, दिवाला पेशेवर नियुक्त करने और लेनदारों के अंतिम निर्णय को मंज़ूरी देना शामिल होगा।
- दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड:
  - यह बोर्ड संहिता के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख स्तंभ है।
  - यह संहिता के अंतर्गत स्थापित दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं को नियंत्रित करता है।
  - इस बोर्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त, कॉर्पोरेट मामलों एवं कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

दिवाला समाधान प्रक्रिया

- इसे फर्म के किसी भी हितधारक (देनदार/लेनदार/कर्मचारी) द्वारा शुरू किया जा सकता है। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी स्वीकार करता है, तो एक आईपी नियुक्त किया जाता है।
- फर्म के प्रबंधन और बोर्ड की शक्ति लेनदारों की समिति (Committee of Creditor) को हस्तांतरित कर दी जाती है। वह आईपी के माध्यम से कार्य करती है।
- आईपी को यह तय करना होता है कि कंपनी को पुनर्जीवित (दिवालियापन समाधान) करना है या समाप्त (परिसमापन) करना है।
- यदि वे यदि पुनर्जीवित करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें फर्म को खरीदने के लिये किसी को तैयार करना होगा।

नोट :

- लेनदारों को भी कर्ज़ में भारी कमी को स्वीकार करना होगा। कटौती को हेयरकट (Haircut) के रूप में जाना जाता है।
- वे फर्म को खरीदने के लिये इच्छुक पार्टियों से खुली बोलियाँ लगाने हेतु कहते हैं।
- वे सबसे अच्छी समाधान योजना वाली पार्टी चुनते हैं, जो कि फर्म के प्रबंधन को संभालने के लिये अधिकांश लेनदारों (सीओसी में 75%) द्वारा स्वीकार्य हो।

वाणिज्यिक जहाज़ों को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कार्गो के आयात के लिये मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन (Shipping) कंपनियों को सब्सिडी सहायता प्रदान करने की एक योजना को मंज़ूरी दी है।

- यह योजना पाँच वर्षों के दौरान 1624 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी।

प्रमुख बिंदु

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- यह योजना फ्लैगिंग (ध्वजांकन) में वृद्धि की परिकल्पना करती है तथा भारतीय जहाज़रानी क्षेत्र में निवेश के लिये भारतीय कार्गो तक पहुँच प्रदान करेगी।
  - फ्लैगिंग का तात्पर्य राष्ट्रीय पंजीकरण द्वारा एक पोत को शामिल करने की प्रक्रिया से है तथा "फ्लैगिंग आउट" राष्ट्रीय पंजीकरण के माध्यम से एक पोत को हटाने/अलग करने की प्रक्रिया है।
- सब्सिडी समर्थन एक विदेशी शिपिंग कंपनी द्वारा न्यूनतम बोली के 5% से 15% तक भिन्न होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि जहाज़ को 1 फरवरी, 2021 के बाद या उससे पहले ध्वजांकित/फ्लैगिंग किया गया था।
- हालाँकि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 20 वर्ष से अधिक पुराने जहाज़ इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

योजना का औचित्य:

- भारतीय नौवहन उद्योग का लघु आकार: 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट, महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय आयात-निर्यात (EXIM) व्यापार जो सालाना आधार पर लगातार बढ़ रहा है, वर्ष 1997 के बाद से पोत परिवहन में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की नीति के बावजूद भारतीय पोत परिवहन उद्योग और भारत का राष्ट्रीय बेड़ा अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में काफी छोटा है।
  - वर्तमान में भारतीय बेड़े की क्षमता के लिहाज से वैश्विक बेड़े में इसकी हिस्सेदारी मात्र 1.2% है।
  - भारत के 'आयत-निर्यात (एक्जिम) व्यापार' की ढुलाई में भारतीय जहाज़ों की हिस्सेदारी 1987-88 के 40. 7% से घटकर 2018-19 में लगभग 7.8% रह गई है।
- उच्च परिचालन लागतों की भरपाई: वर्तमान में भारतीय शिपिंग उद्योग अपेक्षाकृत अधिक परिचालन लागत वहन करता है, इसके प्रमुख कारकों में ऋण निधि की उच्च लागत, भारतीय नाविकों के वेतन पर कराधान, जहाज़ों के आयात पर IGST, जीएसटी में निर्बाध इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र आदि शामिल हैं।
  - इस संदर्भ में इन उच्च परिचालन लागतों का सब्सिडी सहायता के माध्यम से समर्थन किया जाएगा तथा यह भारत में वाणिज्यिक जहाज़ों को ध्वजांकित करने के लिये अधिक आकर्षित करेगा।
- विदेशी मुद्रा व्यय में वृद्धि: उच्च परिचालन लागत के कारण एक भारतीय चार्टरर (अथवा मालवाहक) के माध्यम से शिपिंग सेवाओं का आयात किसी स्थानीय शिपिंग कंपनी की सेवाओं को अनुबंधित करने की तुलना में सस्ता होता है।
  - परिणामस्वरूप विदेशी पोत परिवहन कंपनियों को किये जाने वाले 'माल ढुलाई बिल भुगतान' के मद में विदेशी मुद्रा व्यय में वृद्धि हुई है।

नोट :

योजना का महत्त्व:

- रोज़गार सृजन की क्षमता: भारतीय बेड़े में वृद्धि से भारतीय नाविकों को प्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा क्योंकि भारतीय जहाज़ों को केवल भारतीय नाविकों को नियुक्त करना आवश्यक होता है।
  - इसके अतिरिक्त नाविक बनने के इच्छुक कैडेट्स को जहाज़ों पर ऑन-बोर्ड प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है। भारतीय जहाज़, युवा भारतीय कैडेट लड़कों और लड़कियों को प्रशिक्षण के लिये स्लॉट उपलब्ध कराएंगे।
- सामरिक लाभ: भारतीय शिपिंग उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिये एक नीति भी आवश्यक है क्योंकि एक व्यापक राष्ट्रीय बेड़ा होने से भारत को आर्थिक वाणिज्यिक और सामरिक लाभ मिलेगा।
- आर्थिक लाभ: एक मज़बूत और विविध स्वदेशी शिपिंग बेड़े से न केवल विदेशी शिपिंग कंपनियों को किये जाने वाले माल ढुलाई बिल भुगतान में विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि महत्त्वपूर्ण कार्गो के परिवहन हेतु विदेशी जहाज़ों पर भारत की अत्यधिक निर्भरता भी कम होगी।
  - इस प्रकार यह आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ ही भारतीय जीडीपी में योगदान करने में मदद करेगा।

RBI की डिजिटल मुद्रा

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अपनी डिजिटल मुद्रा की शुरुआत के लिये चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है और निकट भविष्य में इसे थोक एवं खुदरा क्षेत्रों में लॉन्च करने की प्रक्रिया में है।

- वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने आरबीआई अधिनियम सहित कानूनी ढाँचे में बदलाव के साथ केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की सिफारिश की थी, जो वर्तमान में आरबीआई को बैंक नोट जारी करने के विनियमन का अधिकार देता है।

प्रमुख बिंदु

डिजिटल करेंसी:

- यह एक भुगतान विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है और मूर्त नहीं है।
- इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी तकनीक की मदद से संस्थाओं या उपयोगकर्त्ताओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है।
- यद्यपि यह भौतिक मुद्राओं के समान है, डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के सीमाहीन हस्तांतरण के साथ-साथ तात्कालिक लेनदेन की अनुमति देती है।
- डिजिटल करेंसी को डिजिटल मनी और साइबरकैश के नाम से भी जाना जाता है।
- जैसे-क्रिप्टोकरेंसी

आवश्यकता:

- कदाचार को संबोधित करना:
  - एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी के अराजक डिज़ाइन से उत्पन्न होती है, जिसमें उनका निर्माण एवं रखरखाव जनता के हाथों में होता है।
    - सरकारी पर्यवेक्षण और सीमा पार भुगतान में आसानी, कर चोरी, आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आदि जैसे कदाचारों के लिये असुरक्षित हैं।
    - डिजिटल मुद्रा को विनियमित करके केंद्रीय बैंक कदाचार पर रोक लगा सकता है
- परिवर्तनशीलता/अस्थिरता को संबोधित करना:
  - चूँकि क्रिप्टोकरेंसी किसी संपत्ति या मुद्रा से जुड़ी नहीं हैं, इसका मूल्य पूरी तरह से सट्टेबाज़ी (मांग और आपूर्ति) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

नोट :

- इसके कारण बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव आया है।
  - CBDCs को किसी भी संपत्ति जैसे- सोना या फिएट मुद्रा से क्रिप्टोकरेंसी में देखी जा रही अस्थिरता के अनुसार नहीं जोड़ा जाएगा।
- डिजिटल छद्म युद्ध:
  - भारत एक डिजिटल मुद्रा छद्म युद्ध के बवंडर में फंस सकता है क्योंकि अमेरिका और चीन नए जमाने के वित्तीय उत्पादों को पेश करके अन्य बाज़ारों में वर्चस्व हासिल करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।
    - वर्तमान में एक संप्रभु डिजिटल रुपया केवल वित्तीय नवाचार का मामला ही नहीं है बल्कि इसके माध्यम से होने वाले अपरिहार्य छद्म युद्ध को भी रोकने की आवश्यकता है जो हमारी राष्ट्रीय और वित्तीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है।
- डॉलर पर निर्भरता को कम करना:
  - डिजिटल रुपया भारत को अपने रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार के लिये एक बेहतर मुद्रा के रूप में प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी।
- निजी मुद्रा का आगमन:
  - यदि निजी मुद्राओं को मान्यता मिलती है, तो ये सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राओं के समक्ष जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं।

महत्त्व:

- यह बिना किसी इंटर-बैंक सेटलमेंट के वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगा।
- भारत का काफी उच्च मुद्रा-जीडीपी अनुपात सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडी) का एक और लाभ है, इससे काफी हद तक बड़े नकदी उपयोग (सीबीडीसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा कागज़ी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- यह निजी आभासी मुद्राओं के उपयोग से जनता को होने वाले नुकसान को भी कम करेगा।

मुद्दे:

- आरबीआई की जाँच के अंतर्गत कुछ प्रमुख मुद्दों में सीबीडीसी का दायरा, अंतर्निहित तकनीक, सत्यापन तंत्र आदि शामिल हैं।
- साथ ही कानूनी परिवर्तन आवश्यक होंगे क्योंकि वर्तमान प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (Reserve Bank of India Act) के अंतर्गत भौतिक रूप में मुद्रा को ध्यान में रखते हुए किये गए हैं।
- सिक्का अधिनियम (Coinage Act), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) में भी संशोधन की आवश्यकता होगी।
- तनाव के अंतर्गत बैंक से पैसे की अचानक निकासी चिंता का एक और मुद्दा है।

हाल में हुए परिवर्तन:

- मध्य अमेरिका का एक छोटा-सा तटीय देश अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
- ब्रिटेन भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Britcoin) बनाने की संभावना तलाश रहा है।
- चीन ने वर्ष 2020 में अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू किया जिसे अनौपचारिक रूप से "डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, डीसी/ईपी" (Digital Currency Electronic Payment, DC/EP) कहा जाता है।
- अप्रैल 2018 में धोखाधड़ी के लिये डिजिटल मुद्राओं का उपयोग किये जाने के बाद आरबीआई ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिये क्रिप्टो में लेन-देन को प्रतिबंधित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2020 में प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया।

आगे की राह

- डिजिटल मुद्रा का निर्माण भारत को अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और हमारी लगातार बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने तथा पुरानी बैंकिंग प्रणाली से मुक्त होने में सक्षम बनाने का अवसर प्रदान करेगा।

नोट :

- मैक्रोइकॉनमी, तरलता, बैंकिंग सिस्टम एवं मुद्रा बाज़ारों पर इसके प्रभाव को देखते हुए नीति निर्माताओं के लिये भारत में डिजिटल मुद्रा की संभावनाओं पर विचार करना अनिवार्य हो गया है।

भारत में निवेश संवर्द्धन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने '2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स: इंडिया' (2021 Investment Climate Statements: India) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में आर्थिक मंदी और कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा किये गए संरचनात्मक आर्थिक सुधारों की सराहना की गई है।

- हालाँकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत व्यापार करने के लिये एक चुनौतीपूर्ण स्थान बना हुआ है।
- इससे पहले यूके इंडिया बिज़नेस काउंसिल (UKIBC) ने ज़ोर देकर कहा था कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत कुछ सुधारों के परिणाम यूके और सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये नकारात्मक हो सकते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- निजीकरण: फरवरी 2021 में भारत सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी निजीकरण कार्यक्रम के माध्यम से 2.4 बिलियन डॉलर जुटाने की योजना की घोषणा की, जो अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को नाटकीय रूप से कम कर देगी।
- हाल के आर्थिक सुधार:
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) उदारीकरण: अगस्त 2019 में सरकार ने उदारीकरण उपायों के एक नए पैकेज की घोषणा की और कोयला खनन तथा अनुबंध निर्माण सहित कई क्षेत्रों को स्वचालित मार्ग के तहत लाया गया।
  - मार्च 2021 में संसद ने भारत के बीमा क्षेत्र को और उदार बनाया तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान: कोविड-19 से संबंधित आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया।
  - इस कार्यक्रम में व्यापक सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रमों तथा बुनियादी ढाँचे एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि की परिकल्पना की गई है।
  - इसके अलावा इसका उद्देश्य वैश्विक बाज़ार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिये सुरक्षा अनुपालन और सामानों की गुणवत्ता में सुधार करते हुए प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित कर आयात निर्भरता को कम करना है।
- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना: सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों को भी अपनाया।
- इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड: वर्ष 2016 में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की शुरुआत और कार्यान्वयन ने इनसॉल्वेंसी संबंधित मौजूदा ढाँचे को बदल दिया तथा अधिक आवश्यक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।
  - पिछले तीन वर्षों में जिन क्षेत्रों में भारत ने विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में सबसे अधिक सुधार किया है, वह रिज़ॉल्विंग इन्सॉल्वेंसी मेट्रिक के तहत रहा है।
- मध्यस्थता के वैश्विक मानकों का मिलान: भारत सरकार ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारित किया।
  - अधिनियम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिये प्रावधान तथा सुलह की कार्यवाही संचालित करने हेतु कानून को परिभाषित किया गया है।
- सॉवरेन वेल्थ फंड: वर्ष 2016 में भारत सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड (NIIF) की स्थापना की, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिये भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड माना जाता है।
  - सरकार ने फंड में 3 अरब डॉलर का योगदान देने पर सहमति जताई, जबकि अतिरिक्त 3 अरब डॉलर निजी क्षेत्र से जुटाए जाएंगे।

नोट :

- श्रम संहिता: बजट 2021 में सरकार ने घोषणा की कि 1 अप्रैल, 2021 से भारत में चार श्रम संहिताओं को लागू किया जाएगा।
  - इन श्रम संहिताओं में देश के पुरातन श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रमिकों के लाभों से समझौता किये बिना आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की परिकल्पना की गई है।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार के लिये अन्य उपाय:
  - इन्वेस्ट इंडिया : यह आधिकारिक निवेश संवर्द्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है, जो निवेशकों के साथ उनके निवेश जीवनचक्र के माध्यम से बाज़ार प्रवेश रणनीतियों, उद्योग विश्लेषण, भागीदारी खोज और आवश्यकता के अनुसार नीति की वकालत करने के साथ-साथ सहायता प्रदान करने के लिये काम करती है।
  - प्रगति पहल: विशेष रूप से प्रमुख परियोजनाओं के मामले में अनुमोदन प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने सक्रिय शासन और सामयिक कार्यान्वयन (PRAGATI - Pro-Active Governance and Timely Implementation) पहल शुरू की।
    - यह सरकार की अनुमोदन प्रक्रिया को गति देने के लिये एक डिजिटल, बहु-उद्देश्यीय मंच है।

विदेशी निवेशकों के लिये चिंतनीय आर्थिक नीतियाँ:

- विवादास्पद निर्णय: हाल ही में सरकार ने दो विवादास्पद निर्णय लिये अर्थात् जम्मू और कश्मीर राज्य (J&K) से विशेष संवैधानिक दर्जा हटाना तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 पारित करना।
  - हालाँकि भारत का कहना है कि CAA और अनुच्छेद 370 को समाप्त करना उसका आंतरिक मामला था तथा "किसी भी विदेशी पार्टी को भारत की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को उठाने का कोई अधिकार नहीं है।"
- नए संरक्षणवादी उपाय: अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों ने विदेशी पूंजी के साथ-साथ प्रबंधन और नियंत्रण प्रतिबंधों के लिये इक्विटी सीमाएँ बरकरार रखी हैं, जो निवेश को अवरुद्ध करते हैं।
  - उदाहरण : वर्ष 2016 में भारत ने घरेलू एयरलाइनों में 100% तक एफडीआई की अनुमति दी थी, लेकिन पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण (SOEC) नियमों का मुद्दा, जो कि भारतीय नागरिकों द्वारा बहुमत नियंत्रण को अनिवार्य करता है, को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है।
- द्विपक्षीय निवेश समझौते और कराधान संधियाँ : भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही में निवेश परिस्थितियों के अनुकूल निर्णयों के पश्चात् दिसंबर 2015 में एक नए मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty-BIT) को अपनाया।
  - नया मॉडल बीआईटी विदेशी निवेशकों को निवेशक-राज्य विवाद निपटान विधियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है और इसके बजाय विदेशी निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में भाग लेने से पूर्व सभी स्थानीय न्यायिक एवं प्रशासनिक उपायों को समाप्त करने की आवश्यकता होती है।
- खरीद नियम शामिल हैं जो प्रतिस्पर्द्धी विकल्पों को सीमित करते हैं: सरकारी खरीद के लिये प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस (PMA) ने भारत में कार्यरत विदेशी फर्मों के लिये काफी चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।
  - राज्य के स्वामित्व वाले "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम" और सरकार द्वारा 50% से अधिक स्थानीय सामग्री का उपयोग करने वाले विक्रेताओं को 20% मूल्य वरीयता दी जाती है।
- बौद्धिक संपदा अधिकार: कमज़ोर बौद्धिक संपदा (IP) के संरक्षण और प्रवर्तन को लेकर चिंताओं के कारण भारत को वर्ष 2020 की स्पेशल 301 नामक रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची (PWL) में रखा गया।
- भ्रष्टाचार: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI) 2020 में भारत 40 अंकों के साथ 180 देशों में 86वें स्थान पर है।
- अन्य मुद्दे: ऐसे अन्य मुद्दे हैं जो द्विपक्षीय व्यापार में विस्तार को प्रतिबंधित करते हैं जैसे- स्वच्छता और पादप स्वच्छता (Phytosanitary) मानक एवं भारतीय-विशिष्ट मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

आगे की राह

- भारत सरकार को निवेश और व्यवसायों के लिये नौकरशाही बाधाओं को कम करके एक आकर्षक एवं विश्वसनीय निवेश वातावरण को बढ़ावा देना चाहिये।
- भारत और अन्य देशों की सरकारों को मानकों, व्यापार सुविधा, प्रतिस्पर्द्धी एवं डंपिंग रोधी जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिये।

नोट :

स्पेशलिटी स्टील हेतु पीएलआई योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से पाँच वर्षों की अवधि में 6,322 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ स्पेशलिटी स्टील (SS) के निर्माण हेतु उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) को मंज़ूरी दी है।

स्पेशलिटी स्टील:

- यह मूल्यवर्द्धित स्टील है, जो सामान्य रूप से तैयार स्टील को संसाधित करके बनाया जाता है।
- इसे सामान्य रूप से तैयार स्टील को कोटिंग, प्लेटिंग और हीट ट्रीटिंग के माध्यम से उच्च मूल्यवर्द्धित स्टील में परिवर्तित करके निर्मित किया जाता है।
- ऑटोमोबाइल क्षेत्र और विशेष पूंजीगत वस्तुओं के अलावा उनका उपयोग विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों जैसे- रक्षा, अंतरिक्ष, बिजली आदि में किया जा सकता है।
- SS को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे- लेपित/प्लेटेड स्टील उत्पाद, उच्च शक्ति सहन क्षमता प्रतिरोधी स्टील, विशेष रेल, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद और स्टील के तार, विद्युत स्टील आदि।

प्रमुख बिंदु:

PLI योजना:

- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिये केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में एक PLI योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
- यह योजना विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयाँ स्थापित करने के लिये आमंत्रित करती है, हालाँकि इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिये प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना को ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी हार्डवेयर जैसे- लैपटॉप, मोबाइल फोन और दूरसंचार उपकरण, बड़े इलेक्ट्रिकल सामान, रासायनिक सेल, खाद्य प्रसंस्करण तथा वस्त्र आदि क्षेत्रों के लिये भी अनुमोदित किया गया है।

स्पेशलिटी स्टील के लिये PLI:

- उद्देश्य: भारत के SS उत्पादन को वर्तमान के 18 MT से बढ़ाकर 2026-27 तक 42 मिलियन टन (MT) तक पहुँचाने में सहायता करना।
- श्रेणियाँ: स्पेशलिटी स्टील की पाँच श्रेणियाँ हैं जिन्हें PLI योजना में चुना गया है:
  - कोटेड/प्लेटेड स्टील उत्पाद।
  - उच्च शक्ति सहन क्षमता प्रतिरोधी स्टील।
  - स्पेशल रेल।
  - मिश्र धातु इस्पात उत्पाद और स्टील के तार।
  - विद्युत स्टील।
- स्लैब: PLI प्रोत्साहन के तीन स्लैब हैं, सबसे कम 4% और उच्चतम 12% है।
- लाभार्थी: एकीकृत इस्पात संयंत्र और द्वितीयक इस्पात संयत्र।
  - भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी जो चिह्नित 'स्पेशलिटी स्टील' ग्रेड के निर्माण में संलग्न हो, योजना में भाग लेने के लिये पात्र होगी।

स्पेशलिटी स्टील चुनने का कारण:

- उत्पादन बढ़ाने के लिये:
  - SS को सरकार द्वारा लक्ष्य सेग्मेंट (Speciality Segment) के रूप में चुना गया है क्योंकि वर्ष 2020-21 में 102 मिलियन टन स्टील के उत्पादन में से देश में केवल 18 मिलियन टन मूल्यवर्द्धित स्टील / स्पेशलिटी स्टील का उत्पादन किया गया था।

नोट :

- आयात कम करने के लिये:
  - भारत में अधिकांश आयात मूल्यवर्द्धित और लक्ष्य सेग्मेंट (Speciality Segment) आधारित होता है। PLI योजना इस खंड में भारतीय मिलों की विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देगी तथा MSMEs सीधे ही उनसे कच्चा माल प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
    - वर्ष 2020-21 में 6.7 मिलियन टन के आयात में से करीब 4 मिलियन टन आयात स्पेशलिटी स्टील का था, जिसके परिणामस्वरूप करीब 30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) व्यय हुई।
- इस्पात क्षेत्र में उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति:
  - इस्पात क्षेत्र में तेज़ी का रुख है और प्रमुख एकीकृत उत्पादकों ने प्रमुख विस्तार योजनाएँ तैयार की हैं।

महत्त्व:

- स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना:
  - यह सुनिश्चित करेगा कि तैयार इस्पात केवल भारत में ही निर्मित किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह योजना देश के भीतर अंतिम छोर तक विनिर्माण (End-to-End Manufacturing) को बढ़ावा देती है।
  - यह भारत को वैश्विक विनिर्माण विजेता बनाने में मदद करेगा तथा देश को दक्षिण कोरिया और जापान जैसी वैश्विक स्टील बनाने वाली बड़ी कंपनियों के बराबर लाएगा।
- रोज़गार सृजन:
  - इससे लगभग 5 लाख लोगों हेतु रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे, जिसमें 68,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्राप्त होगा।

अपेक्षित परिणाम:

- इससे देश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है और इसके परिणामस्वरूप स्पेशलिटी स्टील की क्षमता में 25 मिलियन टन की वृद्धि होगी।
- SS का निर्यात मौजूदा 1.7 मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 5.5 मीट्रिक टन हो जाएगा, जिससे 33,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की कमाई होगी।

इस्पात से संबंधित पहलें:

- मिशन पूर्वोदय: इसे वर्ष 2020 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास हेतु लॉन्च किया गया था।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017: इसे 2017 में निजी निर्माताओं, MSME इस्पात उत्पादकों को नीतिगत समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु लॉन्च किया गया था।
- चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0) को अपनाना: इससे विनिर्माण प्रक्रियाओं, ऊर्जा दक्षता, संयंत्र और श्रमिक उत्पादकता, आपूर्ति शृंखला और उत्पाद जीवन-चक्र में सुधार होगा।
- भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन: यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न संस्थानों को लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें कचरे का उपयोग, ऊर्जा दक्षता में सुधार, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन में कमी तथा पर्यावरणीय जैसे मुद्दे शामिल हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

विगत तीन वर्षों में निर्यात, निवेश और रोज़गार में प्रदर्शन के मामले में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones- SEZ) ने नई ऊँचाइयों को छुआ है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- SEZ किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राय: शुल्क मुक्त (राजकोषीय रियायत) होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोज़गार पैदा करने के लिये अलग-अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून होते हैं।
- SEZ इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिये भी बनाए गए हैं, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है।

भारत में SEZ:

- एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (Export Processing Zones- EPZ) वर्ष 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था।
- इन EPZs की संरचना SEZ के समान थी, सरकार ने वर्ष 2000 में EPZ की सफलता को सीमित करने वाली ढाँचागत और नौकरशाही चुनौतियों के निवारण के लिये विदेश व्यापार नीति के तहत SEZ की स्थापना शुरू की।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया और वर्ष 2006 में SEZ नियमों के साथ लागू हुआ।
- हालाँकि SEZ की स्थापना का कार्य वर्ष 2000 से 2006 तक (विदेश व्यापार नीति के तहत) भारत में चालू था।
- भारत के SEZ को चीन के सफल मॉडल के साथ मिलकर संरचित किया गया था।
- वर्तमान में 379 SEZs अधिसूचित हैं, जिनमें से 265 चालू हैं। लगभग 64% SEZ पाँच राज्यों - तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं।
- अनुमोदन बोर्ड सर्वोच्च निकाय है और इसका नेतृत्व वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के सचिव द्वारा किया जाता है।
- भारत की मौजूदा SEZ नीति का अध्ययन करने के लिये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बाबा कल्याणी के नेतृत्व वाली समिति का गठन किया गया था और नवंबर 2018 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।
  - इसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) को अनुकूल बनाने और अधिकतम क्षमता का उपयोग करने तथा SEZs के संभावित उत्पादन को अधिकतम करने हेतु वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने की दिशा में SEZ नीति का मूल्यांकन करने के व्यापक उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था।

SEZ अधिनियम के उद्देश्य:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के लिये।
- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
- रोज़गार पैदा करने के लिये।
- घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना।
- बुनियादी सुविधाओं का विकास करना।

SEZ के लिये उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाएँ:

- SEZ इकाइयों के विकास, संचालन और रखरखाव के लिये शुल्क मुक्त आयात/माल की घरेलू खरीद।
- आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर आदि जैसे विभिन्न करों से छूट।
- मान्यता प्राप्त बैंकिंग के माध्यम से बिना किसी परिपक्वता प्रतिबंध के SEZ इकाइयों द्वारा एक वर्ष में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बाहरी वाणिज्यिक उधारी।
- केंद्र और राज्य स्तर पर अनुमोदन के लिये एकल खिड़की मंज़ूरी।

अब तक का प्रदर्शन:

- निर्यात: यह 22,840 करोड़ रुपए (2005-06) से बढ़कर 7,59,524 करोड़ रुपए (2020-21) हो गया है।
- निवेश: यह 4,035.51 करोड़ रुपए (2005-06) से बढ़कर 6,17,499 करोड़ रुपए (2020-21) हो गया है।
- रोज़गार: कुल रोज़गार 1,34,704 (2005-06) से बढ़कर 23,58,136 (2020-21) हो गया है।

नोट :

चुनौतियाँ :

- SEZ में अप्रयुक्त भूमि:
  - SEZ क्षेत्रों की मांग में कमी और महामारी के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान के परिणामस्वरूप SEZ के रूप में मौजूद अप्रयुक्त भूमि।
- बहु-मॉडलों का अस्तित्व:
  - आर्थिक क्षेत्रों या प्रक्रम के अनेक मॉडल हैं जैसे- SEZ, तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, फूड पार्क तथा टेक्सटाइल पार्क जो विभिन्न मॉडलों को एकीकृत करने में चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
- आसियान देशों से प्रतिस्पर्द्धा:
  - पिछले कुछ वर्षों में कई आसियान देशों ने अपने SEZ में निवेश करने के लिये वैश्विक निवेशकों या भागीदारों को आकर्षित करने हेतु नीतियों में परिवर्तन किया है तथा अपने कौशल अभियानों के विकासात्मक स्तर पर भी कार्य किया है।
  - परिणामस्वरूप भारतीय SEZ ने वैश्विक स्तर पर अपने कुछ प्रतिस्पर्द्धी हितधारकों को खो दिया है, जिसके कारण उन्हें नई नीतियों की आवश्यकता पड़ी।

आगे की राह

- SEZ पर बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशों केअनुसार, SEZ में MSME योजनाओं को जोड़कर तथा वैकल्पिक क्षेत्रों को क्षेत्र-विशिष्ट SEZ में निवेश करने की अनुमति देकर MSME निवेश को बढ़ावा देना है।
- इसके अतिरिक्त सक्षम और प्रक्रियात्मक छूट के साथ-साथ SEZ को अवसंरचनात्मक स्थिति प्रदान करने हेतु वित्त तक उनकी पहुँच में सुधार करके तथा दीर्घकालिक ऋण को सक्षम करने के लिये भी अग्रगामी कदम उठाए गए।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जुलाई 2019 और जून 2020 के बीच आयोजित 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS) पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

- श्रम संकेतकों में पिछले दो वर्षों यानी वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में सुधार दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

- यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत 'सांख्यिकीय सेवा अधिनियम 1980' के तहत स्थापित सरकार की केंद्रीय सांख्यिकीय एजेंसी है।
- यह सरकार और अन्य उपयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सांख्यिकीय सूचना सेवाएँ प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है, जिसके आधार पर नीति-निर्माण, नियोजन, निगरानी और प्रबंधन संबंधी निर्णय लिये जा सकें।
  - इसमें आधिकारिक सांख्यिकीय सूचना एकत्र करना, संकलित करना और प्रसारित करना शामिल है।
- NSO द्वारा संकलित अन्य रिपोर्ट और सूचकांक:
  - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)
  - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
  - सतत् विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट

प्रमुख बिंदु

बेरोज़गारी दर:

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में बेरोज़गारी दर गिरकर 4.8% तक पहुँच गई है, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 5.8% और वर्ष 2017-18 में 6.1% पर थी।

नोट :

कामगार जनसंख्या दर:

- इसमें वर्ष 2018-19 में 35.3% और वर्ष 2017-18 में 34.7% की तुलना में वर्ष 2019-20 में सुधार हुआ है तथा यह 38.2% पर पहुँच गई है।

श्रम बल भागीदारी अनुपात:

- वर्ष 2019-20 में यह पिछले दो वर्षों में क्रमश: 37.5% और 36.9% की तुलना में बढ़कर 40.1% हो गया है। अर्थव्यवस्था में 'श्रम बल भागीदारी अनुपात' जितना अधिक होता है यह अर्थव्यवस्था के लिये उतना ही बेहतर होता है।

लिंग आधारित बेरोज़गारी दर:

- आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 में पुरुष और महिला दोनों के लिये बेरोज़गारी दर गिरकर क्रमश: 5.1% और 4.2% पर पहुँच गई है, जो कि वर्ष 2018-19 में क्रमश: 6% और 5.2% पर थी।
  - वर्ष के दौरान 'कामगार जनसंख्या दर' और 'श्रम बल भागीदारी अनुपात' में भी तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS):

- परिचय:
  - यह वर्ष 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला कंप्यूटर-आधारित सर्वेक्षण है।
  - इसका गठन अमिताभ कुंडू (Amitabh Kundu) की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है।
  - यह अनिवार्य रूप से देश में रोज़गार की स्थिति का मानचित्रण के साथ -साथ कई चरणों पर डेटा एकत्र करता है जैसे- बेरोज़गारी का स्तर, रोज़गारी के प्रकार और संबंधित भागीदार, विभिन्न प्रकार की नौकरियों से अर्जित मज़दूरी, किये गए कार्य के घंटों की संख्या आदि।
  - PLFS से पूर्व राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) - इसे पूर्व में NSO के नाम से जाना जाता था। यह अपने पंचवर्षीय (प्रत्येक 5 वर्ष) घरेलू सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्यक्रम के आधार पर रोज़गार और बेरोज़गारी से संबंधित डेटा एकत्रित करता था।
- उद्देश्य:
  - वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिये तीन माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोज़गार और बेरोज़गारी संकेतकों (अर्थात् श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोज़गारी दर) का अनुमान लगाना।
  - प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति तथा सीडब्ल्यूएस दोनों में रोज़गार एवं बेरोज़गारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

बेरोज़गारी से निपटने के लिये सरकार द्वारा की गई पहलें:

- केंद्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन और रोज़गार सृजित करने के लिये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज प्रस्तुत किया है।
  - पीएम स्वनिधि (Pradhan Mantri Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi- PM SVANidhi) के तहत केंद्र सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण उपलब्ध करा रही है।
  - वर्ष 2020 में सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में मनरेगा के लिये 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि आवंटित की।
  - सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिये क्रेडिट गारंटी की पेशकश कर रही है जो उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त करने तथा उनके कामकाज को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
  - लघु उद्यम शुरू करने के लिये उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
- सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिये कई अन्य पहलें भी की गई हैं जिनमें कंपनी अधिनियम और दिवाला कार्यवाही में छूट, कृषि-विपणन में सुधार आदि शामिल हैं।
- सरकार ने मज़दूरी, भर्ती और रोज़गार की शर्तों में लिंग आधारित भेदभाव को कम करने के लिये नई श्रम संहिता 2019 जैसी पहल भी की है।

नोट :

- राज्य सरकारें भी अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने और नौकरियों में वृद्धि हेतु विभिन्न पहलों के साथ आगे आई हैं। उदाहरण के लिये:
  - राज्य में MSME क्षेत्र का समर्थन करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने 'रीस्टार्ट' कार्यक्रम शुरू किया है।
  - झारखंड ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिये मज़दूरी व रोज़गार सृजित करने हेतु तीन रोज़गार योजनाएँ शुरू की हैं।

महत्त्वपूर्ण मामले

बेरोज़गारी दर (UR):

- बेरोज़गारी दर की गणना श्रम बल से बेरोज़गारों की संख्या को विभाजित करके की जाती है।

श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):

- इसे आबादी में श्रम बल (अर्थात् जो या तो कार्य कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं अथवा काम के लिये उपलब्ध हैं) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR):

- WPR को कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

गतिविधि की स्थिति:

- किसी भी व्यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान उस व्यक्ति द्वारा किये गए कार्यों के आधार पर किया जाता है।
  - सामान्य स्थिति: सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्यक्ति के सामान्य कार्यकलाप की स्थिति के तौर पर जाना जाता है।
  - वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS): सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इसे उस व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के रूप में जाना जाता है।

डिजिटल और सतत् व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र का सर्वेक्षण 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने एशिया-प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific's- UNESCAP) के डिजिटल एवं सतत् व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण (Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation) में 90.32 प्रतिशत अंक हासिल किये हैं।

- इसमें वर्ष 2019 के 78.49% अंकों की तुलना में उल्लेखनीय उछाल आया है।

प्रमुख बिंदु

सर्वेक्षण के विषय में:

- यह सर्वेक्षण प्रत्येक दो वर्ष में UNESCAP द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) के व्यापार सुविधा समझौते में शामिल 58 व्यापार सुविधा उपायों का आकलन करना शामिल है।
- 58 उपायों में इंटरनेट पर मौजूदा आयात-निर्यात नियमों का प्रकाशन, जोखिम प्रबंधन, टैरिफ वर्गीकरण पर अग्रिम निर्णय, आगमन पूर्व प्रसंस्करण, स्वतंत्र अपील तंत्र, शीघ्र शिपमेंट, स्वचालित सीमा शुल्क प्रणाली आदि शामिल हैं।
- किसी देश का उच्च स्कोर कारोबारियों को निवेश संबंधी निर्णय लेने में भी मदद करता है।
- संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोग (UN Regional Commission) संयुक्त रूप से डिजिटल और सतत् व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण आयोजित करते हैं।

नोट :

- सर्वेक्षण में वर्तमान में पूरे विश्व की 143 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। एशिया प्रशांत के लिये यह UNESCAP द्वारा आयोजित किया जाता है।

भारत का आकलन:

- इस स्कोर ने सभी पाँच प्रमुख संकेतकों पर भारत में सुधार की ओर इशारा किया।
  - पारदर्शिता: 2021 में 100% (2019 के 93.33% से)।
  - औपचारिकताएँ: 2021 में 95.83% (2019 के 87.5% से)।
  - संस्थागत समझौते और सहयोग: 2021 में 88.89% (2019 के 66.67% से)।
  - पेपरलेस ट्रेड: 2021 में 96.3% (2019 के 81.48% से)।
  - क्रॉस-बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड: 2021 में 66.67% (2019 के 55.56% से)।
- अन्य देशों के साथ तुलना:
  - दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया क्षेत्र (63.12%) और एशिया प्रशांत क्षेत्र (65.85%) की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है।
  - भारत का समग्र स्कोर फ्राँस, यूके, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड आदि सहित कई आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देशों से भी अधिक है और समग्र स्कोर यूरोपीय संघ (EU) के औसत स्कोर से अधिक है।
- सुधार का कारण:
  - CBIC सुधारों की एक श्रृंखला के माध्यम से व्यक्ति रहित, कागज़ रहित और संपर्क रहित सीमा शुल्क की शुरुआत करने के लिये 'तुरंत कस्टम्स' (Turant Customs) की छत्रछाया में उल्लेखनीय सुधार करने में अग्रणी रहा है।
  - कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सीमा शुल्क ढाँचे के तहत कोविड से संबंधित आयातों जैसे- ऑक्सीजन से संबंधित उपकरण, जीवन रक्षक दवाएँ, टीके आदि में तेजी लाने हेतु सभी प्रयास किये गए।

एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग

- एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- ESCAP) एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक क्षेत्रीय विकास शाखा है।
- यह 53 सदस्य देशों और 9 एसोसिएट सदस्यों से बना एक आयोग है। भारत भी इसका सदस्य है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक शहर में है।
- उद्देश्य: यह सदस्य राज्यों हेतु परिणामोन्मुखी परियोजनाओं के विकास, तकनीकी सहायता प्रदान करने और क्षमता निर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य करता है।
- हालिया रिपोर्ट: एशिया एवं प्रशांत का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण (Economic and Social Survey of Asia and the Pacific), 2021.

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन विधेयक), 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन विधेयक), 2021 पेश किया।

- विधेयक अप्रैल 2021 में प्रख्यापित दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करने के लिये तैयार है।
  - इसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिये 1 करोड़ रुपए तक की चूक के साथ एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की, जिसे प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (Pre-pack Insolvency Resolution Process-PIRP) कहा जाता है।

नोट :

- मार्च 2021 में दिवाला कानून समिति (Insolvency Law Committee- ILC) की एक उप-समिति ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016 की मूल संरचना के भीतर एक पूर्व-पैक ढाँचे की सिफारिश की।

दिवाला और दिवालियापन संहिता:

- इसे वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था। यह व्यावसायिक फर्मों के दिवाला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करता है।
- यह दिवालियापन की समस्या के समाधान के लिये सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों को एकसमान मंच प्रदान करने के लिये मौजूदा विधायी ढाँचे के प्रावधानों को मज़बूत करता है।

नोट

- इन्सॉल्वेंसी: यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होती है।
- बैंकरप्सी: यह एक ऐसी स्थिति है जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और न्यायालय द्वारा इसका समाधान करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये उचित आदेश दिया गया हो। यह किसी कंपनी अथवा व्यक्ति द्वारा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।

प्रमुख बिंदु

प्रमुख प्रावधान:

- संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदारों (Distressed Corporate Debtor) को नए तंत्र के अंतर्गत बकाया ऋण की समस्या को हल करने के लिये अपने दो-तिहाई लेनदारों के अनुमोदन के साथ एक PIRP शुरू करने की अनुमति है।
  - कॉर्पोरेट देनदार वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति को कर्ज़ देता है।
- यदि परिचालक लेनदारों को उनकी बकाया राशि का 100% भुगतान नहीं करता है, तो PIRP संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के लिये स्विस चैलेंज (Swiss Challenge) की भी अनुमति देता है।
  - स्विस चैलेंज बोली लगाने का एक तरीका है, जिसे अक्सर सार्वजनिक परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इच्छुक पार्टी अनुबंध के लिये प्रस्ताव या परियोजना हेतु बोली प्रक्रिया शुरू करती है।

PIRP के विषय में:

- यह सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों और निवेशकों के बीच समझौते के माध्यम से संकटग्रस्त कंपनी के ऋण का समाधान करता है।
  - दिवाला कार्यवाही की यह प्रणाली पिछले एक दशक में ब्रिटेन और यूरोप में दिवाला समाधान के लिये तेज़ी से लोकप्रिय तंत्र बन गई है।
- इसका उद्देश्य मुख्य रूप से MSMEs को अपनी देनदारियों के पुनर्गठन का अवसर प्रदान करना और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें शुरू करना है ताकि लेनदारों को भुगतान करने से बचने के लिये फर्मों द्वारा सिस्टम का दुरुपयोग न किया जाए।
- PIRP के दौरान देनदार कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (Corporate Insolvency Resolution Process) के विपरीत अपनी संकटग्रस्त फर्म के नियंत्रण में रहते हैं।
- PIRP सिस्टम के अंतर्गत वित्तीय लेनदार संभावित निवेशक के साथ शर्तों के लिये सहमत होंगे और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal) से समाधान योजना का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

प्री-पैक की आवश्यकता:

- CIRP एक अधिक समय लेने वाला प्रस्ताव है। दिसंबर 2020 के अंत में चल रही 1717 दिवाला समाधान कार्यवाहियों में से 86% से अधिक ने 270 दिन की समयावधि को पार कर लिया था।
  - IBC के तहत हितधारकों को दिवाला कार्यवाही शुरू होने के 330 दिनों के भीतर CIRP को पूरा करना आवश्यक है।

नोट :

- CIRPs में विलंब के प्रमुख कारणों में से एक पूर्ववर्ती प्रमोटरों और संभावित बोली लगाने वालों द्वारा लंबे समय तक मुकदमेबाज़ी करना है।

प्री-पैक की मुख्य विशेषताएँ:

- दिवाला व्यावसायिक:
  - प्री-पैक के तहत आमतौर पर प्रक्रिया के संचालन हेतु हितधारकों की सहायता के लिये एक दिवाला व्यवसायी (Insolvency Practitioner) की सेवाओं की आवश्यकता होती है।
  - व्यवसायी के अधिकार की सीमा विभिन्न क्षेत्राधिकार में भिन्न होती है।
- सहमति प्रक्रिया:
  - यह एक सहमति प्रक्रिया की परिकल्पना करता है जिसमें प्रक्रिया के औपचारिक भाग को लागू करने से पहले, सहमति प्रक्रिया में तनाव को समाप्त करने हेतु कार्रवाई के दौरान हितधारकों के मध्य पूर्व समझ विकसित करना या अनुमोदन शामिल है।
- न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं:
  - इसे लागू करने हेतु हमेशा न्यायालय की मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ भी इसे अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वहाँ न्यायालय की कार्यवाही अक्सर पार्टियों के व्यावसायिक ज्ञान से निर्देशित होती है।
  - न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्री-पैक प्रक्रिया का परिणाम सभी हितधारकों के लिये बाध्यकारी है।

प्री-पैक का महत्त्व:

- त्वरित समाधान
  - यह अधिकतम 120 दिनों तक सीमित होता है, जिसमें 90 दिन हितधारकों के लिये 'नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' (NCLT) के समक्ष समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिये होते हैं।
  - MSMEs को अपने ऋणों के पुनर्गठन के लिये मार्ग प्रदान करने के अलावा प्री-पैक योजना सामान्य CIRPs की तुलना में तीव्र समाधान तंत्र प्रदान कर NCLT के बोझ को कम कर सकती है।
- व्यवसाय में कम-से-कम व्यवधान
  - समाधान पेशेवरों के बजाय प्री-पैक के मामले में कंपनी का नियंत्रण मौजूदा प्रबंधन के पास ही रहता है, इसलिये व्यवसाय में व्यवधान को कम किया जा सकता है और कर्मचारियों, आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहकों तथा निवेशकों के विश्वास को बनाए रखा जा सकता है।
- यह संपूर्ण देयता पक्ष को संबोधित करता है:
  - PIRP कॉर्पोरेट देनदारों को उधारदाताओं की सहमति से पुनर्गठन करने और कंपनी के संपूर्ण दायित्व को संबोधित करने में मदद करेगा।

PIRP की चुनौतियाँ:

- अतिरिक्त पूंजी जुटाना:
  - प्रारंभ में कॉर्पोरेट देनदार (Corporate Debtor) निवेशकों या बैंकों से अतिरिक्त पूंजी या ऋण नहीं जुटा सकती हैं, क्योंकि इन निवेशकों और उधारदाताओं द्वारा प्रदान किये जा रहे धन की वसूली में जोखिम शामिल है।
- लघु समयावधि:
  - PIRP के तहत समाधान योजना 90 दिनों की है तथा योजना के समर्थन के लिये निर्णायक प्राधिकरण (AA) को अतिरिक्त 30 दिन दिये गए हैं। लेनदारों की समिति (COC) के सदस्यों के लिये इस छोटी अवधि के भीतर बिना किसी व्यापक पैरामीटर के समाधान योजना पर निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण है, जिस पर समाधान योजना को मंज़ूरी दी जाए।

आगे की राह

- जबकि PIRP व्यवहार्य MSMEs की रक्षा के लिये एक सामयिक प्रयास है, यह संभावना जताई जाती है कि अब केवल MSMEs के लिये इसे चालू करना एक अच्छे प्री-पैक की दिशा में पहला कदम हो सकता है जो BC की तरह भविष्य में बहुत व्यापक कवरेज की ओर ले जाएगा तथा इसके समय और न्यायशास्त्र के साथ विकसित होने की अपेक्षा की जाती है।

नोट :

- सरकार को प्री-पैक समाधान योजनाओं से निपटने के लिये एनसीएलटी की विशिष्ट बेंच स्थापित करने पर विचार करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू किया गया है।

काले धन के खतरे से निपटना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा है कि सरकार के काले धन से संबंधित कानून ने ऐसे कई उदाहरणों का पता लगाने में मदद की है जहाँ भारतीयों को विदेशों में अघोषित आय जमा करते हुए पाया गया है।

प्रमुख बिंदु:

काला धन:

- आर्थिक सिद्धांत में काले धन की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, इसके लिये कई अलग-अलग शब्दों जैसे- समानांतर अर्थव्यवस्था, काला धन, काली आय, बेहिसाब अर्थव्यवस्था, अवैध अर्थव्यवस्था और अनियमित अर्थव्यवस्था आदि के रूप से उपयोग किया जा रहा है।
- काले धन की सबसे सरल परिभाषा संभवत: उस धन के रूप में हो सकती है जिसे कर प्राधिकारियों से छिपाया गया हो।
- यह दो व्यापक श्रेणियों से संबंधित हो सकती है:
  - अवैध गतिविधि:
    - अवैध गतिविधि के माध्यम से अर्जित धन के बारे में स्पष्ट रूप से कर अधिकारियों को सूचित नहीं किया जाता है, अत: इसे 'काला धन' कहते हैं।
  - कानूनी लेकिन सूचित नहीं की गई गतिविधि:
    - दूसरी श्रेणी में कानूनी गतिविधि से संबंधित आय शामिल है जिसके संबंध में कर अधिकारियों को सूचित नहीं किया जाता है।

प्रभाव:

- राजस्व की हानि:
  - काला धन कर के एक हिस्से को समाप्त कर देता है और इस प्रकार सरकार का घाटा बढ़ जाता है।
  - सरकार को इस घाटे को करों में वृद्धि, सब्सिडी में कमी और उधार में वृद्धि करके संतुलित करना होता है।
  - उधार लेने से ब्याज के बोझ के कारण सरकार के ऋण में और वृद्धि होती है। अगर सरकार घाटे को संतुलित करने में असमर्थ है, तो उसे खर्च कम करना होगा, जो कि विकास को प्रभावित करता है।
- धन संचलन:
  - आमतौर पर लोग काले धन को सोने के तौर पर, अचल संपत्ति और अन्य गुप्त तरीकों के रूप में रखते हैं।
  - ऐसा पैसा मुख्य अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनता है और इसलिये आमतौर पर प्रचलन से बाहर रहता है।
  - काला धन अमीरों के बीच संचालित होता रहता है और उनके लिये अधिक अवसर पैदा करता है।
- उच्च मुद्रास्फीति:
  - अर्थव्यवस्था में बेहिसाब काला धन होने से मुद्रास्फीति की स्थिति अधिक देखी जाती है, जो गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है।
  - यह अमीर और गरीब के बीच असमानता को भी बढ़ाता है।

सरकार द्वारा की गई पहलें:

- विधायी प्रयास:
  - भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018
  - केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017
  - बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016

नोट :

- काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम 2015
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
  - दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAAs)
    - भारत दोहरे कराधान से बचाव के लिये सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दोहरा कराधान अपवंचन समझौते/कर सूचना विनिमय समझौतों/बहुपक्षीय सम्मेलनों के तहत विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से वार्ता कर रहा है।
  - सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान:
    - भारत वित्तीय सूचना के सक्रिय साझाकरण के लिये 'ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इनफार्मेशन' नाम से एक बहुपक्षीय व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में अग्रणी रहा है,जो कर चोरी से निपटने के वैश्विक प्रयासों में सहायता करेगा।
    - सामान्य रिपोर्टिंग मानक पर आधारित 'ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इनफार्मेशन' व्यवस्था वर्ष 2017 से शुरू है, जिससे भारत अन्य देशों में भारतीय निवासियों के वित्तीय खाते की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम:
    - भारत ने इस अधिनियम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सूचना साझा करने हेतु समझौता किया है।

आगे की राह

चूंकि काले धन की समस्या पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है,इसलिये इससे निपटने के लिये और भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। कुछ मज़बूत कदम जो उठाए जा सकते हैं वे इस प्रकार हैं:

- संबंधित उपयुक्त विधायी ढाँचा: सार्वजनिक खरीद, विदेशी अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली रिश्वत की रोकथाम, नागरिक शिकायत निवारण, सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) सुरक्षा, यूआईडी आधार।
- अवैध धन से निपटने वाली संस्थाओं की स्थापना और उनका सुदृढ़ीकरण: सूचना के आदान-प्रदान के लिये आपराधिक जाँच प्रकोष्ठ निदेशालय, मॉरीशस और सिंगापुर में आयकर विदेशी इकाइयाँ, ITOU, CBDT के तहत विदेशी कर, कर अनुसंधान और जाँच प्रभाग को मज़बूत करने में बहुत उपयोगी रहे हैं।
- चुनावी सुधार: काले धन के उपयोग के लिये चुनाव सबसे बड़े चैनलों में से एक है। चुनावों में धनबल को कम करने के लिये उचित सुधार।
- प्रभावी कार्रवाई के लिये कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना: संबंधित क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण। उदाहरण के लिये वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (Financial Intelligence Unit-India) अपने कर्मचारियों को धनशोधन रोधी, आतंकवादी वित्तपोषण और संबंधित आर्थिक मुद्दों पर प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर उनके कौशल को नियमित रूप से उन्नत करने हेतु सक्रिय प्रयास करती है।

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) कार्यक्रम के तहत सरकार ने दो अतिरिक्त सुविधाएँ स्थापित करने की मंज़ूरी दे दी है।

- वर्ष 2020 में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए भारत ने अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार को भरना शुरू कर दिया।

प्रमुख बिंदु

नई सुविधाएँ:

- नई सुविधाओं में भूमिगत भंडारण की कुल 6.5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) भंडारण क्षमता के साथ वाणिज्यिक-सह-सामरिक सुविधाएँ होंगी:
  - चंदीखोल (ओडिशा) (4 MMT)
  - पाडुर (कर्नाटक) (2.5 MMT)
- इन्हें SPR कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल में बनाया जाएगा।

नोट :

मौजूदा सुविधाएँ:

- कार्यक्रम के पहले चरण के तहत भारत सरकार ने 3 स्थानों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की कुल क्षमता के साथ सामरिक पेट्रोलियम भंडारण (SPR) सुविधाएँ स्थापित की हैं:
  - विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) (1.33 MMT).
  - मंगलौर (कर्नाटक) (1.5 MMT).
  - पाडुर (कर्नाटक) (2.5 MMT).
- पहले चरण के तहत स्थापित पेट्रोलियम भंडार की प्रकृति सामरिक महत्त्व के लिये है। इन भंडारों में संग्रहीत कच्चे तेल का उपयोग तेल की कमी की स्थिति में किया जाएगा और ऐसा तब होगा जब भारत सरकार की ओर से इसकी घोषणा की जाएगी।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार

परिचय:

- सामरिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट जैसे- प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपदाओं के दौरान आपूर्ति में व्यवधान से निपटने के लिये कच्चे तेल के विशाल भंडार होते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम (International Energy Programme- IEP) पर समझौते के अनुसार, कम-से-कम 90 दिनों के लिये शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल का स्टॉक रखना अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) के प्रत्येक सदस्य देश का दायित्व है।
  - गंभीर तेल आपूर्ति व्यवधान के मामले में IEA सदस्य सामूहिक कार्रवाई के हिस्से के रूप में इन शेयरों को बाज़ार में जारी करने का निर्णय ले सकते हैं।
  - भारत वर्ष 2017 में IEA का सहयोगी सदस्य बना।
- ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) द्वारा पहली बार तेल के संकट के बाद सामरिक भंडार की इस अवधारणा को वर्ष 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लाया गया था।
- भूमिगत भंडारण, पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की अब तक की सबसे किफायती विधि है, क्योंकि भूमिगत भूमिगत भंडारण व्यवस्था भूमि के बड़े हिस्से की आवश्यकता को समाप्त करती है, निम्न वाष्पीकरण सुनिश्चित करती है और चूँकि गुहा रूप संरचनाएँ समुद्र तल से काफी नीचे बनाई जाती हैं, इसलिये जहाज़ों द्वारा इनमें कच्चे तेल का निर्वहन करना आसान होता है।
- भारत में सामरिक कच्चे तेल की भंडारण सुविधाओं के निर्माण कार्य का प्रबंधन भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (Indian Strategic Petroleum Reserves Limited- ISPRL) द्वारा किया जा रहा है।
  - ISPRL पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- नई सुविधाओं के चालू होने के बाद कुल 22 दिनों (10+12) में खपत किये जा सकने योग्य तेल की मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी।
- सामरिक सुविधाओं के साथ भारतीय रिफाइनरीज़ 65 दिनों के कच्चे तेल के भंडारण (औद्योगिक स्टॉक) की सुविधा बनाए रखती हैं।
- इस प्रकार SPR कार्यक्रम के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद भारत में कुल 87 दिनों तक (रणनीतिक भंडार द्वारा 22 + भारतीय रिफाइनर द्वारा 65) तक खपत के लिये तेल उपलब्ध कराया जाएगा। यह मात्रा IEA द्वारा 90 दिनों के लिये तेल उपलब्ध कराने के शासनादेश के काफी निकट होगा।

भारत में SPRs की आवश्यकता:

- पर्याप्त क्षमता का निर्माण:
  - अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाज़ार में होने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिये इसकी वर्तमान क्षमता पर्याप्त नहीं है।
  - एक दिन में लगभग 5 मिलियन बैरल तेल की खपत के साथ देश का 86% हिस्सा तेल पर निर्भर है।

नोट :

- ऊर्जा सुरक्षा:
  - अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव से भारत को देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौद्रिक नुकसान से बचने के लिये पेट्रोलियम भंडार बनाने की सख्त ज़रूरत है।

आगे की राह:

- वर्तमान मांग विदेशों में मौजूद ऊर्जा स्रोतों से संबंधित संपत्ति की तलाश करने की है। भारत को मेज़बान देशों में भारतीय संपत्ति के रूप में तेल की खरीद और उसे स्टोर करना चाहिये तथा आवश्यकता पड़ने पर चीन की तरह प्रयोग करना चाहिये।
- भारत को कई देशों के साथ तेल अनुबंध करना चाहिये ताकि किसी एक क्षेत्र के एकाधिकार से बचा जा सके।
  - उदाहरण के लिये वर्तमान में भारत खाड़ी क्षेत्र से अधिकांश तेल आयात कर रहा है।
- तेल ऊर्जा का केंद्रीय स्रोत है लेकिन यह सीमित है, इसलिये वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है।
- विदेशी जहाज़ों में 90% भारतीय तेल का आयात भी एक गंभीर मुद्दा है। भारत को तेल परिवहन के लिये अपने स्वयं के जहाज़ों का अधिग्रहण करने की आवश्यकता है।

डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में कहा है कि सरकार ने डिजिटल बैंकिंग, डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं (Doorstep Banking Service) और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (Digital Lending Platform) की सुविधा के लिये कई कदम उठाए हैं।

प्रमुख बिंदु

डिजिटल बैंकिंग:

- यह उन सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों, कार्यक्रमों व सेवाओं का डिजिटलीकरण है जो ऐतिहासिक रूप से केवल ग्राहकों के लिये तब उपलब्ध थे।
- इसमें मनी डिपॉजिट, विदड्रॉल और ट्रांसफर, चेकिंग/सेविंग अकाउंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिये अप्लाई करना, लोन मैनेजमेंट, बिल पे, अकाउंट सर्विसेज़ जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

चुनौतियाँ:

- डिजिटल भुगतान को अपनाने में इंटरनेट का उपयोग ही एकमात्र बाधा नहीं है।
- उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने के साथ-साथ उनके डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

प्रमुख पहलें:

- EASE सुधार एजेंडा: इसे सरकार और PSB द्वारा संयुक्त रूप से जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था।
  - इसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के माध्यम से कमीशन (Commission) किया गया था और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा इसकी संकल्पना की गई थी।
  - EASE एजेंडा का उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है।
  - EASE रिफॉर्म्स इंडेक्स: इंडेक्स 120+ ओब्जेक्टिव मेट्रिक्स (120+ Objective Metric) पर प्रत्येक PSB के प्रदर्शन को मापता है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करके परिवर्तन को जारी रखना है।
  - EASE 1.0: इस रिपोर्ट ने पारदर्शी रूप से गैर-निष्पादित परिसंपतियों (Non Performing Asset- NPA) के समाधान में PSB के प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण सुधार दिखाया।

नोट :

- EASE 2.0: यह EASE 1.0 की नींव पर बना है और इसने सुधार यात्रा को अपरिवर्तनीय बनाने, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को मज़बूत करने तथा परिणामों के संचालन के लिये छः विषयों में नए सुधार पेश किये।
  - EASE 2.0 के छः विषय हैं: उत्तरदायी बैंकिंग, ग्राहक प्रतिक्रिया, क्रेडिट ऑफ-टेक, उद्यमी मित्र के रूप में PSB (MSME के क्रेडिट प्रबंधन के लिये सिडबी पोर्टल), वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण एवं शासन तथा मानव संसाधन।
- Ease 3.0: यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सभी ग्राहक अनुभवों में बैंकिंग को आसान बनाने का प्रयास करता है जिनमें डायल-ए-लोन (Dial-a-loan), फिनटेक (Fintech) एवं ई-व्यापार कंपनियों से साझेदारी, क्रेडिट@क्लिक (Credit@Click), कृषि-ऋण में तकनीकी का प्रयोग, ईज़ बैंकिंग आउटलेट आदि शामिल हैं ।
- Ease 4.0: इस वित्तीय वर्ष में सुधार एजेंडे के हिस्से के रूप में Ease 4.0 को राज्य द्वारा संचालित बैंक गैर-बैंकिंग फर्मों के साथ सह-ऋण, डिजिटल कृषि वित्तपोषण, सहक्रियाओं और 24X7 बैंकिंग सुविधाओं के लिये तकनीकी लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये शुरू किया गया है।

- PSBloansin59 minutes.com:
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को ऋणों के लिये सैद्धांतिक रूप से ऑनलाइन अनुमोदन प्रदान करने हेतु क्रेडिट ब्यूरो, आयकर और वस्तु एवं सेवा कर (GST) डेटा के त्रिभुज का उपयोग करते हुए PSBloansin59minutes.com के माध्यम से डिजिटल ऋण की शुरुआत को संपर्क रहित बनाया गया है।
- व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (TReDS) प्लेटफॉर्म :
  - MSMEs के लिये ऑनलाइन बिल छूट को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के माध्यम से TReDS प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग के ज़रिये प्रतिस्पर्द्धी आधार पर सक्षम किया गया है तथा ऑनलाइन रियायती बिलों का अनुपात तेज़ी से बढ़ा है।
    - बिल डिस्काउंटिंग या छूट एक व्यापारिक गतिविधि है जिसमें एक कंपनी के अवैतनिक चालान, जिन्हें भविष्य में भुगतान किया जाना है, एक फाइनेंसर (एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान) को बेचे जाते हैं।
- जीवन प्रमाण पहल:
  - पेंशनभोगियों के लिये इस पहल ने वरिष्ठ नागरिक पेंशनभोगियों को अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा प्रदान की है।
- डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ:
  - PSB एलायंस, जो सभी PSBs और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है, ने सभी ग्राहकों के लिये डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ शुरू की हैं।
  - डोरस्टेप बैंकिंग' के माध्यम से ग्राहक अपने घर से ही प्रमुख बैंकिंग लेन-देन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

वर्तमान स्थिति:

- वर्तमान में PSB के लगभग 72% वित्तीय लेन-देन डिजिटल चैनलों के माध्यम से किये जाते हैं, जिसमें डिजिटल चैनलों पर सक्रिय ग्राहकों की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 के 3.4 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 7.6 करोड़ हो गई है।
- घरेलू और मोबाइल चैनलों के माध्यम से किये गए वित्तीय लेन-देनों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2018-19 में 29% थी जो वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 76% हो गई है।

आगे की राह:

- डिजिटल माध्यम ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) जैसी नई तकनीकों को अपनाकर बैंकों को इन आधुनिक तकनीकों से जुड़ना होगा।
- बड़े डेटा के बल पर संचालित इंटेलिजेंट एनालिटिक्स के माध्यम से क्रॉस-सेलिंग और विभिन्न ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार क्यूरेटेड उत्पाद (Curated Product) वे उत्पाद हैं जो बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऑफर्स से अलग हैं।

नोट :

आर्थिक उदारीकरण के 30 वर्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आर्थिक उदारीकरण सुधारों की 30वीं वर्षगाँठ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की वृहद्-आर्थिक स्थिरता पर चिंता व्यक्त की।

- उनके अनुसार, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा आर्थिक संकट वर्ष 1991 के आर्थिक संकट की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है और राष्ट्र को सभी भारतीयों के लिये एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता के क्षेत्रों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी।

प्रमुख बिंदु

1991 का संकट और सुधार:

- 1991 का संकट: वर्ष 1990-91 में भारत को गंभीर भुगतान संतुलन (BOP) संकट का सामना करना पड़ा, जहाँ उसका विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 15 दिनों के आयात के वित्तपोषण हेतु पर्याप्त था। साथ ही अन्य कई कारक भी थे जो BOP संकट का कारण बने:
  - राजकोषीय घाटा: वर्ष 1990-91 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.4% था।
  - खाड़ी युद्ध-I: वर्ष 1990-91 में कुवैत पर इराक के आक्रमण के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि से स्थिति विकट हो गई थी।
  - कीमतों में वृद्धि: मुद्रा आपूर्ति में तेज़ी से वृद्धि और देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मुद्रास्फीति दर 6.7% से बढ़कर 16.7% हो गई।
- 1991 के सुधारों की प्रकृति और दायरा: वर्ष 1991 में वृहद्-आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिये भारत ने एक नई आर्थिक नीति शुरू की, जो एलपीजी या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल पर आधारित थी।
  - तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह वर्ष 1991 के ऐतिहासिक उदारीकरण के प्रमुख वास्तुकार थे।
  - LPG मॉडल के तहत व्यापक सुधारों में शामिल हैं:
    - औद्योगिक नीति का उदारीकरण: औद्योगिक लाइसेंस परमिट राज का उन्मूलन, आयात शुल्क में कमी आदि।
    - निजीकरण की शुरुआत: बाज़ारों का विनियमन, बैंकिंग सुधार आदि।
    - वैश्वीकरण: विनिमय दर में सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और व्यापार नीतियों को उदार बनाना, अनिवार्य परिवर्तनीयता संबंधी कारण को हटाना आदि।
  - वर्ष 1991 से 2011 तक देखी गई उच्च आर्थिक वृद्धि और वर्ष 2005 से 2015 तक गरीबी में पर्याप्त कमी के लिये इन सुधारों को श्रेय दिया जाता है तथा उनकी सराहना की जाती है।

वर्ष 2021 का संकट:

- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट (World Economic Outlook Report), 2021 में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2021 में 12.5% और वर्ष 2022 में 6.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
  - हालाँकि महामारी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी और दशकों की गिरावट के बाद गरीबी बढ़ रही है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र पिछड़ गए हैं जिनमें पुन: सुधार करने में हमारी आर्थिक प्रगति असमर्थ साबित हो रही है।
  - महामारी के दौरान बहुत से लोगों की जान चली गई, साथ ही कई लोगों ने अपनी आजीविका खो दी जो कि काफी दुखद अनुभव रहा।
- इंस्पेक्टर राज (Inspector Raj) ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिये नीति के माध्यम से वापसी करने के लिये तैयार है।
- भारत, राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से अत्यधिक उधार लेने या धन (लाभांश के रूप में) निकालने जैसी स्थित में पहुँच गया है।
- प्रवासी श्रम संकट ने विकास मॉडल में रुकावट डाल दी है।
- भारतीय विदेश व्यापार नीति फिर से व्यापार उदारीकरण पर संदेह कर रही है, क्योंकि भारत पहले ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) से बाहर निकलने का फैसला कर चुका है।

नोट :

आगे की राह

- वर्ष 1991 के सुधारों ने अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में मदद की। यह समय नए सुधार एजेंडे की रूपरेखा तैयार करने का है जो न केवल जीडीपी को पूर्व-संकट के स्तर पर वापस लाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि विकास दर महामारी में प्रवेश करने के समय की तुलना में अधिक हो।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' के नवीनतम संस्करण में वर्ष 2021 के भारत विकास अनुमान को 12.5% (अप्रैल 2021) से घटाकर 9.5% कर दिया गया है।

- 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' ने अपने पूर्वानुमान में परिवर्तन करते हुए मुख्यत: दो कारकों यथा- टीकों तक पहुँच और नए कोरोना-वेरिएंट के जोखिम पर ध्यान केंद्रित किया है।

प्रमुख बिंदु

भारतीय अर्थव्यवस्था:

- वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.5% की दर से और वर्ष 2022 में 8.5% (अप्रैल में अनुमानित 6.9% से अधिक) की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
  - वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% का अनुमानित संकुचन देखा गया था।
- 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण भारत की विकास के अनुमान में कटौती की है, क्योंकि इसके कारण रिकवरी की गति प्रभावित हुई है और साथ ही उपभोक्ता विश्वास एवं ग्रामीण मांग को भी नुकसान पहुँचा है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था:

- वर्ष 2021 के लिये वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 6% पर बरकरार रखा गया है और वर्ष 2022 के लिये इसके 4.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
  - वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.3% का संकुचन हुआ था।

वैश्विक व्यापार मात्रा

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक व्यापार की मात्रा में वृद्धि के अपने अनुमान को भी वर्ष 2021 के लिये 130 bps से बढ़ाकर 9.7% कर दिया है, वहीं वर्ष 2022 के लिये यह 50 bps बढ़कर 7% पर पहुँच गया है।
  - आपूर्ति पक्ष में तेज़ी आने और वैश्विक व्यापार संभावनाओं में अपेक्षित वृद्धि से भारत को भी काफी लाभ प्राप्त होगा।

सुझाव:

- सख्त बाहरी वित्तीय स्थितियाँ:
  - उभरते बाज़ारों को जहाँ संभव हो ऋण परिपक्वता अवधि को बढ़ाकर और बिना बचाव वाले विदेशी मुद्रा ऋण के निर्माण को सीमित करके संभवत: सख्त बाहरी वित्तीय स्थितियों (Tighter External Financial Condition) के लिये तैयार रहना चाहिये।
- समय से पूर्व सख्त नीतियों से बचना:
  - केंद्रीय बैंकों को अस्थायी मुद्रास्फीति (Inflation) दबावों का सामना करने के लिये समय से पहले सख्त नीतियों से बचना चाहिये, लेकिन अगर मुद्रास्फीति के संकेत दिखाई देते हैं, तो इन्हें जल्दी प्रतिक्रिया हेतु तैयार रहना चाहिये।
- स्वास्थ्य खर्च को प्राथमिकता दें:
  - राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) को स्वास्थ्य व्यय (टीका उत्पादन और वितरण बुनियादी ढाँचे, कर्मियों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों) को बढ़ावा देने के लिये प्राथमिकता देना जारी रखना चाहिये।

नोट :

- राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार किसी देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसे प्रभावित करने के लिये अपने खर्च के स्तर तथा कर दरों को समायोजित करती है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध (Second World War) के पश्चात् युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निमाण में सहायता के लिये विश्व बैंक (World Bank) के साथ की गई थी।
  - इन दोनों संगठनों की स्थापना के लिये अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन में सहमति बनी। इसलिये इन्हें 'ब्रेटन वुड्स ट्विन्स' (Bretton Woods Twins) के नाम से भी जाना जाता है।
- वर्ष 1945 में स्थापित IMF विश्व के 189 देशों द्वारा शासित है तथा यह अपने निर्णयों के लिये इन देशों के प्रति उत्तरदायी भी है। भारत 27 दिसंबर, 1945 को IMF में शामिल हुआ था।
- IMF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली से आशय विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की उस प्रणाली से है जो देशों (और उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।
  - IMF के अधिदेश में वैश्विक स्थिरता से संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को शामिल करने के लिये वर्ष 2012 में इसे अद्यतन/अपडेट किया गया था।
- IMF द्वारा जारी महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट:
  - वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report-GFSR).
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (World Economic Outlook).

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

- यह IMF का एक सर्वेक्षण है जिसे आमतौर पर अप्रैल और अक्तूबर के महीनों में वर्ष में दो बार प्रकाशित किया जाता है।
- यह भविष्य के चार वर्षों तक के अनुमानों के साथ निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है।
- पूर्वानुमान के अपडेट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी और जुलाई में प्रकाशित किया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल और अक्तूबर में प्रकाशित होने वाली मुख्य WEO रिपोर्टों के बीच का समय है।

केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होंगे गैर-बैंक PSPs

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (PSPs) को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS - RTGS और NEFT) में प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में भाग लेने की अनुमति दी है।

प्रमुख बिंदु

चरणबद्ध तरीके से अनुमति:

- पहले चरण में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई), कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) ऑपरेटरों जैसे पीएसपी को एक्सेस की अनुमति होगी।
  - गैर-बैंकों द्वारा स्थापित एवं उनके स्वामित्व वाले और संचालित एटीएम को WLAs कहा जाता है।
- वर्तमान में केवल बैंक और चुनिंदा गैर-बैंक जैसे- नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) और एक्ज़िम बैंक (एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया) को RBI के स्वामित्व वाले सीपीएस - एनईएफटी तथा आरटीजीएस तक पहुँच की अनुमति है।

नोट :

गैर-बैंकों के लिये अलग IFSC:

- इसका अर्थ है गैर-बैंकों को एक अलग भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (IFSC) का आवंटन, RBI के साथ अपने कोर बैंकिंग सिस्टम (ई-कुबेर) में एक चालू खाता खोलना और आरबीआई के साथ एक निपटान खाता बनाए रखना।
  - IFSC 11 अंकों का कोड है जो उन व्यक्तिगत बैंक शाखाओं की पहचान करने में मदद करता है जो NEFT और RTGS जैसे विभिन्न ऑनलाइन मनी ट्रांसफर विकल्पों में भाग लेते हैं।
  - कोर बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा समाधान है जो बैंकों को 24X7 आधार पर कई ग्राहक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- इसका अर्थ भारतीय वित्तीय नेटवर्क (INFINET) की सदस्यता और CPS के साथ संवाद करने के लिये संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (SFMS) का उपयोग भी है।
  - INFINET एक 'बिना सदस्यता वाला उपयोगकर्त्ता समूह' (CUG) नेटवर्क है जिसमें RBI, सदस्य बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
  - SFMS अंतर-बैंक वित्तीय संदेश और सीपीएस के लिये प्रमुख प्रणाली है।

महत्त्व:

- भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के जोखिम को कम करना:
  - गैर-बैंकों के लिये 'केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली' तक सीधी पहुँच भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र जोखिम को कम कर सकती है।
- भुगतान की लागत में कमी:
  - यह गैर-बैंकों को भुगतान की लागत में कमी, बैंकों पर निर्भरता में कमी, भुगतान पूरा करने में लगने वाले समय में कमी जैसे लाभ भी प्रदान करता है।
- निधि निष्पादन में विफलता या विलंब में कमी:
  - गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष लेन-देन शुरू करने और संसाधित किये जाने पर फंड ट्रांसफर के निष्पादन में विफलता या देरी के जोखिम से भी बचा जा सकता है।
- कार्यक्षमता में बढ़ोतरी और बेहतर जोखिम प्रबंधन
  - गैर-बैंक संस्थाएँ परिचालन समय के दौरान अपने चालू खाते से RTGS निपटान खाते में और RTGS निपटान खाते से अपने चालू खाते में हस्तांतरित करने में सक्षम होंगी।
  - यह दक्षता और नवाचार में बढ़ोतरी तथा डेटा सुरक्षा के मानकों में सुधार करने के साथ-साथ बेहतर जोखिम प्रबंधन में भी सहायता करेगी।

केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली

- भारत में केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) प्रणाली तथा किसी भी अन्य प्रणाली के रूप में शामिल होंगे जिस पर समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
- RTGS: यह लाभार्थियों के खाते में वास्तविक समय पर धनराशि के हस्तांतरण की सुविधा को सक्षम बनाता है और इसका प्रयोग मुख्य तौर पर बड़े लेन-देनों के लिये किया जाता है।
  - यहाँ 'रियल टाइम' अथवा वास्तविक समय का अभिप्राय निर्देश प्राप्त करने के साथ ही उनके प्रसंस्करण (Processing) से है, जबकि 'ग्रॉस सेटलमेंट' या सकल निपटान का तात्पर्य है कि धन हस्तांतरण निर्देशों का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है।
- NEFT: यह एक देशव्यापी भुगतान प्रणाली है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
  - इसका उपयोग आमतौर पर 2 लाख रुपए तक के फंड ट्रांसफर के लिये किया जाता है।
- विकेंद्रीकरण भुगतान प्रणाली में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समाशोधन व्यवस्था [चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS)] के साथ-साथ अन्य बैंक [एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ECCS) केंद्रों की जाँच] और किसी अन्य प्रणाली के रूप शामिल होंगे जिसमें समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

नोट :

ई-कुबेर

- यह भारतीय रिज़र्व बैंक का कोर बैंकिंग समाधान है जिसे वर्ष 2012 में पेश किया गया था।
- इस प्रकार केंद्रीकरण वित्तीय सेवाओं हेतु सुविधा मुहैया कराता है। कोर बैंकिंग समाधान (CBS) का उपयोग करके ग्राहक अपने खातों को किसी भी शाखा से, किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) सहित वाणिज्यिक बैंकों की लगभग सभी शाखाओं को कोर-बैंकिंग के दायरे में लाया गया है।
- ई-कुबेर प्रणाली को या तो INFINET या इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम' (DICGC) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम' (DICGC) विधेयक, 2021 को मंज़ूरी दी है।

- पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक आदि की विफलता ने भारतीय बैंकों में ग्राहकों द्वारा जमा राशि के विरुद्ध बीमा के अभाव को लेकर एक बार पुन: बहस शुरू कर दी है।

नोट

- जमा बीमा: यदि कोई बैंक वित्तीय रूप से विफल हो जाता है और उसके पास जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने के लिये पैसे नहीं होते हैं तथा उसे परिसमापन के लिये जाना पड़ता है, तो यह बीमा बैंक जमा को होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवर प्रदान करता है।
- क्रेडिट गारंटी: यह वह गारंटी है जो प्राय: लेनदार को उस स्थिति में एक विशिष्ट उपाय प्रदान करती है जब उसका देनदार अपना कर्ज़ वापस नहीं करता है।

प्रमुख बिंदु

कवरेज

- यह विधेयक बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्त्ताओं के 98.3% और जमा मूल्य के 50.9% हिस्से को कवर करेगा, जो कि वैश्विक स्तर पर क्रमश: 80% और 20-30% से अधिक है।
- इसके तहत सभी प्रकार के बैंक शामिल होंगे, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल हैं।
- यह पहले से ही अधिस्थगन की स्थिति में मौजूद बैंकों के साथ-साथ भविष्य में अधिस्थगन के तहत आने वाले बैंकों को भी कवर करेगा।
  - अधिस्थगन ऋण के भुगतान में देरी की कानूनी रूप से अधिकृत अवधि है।

बीमा कवर:

- यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा लगाए गए स्थगन के तहत बैंक आगमन की स्थिति में 90 दिनों के भीतर एक खाताधारक को 5 लाख रुपए तक की धनराशि प्रदान करेगा।
  - इससे पहले खाताधारकों को अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिये एक ऋणदाता के परिसमापन या पुनर्गठन का वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था, जो कि डिफॉल्ट गतिविधियों के विरुद्ध बीमित होते हैं।
  - 5 लाख रुपए का जमा बीमा कवर वर्ष 2020 में 1 लाख रुपए से बढ़ा दिया गया था।
    - 'बैंकों में ग्राहक सेवा' (2011) पर दामोदरन समिति ने कैप 5 लाख रुपए में आय के बढ़ते स्तर और व्यक्तिगत बैंक जमाओं के बढ़ते आकार के कारण पाँच गुना वृद्धि की सिफारिश की थी। ।
- बैंक को स्थगन के तहत रखे जाने के पहले 45 दिनों के भीतर DICGC जमा खातों से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करेगा। अगले 45 दिनों में यह जानकारी की समीक्षा करेगा और जमाकर्त्ताओं को उनकी धनराशि अधिकतम 90 दिनों के भीतर चुकाएगा।

नोट :

बीमा प्रीमियम:

- यह जमा बीमा प्रीमियम को तुरंत 20% और अधिकतम 50% तक बढ़ाने की अनुमति देता है।
  - प्रीमियम का भुगतान बैंकों द्वारा DICGC को किया जाता है। बीमित बैंक पिछले छमाही के अंत में अपनी जमा राशि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय छमाही की शुरुआत से दो महीने के भीतर अर्द्धवार्षिक रूप से निगम को अग्रिम बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं।
- इसे प्रत्येक 100 रुपए जमा करने के लिये 10 पैसे से बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया गया है और 15 पैसे की सीमा लगाई गई है।
- यह केवल एक सक्षम प्रावधान है। देय प्रीमियम में वृद्धि के निर्धारण हेतु RBI के साथ परामर्श करना होगा और सरकार की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम

परिचय:

- यह वर्ष 1978 में जमा बीमा निगम (Deposit Insurance Corporation- DIC) तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Credit Guarantee Corporation of India- CGCI) के विलय के बाद अस्तित्व में आया।
- यह भारत में बैंकों के लिये जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है।
- यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

कवरेज:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों, भारत में शाखाओं वाले विदेशी बैंकों और सहकारी बैंकों सहित अन्य बैंकों को DICGC से जमा बीमा कवर लेना अनिवार्य है।

कवर की गई जमाराशियों के प्रकार: DICGC निम्नलिखित प्रकार की जमाराशियों को छोड़कर अन्य सभी बैंक जमाओं जैसे- बचत, सावधि, चालू, आवर्ती, आदि का बीमा करता है।

- विदेशी सरकारों की जमाराशियाँ।
- केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियाँ।
- अंतर-बैंक जमा।
- राज्य भूमि विकास बैंकों की राज्य सहकारी बैंकों में जमाराशियाँ।
- भारत के बाहर प्राप्त किसी भी जमा राशि पर शेष कोई भी राशि।
- कोई भी राशि जिसे निगम द्वारा RBI की पिछली मंज़ूरी के साथ विशेष रूप से छूट दी गई है।

फंड:

- निगम निम्नलिखित निधियों का रखरखाव करता है:
  - जमा बीमा कोष
  - क्रेडिट गारंटी फंड
  - सामान्य निधि
- पहले दो को क्रमश: बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तथा संबंधित दावों के निपटान के लिये उपयोग किया जाता है।
- सामान्य निधि का उपयोग निगम की स्थापना और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिये किया जाता है।

नोट :

फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र की मदद करने के उद्देश्य से कानून में बदलाव लाने के लिये 'फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021' पारित किया है।

इसमें यूके सिन्हा समिति के कई सुझावों को शामिल किया गया है।

फैक्टरिंग व्यवसाय

- फैक्टरिंग व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है, जहाँ एक इकाई एक निश्चित राशि के लिये किसी अन्य इकाई की प्राप्य राशि का अधिग्रहण कर लेती है।
  - गौरतलब है कि प्राप्य की सुरक्षा के विरुद्ध बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं को फैक्टरिंग व्यवसाय नहीं माना जाता है।
- इस व्यवसाय में एक बैंक, एक पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी शामिल हो सकती है।
- प्राप्य का आशय ऐसी कुल राशि से है, जो किसी भी सामान, सेवाओं या सुविधा के उपयोग के लिये ग्राहकों की ओर से (ऋणी के रूप में संदर्भित) बकाया है या जिसका भुगतान किया जाना है।

प्रमुख बिंदु

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- परिभाषा में बदलाव
  - यह 'प्राप्तियों', 'असाइनमेंट' और 'फैक्टरिंग व्यवसाय' की परिभाषाओं में संशोधन करता है, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान बनाया जा सके।
- NBFC की फैक्टरिंग सीमा में छूट:
  - यह विधेयक 'फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011' में संशोधन करने का प्रयास करता है. ताकि उन संस्थाओं के दायरे को बढ़ाया जा सके जो फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं।
  - वर्तमान कानून, भारतीय रिज़र्व बैंक को गैर-बैंक वित्त कंपनियों को फैक्टरिंग व्यवसाय में बने रहने की अनुमति देने का अधिकार देता है, यदि फैक्टरिंग उसका प्रमुख व्यवसाय है।
    - यानी आधी से ज़्यादा संपत्तियाँ फैक्टरिंग कारोबार में तैनात हैं और आधी से अधिक आय भी इसी कारोबार से प्राप्त होती है।
  - यह विधेयक इस सीमा को समाप्त करता है और इस व्यवसाय में गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं को नए अवसर प्रदान करता है।
- शुल्क दर्ज करने के लिये TReDS:
  - बिल में कहा गया है कि जहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स को व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (TReDS) के ज़रिये फाइनेंस प्रदान किया जाता है, वहाँ फैक्टर या फैक्टरिंग के आधार पर TReDS द्वारा ट्रांजैक्शन से जुड़ी डिटेल्स सेंट्रल रजिस्ट्री में फाइल की जानी चाहिये।
    - TReDS मंच कई फाइनेंसरों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिये एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र है।
- RBI को विनियमित करना:
  - यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को एक कारक को पंजीकरण प्रमाण पत्र देने, सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ लेन-देन विवरण दाखिल करने तथा अन्य सभी मामलों के लिये विनियम बनाने का अधिकार देता है।
- पंजीकरण की समयावधि:
  - यह फैक्टर या फैक्टरिंग द्वारा दर्ज किये गए प्रत्येक लेन-देन के विवरण हेतु निर्धारित 30 दिन की समयावधि को समाप्त करता है। ऐसे लेन-देन के लिये पंजीकरण प्राधिकरण, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत केंद्रीय पंजीयन तंत्र है।

नोट :

महत्त्व:

- गैर-एनबीएफसी कारकों और अन्य संस्थाओं को फैक्टरिंग की अनुमति देने से छोटे व्यवसायों के लिये उपलब्ध धन की आपूर्ति में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- इसके परिणामस्वरूप धन की लागत कम हो सकती है और ऋण की कमी वाले छोटे व्यवसाय अधिक पहुँच में सक्षम हो सकते हैं, जिससे उनकी प्राप्तियों के खिलाफ समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- MSME को आसान तरलता मिलेगी जिससे उनके संचालन में मदद होगी।
  - प्राप्य में देरी के कारण MSME को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यह बिल सुचारु कार्यशील पूंजी चक्र तथा स्वस्थ नकदी प्रवाह (Healthier Cash Flow) सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- यह अधिनियम में प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को उदार बनाएगा और साथ ही सुनिश्चित करेगा कि RBI के माध्यम से एक मज़बूत नियामक/निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।

यूके सिन्हा समिति:

- रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2019 में MSME क्षेत्र के लिये रूपरेखा की समीक्षा करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा के नेतृत्व में आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
- इसने MSME विकास अधिनियम में संशोधन, वित्तीय वितरण तंत्र को मज़बूत करने, विपणन समर्थन में सुधार, प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित करने और MSME आदि के लिये क्लस्टर विकास समर्थन को मज़बूत करने के संबंध में सिफारिशें की हैं।

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किया।

- मार्च 2021 में इसे प्रथम बार पेश किया गया था तथा बाद में इसे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर एक संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, जिसने इसमें बिना किसी परिवर्तन के मंज़ूरी दे दी।
- यह विधेयक, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 में संशोधन प्रस्तावित करता है।

प्रमुख बिंदु

प्रमुख प्रावधान:

- परिभाषा :
  - यह हवाई अड्डों के एक समूह को शामिल करने के लिये प्रमुख हवाई अड्डे की परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
    - 2008 के अधिनियम के अनुसार, एक हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित किया जाता है यदि इस हवाई अड्डे से कम-से-कम 35 लाख यात्री वार्षिक तौर पर आवागमन करते हैं।
    - केंद्र सरकार अधिसूचना के ज़रिये किसी भी हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकती है।
- टैरिफ:
  - यह AERA को न केवल 35 लाख से अधिक यात्रियों के वार्षिक यातायात वाले प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में बल्कि हवाई अड्डों के एक समूह हेतु वैमानिकी सेवाओं के लिये टैरिफ तथा अन्य शुल्कों को विनियमित करने की अनुमति देगा।
- लाभदायक जुड़ाव:
  - सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत निवेश हेतु एक व्यवहार्य संयोजन के लिये बोलीदाताओं को एक संयोजन / पैकेज के रूप में लाभदायक तथा गैर-लाभकारी हवाई अड्डों को जोड़ने में सक्षम होगी।

नोट :

महत्त्व:

- यह अपेक्षाकृत दूरदराज़ के क्षेत्रों में हवाई संपर्क का विस्तार करने में मदद करेगा, परिणामस्वरूप उड़ान (UDAN) क्षेत्रीय संपर्क योजना को गति प्रदान करेगा।
- यह छोटे हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

चिंताएँ:

- 'हवाई अड्डों के समूह' की परिभाषा के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिये कौन से हवाई अड्डों को एक साथ जोड़ा जाएगा, यह तय करने के मानदंड पर बिल में स्पष्टता का अभाव है , चाहे वह 35 लाख से अधिक यात्री यातायात हो या कुछ अन्य कारक हों।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण

पृष्ठभूमि:

- प्रारंभ में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा हवाई अड्डों का संचालन और प्रबंधन का कार्य किया जाता था। कुछ समय बाद नागरिक उड्डयन नीति में बदलाव किया गया क्योंकि कुछ निजी अभिकर्त्ताओं को भी हवाई अड्डे के संचालन का कार्य दिया गया था। इसके पीछे निहित उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतरीन सेवाएँ प्रदान करना था।
- आमतौर पर हवाई अड्डों पर एकाधिकार का जोखिम होता है क्योंकि पर शहरों में प्राय: एक नागरिक हवाई अड्डा होता है जो उस क्षेत्र में सभी वैमानिकी सेवाओं को नियंत्रित करता है।
- निजी हवाई अड्डा संचालक अपने एकाधिकार का दुरुपयोग न कर सके यह सुनिश्चित करने के लिये विमानपत्तन क्षेत्र में एक स्वतंत्र शुल्क नियामक की आवश्यकता महसूस की गई थी।।

परिचय:

- भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (AERA अधिनियम) पारित किया गया जिसने AERA को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया।
- यह इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था कि देश को एक ऐसे स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता है जिसके पास पारदर्शी नियम हों और जो सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रख सके।

कार्य:

- AERA प्रमुख हवाई अड्डों पर वैमानिकी सेवाओं (हवाई यातायात प्रबंधन, विमान की लैंडिंग एवं पार्किंग, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ) के लिये टैरिफ और अन्य शुल्क (विकास शुल्क तथा यात्री सेवा शुल्क) नियंत्रित करता है।

सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक सुधार-आधारित और परिणाम-लिंक्ड पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंज़ूरी दी है।

- यह योजना डिस्कॉम कंपनियों (विद्युत वितरण कंपनियों) के लिये इस बात को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाती है कि वे वित्तपोषण का लाभ उठाने हेतु अपने परिचालन घाटे को कम करने की योजना किस प्रकार बनाती हैं।
- प्रारंभ में डिस्कॉम को दी गई प्रारंभिक समयसीमा 31 अक्तूबर, 2021 थी। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

योजना का उद्देश्य

- वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर AT&C (कुल तकनीकी और वाणिज्यिक) हानियों को 12-15% तक कम करना।

नोट :

- वर्ष 2024-25 तक ACS-ARR अंतर (यानी बिजली की कुल लागत और बिजली की आपूर्ति से उत्पन्न राजस्व के बीच के अंतर) को शून्य करना।
- आधुनिक डिस्कॉम के लिये संस्थागत क्षमताओं का विकास करना।
- वित्तीय रूप से सतत् और परिचालन कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिये बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं सामर्थ्यता में सुधार करना।
- योजना का कार्यान्वयन 'वन-साइज़ फिट ऑल' दृष्टिकोण के बजाय प्रत्येक राज्य के लिये तैयार की गई विशिष्ट कार्ययोजना पर आधारित होगा।

विशेषताएँ

- प्रतिबंधात्मक/सशर्त वित्तीय सहायता: योजना आपूर्ति बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करने के लिये डिस्कॉम को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करके सभी डिस्कॉम (निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़कर) की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना चाहती है।
- विभिन्न योजनाओं का समावेशन: यह प्रस्तावित है कि निम्नलिखित योजनाओं के तहत वर्तमान में चल रही अनुमोदित परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा:
  - एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS)
  - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
  - उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY)
  - जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के लिये प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP) 2015।
- कृषि फीडरों का सौरीकरण: इस योजना में किसानों के लिये बिजली की आपूर्ति में सुधार लाने तथा कृषि फीडरों के सौरीकरण के माध्यम से उन्हें दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  - यह योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के साथ कार्य करती है, जिसका उद्देश्य सभी फीडरों का सौरीकरण करना तथा किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करना है।
- स्मार्ट मीटरिंग: इस योजना की एक प्रमुख विशेषता प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (PPP) मॉडल को लागू करने के लिये उपभोक्ता का सशक्तीकरण कर उन्हें सक्षम बनाना है।
  - इससे स्मार्ट मीटर उपभोक्ता, मासिक आधार के बजाय नियमित आधार पर अपनी बिजली की खपत की निगरानी कर सकेंगे, जो उन्हें अपनी ज़रूरतों के अनुसार तथा उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में बिजली के उपयोग में मदद कर सकता है।
  - इसके पहले चरण में दिसंबर 2023 तक लगभग 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव है।
- उत्तोलन प्रौद्योगिकी: सिस्टम मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित आईटी/ओटी उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाया जाएगा।
  - इस डिस्कॉम (DISCOM) को नुकसान में कमी, मांग का पूर्वानुमान, दिन के समय (ToD), टैरिफ, नवीकरणीय ऊर्जा (RE) एकीकरण और अन्य संभावित विश्लेषण पर निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

MSMEs के लिये ऋण वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

'ट्रांसयूनियन सिबिल' एंड 'स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया' (SIDBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम' (MSME) क्षेत्र की ऋण बकाया राशि एक वर्ष के साथ बढ़कर 20.21 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो कि वर्ष-दर-वर्ष 6.6% की विकास दर है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिये ऋण वृद्धि जून 2021 में 6.4% हो गई, जबकि 2020 में इसमें 2.9% का संकुचन दर्ज किया गया था।

नोट :

स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया

- भारतीय संसद के अधिनियम के तहत अप्रैल 1990 में स्थापित सिडबी, MSME क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के साथ-साथ समान गतिविधियों में संलग्न संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिये प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।

ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड

- यह भारत में कार्यरत एक क्रेडिट सूचना कंपनी है। यह 600 मिलियन व्यक्तियों और 32 मिलियन व्यवसायों पर क्रेडिट फाइलों का रख-रखाव करती है।

प्रमुख बिंदु

MSME को ऋण:

वित्तीय वर्ष (FY) 2021 में देश ने MSME क्षेत्र को 9.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित किये, जो वित्त वर्ष 2020 में पिछले वर्ष के 6.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।

शेष ऋण:

- मार्च 2021 में MSME ऋण बकाया में 6.6% की वृद्धि हुई है, जिसमें सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र में सबसे तेज़ गति 7.4% की वृद्धि देखी गई।
  - सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र के पश्चात् लघु उद्योग क्षेत्र में 6.8% और मध्यम उद्योग क्षेत्र में 5.8% की दर से संवृद्धि हुई है।

क्षेत्रवार विश्लेषण:

- कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ:
  - कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये ऋण के मामले में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हुए जून 2020 में 2.4% की तुलना में जून 2021 में 11.4% की त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है।
- उद्योग:
  - विभिन्न उद्योगों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, काँच व काँच के बने पदार्थ, चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों, खनन एवं उत्खनन, कागज़ और कागज़ उत्पादों, रबर, प्लास्टिक व उनके उत्पादों तथा वस्त्रों आदि से संबंधित ऋण में जून 2021 में उच्च वृद्धि दर्ज की गई।
  - हालाँकि सभी इंजीनियरिंग, पेय पदार्थ और तंबाकू, बुनियादी धातु तथा धातु उत्पादों, सीमेंट एवं सीमेंट उत्पादों, रसायन व रासायनिक उत्पादों, निर्माण, बुनियादी ढाँचे, पेट्रोलियम कोयला उत्पादों तथा परमाणु ईंधन और वाहनों, वाहन के पुर्जों व परिवहन उपकरणों आदि से संबंधित वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है।
- सेवाएँ:
  - सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि जून 2021 में घटकर 2.9% हो गई, जो जून 2020 में 10.7% थी। यह कमी मुख्य रूप से वाणिज्यिक अचल संपत्ति, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और पर्यटन, होटल एवं रेस्तरां संबंधी ऋण वृद्धि में संकुचन के कारण हुई है।
  - क्रेडिट टू ट्रेड सेगमेंट ने अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा। इसने जून 2021 में 8.1% की तुलना में 11.1% की त्वरित वृद्धि दर्ज की।

वृद्धि के कारण:

- MSMEs द्वारा क्रेडिट निकासी में यह वृद्धि कोविड महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी से निपटने के लिये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) जैसी कई सरकारी पहलों के कारण हुई है।
  - ECLGS योजना मई 2020 में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी, जो विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से MSME को ऋण प्रदान करके कोरोनोवायरस-प्रेरित लॉकडाउन के कारण उत्पन्न संकट को कम करने के लिये थी।
  - इसका उद्देश्य देशव्यापी तालाबंदी के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों का समर्थन करना था।
  - हाल ही में सरकार ने आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन सहित नए क्षेत्रों में अपना दायरा बढ़ाया है।

नोट :

MSME के लिये अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
- पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI)
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना (ASPIRE)
- MSME को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिये ब्याज सबवेंशन योजना
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये ऋण गारंटी योजना
- CHAMPIONS पोर्टल
- MSME समाधान

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

दक्षिण अफ्रीका में हिंसक विरोध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में दंगों और लूटपाट में 70 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, साथ ही व्यवसायों और देश की बुनियादी अवसंरचना को भी गंभीर नुकसान पहुँचा है।

- वर्ष 1994 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन के अंत के बाद इस घटना को सबसे महत्त्वपूर्ण नागरिक अशांति के रूप में देखा जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

हालिया हिंसा के कारण

- इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की रिहाई के आह्वान को लेकर हुई थी, जिन्होंने वर्ष 2009-18 तक देश में बतौर राष्ट्रपति कार्य किया और वर्तमान में वे भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
  - पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के अधिकारियों ने जैकब जुमा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
  - कई लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति के रूप में उनके उत्तराधिकारी सिरिल रामफोसा निर्णायक नेतृत्त्व प्रदान करने में विफल रहे हैं, वे न तो जैकब जुमा की कैद को लेकर लोगों के गुस्से को शांत कर पाए और न ही दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को यह आश्वासन दे पाए कि वे सुरक्षित रहेंगे।
- यद्यपि जैकब जुमा की कैद के कारण हिंसा को बढ़ावा मिला है, किंतु यह हिंसा मुख्य तौर पर महामारी और विफल अर्थव्यवस्था के बीच देश में अंतर्निहित समस्याओं से प्रेरित है।
  - वर्ष 2020 में दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1946 के बाद से वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में सबसे तीव्र गिरावट देखी गई थी।
  - वर्ष 2021 के पहले तीन महीनों में बेरोज़गारी 32.6% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थी।

सरकार की प्रतिक्रिया

- दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने हिंसा की निंदा की है और कहा है कि हिंसा का कोई औचित्य नहीं है। सरकार के मुताबिक, बहुत सारे अपराधी या अवसरवादी व्यक्ति इस अवधि के दौरान स्वयं को समृद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं।
- सरकार ने दक्षिण अफ्रीकी पुलिस की सहायता के लिये सेना भी तैनात की है, हालाँकि दंगे और लूटपाट अभी भी बंद नहीं हुए हैं।

भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंध

पृष्ठभूमि:

- दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और न्याय के लिये संघर्ष के समय से भारत के संबंध उसके साथ हैं, जब महात्मा गांधी ने एक सदी पहले दक्षिण अफ्रीका में अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था।
- भारत, दक्षिण अफ्रीका में हुए रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सबसे आगे था। यह वहाँ की रंगभेदी सरकार के साथ व्यापार संबंधों को तोड़ने (वर्ष 1946 में) वाला पहला देश था और बाद में इसने इस सरकार पर पूर्ण राजनयिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक तथा खेल प्रतिबंध भी लगाए।
- दक्षिण अफ्रीका ने अपनी रंगभेद नीति को समाप्त करने के चार दशकों के बाद वर्ष 1993 में भारत से व्यापार और व्यावसायिक संबंधों को फिर से स्थापित किया।
  - दोनों देशों के बीच नवंबर 1993 में राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध बहाल किये गए।

नोट :

राजनीतिक संबंध:

- वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने लोकतंत्र की प्राप्ति के बाद मार्च 1997 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सामरिक साझेदारी पर लाल किला घोषणा (Red Fort Declaration on Strategic Partnership) पर हस्ताक्षर किये, जिसने पुन: संबंध के लिये नए मानदंड निर्धारित किये।
- दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी की फिर से तशवेन घोषणा (Tshwane Declaration- अक्तूबर 2006) में पुष्टि की गई।
  - ये दोनों घोषणाएँ महत्त्वपूर्ण रही हैं जिन्होंने अतीत में दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों को अपने-अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दिया है।
- भारत और दक्षिण अफ्रीका का वैश्विक शासन/बहुपक्षीय मंचों पर अपने विचारों तथा प्रयासों को समन्वित कर एक साथ काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है।
  - उदाहरण के लिये: ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका), आईबीएसए (भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका), जी20, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) एवं विश्व व्यापार संगठन (WTO)।

आर्थिक

- भारत, दक्षिण अफ्रीका का पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और चौथा सबसे बड़ा आयात मूल देश है तथा एशिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - दोनों देश आने वाले वर्षों में व्यापार बढ़ाने के लिये काम कर रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है।
- वर्ष 2016 में दोनों देश रक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से 'मेक इन इंडिया' पहल, ऊर्जा क्षेत्र, कृषि-प्रसंस्करण, मानव संसाधन विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास के तहत दक्षिण अफ्रीकी निजी क्षेत्र हेतु उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में सहयोग के लिये सहमत हुए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

- दोनों देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेष रूप से 'स्क्वायर किलोमीटर एरे' (SKA) परियोजना में सहयोग किया है।

संस्कृति:

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICAR) की मदद से पूरे दक्षिण अफ्रीका में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक गहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना भी शामिल है।
- 9वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था

भारतीय समुदाय:

- भारतीय मूल के समुदाय का बड़ा हिस्सा वर्ष 1860 के बाद से दक्षिण अफ्रीका में कृषि श्रमिकों के रूप में चीनी और अन्य कृषि बागानों में तथा मिल संचालकों के रूप में काम करने के लिये आया था।
- अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक भारतीय डायस्पोरा का घर है, जिसकी कुल संख्या 1,218,000 है, जो दक्षिण अफ्रीका की कुल आबादी का 3% है।
  - वर्ष 2003 के बाद से भारत प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है (जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे)।

आगे की राह:

- भारत-दक्षिण अफ्रीका की साझेदारी प्रगतिशील और अग्रगामी रही है। उनकी समृद्ध संस्कृति एवं लोगों के बीच संपर्क भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंधों को गुणवत्ता प्रदान करते हैं।
- यह स्वाभाविक है कि दक्षिण अफ्रीका को एशिया में अन्य भागीदारों की आवश्यकता है जैसे- भारत अफ्रीका में अन्य को साझेदार बनाने में लगा हुआ है। हालाँकि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों को लगातार इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उनके अपने द्विपक्षीय संबंध प्राथमिकता के पात्र हैं और इसमें अपार संभावनाएँ हैं।

नोट :

G7 की बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में G7 (Group of Seven) देशों ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना (Belt and Road initiative-BRI) का मुकाबला करने के लिये 47वें G7 शिखर सम्मेलन में 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड' (Build Back Better World- B3W) पहल का प्रस्ताव रखा।

ग्रुप ऑफ सेवन

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये इसकी सालाना बैठक होती है।
- G7 देश यूके, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं।
  - सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
- G7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिये गए निर्णय गैर-बाध्यकारी होते हैं।

प्रमुख बिंदु

बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के विषय में:

- इसका उद्देश्य विकासशील और कम आय वाले देशों में बुनियादी ढाँचे के निवेश घाटे को दूर करना है, जहाँ चीन ने BRI के अंतर्गत लगभग 2,600 परियोजनाओं के माध्यम से अरबों डॉलर का निवेश किया है।
  - BRI परियोजनाओं को विश्व में व्यापार, विदेश नीति और भू-राजनीति में अपने रणनीतिक प्रभुत्व के लिये चीन द्वारा बिछाए गए ऋण जाल के रूप में माना जाता है।
  - इसका समग्र ध्यान परिवहन, रसद और संचार विकसित करने पर है, जो चीन के व्यापार लागत को कम करेगा, चीनी बाज़ारों तक अधिक पहुँच प्रदान करेगा तथा ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
- इस योजना का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है।
  - B3W पहल विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक आवश्यक लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर की मांग को पूरा करने के लिये एक पारदर्शी साझेदारी प्रदान करेगी।
- यह जलवायु मानकों और श्रम कानूनों का पालन करते हुए निजी क्षेत्र के सहयोग से सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च करने का आह्वान करती है।
- हालाँकि इस विषय में अभी घोषणा नहीं की गई है कि योजना वास्तव में कैसे काम करेगी या अंततः कितनी पूंजी आवंटित करेगी।

चीन की BRI परियोजना:

- इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें विकास और निवेश हेतु पहल शामिल हैं जो एशिया से यूरोप तथा उससे आगे तक विस्तृत हैं।
- रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और अन्य बुनियादी ढाँचे जैसी बीआरआई परियोजनाओं में सहयोग करने के लिये 100 से अधिक देशों ने चीन के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
- BRI केज़रिये चीन का निवेश:
  - अपनी स्थापना के बाद से इसमें बाह्य निवेश अधिक हुआ है क्योंकि चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्वाह अनुपात 2001-10 के दौरान लगभग 0.34 से बढ़कर 1 हो गया।
  - मात्रा के लिहाज से FDI बहिर्वाह वर्ष 2016-19 में बढ़कर 140 अरब डॉलर हो गया, जो 2001-10 के दौरान वार्षिक औसत 25 अरब डॉलर था।

नोट :

- चीन व्यापक परिवहन नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिये अफ्रीका में निवेश कर रहा है। चीन और आसियान देशों के बीच बेहतर एकीकरण हेतु चीन ने पूर्वी एशियाई क्षेत्र के साथ विभिन्न संपर्कों मार्गों हेतु भी हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें ज़्यादातर परिवहन, रेलवे, सड़क मार्ग और जलमार्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ:
  - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), बांग्लादेश-चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारा (BCIM) और श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना अन्य महत्त्वपूर्ण BRI परियोजनाएँ हैं।
  - चीन की BRI के हिस्से के रूप में मध्य एशियाई क्षेत्र के भीतर 4,000 किलोमीटर रेलवे और 10,000 किलोमीटर राजमार्गों को पूरा करने की योजना है।
- भारत की चिंता:
  - भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के बारे में चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुज़रता है।
    - बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजना चीन के झिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है।
  - भारत ने अतीत में चीनी पहल में शामिल होने से इनकार कर दिया और BRI के खिलाफ आवाज़उठाई।
  - चीनी प्रतिस्पर्द्धा के कारण भारत अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता, बाज़ार पहुँच, संसाधन निष्कर्षण आदि पर प्रतिकूल व्यापार प्रभाव भी देखता है।

'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड' का महत्त्व:

- वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन और शीत शुद्ध की समाप्ति के बाद एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का फिर से उभरना हाल के समय की सबसे महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाओं में से एक है।
- वर्ष 1979 में चीन की अर्थव्यवस्था इटली की तुलना में छोटी थी, किंतु विदेशी निवेश के लिये खोले जाने और बाज़ार सुधारों को शुरू करने के बाद से चीन, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा यह नवीन प्रौद्योगिकियों के एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है।
- हालाँकि 'पारदर्शिता की कमी, खराब पर्यावरण और श्रम मानकों' के प्रति चीन की सरकार के दृष्टिकोण के कारण वह पश्चिम में एक सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

आगे की राह

- 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड' का प्रस्ताव निश्चित रूप से चीन की मेगा योजना के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिये एक स्वागत योग्य कदम है। हालाँकि 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड' में सुसंगत विचारों और उचित योजना का अभाव है लेकिन अभी भी इसमें देरी नहीं हुई है तथा इसे और अधिक बेहतर किया जा सकता है।
- इसके अलावा यह देखना अभी शेष है कि भारत 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड' में क्या भूमिका निभाएगा, क्योंकि चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) का भारत प्रबल विरोधी रहा है।
- चीन के प्रभाव को कम करने के लिये काउंटर-रणनीति आवश्यक है। संपूर्ण विश्व में 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' परियोजनाओं का एक वृहद् विश्लेषण (मात्रा और निवेश पैटर्न के आधार पर), स्पष्ट रूप से चीन-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण, उत्पादन नेटवर्क तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन के आधिपत्य को दर्शाता है।

नोट :

क्यूबा में विरोध-प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में क्यूबा में हज़ारों लोग अधिकारों पर लंबे समय से लगे प्रतिबंधों, भोजन और दवाओं की कमी तथा कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार की खराब प्रतिक्रिया का विरोध करने के लिये सड़कों पर उतर आए।

- यह कई दशकों बाद कम्युनिस्टों (Communist) द्वारा संचालित सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन है।

प्रमुख बिंदु

आंदोलन की शुरुआत:

- सोवियत संघ या उसके पूर्व सहयोगियों के पतन और शीत युद्ध (Cold War) की समाप्ति (वर्ष 1945-1991) के बाद से क्यूबा में आर्थिक संकट के बीच सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए।
  - क्यूबा में छः दशकों से भी अधिक समय तक साम्यवादी सरकार रही है।
- वर्तमान में क्यूबा, अमेरिकी प्रतिबंधों और कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
- क्यूबा के लोग अर्थव्यवस्था के पतन, भोजन और दवा की कमी, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा महामारी से निपटने में सरकार की असफलता से नाराज़ हैं।
- प्रदर्शनकारियों ने "आज़ादी" के नारे लगाए और राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़ कैनेल (Miguel Diaz Canel) से पद छोड़ने की मांग की।
- दूसरी ओर क्यूबा के राष्ट्रपति इस उथल-पुथल के लिये अमेरिका को ज़िम्मेदार मान रहे हैं।
  - उन्होंने क्यूबा पर अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई।
- इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका क्यूबा के लोगों की आज़ादी के लिये उनके साथ खड़ा है।

क्यूबा का इतिहास:

- 15वीं शताब्दी से लेकर वर्ष 1898 में स्पेन-अमेरिका युद्ध (Spanish–American War) तक क्यूबा, स्पेन का एक उपनिवेश था, इस युद्ध के बाद क्यूबा पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्ज़ा हुआ।
  - हालाँकि वर्ष 1902 में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा संरक्षित राष्ट्र के रूप में नाममात्र स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
- वर्ष 1940 में क्यूबा ने अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को मज़बूत करने का प्रयास किया, किंतु बढ़ती राजनीतिक कट्टरता और सामाजिक संघर्ष के कारण वर्ष 1952 में फुलगेनियो बतिस्ता के नेतृत्त्व में तख्तापलट हुआ और वहाँ तानाशाही शासन स्थापित हो गया।
- फुलगेनियो बतिस्ता के शासन के दौरान बढ़ते भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के कारण जनवरी 1959 में आंदोलन की शुरुआत हुई तथा बतिस्ता को सत्ता से हटा दिया गया, जिसके बाद फिदेल कास्त्रो के नेतृत्त्व में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई।
- वर्ष 1965 से क्यूबा को कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित किया जा रहा है।
- इसके अलावा शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विवाद का प्रमुख विषय क्यूबा था तथा वर्ष 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दोनों महाशक्तियाँ परमाणु युद्ध की कगार पर मौजूद थीं।
- वर्ष 2019 में क्यूबा में एक नए संविधान को मंज़ूरी दी गई, जो निजी संपत्ति के अधिकार को आधिकारिक मान्यता देता है, जबकि उत्पादन और भूमि के विनियमन पर केंद्र सरकार का अधिकार सुनिश्चित करता है।

अमेरिका-क्यूबा संबंध: संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच' 60 वर्षों से अधिक समय तक तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। अमेरिका-क्यूबा संबंधों की जड़ें शीत युद्ध काल में निहित हैं। यह निम्नलिखित घटनाओं में परिलक्षित हो सकता है।

- क्यूबा क्रांति: वर्ष 1959 में फिदेल कास्त्रो और क्रांतिकारियों के एक समूह ने हवाना (क्यूबा की राजधानी) की सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने फुलगेनियो बतिस्ता की अमेरिका समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका।

नोट :

- क्यूबा की क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो की सरकार ने अमेरिकी स्वामित्व वाली संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया, अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार पर आर्थिक दंड लगाया और सोवियत संघ के साथ अपने व्यापार को बढ़ाया।

- क्यूबा का मिसाइल संकट: क्यूबा की क्रांति के बाद की विभिन्न घटनाओं का अनुसरण करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर दिये और वर्ष 1961 में फिदेल कास्त्रो शासन को उखाड़ फेंकने के लिये एक गुप्त अभियान शुरू किया।
  - इसके बाद अमेरिकी एजेंसियों द्वारा क्यूबा सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, जिसे बे ऑफ पिग्स आक्रमण (Bay of Pigs invasion) के रूप में जाना जाता है।
  - इसके प्रत्युत्तर में क्यूबा ने सोवियत संघ को द्वीप पर गुप्त रूप से परमाणु मिसाइल स्थापित करने की अनुमति दी। इसने अमेरिका और सोवियत संघ को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया।
  - अंत में सोवियत संघ ने अमेरिका से क्यूबा पर आक्रमण न करने और तुर्की से अमेरिकी परमाणु मिसाइलों को हटाने की प्रतिबद्धता के बदले में मिसाइलों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की।

- अमेरिकी प्रतिबंध: क्यूबा मिसाइल संकट के बाद अमेरिका ने क्यूबा के अपने लगभग सभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी (John F. Kennedy) ने एक पूर्ण आर्थिक प्रतिबंध में विस्तारित किया जिसमें कड़े यात्रा प्रतिबंध भी शामिल थे।
  - ये आर्थिक प्रतिबंध आज भी जारी हैं।
  - अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राजनयिक संबंधों को बहाल करने और यात्रा तथा व्यापार का विस्तार करने सहित द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने हेतु कई कदम उठाए।
  - हालाँकि ट्रंप प्रशासन ने पर्यटन और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाकर पिछले समझौतों के पहलुओं को उलट दिया था।

भारत का स्टैंड:

- भारत ने वर्तमान में चल रहे विरोध पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन भारत ने अतीत में क्यूबा की आर्थिक नाकेबंदी को हटाने का समर्थन किया है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने ज़ोर देकर कहा कि क्यूबा के खिलाफ अमेरिका द्वारा इस घेराबंदी का निरंतर अस्तित्व बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है।

कम्युनिस्ट देश

- कम्युनिस्ट देश एक ऐसा राष्ट्र है जो एक ही पार्टी द्वारा शासित होता है और सत्तारूढ़ नेताओं के फैसलों की नींव मार्क्स एवं लेनिन के दर्शन पर आधारित होती है।
- साम्यवाद एक राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक और आर्थिक सिद्धांत है जिसका लक्ष्य निजी संपत्ति, लाभ-आधारित अर्थव्यवस्था को उत्पादन के प्रमुख साधनों के सामान्य स्वामित्व से बदलना है।

दक्षिण एशियाई पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को कोविड-19 टीकों और गरीबी उन्मूलन हेतु चीन के नेतृत्व वाली दक्षिण एशियाई पहल (China-led South Asian Initiative) में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया है।

- इसमें चीन-दक्षिण एशियाई देशों के आपातकालीन आपूर्ति रिज़र्व (China-South Asian Countries Emergency Supplies Reserve) और चीन में एक गरीबी उन्मूलन एवं सहकारी विकास केंद्र (Poverty Alleviation and Cooperative Development Centre) की स्थापना शामिल है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

चीन-दक्षिण एशियाई पहल के बारे में:

- सदस्य: चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
  - भारत, भूटान और मालदीव अन्य सार्क देश हैं जो इस पहल का हिस्सा नहीं हैं।
- चीन का दृष्टिकोण: चीन के दक्षिण एशियाई देशों के साथ विभिन्न प्रकार के रणनीतिक, समुद्री, राजनीतिक और वैचारिक हित हैं, अत: वह भारत को प्रतिसंतुलित करने के लिये प्रत्येक देश के साथ अपने जुड़ाव को समान स्तर पर बढ़ा रहा है।
- भारत का रुख: लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की आक्रामकता के कारण उत्पन्न तनाव को देखते हुए भारत का मानना है कि सीमा गतिरोध के समाधान के बिना अन्य द्विपक्षीय संबंध आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

संबद्ध मुद्दे: यह पहल चीन की दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को कम करने की रणनीति प्रतीत होती है। यह निम्नलिखित तर्कों में परिलक्षित होती है:

- माइनस-इंडिया इनिशिएटिव: सभी सार्क (SAARC) सदस्य देशों (भारत, भूटान और मालदीव को छोड़कर) के संयोजन के आधार पर कुछ विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह "माइनस इंडिया" (Minus-India) पहल (अर्थात् ऐसी पहल जिसमें भारत शामिल नहीं है) थी।
- दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को कमज़ोर करना: यह पहल चीन के दक्षिण एशिया में पैठ बनाने के प्रयासों में से एक है।
  - इस क्षेत्रीय समूह पर चीनी दबाव ऐसे समय में देखा गया है जब भारत सार्क की जगह अपना ध्यान बिम्सटेक (BIMSTEC) पर केंद्रित कर रहा है।
- काउंटरिंग क्वाड: चीन के नेतृत्व वाले ब्लॉक की योजना अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड (जिसमें भारत एक सक्रिय सदस्य है) का मुकाबला करने के लिये उत्तरी हिमालयी क्वाड (Himalayan Quad) बनाने की हो सकती है।

दक्षिण एशिया के लिये भारत की पहल:

- वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत ने अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति से प्रेरित और इस क्षेत्र के 'सुरक्षा प्रदाता' के रूप में भूमिका के तहत अपने तत्काल पड़ोसियों (वैक्सीन कूटनीति) को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीके प्रदान करना शुरू कर दिया।
  - भारत इनमें से कुछ देशों में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण को प्रशासित करने के लिये बुनियादी ढाँचे की स्थापना में भी मदद कर रहा है।
- हाल ही में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से सप्लाई चेन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव शुरू किया है।
  - इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बीच भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति शृंखलाओं के फिर से शुरू होने की संभावना के बीच चीन पर निर्भरता को कम करना है।
- हालाँकि भारत वर्षों से श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जैसे देशों में चीनी निवेश की गति को कम करने के लिये संघर्ष कर रहा है, जहाँ चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में बंदरगाहों, सड़कों और बिजली स्टेशनों का निर्माण कर रहा है।
  - हाल ही में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के रूप में चीन के नेतृत्व में 15 देशों का एक बड़ा व्यापार ब्लॉक अस्तित्व में आया है। इसने भारत के लिये दरवाज़े खुले रखे हैं।

आगे की राह

- सीमा आयोग की स्थापना: भारतीय बाह्य सीमाओं का सीमांकन का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। सीमा विवादों के समाधान से स्थिर क्षेत्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।
  - इस प्रकार भारत को सीमा आयोग की स्थापना करके सीमा-विवादों के समाधान के लिये प्रयास करना चाहिये।
- विदेश नीति के लक्ष्यों का सीमांकन : भारत की क्षेत्रीय आर्थिक और विदेश नीति को एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती है।
  - इसलिये भारत को लघु आर्थिक हितों के लिये पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों से समझौते का विरोध करना चाहिये।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को अधिक मज़बूती के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिये, जबकि सुरक्षा चिंताओं का समाधान लागत प्रभावी, कुशल और विश्वसनीय तकनीकी उपायों के माध्यम से किया जाना चाहिये जो दुनिया के अन्य हिस्सों में उपयोग किये जा रहे हैं।

नोट :

- गुजराल के सिद्धांत को लागू करना: भारत की पड़ोस नीति गुजराल सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिये।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत के स्थिति और मज़बूती को पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों की गुणवत्ता से अलग नहीं किया जा सकता है तथा इसके माध्यम से क्षेत्रीय विकास भी हो सकता है।

नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने 'जर्मनी-रूस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन' (NS2P) परियोजना को मंज़ूरी दी है, जिससे रूस पर यूरोप की ऊर्जा निर्भरता काफी बढ़ जाएगी।

- अमेरिका ने इससे पूर्व रूस और जर्मनी के बीच इस गैस पाइपलाइन को पूरा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

प्रमुख बिंदु

नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन

- यह 1,200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो रूस में उस्त-लुगा से जर्मनी में ग्रीफ्सवाल्ड तक बाल्टिक सागर के रास्ते होकर गुज़रती है। इसमें प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस ले जाने की क्षमता होगी।
- इस पाइपलाइन को बनाने का निर्णय वर्ष 2015 में लिया गया था।
- 'नॉर्ड स्ट्रीम 1 सिस्टम' को पहले ही पूरा किया जा चुका है और 'नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन' के साथ मिलकर यह जर्मनी को प्रतिवर्ष 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति करेगा।

प्रभाव

- रूस पर यूरोपीय संघ की निर्भरता
  - यह प्राकृतिक गैस के लिये रूस पर यूरोप की निर्भरता को और अधिक बढ़ाएगा, जबकि वर्तमान में यूरोपीय संघ के देश पहले से ही अपनी 40% गैस संबंधी आवश्यकताओं के लिये रूस पर निर्भर हैं।
- यूक्रेन पर नकारात्मक प्रभाव
  - रूस और यूरोप के बीच एक मौजूदा पाइपलाइन है, जो कि यूक्रेन से होकर गुज़रती है, किंतु 'नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन' परियोजना पूरी हो जाने के बाद यह यूक्रेन को बायपास कर देगी और इसके कारण यूक्रेन को प्रति वर्ष लगभग 3 बिलियन डॉलर के महत्त्वपूर्ण पारगमन शुल्क का नुकसान होगा।
- रूस के लिये भू-राजनीतिक जीत
  - यह रूस के लिये एक भू-राजनीतिक जीत और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के लिये परेशानी का सबब हो सकती है।

संयुक्त राज्य का नया रुख:

- रूस को धमकी देने का नरम विकल्प:
  - अमेरिका ने रूस को धमकी देने के लिये नरम विकल्प को अपनाया है कि यदि इस पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है तो इससे यूक्रेन या पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को नुकसान पहुँच सकता है।
  - एक तरफ यह रूस के हाइड्रोकार्बन तक पहुँच प्राप्त करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शंका में डालता है, जो कि वर्ष 2014 के क्रीमियन संघर्ष और वर्ष 2016 तथा वर्ष 2020 के अमेरिकी चुनावों में कथित हस्तक्षेप जैसे अपराधों की एक श्रृंखला के लिये उत्तरदायी हैं।.
- रूस के खिलाफ जर्मनी का अपना अधिनियम:
  - US-जर्मनी समझौता दर्शाता है कि अगर 'रूस ऊर्जा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने का प्रयास करता है' तो जर्मनी स्वयं प्रतिबंध लगाएगा तथा रूसी निर्यात को सीमित करेगा।

नोट :

- ग्रीन फंड फॉर यूक्रेन:
  - जर्मनी को मौजूदा रूस-यूक्रेन गैस पारगमन समझौते को 10 वर्ष तक बढ़ाने के लिये "सभी उपलब्ध शक्तियों या लाभों का उपयोग" करना है।
  - जर्मनी को भी यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार हेतु नए निर्मित 1 बिलियन डॉलर के ग्रीन फंड में कम-से-कम 175 मिलियन डॉलर का योगदान करना है।

अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई: चीन-पाकिस्तान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिये अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।

- अफगानिस्तान से हाल ही में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद देश भर में तालिबान का तेज़ी से विस्तार हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त कार्रवाई: इसे पाँच क्षेत्रों में रेखांकित किया गया है:
  - युद्ध के विस्तार से बचने और अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर गृहयुद्ध की स्थिति को रोकने के लिये।
  - सरकार और तालिबान के बीच अंतर-अफगान वार्ता को बढ़ावा देना तथा "एक व्यापक एवं समावेशी राजनीतिक संरचना" स्थापित करना।
  - आतंकवादी ताकतों का डटकर मुकाबला करना और अफगानिस्तान में सभी प्रमुख ताकतों को आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट रेखा खींचने के लिये प्रेरित करना।
  - अफगानिस्तान के पड़ोसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और उनके बीच सहयोग के लिये एक मंच के निर्माण का पता लगाना।
  - अफगान मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना।

आवश्यकता:

- पाकिस्तान में आतंकवाद:
  - पाकिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को लेकर चिंतित है, जो कई सालों से देश के खिलाफ विद्रोह कर रहा है।
- उइगर उग्रवादियों में वृद्धि:
  - चीन शिनजियांग प्रांत के उइगर उग्रवादियों के फिर से संगठित होने से चिंतित है, जो पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM) के तत्वावधान में काम करते हैं, इसे लेकर बीजिंग का आरोप है कि उसके अल-कायदा के साथ संबंध हैं।
    - संयुक्त राष्ट्र की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेंक्शन मॉनीटरिंग टीम की हाल ही में जारी 12वीं रिपोर्ट ने अफगानिस्तान में ईटीआईएम आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि की है।
- आर्थिक हित:
  - अगर अफगानिस्तान में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान के साथ-साथ चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भी खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई अन्य चीनी परियोजनाओं को भी खतरा होगा।
    - पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ऊपरी कोहिस्तान ज़िले के दसू इलाके में चीनी इंजीनियरों को ले जा रही एक शटल बस पर हाल ही में एक बम हमला हुआ था, यहाँ एक चीनी कंपनी सिंधु नदी पर 4320 मेगावाट क्षमता का बाँध बना रही है।
    - भारत ने सीपीईसी का विरोध किया है, जो पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुज़रता है, हालाँकि चीन ने परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है और पीओके में अपना निवेश बढ़ाया है।

नोट :

- अफगानिस्तानी स्थिति की पृष्ठभूमि:
  - 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों (9/11) में लगभग 3,000 लोग मारे गए थे।
    - इस्लामिक आतंकवादी समूह अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को इसके लिये दोषी माना गया।
  - तालिबान, कट्टरपंथी इस्लामवादी, जो उस समय अफगानिस्तान में सक्रिय थे, ने बिन लादेन की रक्षा की और उसे सौंपने से इनकार कर दिया। इसलिये 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान (ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम) के खिलाफ हवाई हमले शुरू किये।
  - हमलों के बाद उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) गठबंधन सैनिकों ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
  - अमेरिका ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में एक संक्रमणकालीन सरकार की स्थापना की।
  - जुलाई 2021 में अमेरिकी सैनिकों ने 20 साल के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस से देश में अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त करने की घोषणा की।
  - अमेरिका की वापसी ने तालिबान के पक्ष में युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदल दिया है।
- भारत के हित:
  - निवेश:
    - अफगानिस्तान में अपने अरबों के निवेश की रक्षा करना।
  - तालिबान:
    - भविष्य के तालिबान शासन को पाकिस्तान का मोहरा बनने से रोकना।
  - पाकिस्तान के आतंकी केंद्र:
    - यह सुनिश्चित करना कि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी आतंकवादी समूहों को तालिबान का समर्थन न मिले।

आगे की राह:

- भारत की अफगान नीति एक ऐसी स्थिति में हैं; अफगानिस्तान में और उसके आसपास हो रहे 'ग्रेट गेम' में अपनी संपत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ प्रासंगिक बने रहने के लिये भारत को अपनी अफगानिस्तान नीति को मौलिक रूप से पुनर्परिभाषित करना होगा।
- भारत को अपने फैसलों का पुनर्मूल्यांकन करने की ज़रूरत है और अफगानिस्तान के भविष्य के लिये सभी केंद्रीय ताकतों से निपटने हेतु अपने दृष्टिकोण को अधिक सर्वव्यापी बनाना होगा।
- इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, भारत को अपने राष्ट्रीय हित के मद्देनज़र तालिबान के साथ 'खुली बातचीत' शुरू करनी चाहिये क्योंकि असामंजस्य वाले आधे-अधूरे बैकचैनल परिचर्चाओं का समय समाप्त हो गया है।
- बदलती राजनीतिक व सुरक्षा स्थिति के लिये भारत को अपनी अधिकतमवादी स्थिति को अपनाने तथा तालिबान के साथ बातचीत शुरू करने के लिये और अधिक खुलेपन की नीति पर विचार करना होगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने उल्लेख किया कि भारत और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई 21वीं सदी को आकार देगी।

- यह यात्रा भारत के विदेश मंत्री (EAM) की मई 2021 की अमेरिकी यात्रा का प्रतिफल है।
- अमेरिकी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन (जी-7 बैठक में) एवं इटली (जी-20 बैठक में) में भी विस्तृत बातचीत की।

प्रमुख बिंदु

प्रमुख चर्चाएँ:

- अफगानिस्तान:
  - संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है और देश पर बलपूर्वक कब्जा करने से तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता या वैधता हासिल करने में मदद नहीं मिलेगी, जिसमें तालिबान नेतृत्त्व के खिलाफ प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध हटाना शामिल है।
    - भारत ने उल्लेख किया है कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान हेतु आम सहमति स्थापित करने में अपवाद है।

नोट :

- अफगानिस्तान जो कि अपने लोगों के अधिकारों का सम्मान नहीं करता है और जिसने अपने लोगों के खिलाफ अत्याचार किया है, वह वैश्विक समुदाय का हिस्सा नहीं होगा।
  - अफगानिस्तान को समावेशी और पूरी तरह से अफगान जनता का प्रतिनिधि होना चाहिये।

- भारत-प्रशांत सहयोग:
  - दोनों स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध इंडो-पैसिफिक को लेकर व्यक्तव्य साझा करते हैं।
  - जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड (चतुर्भुज फ्रेमवर्क) के हिस्से के रूप में इंडो-पैसिफिक में सहयोग पर प्रकाश डाला गया और स्पष्ट किया गया कि क्वाड एक सैन्य गठबंधन नहीं है।
- कोविड- टीकाकरण:
  - इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत द्वारा निर्मित कोविड-टीके उपलब्ध कराने के लिये क्वाड पहल पर चर्चा की गई।
  - अमेरिका ने भारत के वैक्सीन कार्यक्रम के लिये 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की और उत्पादन बढ़ाने के लिये वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने का वादा किया।
- जलवायु परिवर्तन:
  - अप्रैल 2021 में शुरू किये गए 'यूएस-इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा', 2030 पार्टनरशिप के तहत दोनों पक्षों का लक्ष्य एक नई जलवायु कार्रवाई की शुरुआत और वित्त जुटाने के साथ-साथ संवाद एवं रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को फिर से शुरू करना है।

अमेरिका का नज़रिया:

- भारत-अमेरिका संबंधों को विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण साझेदारियों में से एक माना जाता है।
- दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को साझा करते हैं जो इनके संबंधों के आधार का हिस्सा है और भारत के बहुलवादी समाज तथा सद्भाव के इतिहास को दर्शाता है।
  - दोनों मानवीय गरिमा, अवसर की समानता, कानून के शासन, मौलिक स्वतंत्रता, जिसमें धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता शामिल है, में विश्वास करते हैं।
  - दोनों देशों के लोगों को बोलने का अधिकार दिया गया है जिससे लोग अपनी बात उठा सकते हैं, इसके साथ ही दोनों देशों की सरकारें अपने सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करती हैं।
- समग्र संबंधों के कुछ प्रमुख स्तंभों के रूप में व्यापार सहयोग, शैक्षिक जुड़ाव, धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों तथा लाखों परिवारों के बीच संबंधों को उद्धृत किया गया है।
- लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये बढ़ते वैश्विक खतरों के उल्लेख के साथ ही लोकतांत्रिक मंदी (चीन में मानवाधिकारों के मुद्दे) के बारे में बात की गई, यह देखते हुए कि भारत तथा अमेरिका हेतु इन आदर्शों के समर्थन में एक साथ खड़े रहना महत्त्वपूर्ण है।
- अंतर्धार्मिक संबंध, मीडिया स्वतंत्रता, किसानों का विरोध, लव जिहाद हिंसा और अल्पसंख्यक अधिकार आदि उस चर्चा का हिस्सा थे जो अमेरिकी विदेश मंत्री ने दलाई लामा के एक प्रतिनिधि सहित लोगों के एक समूह के साथ की थी।

भारत का नज़रिया:

- भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध एक ऐसे स्तर तक बढ़े हैं जो दोनों देशों को बड़े मुद्दों पर सहयोगात्मक रूप से निपटने में सक्षम बनाता है।
- भारत, भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने के लिये अमेरिकी प्रतिबद्धता का स्वागत करता है जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है।
- इसने कई बिंदुओं के साथ मुद्दों पर अमेरिकी चिंताओं का जवाब दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि एक अधिक परिपूर्ण लोकतंत्र की तलाश अमेरिका और भारत दोनों पर लागू होती है।
- पिछले कुछ वर्षों की भारत की नीतियाँ ऐतिहासिक रूप से की गई गलतियों को ठीक करने की रही हैं, लेकिन इनकी तुलना शासन की कमी से नहीं की जानी चाहिये।

नोट :

भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति:

रक्षा:

- भारत और अमेरिका के मध्य पिछले कुछ वर्षों में महत्त्वपूर्ण रक्षा समझौते संपन्न हुए है तथा क्वाड (QUAD) के चार देशों के गठबंधन को भी औपचारिक रूप दिया गया है।
  - इस गठबंधन को हिंद-प्रशांत में चीन के एक महत्त्वपूर्ण प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है।
- नवंबर 2020 में मालाबार अभ्यास (Malabar Exercise) ने भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों में एक उच्च बिंदु को चित्रित किया है, यह 13 वर्षों में पहली बार था कि क्वाड के सभी चार देश चीन को एक मज़बूत संदेश देते हुए एक साथ आए।
- भारत के पास अब अफ्रीका के जिबूती (Djibouti) से लेकर प्रशांत महासागर में गुआम जैसे अमेरिकी ठिकानों तक पहुँच है। यह अमेरिकी रक्षा में उपयोग की जाने वाली उन्नत संचार तकनीक तक भी पहुँच सकता है।
- भारत और अमेरिका के बीच चार मूलभूत रक्षा समझौते हैं:
  - भू-स्थानिक खुफिया के लिये बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA)
  - सैन्य सूचना समझौते के तहत सामान्य सुरक्षा (GSOMIA)
  - लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)
  - संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA)

व्यापार:

- पिछली अमेरिकी सरकार ने भारत की विशेष व्यापार स्थिति (India's Special Trade Status- GSP withdrawal) को समाप्त कर दिया और कई प्रतिबंध भी लगाए, भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध के साथ जवाबी कार्रवाई की।
- वर्तमान अमेरिकी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने की अनुमति दी है।

भारतीय डायस्पोरा:

- अमेरिका में सभी क्षेत्रों में भारतीय डायस्पोरा की उपस्थिति बढ़ रही है। उदाहरण के लिये अमेरिका की वर्तमान उप-राष्ट्रपति (कमला हैरिस) का भारत से गहरा संबंध है।
- वर्तमान अमेरिकी प्रशासन में कई भारतीय मूल के लोग मज़बूत नेतृत्वकारी पदों पर हैं।

कोविड-सहयोग:

- पिछले वर्ष जब अमेरिका घातक कोविड लहर की चपेट में था तो भारत ने महत्त्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराई और देश की मदद के लिये निर्यात प्रतिबंधों में ढील दी थी।
- शुरू में अमेरिका ने भारत को ज़रूरत के समय समर्थन देने में झिझक दिखाई थी लेकिन जल्दी ही अमेरिका ने अपना रुख बदल लिया और भारत को आपूर्ति पहुँचा दी।

आगे की राह

- विशेष रूप से दोनों देशों में चीन विरोधी भावना बढ़ने के कारण देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की बहुत अधिक संभावना है।
- इस प्रकार वार्ता में विभिन्न गैर-टैरिफ बाधाओं के समाधान और अन्य बाज़ार पहुँच सुधारों पर यथाशीघ्र ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- समुद्री क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिये भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और अन्य भागीदारों के साथ पूरी तरह से जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि नेविगेशन की स्वतंत्रता व नियम-आधारित व्यवस्था को संरक्षित किया जा सके।
- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही कोई स्थायी शत्रु, केवल स्थायी हित होते हैं। ऐसे में भारत को रणनीतिक हेजिंग की अपनी विदेश नीति को जारी रखना चाहिये।

नोट :

शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दुशांबे, ताजिकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई।

- बैठक को संबोधित करते हुए भारत के रक्षामंत्री ने कहा कि भारत एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाने तथा बनाए रखने में मदद करने के लिये एससीओ ढाँचे के भीतर काम करने हेतु प्रतिबद्ध है।

प्रमुख बिंदु

रक्षामंत्री के संबोधन की प्रमुख विशेषताएँ:

- आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये सबसे गंभीर खतरा है तथा आतंकवाद के किसी भी कृत्य का समर्थन मानवता के खिलाफ अपराध है।
  - भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के अपने संकल्प की पुष्टि करता है।
- भारत की भू-रणनीतिक स्थिति इसे "यूरेशियन भूमि शक्ति" (Eurasian Land Power) के साथ-साथ भारत-प्रशांत में एक हितधारक बनाती है।
- महामारी, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा और संबंधित सामाजिक व्यवधान जैसी गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को प्रभावित कर सकती हैं।
- कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत अपनी वैक्सीन कूटनीति के माध्यम से देशों को सहायता पहुँचाने में सबसे आगे रहा है।
- आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) को लेकर भारत की पहल भी इस बात का एक उदाहरण थी कि कैसे देश मानवीय सहायता और आपदा राहत मुद्दों से निपटने के लिये क्षमताओं के निर्माण तथा उन्हें साझा करने हेतु एक साथ आ रहे थे।

शंघाई सहयोग संगठन

- इसकी स्थापना वर्ष 2001 में शंघाई में रूस, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, कज़ाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा एक शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं।
- एससीओ राष्ट्र एक साथ लगभग आधी मानव आबादी को शामिल करते हैं और यह भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में यूरेशियन महाद्वीप के लगभग 3/5 हिस्से को कवर करता है।
- SCO, जिसे नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है, आठ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है तथा सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है।
- भारत को वर्ष 2005 में इसका पर्यवेक्षक बनाया गया था।
- वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने।

शंघाई सहयोग संगठन और भारत के लिये अवसर:

- क्षेत्रीय सुरक्षा: यूरेशियन सुरक्षा समूह के एक अभिन्न हिस्से के रूप में 'शंघाई सहयोग संगठन' भारत को धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद जैसे खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा।
  - यही कारण है कि भारत ने 'शंघाई सहयोग संगठन' व इसके 'क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढाँचे' (RATS), जो विशेषत: सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से संबंधित है, के साथ अपने सुरक्षा संबंधी सहयोग को और मज़बूत करने में दिलचस्पी दिखाई है।
- मध्य एशिया के साथ जुड़ाव: भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति को आगे बढ़ाने के लिये 'शंघाई सहयोग संगठन' भी एक संभावित मंच है।

नोट :

- ‘शंघाई सहयोग संगठन’ के साथ भारत के मौजूदा जुड़ाव को मध्य एशिया के साथ संबंधों को फिर से जोड़ने और सक्रिय बनाने के भारत के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जिसके साथ भारत के काफी अच्छे संबंध रहे हैं और इसे भारत का विस्तारित पड़ोस माना जाता है।

- पाकिस्तान और चीन का मुकाबला: यह संगठन भारत को एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहाँ चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ क्षेत्रीय संदर्भ में संबोधित कर भारत के सुरक्षा हितों को प्रस्तुत किया जा सकता है।
- अफगानिस्तान में स्थिरता लाना: SCO अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलती स्थिति में स्थिरता लाने के लिये एक वैकल्पिक क्षेत्रीय मंच भी है।
  - भारत ने अब तक अफगानिस्तान में 500 परियोजनाएँ पूरी की हैं और 3 अरब डॉलर की कुल विकास सहायता के साथ कुछ अन्य परियोजनाओं को जारी रखा है।
- सामरिक महत्त्व: SCO के सामरिक महत्त्व को स्वीकार करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने यूरेशिया में 'SECURE' के मूलभूत आयाम को स्पष्ट किया था। SECURE शब्द अर्थ है:
  - S हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिये,
  - E सभी के आर्थिक विकास के लिये,
  - C क्षेत्र को जोड़ने के लिये,
  - U हमारे लोगों को एकजुट करने के लिये,
  - R संप्रभुता और अखंडता के सम्मान के लिये,
  - E पर्यावरण संरक्षण के लिये।

आगे की राह:

- SCO के भीतर सुरक्षा क्षेत्र में "विश्वास के सुदृढ़ीकरण" के साथ-साथ समानता, आपसी सम्मान और समझ के आधार पर समूह के भागीदारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिये उच्च प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता है।
- SCO सदस्य देशों को संयुक्त संस्थागत क्षमता विकसित करनी चाहिये जो व्यक्तिगत राष्ट्रीय संवेदनशीलता का सम्मान करे और लोगों, समाज तथा राष्ट्रों के बीच संपर्क बनाने के लिये सहयोग की भावना पैदा करे।
- सदस्य देशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर क्षेत्र बनने के लिये यह एक सामूहिक दाँव हैं जो मानव विकास सूचकांकों की प्रगति एवं सुधार में योगदान दे सकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

हबल स्पेस टेलीस्कॉप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप (HST) पर मौजूद वैज्ञानिक उपकरणों का परिचालन पुन: शुरू कर दिया है, जबकि लगभग एक माह पूर्व पेलोड कंप्यूटर में उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के कारण उनके काम को निलंबित कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

'हबल स्पेस टेलीस्कोप' के विषय में

- इस टेलीस्कोप का नाम खगोलशास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया है।
- यह वेधशाला अंतरिक्ष में स्थापित की जाने वाली पहली प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और इसने अपने प्रक्षेपण (1990 में 'लो अर्थ ऑर्बिट' में) के बाद से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज की हैं।
  - इसे 'गैलीलियो के टेलीस्कोप के बाद खगोल विज्ञान में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रगति' माना जाता है।
- यह नासा के ग्रेट ऑब्ज़र्वेटरीज़ प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसमें चार अंतरिक्ष-आधारित वेधशालाओं का एक समूह है और प्रत्येक वेधशाला एक अलग तरह के प्रकाश में ब्रह्मांड पर नज़र रखती है।
  - इस प्रोग्राम के अन्य मिशनों में विज़िबल-लाइट स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा-रे ऑब्ज़र्वेटरी (CGRO) और चंद्र एक्स-रे ऑब्ज़र्वेटरी (CXO) भी शामिल हैं।
- विशालकाय और बहुमुखी:
  - यह टेलीस्कोप आकार में एक स्कूल बस (13.3 मीटर) से बड़ा है और इसमें 7.9 फीट का दर्पण है।
  - यह काफी दूरी पर स्थित सितारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों को देखकर ब्रह्मांड को समझने में खगोलविदों की मदद करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- आम लोगों के लिये सार्वजिक डेटा
  - नासा किसी भी व्यक्ति को हबल डेटाबेस प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसमें टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई नई आकाशगंगा, नए सितारों, सौरमंडल और ग्रहों, असामान्य अंतरिक्ष घटनाओं तथा आयनित गैसों के विशिष्ट पैटर्न आदि से संबंधित सूचना शामिल है।

HST का महत्त्वपूर्ण योगदान:

- वर्ष 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पता लगाया कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज़ी से हो रहा है, इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिकांश 'कॉस्मोस' एक रहस्यमयी सामग्री से बने हैं जिसे 'डार्क एनर्जी' कहा जाता है।
- दक्षिणी रिंग नेबुला (1995) का स्नैपशॉट: इसने नेबुला के केंद्र में दो तारे, एक चमकीला सफेद तारा और एक हल्का मंद तारा प्रदर्शित किया, जिसमें मंद तारा पूरे नेबुला का निर्माण कर रहा था।
- दो ड्वार्फ आकाशगंगाओं का मिलन (1998): इनमें से एक I Zwicky 18 है। इससे एक नए तारे का निर्माण हुआ।
- ब्लैक होल संचालित आकाशगंगा में गैसों के रंगीन पैटर्न जिन्हें 'सर्सिनस गैलेक्सी' (1999) के रूप में जाना जाता है।
- दो आकाशगंगाओं UGC 06471 और UGC 06472 (2000) के बीच टकराव।
- नेपच्यून का स्नैपशॉट (2011): इसने सबसे दूर स्थित ग्रह की छवि लेते हुए मीथेन बर्फ के क्रिस्टल से बने उच्च बादलों के संगठन का खुलासा किया।
- एक स्टार 'बीटा पिक्टोरिस' के आसपास की डिस्क को वर्ष 1984 में खोजा गया।

नोट :

- इसने वर्ष 2013 में 'गैलेक्सी क्लस्टर एबेल 2744' (Galaxy Cluster Abell 2744) को अधिकृत कर लिया। यह 3.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और इसमें छोटी आकाशगंगाओं के कई समूह हैं।
  - यह एक मज़बूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी बनाता है जो लगभग 3,000 आकाशगंगाओं के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिये लेंस के रूप में कार्य करता है।
- इसने वर्ष 2014 में मंगल के साथ C/2013 A1 नामक धूमकेतु की टक्कर को कैद किया।
  - 'धूमकेतु साइडिंग स्प्रिंग' (Comet Siding Spring) मंगल ग्रह से सिर्फ 87, 000 मील की दूरी से गुज़रा।
- 'गम 29' (Gum 29) 20,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक दोलनशील तारकीय (Vibrant Stellar) सतह है, जिसमें 3,000 सितारों के विशाल समूह को वर्ष 2014 में कैप्चर किया गया था।
  - तारों के इस विशाल समूह को 'वेस्टरलंड 2' (Westerlund 2) कहा जाता है।
- वर्ष 2016 में एक प्राचीन धूमकेतु 332P/Ikeya-मुराकामी (332P/Ikeya-Murakami) के विघटन की तस्वीरें लीं ।
- त्रिकोणीय आकाशगंगा को तारे के जन्म के विशिष्ट क्षेत्रों को दर्शाते हुए एक चमकदार नीली रोशनी के साथ आकाशगंगाओं के गर्म गैस के सुंदर निहारिकाओं में फैलाया गया था।
- 'गैलेक्सी ईएसओ 243-49' (Galaxy ESO 243-49) की तस्वीर, जिसमें वर्ष 2012 में एक मध्यम आकार का ब्लैक होल था।
  - लगभग 20 हज़ार सूर्य के आकार का ब्लैक होल आकाशगंगा के एक हिमनद तल पर स्थित था।

HST का उत्तरवर्ती:

- हबल के उत्तरवर्ती के रूप में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope- JWST) को इस वर्ष के अंत में लॉन्च किया जाना है।
- लेकिन कई खगोलविदों को उम्मीद है कि कुछ समय के लिये ही सही दोनों एक-दूसरे के साथ काम करने में सक्षम होंगे।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (जिसे JWST या वेब भी कहा जाता है) 6.5 मीटर का प्राथमिक दर्पण युक्त एक बड़ा इन्फ्रारेड टेलीस्कोप होगा।
- वर्ष 2021 में इस टेलीस्कोप को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा।
- यह हमारे ब्रह्मांड के इतिहास के प्रत्येक चरण का अध्ययन करेगा, जिसमें बिग बैंग के बाद पहली प्रतिदीप्ति से लेकर जीवन का समर्थन करने में सक्षम पृथ्वी जैसे ग्रहों और हमारे अपने सौर मंडल का विकास तक शामिल हैं।
- वेब (Webb) नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है।

पेगासस स्पाईवेयर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यह बताया गया है कि स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर पेगासस (Pegasus) का कथित तौर पर भारत में व्यापक रूप से सार्वजनिक हस्तियों पर गुप्त रूप से निगरानी रखने और जासूसी करने के लिये उपयोग किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

पेगासस (Pegasus) के संदर्भ:

- यह एक प्रकार का मैलेशियस सॉफ्टवेयर या मैलवेयर है जिसे स्पाइवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - यह उपयोगकर्त्ताओं के ज्ञान के बिना उपकरणों तक पहुँच प्राप्त करने के लिये डिज़ाइन किया गया है और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है तथा इसे वापस रिले करने के लिये सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।
- पेगासस को इज़राइली फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है जिसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था।

नोट :

- पेगासस स्पाइवेयर ऑपरेशन पर पहली रिपोर्ट वर्ष 2016 में सामने आई, जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्त्ता को उसके आईफोन 6 पर एक एसएमएस लिंक के साथ निशाना बनाया गया था। इसे स्पीयर-फिशिंग कहा जाता है।
- तब से हालाँकि NSO की आक्रमण क्षमता और अधिक उन्नत हो गई है। पेगासस स्पाइवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्त्ताओं के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय एवं व्यक्तिगत जानकारी को नुकसान पहुँचाता है।
  - यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार की तकनीकी खामियाँ या बग हैं जिनके संबंध में मोबाइल फोन के निर्माता को जानकारी प्राप्त नहीं होती है और इसलिये वह इसमें सुधार करने में सक्षम नहीं होता है।

लक्ष्य:

- इज़राइल की निगरानी वाली फर्म द्वारा सत्तावादी सरकारों को बेचे गए एक फोन मैलवेयर के माध्यम से दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को लक्षित किया गया है।
- भारतीय मंत्री, सरकारी अधिकारी और विपक्षी नेता भी उन लोगों की सूची में शामिल हैं जिनके फोन पर इस स्पाइवेयर द्वारा छेड़छाड़ किये जाने की संभावना व्यक्त की गई है।
  - वर्ष 2019 में व्हाट्सएप ने इज़रायल के NSO ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी अदालत में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह फर्म मोबाइल उपकरणों को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित करके एप्लीकेशन पर साइबर हमलों को प्रेरित कर रही है।

भारत में उठाए गए कदम:

- साइबर सुरक्षित भारत पहल: इसे वर्ष 2018 में सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) और फ्रंटलाइन आईटी कर्मचारियों के लिये सुरक्षा उपायों हेतु साइबर अपराध एवं निर्माण क्षमता के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (NCCC): वर्ष 2017 में NCCC को रियल टाइम साइबर खतरों का पता लगाने के लिये देश में आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक और संचार मेटाडेटा (जो प्रत्येक संचार के अंदर छिपी जानकारी के छोटे भाग हैं) को स्कैन करने के लिये विकसित किया गया था।
- साइबर स्वच्छता केंद्र: इसे वर्ष 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के लिये मैलवेयर जैसे साइबर हमलों से अपने कंप्यूटर और उपकरणों को सुरक्षित करने हेतु पेश किया गया था।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): सरकार द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिये इस केंद्र का उद्घाटन किया गया।
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को भी पूरे भारत में लॉन्च किया गया है।
- कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम- इंडिया (CERT-IN): यह हैकिंग और फ़िशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने हेतु नोडल एजेंसी है।
- कानून:
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।
  - व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019।

अंतर्राष्ट्रीय तंत्र:

- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ: यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के भीतर एक विशेष एजेंसी है जो दूरसंचार और साइबर सुरक्षा मुद्दों के मानकीकरण तथा विकास में अग्रणी भूमिका निभाती है।
- साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन: यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य, जाँच-पड़ताल की तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट तथा साइबर अपराध को रोकना चाहती है। यह संधि 1 जुलाई, 2004 को लागू हुई थी।
  - भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है।

साइबर हमलों के प्रकार:

- मैलवेयर: यह Malicious Software (यानी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर) के लिये प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है, यह ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जिसे किसी एकल कंप्यूटर, सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को क्षति पहुँचाने के लिये डिज़ाइन किया जाता है। रैंसमवेयर, स्पाई वेयर, वर्म्स, वायरस और ट्रोजन सभी मैलवेयर के प्रकार हैं।

नोट :

- फिशिंग: यह भ्रामक ई-मेल और वेबसाइटों का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने का प्रयास करने का तरीका है।
- डेनियल ऑफ सर्विस अटैक: डेनियल-ऑफ-सर्विस (DoS) अटैक एक ऐसा हमला है जो किसी मशीन या नेटवर्क को बंद करने हेतु किया जाता है।
  - DoS हमले लक्ष्य को ट्रैफ़िक से भरकर या हानिकारक जानकारीयों को भेजकर ट्रिगर किये जाते है।
- मैन-इन-द-मिडिल (MitM) हमले: इसे ईव्सड्रॉपिंग हमलों के रूप में भी जाना जाता है, ये हमले तब होते हैं जब हमलावर खुद को दो-पक्षीय लेनदेन में सम्मिलित करते हैं।
  - एक बार जब हमलावर ट्रैफिक में बाधा डालते हैं, तो वे डेटा को फ़िल्टर और चोरी कर सकते हैं।
- SQL इंजेक्शन: SQL का अर्थ है संरचित क्वेरी भाषा (Structured Query Language), डेटाबेस के साथ संचार करने के लिये उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा।
  - वेबसाइटों और सेवाओं के लिये महत्त्वपूर्ण डेटा संग्रहीत करने वाले कई सर्वर अपने डेटाबेस में डेटा को प्रबंधित करने हेतु SQL का उपयोग करते हैं।
  - एक SQL इंजेक्शन हमला विशेष रूप से ऐसे सर्वरों को लक्षित करता है, जो सर्वर को जानकारी प्रकट करने हेतु दुर्भावनापूर्ण कोड का उपयोग करते हैं।
- क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग (XSS): SQL इंजेक्शन हमले के समान, इस हमले में एक वेबसाइट में दुर्भावनापूर्ण कोड डालना भी शामिल है, लेकिन इस मामले में वेबसाइट पर हमला नहीं किया जाता है।
  - इसके बजाय हमलावर ने जिस दुर्भावनापूर्ण कोड को इंजेक्ट किया है, वह केवल उपयोगकर्त्ता के ब्राउज़र में चलता है जब वह हमला की गई वेबसाइट पर जाता है तो सीधे विज़िटर के पीछे जाता है, न कि वेबसाइट पर।
  - सोशल इंजीनियरिंग: यह एक ऐसा हमला है जो आमतौर पर संरक्षित संवेदनशील जानकारी हासिल करने हेतु उपयोगकर्त्ताओं को बरगलाने के लिये मानवीय संपर्क पर निर्भर करता है।

नासा का नया अंतरिक्षयान: NEA स्काउट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) ने घोषणा की है कि उसके नए अंतरिक्षयान (नियर-अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट या NEA स्काउट) ने सभी आवश्यक परीक्षण पूरे कर लिये हैं तथा इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से स्थापित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

NEA स्काउट के बारे में :

- नियर-अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट या NEA स्काउट, एक छोटा अंतरिक्षयान है, जिसे क्यूबसैट (CubeSat) के रूप में जाना जाता है, इसे नासा के एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन सिस्टम (AES) प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है।
  - AES तेज़ी से विकसित प्रोटोटाइप सिस्टम, प्रमुख क्षमताओं का प्रदर्शन तथा लो-अर्थ ऑर्बिट से परे भविष्य के मानव मिशनों के लिये परिचालन अवधारणाओं को मान्य करने हेतु नए दृष्टिकोणों का अग्रदूत है।
- इसका मुख्य उद्देश्य नियर-अर्थ एस्टेरॉयड से उड़ान भरना और डेटा एकत्र करना है।
  - इसे क्षुद्रग्रह तक पहुँचने में लगभग दो वर्ष लगेंगे और क्षुद्रग्रह से संपर्क के दौरान यह पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन मील दूर होगा।
- यह विशेष सौर सेल प्रणोदन का उपयोग करने वाला अमेरिका का पहला अंतरग्रहीय मिशन भी होगा।
  - अब तक अंतरिक्षयान सौर ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें बिजली देने तथा महत्त्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने के लिये करता रहा है।
  - यह पहली बार होगा जब कोई अंतरिक्षयान जोर या थ्रस्ट (Thrust) उत्पन्न करने और आगे बढ़ने के लिये हवा के रूप में इसका इस्तेमाल करेगा।

नोट :

- यह कई पेलोड में से एक है जो आर्टेमिस-I (Artemis I) पर उड़ान भरेगा, जिसे नवंबर 2021 में लॉन्च किये जाने की संभावना है।
  - आर्टेमिस I ओरियन अंतरिक्षयान और SLS रॉकेट की एक मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी।
  - यह तीव्र गति से उड़ने वाली जटिल मिशनों की श्रृंखला में पहला है जो चंद्रमा और मंगल पर मानव अन्वेषण को सक्षम करेगा।
- NEA स्काउट (NEA Scout) को वर्ष 2021 में आर्टेमिस 1 पर सवार अन्य छोटे उपग्रहों के बेड़े के साथ चंद्रमा के लिये लॉन्च किया गया।
  - NEA स्काउट चंद्रमा पर अपने 86-वर्ग-मीटर सौर सेल को तैनात कर धीरे-धीरे सर्पिलाकार गति करते हुए चंद्रमा की कक्षा से बाहर हो जाएगा।
  - यह एक नियर-अर्थ क्षुद्रग्रह की यात्रा करेगा और सतह की नज़दीकी छवियों को कैप्चर करते हुए धीमी गति से उड़ान भरेगा।

महत्त्व:

- NEA स्काउट द्वारा एकत्र की गई छवियाँ क्षुद्रग्रह के भौतिक गुणों जैसे- कक्षा, आकार, मात्रा, रोटेशन, इसके आसपास की धूल और मलबे के क्षेत्र, साथ ही इसकी सतह के गुणों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगी।
- अंतरिक्षयान सौर क्रूज़र के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा, जो वर्ष 2025 में उड़ान भरते समय 16 गुना बड़े पाल (Sail) का उपयोग करेगा।
- नियर-अर्थ क्षुद्रग्रहों का अध्ययन एक प्रभाव की स्थिति में होने वाले संभावित क्षति को कम करने के लिये रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है।
- डेटा का उपयोग यह निर्धारित करने के लिये किया जा सकता है कि जोखिम को कम करने, प्रभावशीलता बढ़ाने और रोबोटिक तथा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के डिज़ाइन एवं संचालन में सुधार हेतु क्या आवश्यक है।

नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट्स (NEOs):

- 'नियर अर्थ ऑब्जेक्ट' ऐसे पिंड/क्षुद्रग्रह या धूमकेतु होते हैं जो पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न करते हुए उसकी कक्षा के करीब से गुज़रते हैं। ये क्षुद्रग्रह ज़्यादातर बर्फ और धूल कण से मिलकर बने होते हैं।
- NEO कभी-कभी पृथ्वी के करीब पहुँचते हैं क्योंकि वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
- नासा का सेंटर फॉर नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी (CNEOS) क्षुद्रग्रह वॉच विजेट के माध्यम से उस स्थिति में इन ऑब्जेक्ट्स का समय और दूरी निर्धारित करता है, जब ये पृथ्वी के नज़दीक होते हैं।

क्षुद्रग्रह

- ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी पिंड हैं जो ग्रहों की तुलना में काफी छोटे होते हैं। इन्हें लघु ग्रह (Minor Planets) भी कहा जाता है।
- नासा के अनुसार, अब तक ज्ञात क्षुद्रग्रहों (4.6 बिलियन वर्ष पहले सौरमंडल के निर्माण के दौरान के अवशेष) की संख्या 9,94,383 है।
- क्षुद्रग्रहों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
  - पहली श्रेणी में वे क्षुद्रग्रह आते हैं जो मंगल तथा बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट/पट्टी में पाए जाते हैं। अनुमानत: इस बेल्ट में 1.1-1.9 मिलियन क्षुद्रग्रह मौजूद हैं।
  - दूसरी श्रेणी के तहत ट्रोजन्स को शामिल किया गया है। ट्रोजन्स ऐसे क्षुद्रग्रह हैं जो एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा (Orbit) साझा करते हैं।
  - तीसरी श्रेणी पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रहों यानी नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स (NEA) की है जिनकी कक्षा ऐसी होती है जो पृथ्वी के निकट से होकर गुज़रती है। वे क्षुद्रग्रह जो पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाते हैं उन्हें अर्थ क्रॉसर (Earth-crosser) कहा जाता है।
    - इस तरह के 10,000 से अधिक क्षुद्रग्रह ज्ञात हैं जिनमें से 1,400 को संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह (Potentially Hazardous Asteroid- PHA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट :

- PHA ऐसे क्षुद्रग्रह होते हैं जिनके पृथ्वी के करीब से गुज़रने से पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।
- PHA की श्रेणी में उन क्षुद्रग्रहों को रखा जाता है जिनकी 'न्यूनतम कक्षा अंतर दूरी' (Minimum Orbit Intersection Distance- MOID) 0.05 AU या इससे कम हो। साथ ही 'निरपेक्ष परिमाण' (Absolute Magnitude-H) 22.0 या इससे कम हो।
- पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई (Astronomical Unit-AU) से इंगित करते हैं।

'हाई एल्टीट्यूड बैलून' के माध्यम से इंटरनेट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा में 'हाई एल्टीट्यूड बैलून' के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है जब उनकी सरकार ने इंटरनेट की पहुँच को अवरुद्ध कर दिया है।

- क्यूबा में लंबे समय से अधिकारों पर प्रतिबंध, भोजन और दवाओं की कमी तथा कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार की खराब प्रतिक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है।

प्रमुख बिंदु:

इंटरनेट हेतु हाई एल्टीट्यूड बैलून:

- इन्हें आमतौर पर 'लून बैलून' के रूप में जाना जाता है क्योंकि इंटरनेट प्रदान करने के लिये पहले 'हाई एल्टीट्यूड बैलून' का इस्तेमाल 'प्रोजेक्ट लून' के तहत किया गया था।
- वे सामान्य प्लास्टिक की पॉलीथीन से बने होते हैं और एक टेनिस कोर्ट के आकार के होते हैं।
- वे सौर पैनलों द्वारा संचालित होते हैं एवं ज़मीन पर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- हवा में ऊपर रहते हुए वे 'फ्लोटिंग सेल टावरों' के रूप में कार्य करते हैं तथा इंटरनेट सिग्नल को ग्राउंड स्टेशनों और व्यक्तिगत उपकरणों तक पहुँचाते हैं।
  - वे वाणिज्यिक जेटलाइनर मार्गों (पृथ्वी से 60000 से 75000 फीट ऊपर) के ऊपर उड़ते रहते हैं।
- पृथ्वी पर वापस आने से पहले वे समताप मंडल में 100 दिनों से अधिक समय तक रहते हैं।
- प्रत्येक गुब्बारा हज़ारों लोगों की सेवा कर सकता है लेकिन समताप मंडल में कठोर परिस्थितियों के कारण उन्हें हर पाँच महीने में बदलना और गुब्बारों को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है।

आवश्यकताएँ:

- नेटवर्क:
  - गुब्बारों से परे इसे क्षेत्र में ज़मीन पर सेवा और कुछ उपकरण प्रदान करने के लिये दूरसंचार के साथ नेटवर्क एकीकरण की आवश्यकता थी।
- अनुमति:
  - इसे स्थानीय नियामकों से भी अनुमति की आवश्यकता है पर क्यूबा सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने की संभावना नहीं है।

महत्त्व:

- सुलभ:
  - फोन कंपनियों को ज़रूरत पड़ने पर अपने कवरेज का विस्तार करने की अनुमति देकर, इस बैलून का उद्देश्य देशों को केबल बिछाने या सेल टावर बनाने की तुलना में एक सस्ता विकल्प प्रदान करना है।
- दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच:
  - ये दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ मौजूदा प्रावधानों के तहत खराब सेवा प्रदान की जा रही है, इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम हैं और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में संचार में सुधार करने में सक्षम हैं।

नोट :

चुनौतियाँ:

- अप्रयुक्त बैंड की आवश्यकता:
  - इसे क्यूबा से एक कनेक्शन संचारित करने के लिये स्पेक्ट्रम या रेडियो फ्रीक्वेंसी के अप्रयुक्त बैंड की आवश्यकता होगी और स्पेक्ट्रम का उपयोग प्राय: राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
  - इस प्रकार की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्पेक्ट्रम का एक फ्री ब्लॉक ढूँढना होगा जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
- अलाभकारी:
  - लंबी अवधि में बैलून या ड्रोन-संचालित नेटवर्क के किफायती होने की संभावना नहीं है।
- परिचालन चुनौतियाँ:
  - बैलून की स्थिति को उचित रूप से मैप करने के लिये एल्गोरिदम विकसित करना, खराब मौसम से निपटने के लिये एक अच्छी रणनीति निर्धारित करना और गैर-नवीकरणीय संसाधनों पर भरोसा करने की चिंता को संबोधित करना अन्य चुनौतियों हैं।

प्रोजेक्ट लून (Project Loon):

- इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में गूगल (Google) की पैरेंट कंपनी एल्फाबेट (Alphabet) ने की थी। यह समताप मंडल में बैलून्स का एक नेटवर्क था जिसे ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
- जनवरी 2020 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया\ क्योंकि यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी।
- शटडाउन से पहले लून बैलून एक स्थानीय दूरसंचार के साथ साझेदारी के माध्यम से केन्या के पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहा था।
- इस सेवा ने तूफान मारिया के बाद प्यूर्टो रिको में वायरलेस संचार प्रदान करने में भी मदद की।

सौर ऊर्जा में घरेलू विनिर्माण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने भारत में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माताओं की पहली सूची जारी की है।

- MNRE ने सौर सेल और मॉड्यूल निर्माताओं के लिये मॉडल तथा निर्माताओं की स्वीकृत सूची (Approved List of Models and Manufacturers- ALMM) के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है, जो सौर आयात और आत्मनिर्भरता को लेकर भारत की निर्भरता को कम करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है।
- हालाँकि घरेलू निर्माताओं की क्षमता की कमी को देखते हुए ALMM आयातित फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की खरीद की योजना बनाने में भारतीय डेवलपर्स को निकट अवधि में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

सौर प्रौद्योगिकी

- सोलर फोटोवोल्टिक (Solar Photovoltaic- SPV): SPV सेल्स, सौर विकिरण (सूर्य के प्रकाश) को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। एक सोलर सेल, सिलिकॉन (Silicon) या अन्य सामग्रियों से बना एक अर्द्धचालक उपकरण (Semiconducting Device) होता है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है।
- सोलर थर्मल (Solar Thermal): सोलर थर्मल पावर सिस्टम (Solar Thermal Power Systems), जिसे कंसंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम (Concentrating Solar Power Systems) के रूप में भी जाना जाता है, विद्युत उत्पादन हेतु थर्मल रूट का उपयोग कर उच्च तापमान ऊर्जा स्रोत के रूप में संकेंद्रित सौर विकिरण (Concentrated Solar Radiation) का उपयोग करता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

ALMM के संदर्भ में:

- ALMM, भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) प्रमाणन का अनुपालन करने वाले सौर सेल और मॉड्यूल के पात्र मॉडल तथा निर्माताओं को सूचीबद्ध करता है।
  - इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य मॉड्यूल के लिये एक गुणवत्तापूर्ण बेंचमार्क प्रदान करना और निम्न गुणवत्ता वाले चीनी निर्माताओं को भारत में अपने उत्पादों को डंप करने से रोकना है।
- सरकारी स्वामित्व वाली सौर परियोजनाओं की आपूर्ति करने वाले निर्माताओं के लिये ALMM में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है।
  - इस सूची में शामिल मॉडल और निर्माता ही देश में स्थापित सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत परियोजनाओं में उपयोग के लिये पात्र होंगे।
- इसके अलावा "सरकार" शब्द में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और केंद्रीय एवं राज्य संगठन/स्वायत्त निकाय शामिल हैं।

ALMM से संबंधित मुद्दे:

- सौर परियोजनाओं की मौद्रिक क्षमता पर प्रभाव: ALMM के विषय में स्पष्टता का सीधा सा अर्थ है आपूर्ति अनिश्चितता, सीमित मॉड्यूल विकल्प, नई प्रौद्योगिकियों तक पहुँच में कमी और बड़े पैमाने पर परियोजना डेवलपर्स हेतु लागत में वृद्धि तथा ये सभी मिलकर सौर परियोजनाओं की मौद्रिक क्षमता को प्रभावित करेंगे।
  - इसके परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा शुल्क की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जो कि अंतत: सौर ऊर्जा के प्रयोग की संभावनाओं को कमज़ोर करेगा।
- BIS और ALMM के बीच ओवरलैप: ALMM को सौर उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये स्थापित किया गया था, किंतु यह कई पहलुओं में मौजूदा भारतीय मानक ब्यूरो (BSI) प्रमाणन के साथ ओवरलैप करता है।
  - 'भारतीय मानक ब्यूरो' उत्पाद प्रमाणन से जुड़ा हुआ है, जबकि ALMM मूल रूप से एक प्रक्रिया और निर्माण सुविधा/मूल उपकरण निर्माता के प्रमाणीकरण से संबंधित है।
  - इससे घरेलू विनिर्माताओं पर अनुपालन बोझ पड़ता है।
- आपूर्ति-पक्ष संबंधी बाधाएँ: कई निर्माताओं का मानना है कि ALMM के कार्यान्वयन से विदेशी कंपनियों को भारतीय बाज़ार में आपूर्ति करने से रोक दिया जाएगा।
  - चूँकि भारतीय घरेलू बाज़ार अभी भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, ऐसे में परियोजना निर्माताओं को निकट भविष्य में आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने का डर है।

भारत में सौर ऊर्जा की घरेलू क्षमता:

- वर्ष 2014 के बाद से सौर क्षमता वृद्धि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और भारत उत्तरोत्तर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सौर बाज़ार के रूप में उभर रहा है।
  - हालाँकि भारत का सौर ऊर्जा बाज़ार काफी हद तक आयातित उत्पादों पर निर्भर है।
  - भारत का घरेलू सौर उपकरण निर्माण उद्योग इस अवसर को भुनाने में काफी हद तक विफल रहा है।
  - लगभग 80% सौर उपकरण और घटक चीन से आयात किये जाते हैं।
- इसका कारण यह है कि सोलर सेल का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रौद्योगिकी एवं पूंजी गहन है, साथ ही प्रत्येक 8-10 महीने में यह अपग्रेड भी होते हैं।
  - इसके अलावा सोलर वेफर और इनगॉट निर्माण के वैश्विक बाज़ार में चीन का दबदबा है, जो भारत में सस्ते सौर उपकरणों को पहुँचाने के लिये प्रतिस्पर्द्धा-रोधी उपायों का उपयोग करता है।

नोट :

सौर ऊर्जा और भारत

- वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन (Paris Climate Summit) से ठीक पहले भारत सरकार ने कहा कि वह वर्ष 2022 तक 175 GW अक्षय ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, जिसमें 100 GW सौर ऊर्जा भी शामिल है।
  - इस संदर्भ में राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission) भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक रूप से सतत् विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है।
  - इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते में INDC के हिस्से के रूप में भारत की प्रतिबद्धता वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने की है।
- 'भारत में सौर रूपांतरण के लिये सतत् रूफटॉप कार्यान्वयन (सृष्टि) पर रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।
- कुसुम योजना (KUSUM Scheme) किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगी।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) की स्थापना के माध्यम से भारत 122 से अधिक देशों की सौर ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाने हेतु एक ऐसे विश्व की परिकल्पना करता है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित है।
  - इसके अलावा ISA का दृष्टिकोण एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड (One World, One Sun, One Grid- OSOWOG) को सक्षम बनाना है।

आगे की राह

- ALMM और BIS प्रमाणन, इन दो उद्देश्यों को मिलाकर और इसे एकल-विंडो प्रक्रिया बनाकर बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता था।
- सौर परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिये मज़बूत वित्तीय उपायों की आवश्यकता है, ग्रीन बॉण्ड, संस्थागत ऋण और स्वच्छ ऊर्जा कोष जैसे नवीन कदम,महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से भंडारण प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना भी इस दिशा में एक उचित कदम हो सकता है।
- चीन द्वारा की जाने वाली सौर उपकरणों की डंपिंग से निपटने के लिये उचित तंत्र प्रदान किया जाना चाहिये।
- नीति निर्णयन और कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी से बचने के लिये एक आवश्यक ढाँचा अपनाया जाना चाहिये। भारत को सौर अपशिष्ट प्रबंधन और विनिर्माण मानक नीति की भी आवश्यकता है।

एक्सोप्लैनेट के आसपास 'मून- फॉर्मिंग' क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारे सौरमंडल (एक्सोप्लैनेट) से परे एक ग्रह के चारों ओर एक 'मून- फॉर्मिंग' क्षेत्र देखा है।

एक्सोप्लैनेट:

- एक एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रासोलर ग्रह सौरमंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है। एक्सोप्लैनेट का पता लगाने की पुष्टि पहली बार वर्ष 1992 में हुई थी। अब तक 4,400 से अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी है।
- एक्सोप्लैनेट को सीधे दूरबीन से देखना बहुत कठिन है। वे उन सितारों की अत्यधिक चमक से छिपे हुए हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। इसलिये खगोलविद एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिये अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं जैसे कि ग्रहों के उन सितारों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखना जिनकी वे परिक्रमा करते हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

परीक्षण एवं निष्कर्ष:

- वैज्ञानिकों ने PDS 70 नामक एक 'यंग स्टार' की परिक्रमा करते हुए लगभग दो एक्सोप्लैनेट के आस-पास घूमने वाली एक डिस्क का पता लगाया।
  - PDS 70 पृथ्वी की अपेक्षा करीब 370 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।
  - एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जिस प्रकाश एक वर्ष में तय करता है (लगभग 9.5 ट्रिलियन किमी.)।
- इसे एक परिग्रहीय डिस्क कहा जाता है और इन्हीं से चंद्रमाओं का जन्म होता है। PDS 70c (द एक्सोप्लैनेट) के चारों ओर की डिस्क, जिसका व्यास पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बराबर है, में पृथ्वी के चंद्रमा के आकार के तीन चंद्रमाओं का निर्माण करने के लिये पर्याप्त द्रव्यमान मौजूद है।
  - PDS 70c हमारे सौरमंडल के नेपच्यून ग्रह के समान सूर्य से पृथ्वी की 33 गुना दूरी पर अपने तारे की परिक्रमा करता है।
- नारंगी रंग का यह तारा PDS 70, लगभग हमारे सूर्य के द्रव्यमान के समान एवं लगभग 5 मिलियन वर्ष पुराना है। दोनों ग्रह और भी छोटे हैं। दोनों ग्रह एक गैस के विशालकाय बृहस्पति के समान (हालाँकि बड़े) हैं।
- दोनों ग्रह अभी अपनी युवावस्था में हैं और एक गतिशील अवस्था में हैं जिसमें वे अभी भी अपने वायुमंडल को प्राप्त कर रहे हैं।

प्रयुक्त उपकरण:

- इस दौरान चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 'अटाकामा लार्ज मिलीमीटर ऐरे (ALMA) वेधशाला का प्रयोग किया गया। यह पृथ्वी पर बनी अब तक की सबसे जटिल खगोलीय वेधशाला है।
  - उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और यूरोप के वैज्ञानिकों के समूहों ने इस सफल वैज्ञानिक उपकरण को विकसित करने हेतु संयुक्त तौर पर कार्य किया।
- यह खगोलीय वेधशाला दो आकारों के 66 उच्च-सटीक डिश एंटेना का उपयोग करती है: उनमें से 54 डिश एंटेना 12 मीटर के हैं, जबकि 12 डिश एंटेना 7 मीटर के हैं।

अन्य चंद्रमा बनाने वाले क्षेत्र:

- अब तक कोई भी सर्कुलेटरी डिस्क नहीं मिली थी क्योंकि पीडीएस 70 की परिक्रमा करने वाले दो गैसीय ग्रहों को छोड़कर अन्य सभी ज्ञात एक्सोप्लैनेट पूर्णत: 'परिपक्व' और पूरी तरह से विकसित सौर प्रणालियों में हैं।
- इसके अलावा हमारे सौरमंडल में शनि के प्रभावशाली वलय, ऐसा ग्रह जिसके चारों ओर 80 से अधिक चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, एक मौलिक चंद्रमा बनाने वाली डिस्क के अवशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ग्रह और चंद्रमा का निर्माण:

- अंतरतारकीय गैस और आकाशगंगाओं में बिखरी धूल के बादलों के मध्य तारे में जीवन के लिये विस्फोट होता है। एक नए तारे के चारों ओर घूमने वाली बची हुई सामग्री फिर ग्रहों में समाहित हो जाती है तथा कुछ ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले डिस्क इसी प्रकार चंद्रमा का निर्माण करते हैं।
- ग्रह निर्माण को रेखांकित करने वाले प्रमुख तंत्र को "कोर अभिवृद्धि" (Core Accretion) कहा जाता है।
  - कोर अभिवृद्धि (Core Accretion) धीरे-धीरे बड़े पिंडों में ठोस कणों के टकराव और जमाव से होती है जब तक कि एक गैसीय आवरण की वृद्धि हेतु एक विशाल पर्याप्त ग्रह के भ्रूण (10-20 पृथ्वी द्रव्यमान) का निर्माण नहीं हो जाता है।
- इस परिदृश्य में बर्फ में लिपटे छोटे धूल के कण, धीरे-धीरे और अधिक बड़े आकार में अन्य कणों के साथ टकराव के माध्यम से वृद्धि करते हैं।
- यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कण एक ग्रहीय कोर के आकार में विकसित नहीं हो जाता है, इस बिंदु पर नवीन/युवा विकसित ग्रह में गैस को एकत्र करने हेतु पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है और वह नवीन ग्रह के वातावरण का निर्माण करती है।
- कुछ नवजात ग्रह (Nascent Planets) अपने चारों ओर सामग्री की एक डिस्क (Disc of Material) को आकर्षित करते हैं, उसी प्रक्रिया के साथ जो एक तारे के चारों ओर ग्रहों को जन्म देते हैं जिससे ग्रहों के चारों ओर चंद्रमाओं का निर्माण होता है।

नोट :

मंकीपॉक्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने नाइजीरिया से यात्रा करने वाले लोगों की निगरानी करना शुरू किया है, क्योंकि उसको डर है कि ये लोग मंकीपॉक्स (Monkeypox) से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हो सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

मंकीपॉक्स के विषय में:

- यह एक वायरल ज़ूनोटिक रोग (Zoonotic Disease- जानवरों से मनुष्यों में संचरण होने वाला रोग) है और बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिये इसे मंकीपॉक्स नाम दिया गया है। यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है।
- यह रोग मंकीपॉक्स वायरस के कारण होता है, जो पॉक्सविरिडे फैमिली (Poxviridae Family) में ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस (Orthopoxvirus Genus) का सदस्य है।
- वायरस का प्राकृतिक स्रोत अज्ञात है, लेकिन इसे कई जानवरों में पाया गया है।
  - मंकीपॉक्स वायरस के स्रोत के रूप में पहचाने जाने वाले जानवरों में बंदर और वानर, विभिन्न प्रकार के कृतंक (चूहों, गिलहरियों और प्रैरी कुत्तों सहित) तथा खरगोश शामिल हैं।

प्रकोप:

- इसे सर्वप्रथम वर्ष 1958 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में बंदरों में और वर्ष 1970 में मनुष्यों में पाया गया था।
- नाइजीरिया ने वर्ष 2017 में पूर्व में पुष्टि किये गए मामले के 40 वर्ष बाद सबसे बड़े प्रकोप का अनुभव किया है।
- इसके बाद कई पश्चिम और मध्य अफ्रीकी देशों में इस बीमारी की सूचना मिली है।

लक्षण:

- इससे संक्रमित लोगों में चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं लेकिन मंकीपॉक्स के कारण होने वाला बुखार, अस्वस्थता और सिरदर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं।
- रोग के प्रारंभिक चरण में मंकीपॉक्स को चेचक से अलग किया जा सकता है क्योंकि इसमें लिम्फ ग्रंथि (Lymph Gland) बढ़ जाती है।

संचरण:

- प्राथमिक संक्रमण किसी संक्रमित जानवर के रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या त्वचीय या म्यूकोसल घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। संक्रमित जानवरों का अपर्याप्त पका हुआ माँस खाना भी जोखिम का कारक है।
- मानव-से-मानव संचरण का कारण संक्रमित श्वसन पथ स्राव, संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घावों से या रोगी या घाव से स्रावित तरल पदार्थ द्वारा तथा दूषित वस्तुओं के निकट संपर्क हो सकता है।
- संचरण टीकाकरण या प्लेसेंटा (जन्मजात मंकीपॉक्स) के माध्यम से भी हो सकता है।

संवेदनशीलता:

- यह तेज़ी से फैलता है और संक्रमित होने पर दस में से एक की मौत का कारण बन सकता है।

उपचार और टीका:

- मंकीपॉक्स संक्रमण के लिये कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। अतीत में मंकीपॉक्स को रोकने में चेचक रोधी टीके को 85% प्रभावी दिखाया गया था।
  - वर्ष 1980 में दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था, इसलिये यह टीका अब व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- वर्तमान में मंकीपॉक्स के प्रसार को रोकने के लिये कोई वैश्विक प्रणाली मौजूद नहीं है।

नोट :

आगे की राह:

- बेहतर निगरानी और प्रतिक्रिया, बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जंगली जानवरों, विशेष रूप से बंदरों के संपर्क से बचना।
- कोई भी जानवर जो संक्रमित जानवर के संपर्क में आया हो, उसे क्वारंटाइन किया जाना चाहिये, मानक सावधानियों को ध्यान दिया जाना चाहिये और 30 दिनों तक मंकीपॉक्स के लक्षणों का परीक्षण करना चाहिये।
- अन्य बीमारियों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। स्थानिक रोगों से संबंधित रिपोर्ट किये गए मामलों की संख्या में गिरावट आई है क्योंकि लोग कोविड-19 के कारण अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं।

GRB 200826A: गामा-किरण विस्फोट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खगोलविदों के एक समूह ने उच्च-ऊर्जा विकिरण के एक बहुत ही कम अवधि के ऐसे शक्तिशाली विस्फोट का पता लगाया है जिसे गामा-किरण विस्फोट (Gamma-Ray Bursts- GRB) के रूप में भी जाना जाता है जो लगभग एक सेकंड तक हुआ था।

- इसके घटित होने की तारीख के बाद इसका नाम GRB 200826A रखा गया, जो कि 26 अगस्त, 2020 है।
- इसे राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) के फर्मी गामा-किरण स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखा गया थाI

प्रमुख बिंदु

गामा-किरण विस्फोट:

- परिचय:
  - ये ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली घटनाएँ हैं, जिनका पता अरबों प्रकाश-वर्षों में लगाया जा सकता है।
  - एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जब प्रकाश की किरण एक पृथ्वी वर्ष या 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर में यात्रा करती है।
  - खगोलविद् उन्हें दो सेकंड से अधिक या कम समय तक चलने के आधार पर लंबे या छोटे के रूप में वर्गीकृत करते हैं।
- लंबे GRB:
  - वे बड़े सितारों की मृत्यु के समय लंबे समय तक हुए विस्फोट का निरीक्षण करते हैं।
  - जब सूर्य से बहुत अधिक विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, तो उसका केंद्रीय भाग (कोर) अचानक ढह जाता है और एक कृष्ण विवर (ब्लैक होल) बन जाता है।
    - ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन नहीं होता।
  - जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल की ओर घूमता है, उसमें से कुछ अंश दो शक्तिशाली धाराओं (जेट) के रूप में बाहर की ओर निकल जाते हैं और जो फिर विपरीत दिशाओं में लगभग प्रकाश की गति से बाहर की ओर भागते हैं।
  - खगोलविद् GRB का ही पता केवल तब लगा पाते हैं जब इनमें से एक प्रवाह लगभग सीधे पृथ्वी की ओर जाने का संकेत दे देता है।
  - तारे के भीतर से प्रस्फुटित प्रत्येक धारा (जेट) से गामा किरणों का एक स्पंदन उत्पन्न होता है, जो प्रकाश का ऐसा उच्चतम-ऊर्जा रूप है जो कई मिनटों तक चल सकता है।
  - विस्फोट के बाद विखंडित तारा फिर तेज़ी से एक सुपरनोवा के रूप में फैलता है।
    - सुपरनोवा एक विस्फोट करने वाले तारे को दिया गया नाम है जो अपने जीवन के अंत तक पहुँच गया है।
- लघु GRB:
  - लघु GRB तब बनते हैं जब संघटित (कॉम्पैक्ट) वस्तुओं के जोड़े- जैसे न्यूट्रॉन तारे, जो तारों के टूटने के दौरान भी बनते हैं- अरबों वर्षों में अंदर की ओर सर्पिल रूप में घूर्णन करते रहते हैं और आपस में टकराते हैं।
    - एक न्यूट्रॉन तारा उच्च द्रव्यमान वाले सितारों के संभावित विकासवादी अंत-बिंदुओं में से एक होता है।

नोट :

GRB 200826A:

- यह केवल 0.65 सेकंड तक चलने वाले उच्च-ऊर्जा उत्सर्जन का एक तीव्र विस्फोट था।
  - विस्तारित ब्रह्मांड के माध्यम से काफी लंबे समय तक यात्रा करने के बाद फर्मी के गामा-रे बर्स्ट मॉनीटर (Fermi's Gamma-ray Burst Monitor) द्वारा पता लगाए जाने के समय तक यह संकेत (सिग्नल) लगभग एक-सेकंड लंबा हो गया था।
  - यह हमारे ब्रह्मांड की वर्तमान आयु की लगभग आधी उम्र से पृथ्वी की ओर दौड़ रहा था।
- एक विशाल तारे की मृत्यु के कारण हुआ यह सबसे छोटा गामा-रे विस्फोट था।

GRB 200826A का महत्त्व:

- इसने गामा-किरणों के विस्फोट से संबंधित लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने में मदद की है। साथ ही यह अध्ययन संख्या घनत्व को बेहतर ढंग से सीमित करने हेतु ऐसी सभी ज्ञात घटनाओं का पुन: विश्लेषण करने के लिये प्रेरित करता है।

शोधकर्ता:

- इस समूह में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेज़ (ARIES), द इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे (IUCAA), नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स - टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, पुणे (NCRA) और आईआईटी मुंबई के भारतीय खगोलविद् शामिल थे।

फर्मी गामा-रे स्पेस टेलीस्कोप:

- परिचय:
  - पूर्व में इसे गामा-रे लार्ज एरिया स्पेस टेलीस्कोप (GLAST) कहा जाता है, यह एक अंतरिक्ष वेधशाला है जिसका उपयोग पृथ्वी की निचली कक्षा से गामा-किरणों संबंधी खगोलीय अवलोकन के लिये किया जाता है।
  - इसे जून 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम एक इटैलियन-अमेरिकी वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने उच्च-ऊर्जा भौतिकी में अग्रणी काम किया था।
- सहयोग:
  - फर्मी एक खगोल भौतिकी और कण भौतिकी साझेदारी है, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग के सहयोग तथा फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, स्वीडन और यू.एस. में शैक्षणिक संस्थानों व भागीदारों के महत्त्वपूर्ण योगदान के साथ विकसित किया गया है।
- प्रमुख कार्य:
  - यह प्रत्येक तीन घंटे में संपूर्ण आकाश का मानचित्रण करता है। यह ब्रह्मांड की सबसे चरम घटनाओं के मामले में महत्त्वपूर्ण पहुँच प्रदान करता है, जैसे जीआरबी, ब्लैक-होल जेट और पल्सर।
    - पल्सर एक प्रकार के न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो नियमित अंतराल पर रेडियो तत्त्वों का उत्सर्जन करते हैं।

गामा किरणें

- ये ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा वाली प्रकाश किरणें हैं। इनमें हमारी आँखों को दिखाई देने वाले प्रकाश की तुलना में एक अरब गुना अधिक ऊर्जा होती है।
- ये ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं द्वारा निर्मित हैं, जैसे- न्यूट्रॉन तारे और पल्सर, सुपरनोवा विस्फोट तथा ब्लैक होल के आसपास का क्षेत्र।
- गामा किरणों में उच्च ऊर्जा होती है; इनमें किसी भी लेंस या दर्पण के माध्यम से सीधे गुजरने की क्षमता होती है, जिससे उन्हें एक दृश्य-प्रकाश दूरबीन में केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है।

पृथ्वी पर गामा किरणें:

- पृथ्वी पर, गामा किरणें परमाणु विस्फोट, बिजली तथा कम रेडियोधर्मी क्षय की गतिविधि से उत्पन्न होती हैं।
- गामा-किरण गामा किरणों का खगोलीय अवलोकन है जिसमें 100 केवी (किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट) से ऊपर फोटॉन ऊर्जा होती है।

नोट :

- गामा किरणें इतनी ऊर्जावान होती हैं कि वे पृथ्वी पर जीवन के लिये हानिकारक होती हैं।
- पृथ्वी का वायुमंडल गामा किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे वह इन गामा किरणों को पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही अवशोषित कर जीवन को प्रभावित करने से रोकता है।
  - इसलिये गामा-किरण स्रोतों का खगोलीय अवलोकन पृथ्वी के वायुमंडल के सुरक्षात्मक आवरण के ऊपर उच्च ऊँचाई पर उड़ने वाले गुब्बारों या उपग्रहों के साथ किया जाता है।

रूस का 'नौका' मॉड्यूल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' (ISS) में 'नौका' नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है।

- इससे पूर्व चार अंतरिक्ष यात्रियों को नासा और स्पेसएक्स के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' पर भेजा गया था। इस मिशन को 'क्रू-2' मिशन के नाम से जाना जाता है।

'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' (ISS)

- 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' एक निवास योग्य कृत्रिम उपग्रह है, जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है।
- यह पाँच अंतरिक्ष एजेंसियों: नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन), रॉसकॉसमॉस (रूस), जाक्सा (जापान), ESA (यूरोप) और CSA (कनाडा) के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- एक अंतरिक्ष स्टेशन मुख्य रूप से एक बड़ा अंतरिक्षयान है, जो लंबी अवधि के लिये पृथ्वी की निम्न कक्षा में रहता है।
- यह अंतरिक्ष में एक बड़ी प्रयोगशाला की तरह है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को माइक्रोग्रैविटी में वैज्ञानिक परीक्षण करने और हफ्तों या महीनों तक रहने की अनुमति देता है।

अन्य अंतरिक्ष स्टेशन

- चीन ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का एक मानव रहित मॉड्यूल 'तियानहे' लॉन्च किया है, जिसके वर्ष 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
- भारत वर्ष 2030 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिससे भारत अमेरिका, रूस और चीन की एक विशिष्ट सूची में शामिल हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

नौका मॉड्यूल:

- रूसी भाषा में 'नौका' का अर्थ विज्ञान है। यह अंतरिक्ष में रूस की सबसे महत्त्वाकांक्षी अनुसंधान सुविधा है और इसमें ऑक्सीजन जनरेटर, रोबोट कार्गो क्रेन, एक शौचालय तथा रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के लिये बिस्तर शामिल है।
- इसे एक प्रोटॉन रॉकेट (रूस में रॉकेट समूह- रूस की अंतरिक्ष सूची में सबसे शक्तिशाली) का उपयोग करके कक्षा में भेजा गया है और इसे ISS तक पहुँचने में आठ दिन लगेंगे।
  - इस दौरान इंजीनियर और फ्लाइट कंट्रोलर अंतरिक्ष में नौका का परीक्षण करेंगे तथा अंतरिक्ष स्टेशन पर इसके आगमन की तैयारी करेंगे।
- यह 'पर्स' की जगह लेगा और महत्त्वपूर्ण 'ज़्वेज़्दा मॉड्यूल' से जुड़ा होगा जो सभी अंतरिक्ष स्टेशन को जीवन समर्थन प्रणाली प्रदान करता है एवं रूसी कक्षीय खंड (ROS) के संरचनात्मक व कार्यात्मक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
  - 'पर्स' सितंबर 2001 से अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा रहा है, जो रूसी अंतरिक्षयान के लिये 'डॉकिंग पोर्ट' और रूसी स्पेसवॉक के लिये एक 'एयरलॉक' के रूप में कार्य कर रहा है।

नोट :

महत्त्व:

- यह ISS के रहने योग्य आयतन को बढ़ाकर 70 घन मीटर कर देगा। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अतिरिक्त जगह का प्रयोग करने और कार्गो स्टोर करने के लिये करेंगे।
- नौका भविष्य के संचालन के लिये एक नई 'साइंस फैसिलिटी', डॉकिंग पोर्ट और स्पेसवॉक एयरलॉक के रूप में काम करेगी।
- 20 से अधिक वर्षों से लोग सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों के तहत अनुसंधान कर रहे हैं जो पृथ्वी पर संभव नहीं है, यह मॉड्यूल किये जा रहे शोध कार्यों को बढ़ाने में मदद करेगा।
  - जीव विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, भौतिकी और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों में अनुसंधान किया जा रहा है।

दृष्टि The Vision

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

अमेज़न वन: कार्बन उत्सर्जक के रूप में

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, अमेज़न के जंगलों/वनों ने कार्बन डाइऑक्साइड (Carbon dioxide- CO_2) को अवशोषित करने के बजाय इसका उत्सर्जन करना शुरू कर दिया है।

- वर्ष 1960 के बाद से बढ़ते पेड़ों और पौधों ने सभी जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन का लगभग एक- चौथाई हिस्सा अवशोषित कर लिया है, जिसमें अमेज़न सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन (Tropical Forest) के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

अध्ययन के प्रमुख तथ्य:

- पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी ब्राज़ील में अत्यधिक वनों की कटाई (40 वर्षों के दौरान) के कारण इसने जंगल को CO_2 के स्रोत में बदल दिया है जो पृथ्वी को गर्म करने की क्षमता रखता है।
  - इसने शुष्क मौसम के दौरान वर्षा की लंबी अवधि और तापमान में वृद्धि को भी प्रभावित किया है।
- न केवल अमेज़न के वर्षा वन बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ जंगल भी पिछले कुछ वर्षों में वृक्षारोपण और आग के परिणामस्वरूप कार्बन स्रोतों में परिवर्तित हो गए हैं।
- वर्ष 2013 से जंगलों में आग लगने की दर दोगुनी हो गई है। जिसका एक प्रमुख कारण यह है कि किसान अगली फसल प्राप्त करने हेतु ज़मीन को साफ करने हेतु जलाते है।
  - अधिकांश उत्सर्जन आग के कारण होता है।
- बिना आग के भी अमेज़न के एक हिस्से में विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन की चिंताजनक स्थिति देखी गई है जो संभवत प्रत्येक वर्ष वनों की कटाई और अगले वर्ष के लिये फसल प्राप्ति हेतु जंगलों को साफ करने के उद्देश्य से लगाई जाने वाली आग का परिणाम था।

वनों की कटाई का कारण:

- राज्य की नीतियाँ जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं, जैसे- रेलवे और सड़क विस्तार परियोजनाओं ने अमेज़न और मध्य अमेरिका में "अनजाने में वनों की कटाई" को प्रोत्साहित किया है।
- 1970 और 1980 के दशक में वनों की कटाई तब शुरू हुई जब पशुपालन और सोया की खेती हेतु बड़े पैमाने पर वनों का रूपांतरण (Forest Conversion) शुरू हुआ।

अमेज़न वर्षा वन:

- ये विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन पर कब्ज़ा कर रहे हैं।
  - उष्णकटिबंधीय बंद वितान वन होते हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं।
  - यहाँ या तो मौसमी रूप से या पूरे वर्ष में प्रतिवर्ष 200 सेमी. से अधिक वर्षा होती है।
  - तापमान समान रूप से उच्च होता है (20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच)।
  - इस तरह के वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कई प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं।

नोट :

- अमेज़न वर्षावन लगभग 80% अमेज़न बेसिन को कवर करते हैं और वे दुनिया की लगभग 1/5 भूमि पर रहने वाली प्रजातियों का घर है और सैकड़ों स्वदेशी समूहों तथा कई अलग-अलग जनजातियों सहित लगभग 30 मिलियन लोगों का घर भी है।
  - अमेज़न बेसिन 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के साथ विशाल है, यह भारत के आकार का लगभग दोगुना है।
  - यह बेसिन दुनिया के ताजे पानी के प्रवाह का लगभग 20% महासागरों से प्राप्त करता है।
- ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा, उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज़ पर्वत, दक्षिण में ब्राज़ील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है।

आगे की राह

- यदि उष्णकटिबंधीय वनों की कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने की क्षमता को बनाए रखना है, तो जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने के साथ ही तापमान में वृद्धि को सीमित करने की आवश्यकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा के लिये उभारते बाज़ार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, उभरते बाज़ारों द्वारा कम लागत वाले नवीकरणीय ऊर्जा के अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित किये जाने से विश्व भर में जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन का स्तर अपने चरम पर पहुँच गया है और जल्द ही इसमें कमी देखने को मिलेगी।

- यह रिपोर्ट भारत की 'ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद' (CEEW) और वित्तीय थिंक टैंक 'कार्बन ट्रैकर' (दोनों गैर-लाभकारी संगठन हैं) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

प्रमुख बिंदु

निष्कर्ष

- उभरते बाज़ार वैश्विक ऊर्जा ट्रांज़िशन की कुंजी हैं:
  - उभरते बाज़ार वैश्विक ऊर्जा ट्रांज़िशन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये वर्ष 2019 से वर्ष 2040 के बीच कुल बिजली की मांग में सभी अपेक्षित वृद्धि के 88 के लिये उत्तरदायी होंगे।
    - समग्र तौर पर मौजूदा उभरते बाज़ार में बिजली की मांग का 82% और अपेक्षित मांग वृद्धि का 86% उन देशों से आता है, जो कोयला एवं गैस का आयात करते हैं तथा इन देशों के पास सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा में स्विच करने हेतु महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन हैं।
    - सही नीतियों के साथ इस परिवर्तन के लिये प्रौद्योगिकी और लागत बाधाओं को आसानी से पार किया जा सकता है।
    - उभरते बाज़ारों में ट्रांज़िशन की स्थिति अलग है क्योंकि उन्हें करोड़ों लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुँच प्रदान करने के साथ-साथ निचले स्तर पर बिजली की मांग में वृद्धि को भी पूरा करना है।
  - विकसित बाज़ारों में बिजली उत्पादन के लिये जीवाश्म ईंधन की मांग में 20% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि वर्ष 2007 में अपने चरम स्तर पर थी।
- उभरते बाज़ारों के चार प्रमुख समूह:
  - चीन, बिजली की मांग के लगभग आधे हिस्से के लिये उत्तरदायी है और 39% अपेक्षित वृद्धि की भी उम्मीद है।
  - भारत या वियतनाम जैसे कोयला और गैस के अन्य आयातक, मांग के तिहाई और वृद्धि के लगभग आधे हिस्से के लिये उत्तरदायी हैं।
  - रूस या इंडोनेशिया जैसे कोयला और गैस निर्यातक मांग के 16% लेकिन वृद्धि के केवल 10% के लिये उत्तरदायी हैं।
    - कोयला और गैस निर्यातक देशों में ऊर्जा ट्रांज़िशन का प्रतिरोध अधिक होने की संभावना है।
  - नाइजीरिया या इराक जैसे 'संवेदनशील' देश मांग के 3% और वृद्धि के इतने ही हिस्से के लिये उत्तरदायी हैं।
- भारत एक मिसाल के तौर पर:
  - भारत की उभरते बाज़ार में बिजली की मांग 9% और अपेक्षित मांग वृद्धि में 20% की हिस्सेदारी है जो परिवर्तन की गति और स्तर को दर्शाता है।

नोट :

- वर्ष 2010 में 20GW से कम सौर ऊर्जा उत्पादन से यह मई 2021 में 96GW सौर, पवन बायोमास और छोटे हाइड्रो के स्तर तक बढ़ गया है।
- बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के साथ नवीकरणीय ऊर्जा देश की बिजली उत्पादन क्षमता में 142GW या 37% हिस्सेदारी रखती है तथा वर्ष 2030 तक इसके तहत 450GW का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2018 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन की मांग एक स्तर पर पहुँच गई तथा वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में इसमें गिरावट देखी गई।
- जबकि जीवाश्म ईंधन की मांग निकट भविष्य में बिजली की मांग को पूरा करने हेतु फिर से बढ़ सकती है, किंतु भारत ने इस बात को साबित किया है कि किस प्रकार बाज़ार डिज़ाइन और नीतिगत प्राथमिकताओं के माध्यम से सभी घरों को बिजली से जोड़ने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

सुझाव:

- एक सहायक नीति वातावरण, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को गति देने की कुंजी है।
- यदि देश बाज़ारों को उदार और नीलामी को प्रतिस्पर्द्धी बनाते हैं, तो वे लागत में कटौती कर अंतर्राष्ट्रीय वित्त को आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने पर जीवाश्म ईंधन में निवेश को रोका जा सकता है।
  - नीलामी से भारत को वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की लागत को कम करने में मदद मिलेगी।
- विकसित देश नीतिगत समर्थन, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और पूंजी लागत को कम करके विकास वित्त का उपयोग उभरते बाजारों में अक्षय ऊर्जा के प्रसार में तीव्रता लाने हेतु कर सकते हैं।

अक्षय ऊर्जा के लिये भारतीय पहल

हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन:

- केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (National Hydrogen Energy Mission-NHM) की घोषणा की गई है, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये एक रोडमैप तैयार करेगा।
- इस पहल में परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाने की क्षमता है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन JNNSM):

- इस मिशन को वर्ष 2009 से वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा के उत्पादन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था।
- 2010-15 के दौरान स्थापित सौर क्षमता का 18 मेगावाट से लगभग 3800 मेगावाट के साथ इस क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन:

- यह भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर, 2015 को फ्राँस की राजधानी पेरिस में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़-21 (COP-21) के दौरान शुरू की गई पहल है जिसमें 121 संभावित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जो पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं।

पीएम- कुसुम:

- कुसुम का अभिप्राय किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान से है।
- इसका उद्देश्य 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति:

- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018 का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, बुनियादी ढाँचे तथा भूमि के इष्टतम एवं कुशल उपयोग के लिये ग्रिड कनेक्टेड विंड-सोलर पीवी सिस्टम (Wind-Solar PV Hybrid Systems) को बढ़ावा देने हेतु एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है।

नोट :

- पवन-सौर पीवी हाइब्रिड सिस्टम अक्षय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने तथा बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करने में सहायक होगा।

रूफटॉप सौर योजना :

- इसका उद्देश्य घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित कर सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण) की कार्यान्वयन एजेंसी है।

फिट फॉर 55 पैकेज: यूरोपीय संघ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपीय संघ (EU) ने एक नया जलवायु प्रस्ताव 'फिट फॉर 55 पैकेज' जारी किया है।

- ज्ञात हो कि यूरोपीय संघ ने दिसंबर 2020 में पेरिस समझौते के तहत संशोधित 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDC) प्रस्तुत किया था।

प्रमुख बिंदु

उद्देश्य

- यूरोपीय संघ का यह नया पैकेज प्रस्तावित परिवर्तनों के माध्यम से NDC और कार्बन तटस्थता लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये प्रस्तावित परिवर्तन अर्थव्यवस्था, समाज और उद्योग को प्रभावित करेंगे तथा वर्ष 2030 तक निष्पक्ष, प्रतिस्पर्द्धी एवं ग्रीन ट्रांज़ीशन सुनिश्चित करेंगे।
  - जलवायु तटस्थता की स्थिति तब प्राप्त होती है जब किसी देश के उत्सर्जन को वहाँ के वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और उन्मूलन से संतुलित किया जाता है। इसे शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की स्थिति के रूप में भी व्यक्त किया जाता है।
- यह पैकेज नुकसान से बचते हुए 'नियामक नीतियों' और बाज़ार-आधारित कार्बन मूल्य निर्धारण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

प्रमुख प्रस्ताव

- नवीकरणीय स्रोत:
  - यह यूरोपीय संघ के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय स्रोत के बाध्यकारी लक्ष्य को 40% (पहले 32%) तक बढ़ाने और वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता में 36% (पहले 32.5%) तक सुधार करने का प्रस्ताव करता है।
- वाहनों संबंधी कार्बन उत्सर्जन:
  - इसे वर्ष 2030 तक 55% और वर्ष 2035 तक 100% तक कम किया जाना चाहिये, जिसका अर्थ वर्ष 2035 तक पेट्रोल और डीज़ल वाहनों के चरणबद्ध उन्मूलन से है।
  - इसमें ऑटो उद्योग को लाभांवित करने संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। इसके तहत सार्वजनिक धन का उपयोग प्रमुख राजमार्गों पर प्रत्येक 60 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिये किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - यह हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों के नेटवर्क को भी वित्तपोषित करेगा।
- उत्सर्जन व्यापार प्रणाली:
  - यह पैकेज वर्ष 2026 से कार्यान्वित होने वाले यूरोपीय संघ की वर्तमान 'उत्सर्जन व्यापार प्रणाली' (ETS) से अलग इमारतों और सड़क परिवहन के लिये एक अलग 'उत्सर्जन व्यापार प्रणाली' (ETS) के निर्माण का आह्वान करता है।
    - 'उत्सर्जन व्यापार प्रणाली' एक बाज़ार-आधारित उपकरण है, जो प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करता है।

नोट :

- सामाजिक जलवायु कोष:
  - कम आय वाले नागरिकों और छोटे व्यवसायों को नए ईटीएस में समायोजित करने में मदद के लिये यूरोपीय संघ एक सामाजिक जलवायु कोष (Social Climate Fund) के निर्माण का प्रस्ताव करता है, जो इमारतों के नवीनीकरण हेतु फंडिंग और कम कार्बन उत्सर्जन वाले परिवहन तक पहुँच से लेकर प्रत्यक्ष आय सहायता तक को शामिल करेगा।
  - वह नए ईटीएस से 25% राजस्व का उपयोग करके इस फंड का निर्माण करने की उम्मीद करते हैं। वर्तमान ईटीएस ने वर्ष 2023 और वर्ष 2025 के बीच समुद्री क्षेत्र को विस्तारित करने का प्रस्ताव किया है।
- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र::
  - अन्य बाज़ार आधारित तंत्रों में यूरोपीय संघ कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism) का प्रस्ताव कर रहा है, जो कार्बन गहन उत्पादन वाले स्थानों से आयात पर कर लगाएगा।
  - इसको व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (Conference on Trade and Development) द्वारा वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर छोटा प्रभाव माना गया है और इसका विकासशील देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- सिंक क्षमता बढ़ाना:
  - इसने यूरोपीय संघ की कार्बन डाइआक्साइड (CO_2) की सिंक क्षमता को 310 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिससे सदस्य देशों के विशेष राष्ट्रीय लक्ष्यों द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

विश्लेषण:

- यूरोपीय संघ का NDC लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर से 55% कम करना है। इसने वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का दीर्घकालिक लक्ष्य भी निर्धारित किया है।
  - यूरोपीय संघ का लक्ष्य अमेरिका की तुलना में अधिक आक्रामक है, जो इसी अवधि में उत्सर्जन को 40% से 43% तक (परंतु ब्रिटेन से पीछे है जिसने 68% की कमी का वादा किया) कम करने के लिये प्रतिबद्ध है।
  - विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने केवल इतना कहा है कि उसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को चरम पर पहुँचाना है।
- फिट फॉर 55 पैकेज, यूरोप को इलेक्ट्रिक कार बैटरी, अपतटीय पवन उत्पादन या हाइड्रोजन पर चलने वाले विमान इंजन जैसी नई तकनीकों में सबसे आगे रख सकता है।
- परंतु कुछ उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिये यह ट्रांज़ीशन काफी चुनौतीपूर्ण भी होगा, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे- चीन से आयातित वीडियो मॉनीटर, वायु यात्रा लागत तथा गैसोलीन टैंक आदि की लागत बढ़ जाएगी।
  - कंपनियाँ जो नियत उत्पाद जैसे- आंतरिक दहन इंजन के लिये पुर्जे आदि का निर्माण करती हैं, उन्हें अनुकूलित किया जाना चाहिये या व्यवसाय से बाहर किया जाना चाहिये।
- यह प्रस्ताव स्टीलमेकिंग जैसे प्रदूषणकारी उद्योगों को नया आकार दे सकता है, जो प्रत्यक्ष तौर पर यूरोपीय संघ में 330,000 लोगों को रोज़गार देता है।

भारत का INDC मुख्य रूप से वर्ष 2030 तक हासिल किया जाना है

- सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को लगभग एक-तिहाई कम करना।
- बिजली की कुल स्थापित क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त होगा।
- भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक (वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का एक साधन) की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है।

जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारतीय पहल:

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)
- भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंड
- उजाला योजना

नोट :

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना
- आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

आगे की राह:

- जलवायु न्याय के सिद्धांत पर बातचीत आधरित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिये।
- 'फिट फॉर 55' यूरोपीय संघ के डीकार्बोनाइज़ेशन में वृद्धि करता है, सभी यूरोपीय नागरिकों और कंपनियों के दैनिक जीवन में जलवायु नीति के दृश्य प्रवेश को चिह्नित करता है और वैश्विक व्यापार भागीदारों को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है।
- यह सुनिश्चित करना कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण सामाजिक रूप से निष्पक्ष है, इसे लंबे समय तक सफल बनाए रखना सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु नवीन आयोग

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) मानसून सत्र के दौरान संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021 को पेश करने के लिये तैयार है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि और नए परिवर्तन:

- प्रारंभ में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग संबंधी अध्यादेश को अक्तूबर 2020 में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था, लेकिन अध्यादेश के प्रतिस्थापन हेतु विधेयक को संसद के बजट सत्र में पारित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आयोग ने मार्च 2020 में काम करना बंद कर दिया।
- इसके बाद MoEFCC ने किसानों के विरोध के कारण अप्रैल 2021 में संशोधनों के साथ दूसरा अध्यादेश प्रस्तुत किया।
  - किसानों ने पराली जलाने के आरोप में कठोर दंड और जेल की सज़ा की चिंता जताई (जैसा कि पहले अध्यादेश में कहा गया)।
  - सरकार ने पराली जलाने के कृत्य को अपराध से मुक्त कर दिया है और संभावित जेल की सज़ा से संबंधित खंड वापस ले लिया है।
  - हालाँकि पर्यावरण प्रतिपूर्ति शुल्क उन लोगों पर लगाया जाता है जो किसानों के साथ पराली जलाने में लिप्त पाए जाते हैं।

विधेयक के विषय में:

- यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिये एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
  - आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जहाँ किसी भी प्रकार का प्रदूषण राजधानी में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- यह विधेयक वर्ष 1998 में राजधानी दिल्ली के लिये स्थापित 'पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण' को भी भंग करता है।

संरचना

- इस आयोग का नेतृत्त्व एक पूर्णकालिक अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जो कि भारत सरकार का सचिव या राज्य सरकार का मुख्य सचिव रहा हो।
  - अध्यक्ष तीन वर्ष के लिये या 70 वर्ष की आयु तक पद पर रहेगा।
- इसमें कई मंत्रालयों के सदस्यों के साथ-साथ हितधारक राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे।
- साथ ही इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और सिविल सोसाइटी के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

नोट :

कार्य:

- संबंधित राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) द्वारा की गई समन्वित कार्रवाई।
- एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिये योजना बनाना तथा उसे क्रियान्वित करना।
- वायु प्रदूषकों की पहचान के लिये एक रूपरेखा प्रदान करना।
- तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से अनुसंधान और विकास का संचालन करना।
- वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये एक विशेष कार्यबल का प्रशिक्षण और गठन करना।
- वृक्षारोपण बढ़ाने और पराली जलाने से रोकने से संबंधित विभिन्न कार्य योजनाएँ तैयार करना।

शक्तियाँ:

- नए निकाय के पास दिशा-निर्देश जारी करने और शिकायतों के समाधान की शक्ति होगी क्योंकि यह एनसीआर तथा आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता एवं सुधार के उद्देश्य से आवश्यक है।
- यह वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिये मानदंड भी निर्धारित करेगा।
- इसके पास पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने, कारखानों एवं उद्योगों और क्षेत्र में किसी भी अन्य प्रदूषणकारी इकाई की निगरानी करने तथा ऐसी इकाइयों को बंद करने की शक्ति होगी।
- इसके पास क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गए निर्देशों जो प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करती हों, को रद्द करने का भी अधिकार होगा।

आगे की राह

- वायु प्रदूषण जैसे सार्वजनिक मुद्दों से निपटने के लिये कानूनी और नियामक परिवर्तनों हेतु एक लोकतांत्रिक अवधारणा की आवश्यकता है।
- शहर के भीतर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने व उद्योगों, बिजली संयंत्रों और अन्य उपयोगकर्त्ताओं को प्रदूषणकारी ईंधन जैसे- कोयले से प्राकृतिक गैस, बिजली व नवीकरणीय ऊर्जा को स्वच्छ दहन में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
- सरकार को विभिन्न कानूनों और संस्थानों की प्रभावशीलता व उपयोगिता को देखने के लिये उनकी व्यापक समीक्षा करनी चाहिये, इसमें सभी संबंधित हितधारकों विशेष रूप से दिल्ली के बाहर के लोगों के साथ विस्तृत परामर्श होना चाहिये, जिसमें किसान समूह तथा लघु उद्योग एवं बड़े पैमाने पर जनता शामिल हैं।

चरम जलवायु घटनाएँ

चर्चा में क्यों ?

दुनिया भर के लोग कोविड-19 महामारी और चरम जलवायु घटनाओं की दोहरी मार झेल रहे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि चरम जलवायु संबंधी ये घटनाएँ जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं।

प्रमुख बिंदु

हालिया चरम जलवायु घटनाएँ

- एक हालिया 'हीट वेव' (Heatwave) ने संपूर्ण कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्सों में तापमान को रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँचा दिया है तथा इसके कारण 25 से 30 जून के बीच सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है।
- जर्मनी में हाल ही में आई बाढ़ ने 180 से अधिक लोगों की जान ले ली।
  - चीन, भारत और इंडोनेशिया समेत कई एशियाई देशों में भी बाढ़ की घटनाएँ देखी गई हैं।
- हाल ही में चक्रवात 'ताउते' और 'यास' क्रमशः भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों से टकराए हैं।

चरम जलवायु घटनाओं का कारण:

- अत्यधिक तापमान:
  - पृथ्वी का तापमान प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, ऐसे में अत्यधिक धूप के कारण 'निम्न दबाव वाला सिस्टम बनता है।
  - जिसके कारण हरिकेन और अन्य उष्णकटिबंधीय तूफानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही हैं।

नोट :

- उच्च वायुमंडलीय हवाएँ:
  - जेट स्ट्रीम ऐसे स्थान पर पाई जाती है, जहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की गर्म हवा से मिलती है।
  - ये हवाएँ उत्तरी गोलार्द्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्द्ध में पूर्व से पश्चिम तक मौसम प्रणाली को नियंत्रित करने में मदद करती हैं।
  - कभी-कभी ये हवाएँ चरम जलवायु स्थिति को बढ़ावा देती हैं जिससे टोर्नेडो का निर्माण हो सकता है।
- जब दो दबाव प्रणाली आपस में मिलती है:
  - जब बहुत ठंडी उच्च दबाव वाली प्रणाली बहुत गर्म कम दबाव वाली प्रणाली से मिलती है, तो समुद्र की सतह पर अत्यधिक ऊँची लहरों की संभावना बढ़ जाती है।
  - अत्यधिक ठंडी उच्च दाब प्रणालियाँ उप-ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं, जबकि अत्यधिक गर्म निम्न दाब प्रणालियाँ समशीतोष्ण समुद्रों से उत्पन्न होती हैं।
- अनुचित मौसम प्रणाली:
  - मौसम प्रणालियाँ जैसे- वायु द्रव्यमान, अग्रभाग आदि उचित तरीके से चलती रहती हैं जो मौसम की स्थिति को सुचारु रूप से बनाए रखने में मदद करती हैं।
  - जब मौसम की स्थिति के बीच में कोई गड़बड़ी आती है तो यह आपदाओं को जन्म देती है।
- जलवायु परिवर्तन:
  - पिछले कुछ दशकों में वैश्विक तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है यहाँ तक कि इसमें साल-दर-साल परिवर्तन भी जारी है।
  - पृथ्वी के तामपान में वृद्धि का एक प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है।
  - जैसे-जैसे वातावरण में CO_2 का स्तर बढ़ रहा है, उसके साथ ही पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है।
- ग्लोबल वार्मिंग:
  - ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे-जैसे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, इसका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है।
  - ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव की तीव्रता को बढ़ाने में योगदान दे रही है।
  - ग्लोबल वार्मिंग से वातावरण में जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ जाती है जिससे भारी वर्षा, भारी हिमपात जैसे चरम मौसमीय घटनाएँ घटित हो सकती हैं।

चिंताएँ:

- औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि मौसम के पैटर्न में व्यापक बदलाव से संबद्ध है।
  - बढ़ते औसत वैश्विक तापमान से भारी बारिश की संभावना में वृद्धि हुई है।
  - गर्म हवा में अधिक नमी होती है, जिसका अर्थ है कि अंतत: इससे निर्मुक्त होने वाले जल की मात्रा भी अधिक होगी।
- मानवजनित जलवायु परिवर्तन में वृद्धि के साथ ग्रीष्म लहर/हीट वेव और अत्यधिक वर्षा जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ने या इनके अधिक तीव्र होने की संभावना है।
  - मानवजनित जलवायु परिवर्तन या एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज का सिद्धांत यह है कि जलवायु में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों में से अधिकांश के लिये मनुष्यों द्वारा किया जा रहा कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का दहन उत्तरदायी है।
- पृथ्वी के ध्रुवों पर तापमान भूमध्य रेखा की तुलना में दो से तीन गुना अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है।
  - यह यूरोप के ऊपर स्थित मध्य अक्षांशों की जेट धाराओं/जेट स्ट्रीम को कमज़ोर करता है।
  - ग्रीष्म और शरद ऋतु के दौरान जेट स्ट्रीम के कमज़ोर होने के परिणामस्वरूप धीमी गति से चलने वाले तूफान आते हैं।
  - यह अधिक भयानक और लंबे समय तक चलने वाले तूफानों की उत्पत्ति का कारण बन सकता है।
- इसके अलावा एक अध्ययन के अनुसार, मानव-प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग ने अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाने में भी योगदान दिया है।

नोट :

संबंधित पहलें:

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change- NAPCC)।
- पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (India's Intended Nationally Determined Commitments- INDC)।

प्रदूषित नदी विस्तार

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) ने वर्ष 2018 में भारत में 351 प्रदूषित नदियों की पहचान की थी।

- सीपीसीबी के अध्ययन से पता चलता है कि अनुपचारित अपशिष्ट जल का निर्वहन नदी प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है।
- पानी की गुणवत्ता के आकलन में पाया गया कि 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की नदियों के पानी की गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं कर रही थी।

प्रमुख बिंदु

सीपीसीबी के निष्कर्ष:

- प्रदूषित नदियों का फैलाव: लगभग 60% प्रदूषित नदियों के हिस्से आठ राज्यों (महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक) में मौजूद हैं।
  - देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदियों के भाग महाराष्ट्र में हैं।
- असंगत सीवेज उपचार: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) ने वर्ष 2019 में निर्देश दिया कि 31 मार्च, 2020 से पहले सीवेज का 100% उपचार सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
  - हालाँकि इन राज्यों में सीवेज उपचार क्षमता एकसमान नहीं है।
  - सीपीसीबी की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की राष्ट्रीय सूची के अनुसार, वर्ष 2021 में प्रतिदिन लगभग 72,368 ML/D (मिलियन लीटर प्रतिदिन) सीवेज उत्पन्न हुआ, जिसकी तुलना में सीवेज उपचार क्षमता केवल 26,869 ML/D थी।
- बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि: सीवेज की इस बड़ी मात्रा को अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित रूप में सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाकर नदियों को प्रदूषित कर देता है।

बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD):

- बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सूक्ष्मजीवों द्वारा एरोबिक प्रतिक्रिया (ऑक्सीजन की उपस्थिति में) के तहत ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों (अपशिष्ट या प्रदूषक) के जैव रासायनिक अपघटन के लिये आवश्यक होती है।
- किसी विशिष्ट जल निकाय (सीवेज और पानी के प्रदूषित निकाय) में जितना अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है , उसमें उतनी ही अधिक BOD पाई जाती है।
- अधिक BOD के कारण मछलियों जैसे उच्च जीवों के लिये उपलब्ध घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है।
- इसलिये BOD एक जल निकाय के जैविक प्रदूषण का एक विश्वसनीय माप है।
- जल संसाधन में छोड़े जाने से पूर्व अपशिष्ट जल के उपचार के मुख्य कारणों में से एक इसका BOD कम करना है यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता को कम करना तथा उन स्थानों से इसकी विस्तारित या मांग की मात्रा को कम करना जहाँ इसे प्रवाहित किया जाता है, जैसे- अपवाह तंत्र, झीलों, नदियों या नदियों के मुहानों में।

नोट :

विघटित ऑक्सीजन

- यह जल में घुलित ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen) की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन या जीवित रहने के लिये आवश्यक होती है। घुलित ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि के साथ पानी की गुणवत्ता बढ़ जाती है।
- किसी नदी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर 5 मिलीग्राम/लीटर या उससे अधिक होता है तो वह नहाने/स्नान योग्य होगा ।

प्रदूषित नदियों के अन्य कारण:

- शहरीकरण: हाल के दशकों के दौरान भारत में तेज़ी से शहरीकरण ने कई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे कि जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल उत्पादन और इसका संग्रह, उपचार और निपटान।
  - नदियों के किनारे बसे कई कस्बों और शहरों ने गंदे पानी, सीवरेज आदि की समस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया है।
- उद्योग: नदियों में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के अप्रतिबंधित प्रवाह ने उनकी शुद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ये सभी औद्योगिक अपशिष्ट उन जीवों के जीवन के लिये विषाक्त हैं जो इस पानी का उपभोग करते हैं।
- कृषि अपवाह और अनुचित कृषि प्रथाएँ: मानसून की शुरुआत में या जब भी भारी वर्षा होती है उस दौरान खेतों में प्रयुक्त उर्वरक और कीटनाशक जल के साथ प्रवाहित होकर निकटतम जल-निकायों तक पहुँच जाते हैं।
- नदियों के प्रवाह की मात्रा: उपचारित या अनुपचारित अपशिष्ट जल को नदी में छोड़े जाने के परिणामस्वरूप नदी के जल की गुणवत्ता नदी में जल के प्रवाह की मात्रा पर निर्भर करती है।
- धार्मिक और सामाजिक प्रथाएँ: धार्मिक आस्था और सामाजिक प्रथाएँ भी नदियों, विशेष रूप से गंगा के प्रदूषण को बढ़ाती हैं।
  - शवों का अंतिम संस्कार नदी किनारे किया जाता है। आंशिक रूप से जले हुए शवों को भी नदी में बहा दिया जाता है।
  - धार्मिक त्योहारों के दौरान नदी में सामूहिक स्नान पर्यावरण के लिये एक और हानिकारक प्रथा है।

जल प्रदूषण से निपटने हेतु सरकार द्वारा किये गए प्रयास:

- हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने जल शक्ति मंत्रालय को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये उठाए गए कदमों की प्रभावी निगरानी और देश भर में सभी प्रदूषित नदियों के कायाकल्प हेतु एक उपयुक्त 'राष्ट्रीय नदी कायाकल्प तंत्र' तैयार करने का निर्देश दिया है।
- राष्ट्रीय जल नीति (2012): इसका उद्देश्य मौजूदा स्थिति का संज्ञान लेना, कानूनों एवं संस्थानों की प्रणाली के निर्माण हेतु रूपरेखा प्रस्तावित करना और एक एकीकृत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ कार्ययोजना का निर्माण करना है।
  - यह नीति मानव अस्तित्व के साथ-साथ आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों के लिये जल के महत्त्व पर प्रकाश डालती है।
  - यह इष्टतम, किफायती, सतत् और न्यायसंगत साधनों के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण हेतु रूपरेखा का सुझाव देती है।
- राष्ट्रीय जल मिशन (2010): यह मिशन एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करता है, ताकि जल संरक्षण, जल के कम अपव्यय और समान वितरण के साथ बेहतर नीतियों का निर्माण हो सके।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG): यह गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के उपाय के लिये राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर एक पाँच-स्तरीय संरचना की परिकल्पना करता है।
  - इसका उद्देश्य पानी के निरंतर पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करना है, ताकि गंगा नदी को फिर से जीवंत किया जा सके।
- नमामि गंगे परियोजना: यह गंगा नदी को व्यापक रूप से स्वच्छ और संरक्षित करने के प्रयासों को एकीकृत करती है।

आगे की राह

- नदी के न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखना: नदी की स्वस्थता (जलीय पारिस्थितिकी तंत्र) को बनाए रखने और बहाल करने के लिये उसके न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखना काफी आवश्यक है।
  - उपचारित सीवेज के निर्वहन के लिये भी नदी का न्यूनतम प्रवाह महत्त्वपूर्ण होता है।
- व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन नीति: देश को एक व्यापक कचरा प्रबंधन नीति की आवश्यकता है, जो विकेंद्रिकृत कचरा निपटान प्रथाओं की आवश्यकता पर ज़ोर देती हो, क्योंकि इससे निजी भागीदारों को भी हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

नोट :

- बायोरेमेडिएशन: यह महत्त्वपूर्ण है कि बायोरेमेडिएशन (अर्थात दूषित मिट्टी और पानी को साफ करने के लिये रोगाणुओं का उपयोग) उन क्षेत्रों के लिये अनिवार्य कर दिया जाए जहाँ इसका प्रयोग संभव है।
- व्यवहार परिवर्तन: कचरा प्रबंधन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने और आवश्यक व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिये नागरिकों की भागीदारी व जुड़ाव सुनिश्चित करना काफी महत्त्वपूर्ण है।

नमक-स्रावित करने वाली मैंग्रोव प्रजाति के जीनोम की डिकोडिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार अत्यधिक नमक-सहिष्णु और नमक-स्रावित करने वाली मैंग्रोव प्रजाति एविसेनिया मरीना (Avicennia Marina) के संदर्भ-ग्रेड के एक पूरे जीनोम अनुक्रम (Genome Sequence) की जानकारी प्रदान की है।

- इस अध्ययन का नेतृत्व जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology- DBT) जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर द्वारा किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

एविसेनिया मरीना:

- एविसेनिया मरीना भारत में सभी मैंग्रोव संरचनाओं में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख मैंग्रोव प्रजातियों में से एक है।
- यह एक नमक-स्रावित और असाधारण रूप से नमक-सहिष्णु मैंग्रोव प्रजाति है जो 75% समुद्री जल में भी बेहतर रूप से बढ़ती है तथा >250% समुद्री जल को सहन करती है।
- यह दुर्लभ पौधों की प्रजातियों में से है, जो जड़ों में नमक के प्रवेश को बाहर करने की असाधारण क्षमता के अलावा नमक ग्रंथियों के माध्यम से 40% नमक का उत्सर्जन कर सकती है।
- इसे ग्रे मैंग्रोव या सफेद मैंग्रोव भी कहा जाता है।

अध्ययन का महत्त्व:

- यह अध्ययन इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादकता सीमित पानी की उपलब्धता और मिट्टी एवं पानी के लवणीकरण जैसे अजैविक तनाव कारकों के कारण प्रभावित होती है।
  - शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन हेतु जल की उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है, जो विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का 40 प्रतिशत है।
  - विश्व स्तर पर लवणता 900 मिलियन हेक्टेयर (भारत में अनुमानित 6.73 मिलियन हेक्टेयर) है और इससे 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक नुकसान होने का अनुमान है।
- अध्ययन में उत्पन्न जीनोमिक संसाधन शोधकर्त्ताओं के लिये तटीय क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण फसल प्रजातियों की सूखी और लवणता सहिष्णु किस्मों के विकास के लिये पहचाने गए जीन की क्षमता का अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो भारत के 7,500 मीटर समुद्र तट और दो प्रमुख द्वीपों की व्यवस्था हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।

मैंग्रोव:

- ये छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं जो समुद्र तटों, नदियों के मुहानों पर स्थित ज्वारीय, दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। मुख्यत: खारे पानी में इनका विकास होता है।
- 'मैंग्रोव' शब्द संपूर्ण निवास स्थान या मैंग्रोव दलदल में पेड़ों और झाड़ियों को संदर्भित करता है।
- मैंग्रोव फूल वाले पेड़ हैं, जो राइज़ोफोरेसी, एकेंथेसी, लिथ्रेसी, कॉम्ब्रेटेसी और अरेकेसी परिवारों से संबंधित हैं।

मैंग्रोव की विशेषताएँ:

- लवणीय वातावरण: ये अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण जैसे- उच्च नमक और कम ऑक्सीजन की स्थिति में जीवित रह सकते हैं।

नोट :

- कम ऑक्सीजन: किसी भी पौधे के भूमिगत ऊतक को श्वसन के लिये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है लेकिन मैंग्रोव वातावरण में मिट्टी में ऑक्सीजन सीमित या शून्य होती है। इसलिये मैंग्रोव जड़ प्रणाली वातावरण से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है।
  - इस उद्देश्य के लिये मैंग्रोव की विशेष जड़ें होती हैं जिन्हें 'ब्रीदिंग रूट्स' या 'न्यूमेटोफोर्स' कहा जाता है।
  - इन जड़ों में कई छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से ऑक्सीजन भूमिगत ऊतकों में प्रवेश करती है।
- रसीले पत्ते: मैंग्रोव रेगिस्तानी पौधों की तरह मोटे रसीले पत्तों में ताज़ा पानी जमा करते हैं।
  - पत्तियों पर 'वैक्सी कोटिंग' पानी को सील कर देता है और वाष्पीकरण को कम करता है।
- विविपेरस: उनके बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहते हुए अंकुरित होते हैं। एक बार अंकुरित होने के बाद वह प्रजनक के रूप में बढ़ता है।

खतरे:

- तटीय निर्माण: पिछले कुछ दशकों के दौरान सभी मैंग्रोव वनों का कम-से-कम एक तिहाई हिस्सा नष्ट हो गया है। झींगा खेतों, होटलों और अन्य संरचनाओं के निर्माण सहित तटीय विकास मैंग्रोव वनों के लिये प्राथमिक खतरा है।
  - कृषि भूमि और मानव बस्तियों के विस्तार के लिये प्राय: मैंग्रोव वनों को काटा जाता है।
- अत्यधिक हार्वेस्टिंग: मैंग्रोव पेड़ों का उपयोग जलाऊ लकड़ी, निर्माण लकड़ी, लकड़ी का कोयला उत्पादन और पशुओं के चारे के लिये किया जाता है।
  - दुनिया के कुछ हिस्सों में मैंग्रोव वनों की अत्यधिक हार्वेस्टिंग की जा रही है, जो कि किसी भी दृष्टि से सतत् नहीं है।
- अन्य: मैंग्रोव वनों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के लिये अन्य खतरों में- अत्यधिक मत्स्य पालन, प्रदूषण और समुद्र का बढ़ता स्तर आदि शामिल हैं।

कवरेज

- वैश्विक: दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मैंग्रोव 118 से अधिक देशों और क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं।
  - एशिया में दुनिया के मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा कवरेज है, जिसके बाद अफ्रीका, उत्तरी एवं मध्य अमेरिका, ओशिनिया और दक्षिण अमेरिका का स्थान है।
  - दुनिया के लगभग 75% मैंग्रोव वन सिर्फ 15 देशों में पाए जाते हैं।
- भारत:
  - भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report), 2019 के अनुसार देश में मैंग्रोव आवरण 4,975 वर्ग किमी. है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है।
    - देश में मैंग्रोव वनस्पति में वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में कुल 54 वर्ग किमी. (1.10%) की वृद्धि हुई है।
  - गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।
  - केरल के बैकवाटर में मैंग्रोव वन का उच्च घनत्व है।
  - पश्चिम बंगाल में सुंदरबन (Sundarban) विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) में शामिल है।
    - यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है।
  - ओडिशा में भितरकनिका मैंग्रोव प्रणाली भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।
  - तमिलनाडु के पिचावरम में मैंग्रोव वनों से आच्छादित पानी का विशाल विस्तार है। यह कई जलीय पक्षी प्रजातियों का घर है।
  - पश्चिम बंगाल में भारत के मैंग्रोव कवर का 42.45% हिस्सा है, इसके बाद गुजरात में 23.66% और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 12.39% है।

नोट :

पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका खारिज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज़ कर दिया है, जिसके अंतर्गत NCR और भारत के अन्य शहरों में कोविड-19 महामारी के दौरान सभी पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।

- पटाखे जलाने के कारण खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index- AQI) के संदर्भ में यह आदेश दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में दायर एक याचिका के आधार पर दिवाली, क्रिसमस आदि उत्सवों के दौरान हानिकारक पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
  - न्यायालय ने कहा था कि विभिन्न कारकों, विशेषकर पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण ने दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया है।
  - याचिककर्त्ताओं ने अपने जीवन के अधिकार (Right to Life) की सुरक्षा के लिये गुहार लगाई थी।
- न्यायालय ने इस तर्क को खारिज़ कर दिया कि दिवाली जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ना मौलिक अधिकार तथा आवश्यक प्रथा है।
  - न्यायालय ने माना कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25) जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के अधीन है।
  - यदि कोई विशेष धार्मिक प्रथा लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिये खतरा है तो ऐसी प्रथा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सुरक्षा की हकदार नहीं है।

NGT के आदेश:

- दिसंबर 2020 के NGT के आदेशानुसार क्रिसमस और नए वर्ष पर केवल हरित पटाखे (जो कम प्रदूषणकारी कच्चे माल का उपयोग करते हैं) की अनुमति उन क्षेत्रों में होगी जहाँ परिवेशी वायु गुणवत्ता का स्तर मध्यम या उससे नीचे की श्रेणियों में होगा।
  - हालाँकि कोविड -19 महामारी के कारण NGT ने पुन: पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- पटाखा कंपनियों ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध उनकी आजीविका के मार्ग में एक बाधक था।
- इसके प्रत्युत्तर में ट्रिब्यूनल ने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 19 (1) (g) के अनुसार 'राइट टू बिज़नेस' आत्यंतिक नहीं है तथा वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि प्रदूषण स्तर के मानदंडों का उल्लंघन करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

पटाखों के हानिकारक प्रभाव:

- पटाखों में कैडमियम, लेड, क्रोमियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉपर, पोटैशियम, सोडियम, जिंक ऑक्साइड, मैंगनीज़ डाइऑक्साइड आदि भारी धातुएँ और ज़हरीले रसायन होते हैं।
- ये रसायन हृदय रोग, श्वसन या तंत्रिका तंत्र विकार के रूप में लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।
- इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण बेचैनी, अस्थायी या स्थायी श्रवण हानि, उच्च रक्तचाप, नींद में खलल और बच्चों में भी खराब संज्ञानात्मक विकास का कारण बनता है।

ऊर्जा एवं जलवायु पर G20 की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में G20 की जलवायु बैठक में भारत ने 20 विकसित देशों (G20) के समूह से विश्व औसत से प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन स्तर को कम करने की अपील की है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिये कुछ कार्बन स्पेस/रिक्तिकरण प्रदान करना है।

नोट :

- इससे विकासशील देशों की विकासात्मक आकांक्षाओं को बढ़ावा और समर्थन मिलेगा।
- वर्तमान में इटली G20 की अध्यक्षता कर रहा है तथा जलवायु बैठक को नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन' के COP 26 बैठक की प्रस्तावना के रूप में देखा जा रहा है।

जी-20 (G20)

- G-20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि, यूरोपियन संघ एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है।
- G-20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
- G-20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है।

प्रमुख बिंदु

भारत का रुख:

- पेरिस समझौते को ध्यान में रखते हुए पूर्ण उत्सर्जन में तेज़ी से कटौती करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया:
  - संबंधित ऐतिहासिक ज़िम्मेदारियाँ।
  - प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए वादे के अनुरूप कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों की सुपुर्दगी पर ज़ोर।
  - प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में अंतर और सतत् विकास के अधूरे एजेंडे को ध्यान में रखना।
- भारत ने मध्य शताब्दी तक या उसके आसपास शुद्ध शून्य GHG उत्सर्जन या कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिये कुछ देशों द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं को अपनाया है।
  - हालाँकि तेज़ी से घटते कार्बन स्पेस या रिक्तिकरण को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं हो सकता है।
  - विकासशील देशों की वृद्धि एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने G20 देशों से वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को वैश्विक औसत पर लाने के लिये प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया।
  - कार्बन तटस्थता का अर्थ है कार्बन सिंक हेतु कार्बन उत्सर्जन और वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने के बीच संतुलन होना।
  - कार्बन रिक्तिकरण का आशय कार्बन (या CO_2) की उस मात्रा से है जिसे वार्मिंग के स्तर या CO_2 की अंतर्निहित सांद्रता को प्रभावित किये बिना वातावरण में उत्सर्जित किया जा सकता है।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR) पर बल दिया गया।
- 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, जैव-ईंधन के क्षेत्र में उन्नत आकांक्षा, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और शहरी जलवायु से जुड़ी कार्रवाई के संबंध में भारत द्वारा की गई अन्य विभिन्न पहलों का उल्लेख किया गया।

समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR)

- 'समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व' (CBDR) 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन' (UNFCCC) के अंतर्गत एक सिद्धांत है।
- यह जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अलग-अलग देशों की विभिन्न क्षमताओं और अलग-अलग दायित्वों को स्वीकार करता है।
- 'समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व' का सिद्धांत 'मानव जाति की साझी विरासत' की अवधारणा से विकसित हुआ है।
- यह सिद्धांत रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित 'अर्थ समिट (1992) में प्रतिष्ठापित किया गया था।
- CBDR उत्तरदायित्वों के दो तत्त्वों पर आधारित है:
  - पहला- पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास की चिंताओं के संबोधन में सभी राज्यों का साझा एवं समान दायित्व।
  - दूसरा: विभेदित उत्तरदायित्व, जो राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिये उनकी राष्ट्रीय क्षमता और प्राथमिकता के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाता है।

नोट :

- यह सिद्धांत वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं की स्थिति में विकसित और विकासशील राज्यों के योगदान में ऐतिहासिक अंतर और इन समस्याओं से निपटने के लिये उनकी संबंधित आर्थिक एवं तकनीकी क्षमता में अंतर को मान्यता प्रदान करता है।

शहरी जलवायु कार्रवाई के अंतर्गत भारत की पहलें:

- जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढाँचा: इस पहल का उद्देश्य भारत में शहरी नियोजन एवं विकास के लिये जलवायु-संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना है।
  - निवेश सहित उनके कार्यों की योजना और कार्यान्वयन करते समय जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिये स्पष्ट रोडमैप प्रदान करना।
- नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट: यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Climate Change Action Plan) के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य इमारतों में ऊर्जा दक्षता में सुधार, ठोस कचरे के प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन में बदलाव के माध्यम से शहरों को धारणीय बनाना है।
- क्लाइमेट प्रैक्टिशनर्स इंडिया नेटवर्क: यह क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ (सी-क्यूब) द्वारा विकसित अपनी तरह का पहला नेटवर्क है, जो पूरे भारत में शहरों और प्रैक्टिशनर्स को सपोर्ट करता है।
  - सी-क्यूब भारत के सभी शहरों में जलवायु प्रैक्टिशनर्स के लिये एक मंच बनाना चाहता है ताकि जलवायु क्रियाओं को लागू करने में सहयोग और योगदान दिया जा सके।
- शहरी वानिकी: भारत सरकार ने वर्ष 2020 में नगर वन योजना (Nagar Van Scheme) की शुरुआत की। इसका लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना है।
  - शहरी वानिकी को शहरी क्षेत्रों में वृक्षों के रोपण, रखरखाव, देखभाल और संरक्षण के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिये वैश्विक सहयोग का नेतृत्व किया:
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
  - आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन

आगे की राह

- विकास-जलवायु परिवर्तन की दुविधा का समाधान: वर्तमान दुविधा भारत जैसे विकासशील देश के विकास लक्ष्यों को पूरा करते हुए कार्बन को कम करने की है।
  - इसलिये महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नए निवेश कार्बनीकरण की दिशा में किये जाएँ लेकिन इसके लिये अन्य विकास उद्देश्यों के साथ संभावित तालमेल और ट्रेड-ऑफ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सामूहिक कार्रवाई समस्या: वैश्विक समुदाय को गोलपोस्ट (Goalposts) को स्थानांतरित नहीं करना चाहिये और वैश्विक जलवायु महत्त्वाकांक्षा के लिये नए मानक स्थापित नहीं करने चाहिये।
  - जलवायु परिवर्तन को वैश्विक सामूहिक कार्रवाई समस्या के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है और इसे 'संबंधित क्षमताओं व राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार' पूरा किया जाना चाहिये।
- आपदा से निपटने की तैयारी: आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है लेकिन अच्छी तैयारी और मज़बूत जलवायु परिवर्तन शमन नीतियाँ निश्चित रूप से भारी मात्रा में नुकसान को रोकने में मदद कर सकती हैं।
- अभिसरण दृष्टिकोण: सतत् विकास समय पर की गई जलवायु कार्रवाई पर निर्भर करता है और ऐसा होने के लिये नीति निर्माण में कार्बन उत्सर्जन, वायुमंडलीय वार्मिंग, ग्लेशियरों के पिघलने, अत्यधिक बाढ़ व तूफान के संबंध में एक अभिसरण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

नोट :

सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन 'सकल पर्यावरण उत्पाद' (Gross Environment Product'- GEP) के रूप में शुरू करेगी।

- "GEP का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों में हुई वृद्धि के आधार पर समय-समय पर पर्यावरण की स्थिति का आकलन करना।"
- यह सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) के अनुरूप है। GDP उपभोक्ताओं की आर्थिक गतिविधियों का परिणाम है। यह निजी खपत, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश, सरकारी निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध विदेशी व्यापार (निर्यात व आयात के बीच का अंतर) का योग है।

प्रमुख बिंदु:

GEP के बारे में:

- वैश्विक स्तर पर इसकी स्थापना वर्ष 1997 में रॉबर्ट कोस्टांज़ा जैसे पारिस्थितिक अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई थी।
- यह पारिस्थितिक स्थिति को मापने हेतु एक मूल्यांकन प्रणाली है।
- इसे उन उत्पाद और सेवा मूल्यों के रूप में लिया जाता है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र मानव कल्याण और आर्थिक एवं सामाजिक सतत् विकास को बढ़ावा मिलता है, इसमें प्रावधान, विनियमन तथा सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ शामिल हैं। हैं।
- कुल मिलाकर GEP उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने में पारिस्थितिकी तंत्र के आर्थिक मूल्य हेतु ज़िम्मेदार है जो हरित जीडीपी के घटकों में से एक है।
  - ग्रीन GDP किसी देश की मानक GDP के साथ-साथ पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास का एक संकेतक है। यह जैव विविधता के ह्रास और जलवायु परिवर्तन हेतु ज़िम्मेदार लागतों का कारक है।
- इस पहलू की ओर शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित करने के लिये वर्ष 1981 में "पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ" शब्द गढ़ा गया था, इसकी परिभाषा अभी भी विकास की प्रक्रिया में है।
- जिन पारिस्थितिक तंत्रों को मापा जा सकता है उनमें प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जैसे- वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि, रेगिस्तान, मीठे पानी एवं महासागर और कृत्रिम प्रणालियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि कृषि भूमि, चरागाह, जलीय कृषि खेतों तथा शहरी हरी भूमि आदि पर आधारित हैं।

आवश्यकता:

- उत्तराखंड अपनी जैव विविधता के माध्यम से राष्ट्र को प्रतिवर्ष 95,112 करोड़ रुपए की सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- राज्य में 71 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वनों के अधीन है।
- यहाँ हिमालय का भी विस्तार है और गंगा, यमुना तथा शारदा जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है, साथ ही कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिज़र्व जैसे वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ स्थित हैं।
- उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो बहुत सारी पर्यावरण सेवाएँ प्रदान करता है और निरंतरता के परिणामस्वरूप उन सेवाओं में प्राकृतिक गिरावट होती है।

महत्त्व:

- पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का मूल्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद से लगभग दोगुना है। इसलिये यह पर्यावरण के संरक्षण में मदद करेगा और हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने में भी मदद करेगा।

मुद्दे:

- यह निर्णय एक स्वागत योग्य कदम प्रतीत होता है, लेकिन शब्दजाल के साथ आगे बढ़ना सरकार की मंशा पर गंभीर संदेह पैदा करता है। यह नीति निर्माताओं को भ्रमित कर सकता है और पिछले प्रयासों को नकार सकता है।

नोट :

- GEP शुरू करने का उद्देश्य पारदर्शी नहीं है।
  - क्या यह किसी राज्य की पारिस्थितिक संपदा के सरल मूल्यांकन की प्रक्रिया है, या यह आकलन करने के लिये कि यह सकल घरेलू उत्पाद के किस हिस्से में योगदान देता है।
  - क्या यह राज्य द्वारा देश के बाकी हिस्सों को प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और/या अपने स्वयं के निवासियों को लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया के खिलाफ केंद्र से बजट का दावा करने का प्रयास है।

आगे की राह

- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक अच्छी तरह से परिभाषित अवधारणा को पेश करने के बजाय, बिना किसी स्पष्टता के एक नया शब्द तैयार करना सरकार की मंशा पर गंभीर संदेह को आमंत्रित करता है।
- इसलिये यह महत्त्वपूर्ण है कि राज्य को स्थिर एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जिसकी वैश्विक स्वीकृति और एक मज़बूत ज्ञान आधार हो।

गंगा बेसिन में शहरों को जल संवेदनशील बनाने की पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) के सहयोग से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) द्वारा 'गंगा बेसिन में शहरों को जल संवेदनशील' बनाने पर एक नई क्षमता निर्माण पहल का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

पहल के बारे में:

- उद्देश्य: इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा बेसिन शहरों में बेहतर नदी स्वास्थ्य के लिये स्थायी शहरी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु क्षमता निर्माण तथा कार्रवाई व अनुसंधान करना है।
- मुख्य केंद्रित क्षेत्र :
  - जल संवेदनशील शहरी डिज़ाइन और योजना।
  - शहरी जल दक्षता और संरक्षण।
  - विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन और स्थानीय रूप से इसका पुन: उपयोग।
  - शहरी भूजल प्रबंधन।
  - शहरी जल निकाय/झील प्रबंधन ।
- अभिसरण प्रयास:
  - इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रमुख शहरी मिशनों और अन्य मिशनों के साथ नमामि गंगे मिशन का अभिसरण सुनिश्चित करना है।
    - अमृत, स्मार्ट सिटीज़, स्वच्छ भारत मिशन, हृदय, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
    - समस्त गंगा बेसिन राज्यों में राज्य/शहर स्तर पर अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान।
- हितधारक: यह कार्यक्रम सभी हितधारकों को जोड़ता है जिसमें शामिल हैं:
  - राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह, नमामि गंगे (SPMGs), नगर निगम, तकनीकी और अनुसंधान स्थिरांक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा स्थानीय ज़मीनी स्तर के समुदाय।
- जल संवेदनशील शहरी डिज़ाइन और योजना (WSUDP) : यह एक उभरता हुआ शहरी विकास प्रतिमान है जिसका उद्देश्य पर्यावरण पर शहरी विकास के जलविज्ञान (Hydrological) संबंधी प्रभावों को कम करना है। इनमें शामिल हैं:
  - जल के इष्टतम उपयोग के लिये शहरी क्षेत्रों की योजना बनाने और डिज़ाइन तैयार करने की विधि।
  - हमारी नदियों और खाड़ियों को होने वाले नुकसान को कम करना।
  - संपूर्ण जल प्रणालियों (पेयजल, तूफान के जल का बहाव, जलमार्ग का रखरखाव, सीवरेज शोधन और पुनर्चक्रण) के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।

नोट :

अन्य संबंधित पहलें:

- नदी शहरों की योजना बनाने में एक आदर्श बदलाव आया है।
  - "रिवर सिटीज़ एलायंस" नदी बेसिन के शहरों के सतत् विकास और क्षमता निर्माण के माध्यम से सामूहिक रूप से नदी के कायाकल्प करने की दिशा में सहयोग के लिये एक अनूठा मंच प्रदान करेगा।
- वर्षा जल संचयन के लिये शुरू की गई जल शक्ति मंत्रालय की 'कैच द रेन' पहल ने सभी हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचनाओं (Rain Water Harvesting Structures- RWHS) को जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बनाने तथा वर्षा जल संचयन हेतु उप-भूमि स्तर को बनाए रखने के लिये प्रेरित किया है।

आगे की राह

- वर्षों से बारिश की तीव्रता में वृद्धि हुई है लेकिन बारिश के दिनों की संख्या में कमी देखी गई है, जिससे जल प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण विषय बन गया है।
  - वर्षा जल संचयन के लिये पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये बिहार की अहार-पाइन प्रणाली (Ahar - Pyne system), राजस्थान के किलों में कुएँ और दक्षिण भारत के कैस्केड टैंक आदि।
- शहरी निर्माण प्रतिरूप जिसमें भू-दृश्य और शहरी जल चक्र भी शामिल हैं के बीच एकीकरण के लिये एक रूपरेखा की आवश्यकता है।
- नदियों की खराब स्थिति के लिये बड़े पैमाने पर शहरों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है और इसलिये कायाकल्प के प्रयासों में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी।
- शहरों के लिये योजना बनाते समय नदी संवेदनशील दृष्टिकोण को मुख्यधारा में शामिल करने की आवश्यकता है।

अर्थ ओवरशूट डे, 2021

चर्चा में क्यों ?

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के अनुसार, मानव प्रजाति ने पुन: उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग 29 जुलाई, 2021 तक कर लिया है जो पृथ्वी पर संपूर्ण वर्ष के लिये निर्धारित किये गए हैं।

- मानव प्रजाति वर्तमान में पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र द्वारा उत्पादित 74% अधिक जैविक संसाधनों का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का 1.75 गुना अधिक तेज़ी से प्रयोग कर रहे हैं।
- अर्थ ओवरशूट दिवस से लेकर वर्ष के अंत तक मानव प्रजाति पारिस्थितिक घाटे की स्थिति में रहती है।

प्रमुख बिंदु

- यह दिन उस तारीख को चिह्नित करता है जब किसी दिये गए वर्ष में पारिस्थितिक संसाधनों (उदाहरण के लिये मछली और जंगल) तथा सेवाओं के संदर्भ में मानव प्रजाति की मांग उसी वर्ष के दौरान पृथ्वी पर पुन: उत्पादन किये जा सकने वाले संसाधनों की मात्रा से अधिक होती है।
- अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा पहली बार यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रयू सिम्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसने वर्ष 2006 में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के साथ मिलकर पहला ग्लोबल अर्थ ओवरशूट डे अभियान को शुरू किया था।
  - ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है। इसकी प्रमुख रणनीति मज़बूत पारिस्थितिक पदचिह्न डेटा उपलब्ध कराना है।
  - पारिस्थितिक पदचिह्न एक मीट्रिक है जो प्रकृति की पुन: उत्पन्न करने की क्षमता के विरुद्ध प्रकृति पर मानव मांग की व्यापक रूप से तुलना करता है।

नोट :

- अर्थ ओवरशूट डे की गणना ग्रह की जैव क्षमता (उस वर्ष पृथ्वी द्वारा उत्पन्न पारिस्थितिक संसाधनों की मात्रा) को मनुष्यों के पारिस्थितिक पदचिह्न (उस वर्ष के लिये मानवता की मांग) से विभाजित करके तथा 365 से गुणा करके, एक वर्ष में दिनों की संख्या की गणना द्वारा की जाती है:
  - (पृथ्वी की जैव क्षमता/मानवता का पारिस्थितिक पदचिह्न) x 365 = अर्थ ओवरशूट डे।

कारण:

- इस वर्ष ओवरशूट डे की वापसी का प्रमुख कारण वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट में 6.6% की वृद्धि थी।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कार्बन फुटप्रिंट जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की मात्रा पर लोगों की गतिविधियों के प्रभाव की एक माप है और इसे टन में उत्पादित CO_2 उत्सर्जन के भार के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- अमेज़न वर्षावनों की कटाई में वृद्धि के कारण 'वैश्विक वन जैव क्षमता' में भी 0.5% की कमी आई थी।
  - अकेले ब्राज़ील जो कि अमेज़न वर्षावनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, में लगभग 1.1 मिलियन हेक्टेयर वर्षावन समाप्त हो गए।

पूर्वानुमान:

- वर्ष 2021 में वनों की कटाई में साल-दर-साल 43% की वृद्धि होगी।
- इस वर्ष परिवहन के कारण होने वाला कार्बन फुटप्रिंट महामारी पूर्व स्तरों की तुलना में कम होगा।
  - सड़क परिवहन और घरेलू हवाई यात्रा से होने वाला CO_2 उत्सर्जन वर्ष 2019 के स्तर से 5% कम होगा।
  - अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन के कारण CO_2 उत्सर्जन वर्ष 2019 के स्तर से 33% कम होगा।
- लेकिन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा कोविड-19 के प्रभाव से उबरने की कोशिश के चलते वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO_2 उत्सर्जन पिछले वर्ष की तुलना में 4.8% बढ़ जाएगा।
- वैश्विक रूप से कोयले का उपयोग कुल कार्बन फुटप्रिंट का 40% होने का अनुमान है।

सुझाव:

- यदि विश्व ओवरशूट डे (World Overshoot Day) की तारीख को पीछे किया जाए तो सामान्य रूप से व्यवसाय का परिदृश्य काम नहीं करेगा।
- कई उपाय किये जा सकते हैं जैसे कि भोजन की बर्बादी को कम करना, भवनों के लिये वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियाँ, औद्योगिक प्रक्रियाएँ और बिजली उत्पादन तथा परिवहन में कटौती करना।

संबंधित वैश्विक पहल:

- कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP):
  - लगभग तीन दशकों से संयुक्त राष्ट्र (UN) COP नामक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन के लिये पृथ्वी पर लगभग हर देश को साथ लाने का काम कर रहा है।
  - तब से जलवायु परिवर्तन एक मामूली मुद्दे से वैश्विक प्राथमिकता बन गया है।
  - इस वर्ष यह 26वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा जिसे COP26 नाम दिया जाएगा जिसका आयोजन UK के ग्लासगो में होगा।
- पेरिस समझौता:
  - यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में हुए COP21 में 196 पार्टियों द्वारा अपनाया गया था और नवंबर 2016 में लागू हुआ था।
  - इसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे अधिमानत: 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।

नोट :

कुछ भारतीय पहल:

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
- भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंड
- उजाला योजना
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC)

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (29 जुलाई) के अवसर पर आयोजित आभासी बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने देश में बाघों के लिये सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और बाघों के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र पोषित करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

- इस बैठक में भारत के 14 टाइगर रिज़र्व्स को ग्लोबल कंज़र्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS) की मान्यता दी गई।

प्रमुख बिंदु:

बाघ संरक्षण की स्थिति:

- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची- I
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
- वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट- I।

बाघ संरक्षण का महत्त्व:

- बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है।
- बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी विविधता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह एक खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है जो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर होता है और जंगली (मुख्य रूप से बड़े स्तनपायी) आबादी को नियंत्रण में रखता है।
  - इस प्रकार बाघ शिकार द्वारा शाकाहारी जंतुओं और उस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर वे भोजन के लिये निर्भर होते हैं।
- बाघ संरक्षण का उद्देश्य मात्र एक खूबसूरत जानवर को बचाना नहीं है।
  - यह इस बात को सुनिश्चित करने में भी सहायक है कि हम अधिक समय तक जीवित रहें क्योंकि इस संरक्षण के परिणामस्वरूप हमें स्वच्छ हवा, पानी, परागण, तापमान विनियमन आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाओं की प्राप्ति होती है।
- इसके अलावा बाघ संरक्षण के महत्त्व को "तेंदुओं, सह-परभक्षियों और शाकभक्षियों की स्थिति-2018" (Status of Leopards, Co-predators and Megaherbivores- 2018) रिपोर्ट द्वारा दर्शाया जा सकता है।
  - यह वर्ष 2014 की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि है, जो कि देश के बाघों वाले 18 राज्यों के वनाच्छादित प्राकृतिक आवासों में 7,910 थी।
  - यह रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि बाघों के संरक्षण से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है।

भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएँ:

- प्रोजेक्ट टाइगर 1973: यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण: यह MoEFCC के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था।

नोट :

भारत की बाघ संरक्षण स्थिति:

- भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर है।
- भारत के 18 राज्यों में कुल 51 बाघ अभयारण्य हैं और वर्ष 2018 की अंतिम बाघ गणना में इनकी आबादी में वृद्धि देखी गई।
- भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा (St. Petersburg Declaration) से चार वर्ष पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया।
- भारत की बाघ संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है।

कंज़र्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS):

- CA|TS को टाइगर रेंज देशों (Tiger Range Countries- TRC) के वैश्विक गठबंधन द्वारा एक मान्यता उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे बाघ व संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है।
  - वर्तमान में 13 टाइगर रेंज देश हैं - भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्याँमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम।
- CA|TS विभिन्न मानदंडों का एक सेट है, जो बाघ से जुड़े स्थलों को इस बात को जाँचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा।
- इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था।
- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) बाघ संरक्षण पर काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है और वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड इंडिया भारत में CATS मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दो कार्यान्वयन भागीदार हैं।
- 14 टाइगर रिज़र्व जिन्हें मान्यता दी गई है, वे हैं:
  - असम में मानस, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिज़र्व,
  - मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिज़र्व,
  - महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिज़र्व,
  - बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व,
  - उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिज़र्व,
  - पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिज़र्व,
  - केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व,
  - कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिज़र्व,
  - तमिलनाडु में मुदुमलाई और अनामलाई टाइगर रिज़र्व।

सतलुज नदी प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

सतलुज नदी में प्रदूषण ने इंदिरा गांधी नहर के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार को सतलुज एवं ब्यास नदी में प्रवाहित प्रदूषित जल को रोकने के लिये की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में जल शक्ति मंत्रालय को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

सतलुज नदी के जल प्रदूषण का स्रोत:

- 'बुड्ढा नाला' को प्रदूषित करने वाले तीन प्रमुख स्रोत: बुड्ढ नाला (एक सहायक नदी) सतलुज नदी में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है।
  - लुधियाना शहर के 'सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट' (STP) से अनुपचारित सीवेज कचरा।

नोट :

- रंगाई इकाइयों और आउटलेट से अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जिसे प्रत्यक्ष रूप से नदी में छोड़ा जाता है।
- इलेक्ट्रोप्लेटिंग, होजरी, स्टील रोलिंग मिल जैसे छोटे पैमाने के उद्योग भी मुख्य रूप से नाले में अपशिष्ट जल की वृद्धि में योगदान करते हैं।

- हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD): बुद्ध नाला एक दिन में लगभग 16,672 किलोग्राम 'बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड' नदी में प्रवाहित करता है और 'ईस्ट बीन' (पंजाब में दोआबा में एक नाला) एक दिन में 20,900 किलोग्राम 'बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड' नदी में प्रवाहित करता है।
  - जितना अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है (उदाहरण के लिये सीवेज और पानी के प्रदूषित निकायों में) उतना ही अधिक BOD होता है और BOD जितना अधिक होगा, मछलियों के लिये उपलब्ध घुलित ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम होती है।
- चमड़ा उद्योग: जालंधर ज़िले में एक और मौसमी नाला 'चित्तीबेन' तथा इसका उप-नाला, काला संघियन नाला, सतलुज नदी में उच्च प्रदूषण के लिये समान रूप से ज़िम्मेदार हैं।
  - जालंधर के चमड़ा उद्योग से अनुपचारित अपशिष्ट, चित्तीबेन के प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है।

प्रदूषकों के घटक:

- सतलुज नदी में बुद्ध नाला/जलधारा (Buddha Nullah) के मिलने के बाद इसमें क्रोमियम और आर्सेनिक के अवशेष मिले हैं।
- बुद्ध नाला, चित्तीबेनऔर कला संघियन जैसे नालों में तथा उनके आसपास भूजल एवं सतही जल में पारा, सीसा, क्रोमियम, कैडमियम तथा सेलेनियम की मात्रा स्वीकार्य सीमा (MLP) से अधिक पाई जाती है।
- परीक्षण के बाद चारा, सब्जी, दूध, मूत्र और रक्त के नमूनों में भारी धातुओं एवं कीटनाशकों की मात्रा का पता चला है।

इंदिरा गांधी नहर पर प्रभाव:

- इंदिरा गांधी नहर देश की सबसे लंबी नहर है।
  - यह पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे हरिके बैराज से निकलती है जो लुधियाना से होकर बहती है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान में समाप्त होती है।
- यह नहर उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में पीने और सिंचाई का मुख्य स्रोत है।
  - यह राज्य के आठ ज़िलों के 7,500 गाँवों में रहने वाले 1.75 करोड़ लोगों को पानी उपलब्ध कराती है।
- इंदिरा गांधी नहर में प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण पानी पूर्ण रूप से काला हो गया है।
  - प्रदूषण के कारण लोगों में त्वचा रोग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पाचन की समस्या और आँखों की रोशनी कम होने जैसी कई स्वास्थ्य जटिलताएँ पैदा हो गई हैं।

सतलुज नदी

- सतलुज नदी को 'सतद्री' के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है।
- सतलुज नदी उन पाँच नदियों में से सबसे लंबी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती हैं।
  - झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु की मुख्य सहायक नदियाँ हैं।
- इसका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के 80 किमी. दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है।
  - सिंधु की तरह यह तिब्बत-हिमाचल प्रदेश सीमा पर शिपकी-ला दर्रे तक एक उत्तर-पश्चिमी मार्ग को अपनाती है। यह शिवालिक श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है।
    - पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह 'नैना देवी धार' में एक गॉर्ज का निर्माण करती है जहाँ प्रसिद्ध भाखड़ा बाँध का निर्माण किया गया है।
  - अपनी आगे की यात्रा के दौरान यह रावी, चिनाब और झेलम नदियों के साथ सामूहिक जलधारा के रूप में मिठानकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी में मिल जाती है।
- लुहरी स्टेज-I जलविद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू ज़िलों में सतलुज नदी पर स्थित है।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

भूस्खलन और फ्लैश फ्लड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड (Flash Flood) और भूस्खलन (Landslide) की स्थिति उत्पन्न हो गई।

प्रमुख बिंदु

भूस्खलन:

- परिचय:
  - भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - यह एक प्रकार के वृहद् पैमाने पर अपक्षय है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में मिट्टी और चट्टान समूह खिसककर ढाल से नीचे गिरते हैं।
  - भूस्खलन शब्द में ढलान संचलन के पाँच तरीके शामिल हैं: गिरना (Fall), लटकना (Topple), फिसलना (Slide), फैलाना (Spread) और प्रवाह (Flow)।
- कारण:
  - ढलान संचलन तब होता है जब नीचे की ओर (मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण) कार्य करने वाले बल ढलान निर्मित करने वाली पृथ्वी जनित सामग्री से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं।
  - भू-स्खलन तीन प्रमुख कारकों के कारण होता है: भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान और मानव गतिविधि।
    - भू-विज्ञान भू-पदार्थों की विशेषताओं को संदर्भित करता है। पृथ्वी या चट्टान कमज़ोर या खंडित हो सकती है या अलग-अलग परतों में विभिन्न बल और कठोरता हो सकती है।
    - भू-आकृतिक विज्ञान भूमि की संरचना को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिये वैसे ढलान जिनकी वनस्पति आग या सूखे की चपेट में आने से नष्ट हो जाती है, भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
    - वनस्पति आवरण में पौधे मृदा को जड़ों में बाँधकर रखते हैं, वृक्षों, झाड़ियों और अन्य पौधों की अनुपस्थिति में भूस्खलन की अधिक संभावना होती है।
    - मानव गतिविधि जिसमें कृषि और निर्माण कार्य शामिल हैं, में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
- भूस्खलन संभावित क्षेत्र:
  - संपूर्ण हिमालय पथ, उत्तर-पूर्वी भारत के उप-हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ियाँ/पहाड़, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु कोंकण क्षेत्र में नीलगिरि भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र हैं।
- निवारण (Mitigation) :
  - भूस्खलन संभावी क्षेत्रों में सड़क और बड़े बाँध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिये।
  - इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी तथा मध्यम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिये।
  - उच्च सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में बड़ी बस्तियों के विकास पर नियंत्रण।
  - जल बहाव को कम करने के लिये वृहत् स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देना और बाँधों का निर्माण करना चाहिये।
  - पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के झूमिंग कृषि (स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि) वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिये।

नोट :

उठाए गए कदम:

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने देश में संपूर्ण 4,20,000 वर्ग किमी. के भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र के 85% के लिये एक राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण तैयार किया है। आपदा की प्रवृत्ति के अनुसार क्षेत्रों को अलग-अलग ज़ोन में बाँटा गया है।
  - पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करके निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

फ्लैश फ्लड:

- फ्लैश फ्लड के विषय में:
  - यह घटना बारिश के दौरान या उसके बाद जल स्तर में हुई अचानक वृद्धि को संदर्भित करती है।
  - यह बहुत ही उच्च स्थानों पर छोटी अवधि में घटित होने वाली घटना है, आमतौर पर वर्षा और फ्लैश फ्लड के बीच छह घंटे से कम का अंतर होता है।
  - फ्लैश घटना, खराब जल निकासी लाइनों या पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण भयानक हो जाती है।
- कारण:
  - यह घटना भारी बारिश की वजह से तेज़ आँधी, तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, बर्फ का पिघलना आदि के कारण हो सकती है।
  - फ्लैश फ्लड की घटना बाँध टूटने और/या मलबा प्रवाह के कारण भी हो सकती है।
  - फ्लैश फ्लड के लिये ज्वालामुखी उद्गार भी उत्तरदायी है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के बाद आस-पास के क्षेत्रों के तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है जिससे इन क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर पिघलने लगते हैं।
  - फ्लैश फ्लड के स्वरूप को वर्षा की तीव्रता, वर्षा का वितरण, भूमि उपयोग का प्रकार तथा स्थलाकृति, वनस्पति प्रकार एवं विकास/घनत्व, मिट्टी का प्रकार आदि सभी बिंदु निर्धारित करते हैं।

न्यूनीकरण:

- लोगों को घाटियों के बजाय ढलानों वाले दृढ़ ज़मीन वाले क्षेत्रों में रहना चाहिये।
- जिन क्षेत्रों में ज़मीन पर दरारें विकसित हो गई हैं, वहाँ वर्षा जल और सतही जल की पहुँच को रोकने के लिये उचित कदम उठाए जाने चाहिये।
- "अंधाधुंध" और "अवैज्ञानिक" निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाना चाहिये।

चंद्रमा के डगमगाने का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) ने निकट भविष्य में चंद्रमा के डगमगाने के प्रभाव को संभावित समस्या के रूप में उजागर किया है।

प्रमुख बिंदु

चंद्रमा का डगमगाना:

- जब चंद्रमा अपनी अंडाकार कक्षा बनाता है, तो इसका वेग भिन्न होता है जिससे "प्रकाश पक्ष" के हमारे दृष्टिकोण को यह थोड़ा अलग कोणों पर प्रकट कर बदल देता है जिसके परिणामस्वरूप चंद्रमा डगमगाता है या इस प्रकार की घटना को देखा जा सकता है।
- यह चंद्रमा की कक्षा में एक चक्रीय परिवर्तन है और चंद्रमा की कक्षा में नियमित रूप से चलायमान (दोलन) है।
- इसे पहली बार 1728 में प्रलेखित किया गया था। इस डगमगाने की प्रक्रिया को पूरा होने में 18.6 वर्षों का समय लगता है। इसे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के परिणाम के रूप में देखा जाता है।

नोट :

पृथ्वी पर चंद्रमा के डगमगाने का प्रभाव:

- चंद्रमा का डगमगाना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को प्रभावित करता है जो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर ज्वार-भाटा के उतार-चढ़ाव को प्रभावित करता है।
- डगमगाने के प्रत्येक चक्रीय प्रक्रिया में पृथ्वी पर ज्वार को बढ़ाने और दबाने की शक्ति होती है।
  - वर्तमान में इन 18.6 वर्षों के आधे समय में पृथ्वी के नियमित ज्वार दब जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उच्च ज्वार सामान्य से कम और निम्न ज्वार सामान्य से अधिक देखे जाते हैं।
  - दूसरे भाग में प्रभाव उल्टा होता है, जिसे चंद्रमा का ज्वार-प्रवर्धक चरण कहा जाता है।

संबंधित चिंताएँ:

- इस चक्र के 2030 के मध्य में फिर से होने की उम्मीद है तथा आने वाले चरण में एक बार फिर से ज्वार में वृद्धि होगी।
- इस चक्र में आने वाले परिवर्तन गंभीर खतरा पैदा करेंगे, क्योंकि उच्च ज्वार में वृद्धि तथा बढ़ते समुद्री जल स्तर से दुनिया के सभी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा।
  - यह आधार रेखा को ऊपर उठाता है और जितना अधिक आधार रेखा को ऊपर उठाया जाता है, उतनी ही न्यून मौसमीय घटनाएँ बाढ़ का कारण बनती हैं।
- उच्च ज्वार से आने वाली बाढ़– इसे उपद्रव बाढ़ या धूप बाढ़ के रूप में भी जाना जाता है जो क्लस्टर में हो सकती है और महीनों या लंबी अवधि तक भी रह सकती है।
  - यह घटना या परिवर्तन चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की स्थिति के साथ निकटता से जुड़ा होगा।

ज्वार

परिचय:

- ज्वार को समुद्र के पानी के नियतकालिक उठने और गिरने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

घटना:

- यह सूर्य तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन के संयुक्त प्रभावों के कारण होता है।

प्रकार:

- वृहत् ज्वार: पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊँचाई को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। इनको वृहत् ज्वार-भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में दो बार होता है- पहला पूर्णिमा के समय और दूसरा अमावस्या के दिन।
- निम्न ज्वार: यह स्थिति तब होती है जब चंद्रमा अपनी पहली और अंतिम तिमाही में होता है, इसमें समुद्र का पानी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण तिरछे विपरीत दिशाओं की ओर खिंच जाता है जिसके परिणामस्वरूप निम्न ज्वार की स्थिति होती है।

ज्वारीय परिवर्तन के चरण:

- उच्च ज्वार वह चरण है जब ज्वारीय शिखा तट पर किसी विशेष स्थान पर पहुँचती है, जिससे स्थानीय समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है।
- निम्न ज्वार वह चरण है जब गर्त (Trough) की स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्थानीय समुद्र के जल स्तर को कम करता है।
- ज्वारीय बाढ़ (Flood Tide) कम ज्वार और उच्च ज्वार के बीच उठने वाला या आने वाला ज्वार है।
- उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय, जब जल स्तर गिरता है, 'भाटा (Ebb)' कहलाता है।
  - उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्वार की सीमा होती है।

प्रभाव:

- ज्वार मछली और समुद्री पौधों की प्रजनन गतिविधियों सहित समुद्री जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करते हैं।

नोट :

- उच्च ज्वार नेविगेशन में मदद करते हैं। वे तटों के करीब जल स्तर को बढ़ाते हैं जिससे जहाज़ों को बंदरगाह पर अधिक आसानी से पहुँचने में मदद मिलती है।
- ज्वार समुद्र के पानी से टकराते हैं जो रहने योग्य जलवायु परिस्थितियों का निर्माण करता है और ग्रहों पर तापमान को संतुलित करता है।
- अंतर्वाह और बहिर्वाह के दौरान पानी की तेज़ गति तट के किनारे रहने वाले समुदायों को अक्षय ऊर्जा का स्रोत प्रदान करेगी।

आल्प्स के बदलते भू-दृश्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख में स्थित ईटीएच तकनीकी विश्वविद्यालय (ETH Technical University) द्वारा किये गए एक अध्ययन में इस बात की पुष्टि की गई है कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण आल्प्स (Alps) पर्वत के भू-दृश्यों/लैंडस्केप (Landscape) में नाटकीय रूप से परिवर्तन हुआ है।

प्रमुख बिंदु:

महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष:

- ग्लेशियरों (Glaciers) के पिघलने से पहाड़ों में 1,000 से अधिक नई झीलें निर्मित हुई हैं।
  - स्विस ग्लेशियल झीलों की सूची से पता चला है कि आल्प्स के पूर्व हिमाच्छादित क्षेत्रों में वर्ष 1850 के आसपास लिटिल आइस ऐज (Little Ice Age) की समाप्ति के बाद लगभग 1,200 नई झीलें निर्मित हुई हैं जिनमें से लगभग 1,000 आज भी मौज़ूद हैं।
- स्विस आल्प्स क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, मात्र पिछले साल उनकी मात्रा में 2% की कमी आई है।
- भले ही वर्ष 2015 के पेरिस समझौते (Paris Agreement) को पूरी तरह से लागू कर दें, बावजूद इसके दो-तिहाई अल्पाइन ग्लेशियरों के नष्ट होने की संभावना बनी हुई है।
  - पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में सीओपी-21 में 196 पार्टियों (देशों) द्वारा अपनाया गया था।

आल्प्स पर्वत:

- आल्प्स पर्वत अल्पाइन ऑरोजेनी (पर्वत-निर्माण घटना) के दौरान उभरा, यह घटना लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी जो मेसोज़ोइक युग (Mesozoic Era) के पास आने के दौरान घटित हुई।
- आल्प्स ऊबड़-खाबड़ और ऊँची शंक्वाकार चोटियों से निर्मित एक युवा वलित पर्वत श्रृंखला है।
- यह पश्चिमी यूरोप के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे प्रमुख है। जो लगभग 750 मील लंबी और 125 मील से अधिक चौड़ी है जिसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई जर्मनी के गार्मिश-पार्टेनकिर्चेन क्षेत्र तथा वेरोना, इटली के मध्य है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला 80000 वर्ग मील से अधिक के क्षेत्र को कवर करती है।
  - आल्प्स पर्वत श्रृंखला पूरब, उत्तर-पूर्व में विएना, ऑस्ट्रिया की ओर मुड़ने से पहले उत्तर में नीस, फ्राँस के पास उपोष्णकटिबंधीय भूमध्यसागरीय तट से जिनेवा झील तक फैली हुई है जहाँ यह डेन्यूब नदी (Danube River) को छूते हुए उससे लगे मैदानी भागों में मिल जाती है।
- अपने चापाकार आकार के कारण आल्प्स यूरोप की पश्चिमी समुद्री तट की जलवायु को फ्राँस, इटली और बाल्कन क्षेत्र (Balkan Region) के भूमध्यसागरीय क्षेत्रों से अलग करता है।
- संबंधित देश:
  - आल्प्स फ्राँस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, सर्बिया तथा अल्बानिया का हिस्सा है।
  - केवल स्विट्ज़रलैंड तथा ऑस्ट्रिया को ही 'टू अल्पाइन' देश माना जा सकता है।

नोट :

- महत्त्वपूर्ण चोटियाँ:
  - 'मोंट ब्लांक' (Mont Blanc) आल्प्स और यूरोप की सबसे ऊँची चोटी है जो समुद्र तल से 4,804 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह ग्रेयन आल्प्स में फ्राँस, स्विट्ज़रलैंड और इटली में स्थित है।
  - मोंटे रोज़ा (Monte Rosa) एक 'मैसिफ' (पहाड़ों का एक संयुक्त समूह) है, जिसमें कई चोटियाँ हैं। इस श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी डुफोरस्पित्ज़ (Dufourspitze) की ऊँचाई 4,634 मीटर है, जिसके स्विट्ज़रलैंड की सबसे ऊँची चोटी होने का दावा किया जाता है।
  - डोम जो मोंटे रोजा के पास स्थित है, 4,545 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और इसे अपने सीधे मार्गों के कारण आल्प्स में 'सुगम' ऊँची चोटियों में से एक के रूप में जाना जाता है।
  - अन्य प्रमुख चोटियाँ लिस्कम, वीशोर्न, मैटरहॉर्न, डेंट ब्लैंच, ग्रैंड कॉम्बिन आदि हैं।

विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ:

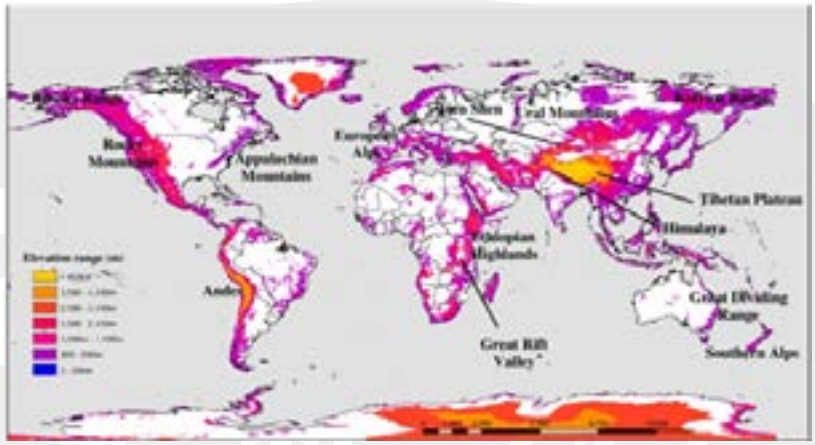

बादल फटना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत में कई स्थानों पर बादल फटने की सूचना मिली है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- बादल फटना एक छोटे से क्षेत्र में छोटी अवधि की तीव्र वर्षा की घटना है।
- यह लगभग 20-30 वर्ग किमी. के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिमी./घंटा से अधिक अप्रत्याशित वर्षा के साथ एक मौसमी घटना है।
- भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर यह घटना तब घटित होती है जब मानसून उत्तर की ओर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मैदानी इलाकों में और फिर हिमालय की ओर बढ़ता है जो कभी-कभी प्रति घंटे 75 मिलीमीटर वर्षा करता है।

घटना:

- सापेक्षिक आर्द्रता और मेघ आवरण, निम्न तापमान एवं धीमी हवाओं के साथ अधिकतम स्तर पर होता है, जिसके कारण बादल बहुत अधिक मात्रा में तीव्र गति से संघनित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप बादल फट सकते हैं।
- जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वातावरण अधिक-से-अधिक नमी धारण कर सकता है और यह नमी कम अवधि में बहुत तीव्र वर्षा (शायद आधे घंटे या एक घंटे लिये) का कारण बनती है, जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आती है और शहरों में शहरी बाढ़ आती हैं।

नोट :

बादल फटना वर्षा से भिन्न कैसे ?

- वर्षा बादलों से गिरने वाला संघनित जल है, जबकि बादल फटना अचानक भारी वर्षा का होना है।
- प्रति घंटे 100 मिमी. से अधिक वर्षा को बादल फटने के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से और अचानक घटित होती है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- कई अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर के कई शहरों में बादल फटने की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी।
  - मई 2021 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने उल्लेख किया था कि इस बात की 40% संभावना है कि आगामी पाँच वर्षों में वार्षिक औसत वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाएगा।
  - इसमें कहा गया है कि इस बात की 90 प्रतिशत संभावना है कि वर्ष 2021 और वर्ष 2025 के बीच कम-से-कम एक वर्ष ऐसा होगा जिसमें सबसे अधिक गर्मी रिकॉर्ड की जाएगी तथा वह वर्ष अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में वर्ष 2016 को प्रतिस्थापित कर देगा।
- हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की सबसे अधिक घटनाएँ देखी जा रही हैं, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में दशकीय तापमान वृद्धि वैश्विक तापमान वृद्धि की दर से अधिक है।

बादल फटने का परिणाम:

- फ्लैश फ्लड
- लैंडस्लाइड
- मडफ्लो
- लैंड कैविंग

पूर्वानुमान

- वर्तमान में बादल फटने की घटना का अनुमान लगाने के लिये कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये घटनाएँ बहुत कम देखने को मिलती हैं।
- बादल फटने की संभावना का पता लगाने के लिये अत्याधुनिक रडार के एक बेहतर नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जो कि अपेक्षाकृत काफी महँगा है।
- इससे भारी वर्षा की संभावना वाले क्षेत्रों में इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बादलों के फटने की घटना के अनुकूल क्षेत्रों और मौसम संबंधी स्थितियों की पहचान कर नुकसान से बचा जा सकता है।

नोट :

सामाजिक न्याय

भारत में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर

चर्चा में क्यों ?

लैंसेट ग्लोबल हेल्थ (Lancet Global Health) में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में वर्ष 1990 से 2019 तक भारत में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित मामलों का पहला व्यापक विश्लेषण प्रकाशित किया गया है।

- यह अध्ययन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ स्टडी 2019 का एक हिस्सा है, जिसे इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज़ बर्डन इनिशिएटिव (India State-Level Disease Burden Initiative) द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज़ बर्डन इनिशिएटिव अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के साथ-साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research- ICMR) की एक संयुक्त पहल है।

न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर/तंत्रिका संबंधी विकार

- अर्थ: न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र (Central and Peripheral Nervous System) से संबंधित रोग हैं, दूसरे शब्दों में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, कपाल तंत्रिकाएँ, परिधीय तंत्रिकाएँ, तंत्रिका जोड़, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मांसपेशियों से संबंधित विकार।
- गैर-संचारी तंत्रिका संबंधी विकार: इसमें स्ट्रोक, सिरदर्द, मिरगी, सेरेब्रल पाल्सी, अल्ज़ाइमर रोग (Alzheimer's Disease) और मस्तिष्क एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कैंसर, पार्किंसंस रोग (Parkinson's Disease), मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis), मोटर न्यूरॉन रोग (Motor Neuron Diseases) व अन्य तंत्रिका संबंधी विकार शामिल होते हैं।
- संचारी तंत्रिका संबंधी विकार: इंसेफेलाइटिस (Encephalitis), मेनिनजाइटिस (Meningitis), टेटनस (Tetanus)।
- चोट से संबंधित तंत्रिका संबंधी विकार: दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें, रीढ़ की हड्डी की चोटें।

प्रमुख बिंदु:

डेटा विश्लेषण:

- भारत में कुल रोगों में 10% योगदान न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का है।
- देश में गैर-संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का बोझ बढ़ रहा है, जो मुख्य रूप से जनसंख्या की उम्र बढ़ने के कारण है।
- भारत में कुल विकलांगता समायोजित जीवन-वर्ष (Disability Adjusted Life-Years- DALY) में गैर-संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का योगदान वर्ष 1990 में 4% से दोगुना होकर वर्ष 2019 में 8.2% हो गया और चोट से संबंधित न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का योगदान 0.2% से बढ़कर 0.6% हो गया है।
  - विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (Disability-Adjusted Life Years- DALYs) समय से पहले मृत्यु के कारण खोए हुए जीवन के वर्षों की संख्या और बीमारी या चोट के कारण विकलांगता के साथ रहने वाले वर्षों की एक भारित माप है।
- जबकि संचारी रोगों ने पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बोझ में योगदान दिया, अन्य सभी आयु समूहों में गैर-संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का सबसे अधिक योगदान था।
- भारत में संक्रामक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का बोझ कम हो गया है, हालाँकि कम विकसित राज्यों में यह बोझ अधिक है।

राज्यवार परिदृश्य:

- इस अवधि के दौरान न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मामलों में विकलांगता- समायोजित जीवन वर्षों (DALY) की उच्चतम दर देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे- पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा और असम में थी।

नोट :

- वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे- इंसेफेलाइटिस, मेनिनजाइटिस व टेटनस की विकलांगता- समायोजित जीवन वर्ष (DALY) दर सर्वाधिक थी।
- वर्ष 2019 में भारत के दक्षिणी राज्यों जैसे- तमिलनाडु एवं केरल, इसके बाद पश्चिम में गोवा तथा उत्तर में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में क्षति से संबंधित न्यूरोलॉजिकल स्थितियों की विकलांगता-समायोजित जीवन वर्षों (DALY) की दर सर्वाधिक थी।

प्रमुख मस्तिष्क संबंधी विकार:

- स्ट्रोक, सिरदर्द विकार और मिर्गी भारत में स्नायविक विकारों के बोझ में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
- गैर-संचारी तंत्रिका संबंधी विकारों में स्ट्रोक भारत में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है, तथा डिमेंशिया (मनोभ्रंश) अत्यधिक तीव्र गति से प्रसारित होने वाला तंत्रिका/मस्तिष्क संबंधी विकार है।
- सिरदर्द प्रत्येक 3 में से 1 भारतीय को प्रभावित करने वाला सामान्य तंत्रिका संबंधी विकार है तथा इसे अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के संदर्भ में उपेक्षित किया जाता है।
  - माइग्रेन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है, जो कामकाजी उम्र की आबादी में वयस्कों को बहुत प्रभावित करता है।

तंत्रिका संबंधी रोगों के लिये ज़िम्मेदार कारक:

- न्यूरोलॉजिकल विकारों के लिये ज्ञात जोखिम कारकों में बोझ, उच्च रक्तचाप, वायु प्रदूषण, आहार संबंधी जोखिम, प्लाज़्मा ग्लूकोज़ और उच्च बॉडी-मास इंडेक्स प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं।

आगे की राह:

- प्रत्येक राज्य में तंत्रिका विज्ञान सेवाओं की योजना: इस अध्ययन में प्रत्येक राज्य में तंत्रिका संबंधी विकारों के बोझ को कम करने के लिये जागरूकता बढ़ाने, शीघ्र पहचान, लागत प्रभावी उपचार और अन्य प्रयासों के बीच पुनर्वास का आह्वान किया गया है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में सिरदर्द: सिरदर्द, विशेष रूप से माइग्रेन को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचाना जाना चाहिये और इसे राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाना चाहिये।
- तंत्रिका विज्ञान कार्यबल को सुदृढ़ बनाना: प्रशिक्षित न्यूरोलॉजी कार्यबल की कमी को दूर करने और देश में तंत्रिका संबंधी विकारों का शीघ्र पता लगाने तथा लागत प्रभावी प्रबंधन को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- सुरक्षित जन्म को बढ़ावा देना: सुरक्षित जन्म पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियाँ और प्रथाएँ, सिर की चोट और स्ट्रोक को रोकने से मिर्गी को रोकने में मदद मिलेगी।

वैवाहिक अधिकारों की बहाली को चुनौती

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय (SC), हिंदू पर्सनल लॉ (हिंदू विवाह अधिनियम 1955) के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली (वापसी) की अनुमति देने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है।

प्रमुख बिंदु

वैवाहिक/दांपत्य अधिकार:

- वैवाहिक अधिकार विवाह द्वारा स्थापित अधिकार हैं, अर्थात् पति या पत्नी दोनों को एक-दूसरे के प्रति साहचर्य का अधिकार होता है।
- कानून इन अधिकारों को मान्यता देता है जिसके तहत विवाह, तलाक आदि से संबंधित हिंदू पर्सनल लॉ तथा आपराधिक कानून में पति या पत्नी को भरण-पोषण और गुजारा भत्ता के भुगतान की आवश्यकता होती है।
- हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों के एक पहलू- साथ जीवन व्यतीत करने वाले अधिकार को मान्यता देती है तथा इस अधिकार को लागू करने के लिये पति या पत्नी को न्यायालय में जाने की अनुमति देती है।

नोट :

- वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अवधारणा को अब हिंदू पर्सनल लॉ में संहिताबद्ध किया गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति औपनिवेशिक काल की है।
  - यहूदी कानून से उत्पन्न, वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत तथा अन्य समान कानून वाले देशों तक पहुँचा।
  - ब्रिटिश कानून पत्नियों को पति की निजी संपत्ति/अधिकार मानता था, इसलिये उन्हें अपने पति को छोड़ने की अनुमति नहीं थी।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ-साथ तलाक अधिनियम, 1869 में भी इसी तरह के प्रावधान किये गए हैं, जो ईसाई समुदाय के कानून को नियंत्रित करते हैं।
  - आकस्मिक रूप से वर्ष 1970 में ब्रिटेन ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के उपाय को समाप्त कर दिया।

चुनौतीपूर्ण प्रावधान:

- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9, निम्नलिखित परिस्थितियों में वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है:
  - जब पति और पत्नी दोनों में से कोई एक, पक्ष की संगति से बिना उचित कारण के अलग हो जाता है तब पीड़ित पक्ष ज़िला अदालत में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है।
  - दांपत्य/वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिये यदि अदालत याचिका में दिये गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट है और उसे आश्वासन दिया जाता है कि कोई ऐसा कानूनी आधार नहीं है कि इस तरह के आवेदन को क्यों खारिज किया जाना चाहिये, तो वह वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दे सकता है।

कानून को चुनौती देने का कारण:

- अधिकारों का उल्लंघन:
  - कानून को अब इस मुख्य आधार पर चुनौती दी जा रही है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
  - वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।
    - निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत जीवन के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के रूप में संरक्षित है।
  - वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने समलैंगिकता के अपराधीकरण, वैवाहिक बलात्कार, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बलात्कार की जाँच में टू-फिंगर टेस्ट जैसे कई कानूनों हेतु संभावित चुनौतियों के लिये एक आधार निर्मित किया है।
  - याचिका में तर्क दिया गया है कि न्यायालय द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की अनिवार्य बहाली राज्य की ओर से एक "ज़बरदस्ती अधिनियम" (Coercive Act) है, जो किसी की यौन और निर्णयात्मक स्वायत्तता तथा निजता एवं गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।
- महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण :
  - यद्यपि यह कानून लैंगिक रुप से तटस्थ है क्योंकि यह पत्नी और पति दोनों को वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अनुमति देता है, अत: प्रावधान महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करते हैं।
  - प्रावधान के तहत महिलाओं को अक्सर अपने पति के घर वापस आना पड़ता है और यह देखते हुए कि वैवाहिक बलात्कार एक अपराध नहीं है, इच्छा न होने के बावजूद उन्हें पति के साथ रहना होता है।
  - यह भी तर्क दिया जाता है कि क्या विवाह को सुरक्षित करने में राज्य की इतनी अधिक रुचि हो सकती है कि राज्य कानून द्वारा पति-पत्नी को एक साथ रहने के लिये बाध्य कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप नहीं:
  - वर्ष 2019 के जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (Joseph Shine v Union of India) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में विवाहित महिलाओं की निजता के अधिकार और दैहिक स्वायत्तता पर ज़ोर दिया है जिसमें न्यायालय ने कहा है कि शादी महिलाओं की यौन स्वतंत्रता और उनकी पसंद के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती है।
  - अगर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक स्वायत्तता, पसंद और निजता का अधिकार है तो न्यायालय कैसे दो वयस्कों को सहवास करने हेतु बाध्य कर सकता है यदि उनमें से एक ऐसा नहीं करना चाहता है।
    - न्यायालय दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कैसे कर सकता है या इन अधिकारों से अलग अन्यथा आदेश दे सकता है।

नोट :

- प्रावधान का दुरुपयोग:
  - विचार करने के लिये एक और प्रासंगिक मामला तलाक की कार्यवाही तथा गुज़ारा भत्ता भुगतान के खिलाफ ढाल के रूप में इस प्रावधान का दुरुपयोग है।
  - अक्सर पीड़ित पति या पत्नी अपने निवास स्थान से तलाक के लिये अर्जी देते हैं और उनके पत्नी या पति अपने यहाँ से मुआवज़ा हेतु मांग करते हैं।

पूर्व के निर्णय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1984 में सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (Saroj Rani v Sudarshan Kumar Chadha) मामले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि यह प्रावधान विवाह को टूटने से रोककर एक सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है।
- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने वर्ष 1983 में इस प्रावधान को पहली बार टी. सरिता बनाम टी. वेंकटसुब्बैया (T. Sareetha vs T. Venkatasubbaiah) मामले में शून्य घोषित कर दिया था।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य कारणों के साथ निजता के अधिकार का हवाला दिया। अदालत ने यह भी माना कि "पत्नी या पति से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित मामले में पक्षकारों को राज्य के हस्तक्षेप के बिना अकेला छोड़ दिया जाता है"।
  - अदालत ने यह भी माना था कि "सेक्स" के लिये मज़बूर किये जाने के कारण "महिलाओं के लिये गंभीर परिणाम" होंगे।
- हालाँकि उसी वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस कानून के बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और हरविंदर कौर बनाम हरमंदर सिंह चौधरी (Harvinder Kaur vs Harmander Singh Chaudhary) के मामले में इस प्रावधान को बरकरार रखा।

आगे की राह

- हम लैंगिक समानता और कानून की लिंग तटस्थ गुणवत्ता के विषय में बात करते हैं, लेकिन भारतीय समाज में महिलाएँ अभी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हैं जिसे ऐसे प्रावधान बढ़ावा देते हैं।
- दहेज़ हत्याएँ समाज पर कलंक हैं, जिसके लिये महिलाओं को भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
- जब पत्नियाँ क्रूरता से थक और टूट जाती हैं तो पति का घर छोड़ देती हैं, फिर अपने दाम्पत्य अधिकारों के लिये लड़ना इनके लिये बहुत मुश्किल हो जाता है।
- यह समय भारतीय न्यायपालिका और समाज को विवाह के प्रगतिशील सिद्धांत के साथ ही अधिक प्रगतिशील विचारों को अपनाने का है। विवाह, समारोहों के आधार पर नहीं बल्कि दो व्यक्तियों की स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता पर निर्मित होता है, जिसे नए दंपत्ति एक-दूसरे के साथ साझा करने के लिये सहमत होते हैं।

मध्याह्न भोजन योजना पर नया अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत की मध्याह्न भोजन योजना (Midday Meal Scheme) के अंतर-पीढ़ीगत लाभों (Intergenerational Benefits) पर एक नया अध्ययन प्रकाशित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

अध्ययन के बारे में:

- अध्ययन में देखा गया कि मध्याह्न भोजन का प्रभाव लंबे समय तक होता है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत लाभार्थी बच्चों का बेहतर विकास हुआ है।

नोट :

- इस अध्ययन हेतु बच्चों के जन्म वर्ष और 23 वर्षों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के साथ माताओं और उनके बच्चों के समूह पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि डेटा का इस्तेमाल किया गया।
- यह सामूहिक आहार कार्यक्रम के प्रभावों का अपनी तरह का पहला अंतर-पीढ़ीगत विश्लेषण है।

लंबाई-से-आयु तक का अनुपात:

- जिन लड़कियों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया, उनकी लंबाई-उम्र का अनुपात उन बच्चों की तुलना में अधिक था, जिन लड़कियों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त में भोजन प्राप्त नहीं हुआ।

मध्याह्न भोजन और स्टंटिंग में संबंध:

- जिन क्षेत्रों में वर्ष 2005 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी वहाँ वर्ष 2016 तक स्टंटिंग की व्यापकता में काफी कमी आई।
- अगली पीढ़ी में जहाँ महिलाओं की शिक्षा, प्रजनन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग किया गया वहाँ निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर में मध्याह्न भोजन और स्टंटिंग की कमी के बीच मज़बूत संबंध थे।

रुकावट/अवरोध:

- स्कूली शिक्षा और मध्याह्न भोजन योजना में रुकावट का दीर्घकालिक प्रभाव अगली पीढ़ी के पोषण स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचा सकता है।

नोट:

- कुपोषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के ऊर्जा और/या पोषक तत्त्वों के सेवन में कमी, अधिकता या असंतुलन से है।
- कुपोषण शब्द में दो व्यापक समूह एवं परिस्थितियाँ शामिल हैं:
  - प्रथम 'अल्पपोषण'(Undernutrition) जिसमें स्टंटिंग (Stunting), निर्बलता (Wasting) कम वज़न (Underweight) और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी या अपर्याप्तता (महत्त्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की कमी) शामिल है।
  - द्वितीय, 'छिपी हुई भूख' (Hidden Hunger) जो कि विटामिन और खनिजों की कमी है। यह स्थिति तब होती है जब लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पोषक तत्त्वों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। भोजन में विटामिन और खनिजों जैसे सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी होती है जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक होते हैं।

मध्याह्न भोजन योजना (Midday Meal Scheme)

परिचय:

- मध्याह्न भोजन योजना (शिक्षा मंत्रालय के तहत) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी।
- यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित I से VIII तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।

उद्देश्य:

- भूख और कुपोषण समाप्त करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार, विशेष रूप से महिलाओं को ज़मीनी स्तर पर रोज़गार प्रदान करना।

गुणवत्ता की जाँच:

- एगमार्क गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद के साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति के दो या तीन वयस्क सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखा जाता है।

खाद्य सुरक्षा:

- यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से किसी भी दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी।

नोट :

विनियमन:

- राज्य संचालन-सह निगरानी समिति (SSMC) पोषण मानकों और भोजन की गुणवत्ता के रखरखाव के लिये एक तंत्र की स्थापना सहित योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।

पोषण स्तर:

- प्राथमिक (I-V वर्ग) के लिये 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक (VI-VIII वर्ग) के लिये 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन।

कवरेज़:

- सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मदरसे और मकतब जो सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत समर्थित हैं।

मुद्दे और चुनौतियाँ:

- भ्रष्ट आचरण:
  - नमक के साथ सादे चपाती परोसे जाने, दूध में पानी मिलाने, फूड प्वाइज़निंग आदि के उदाहरण सामने आए हैं।
- जाति पूर्वाग्रह और भेदभाव:
  - भोजन जाति व्यवस्था का केंद्र है, इसलिये कई स्कूलों में बच्चों को उनकी जाति की स्थिति के अनुसार अलग-अलग बैठाया जाता है।
- कोविड-19:
  - कोविड -19 ने बच्चों और उनके स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी अधिकारों के लिये गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।
  - राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meals) सहित कई आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बाधित कर दिया है।
  - हालाँकि इसके बजाय परिवारों को सूखा खाद्यान्न (Dry foodgrains) या नकद हस्तांतरण प्रदान किया जाता है, साथ ही भोजन एवं शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि इसका स्कूल परिसर में गर्म पके हुए भोजन के समान प्रभाव नहीं होगा, विशेष रूप से उन लड़कियों के लिये जो घर पर अधिक भेदभाव का सामना करती हैं तथा अधिकांश को स्कूल बंद होने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा।
- कुपोषण का खतरा:
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, देश भर के कई राज्यों ने पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए बाल कुपोषण के बिगड़ते स्तर को दर्ज किया है।
  - भारत दुनिया के लगभग 30% अविकसित बच्चों और पाँच वर्ष से कम उम्र के लगभग 50% गंभीर रूप से कमज़ोर बच्चों का केंद्र है।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020:
  - 'वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020' के अनुसार, भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है, जो संभवत: वर्ष 2025 तक 'वैश्विक पोषण लक्ष्यों' (Global Nutrition Targets) को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे।
- 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक' (GHI)- 2020
  - 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक- 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा है। भारत भुखमरी सूचकांक में 'गंभीर' (Serious) श्रेणी में है।

आगे की राह

- उन महिलाओं और युवतियों के माँ बनने के वर्षों पहले मातृत्व क्षमता और शिक्षा या जागरूकता में सुधार के उपायों को लागू किया जाना चाहिये।
  - बौनापन (Stunting) के खिलाफ लड़ाई में अक्सर छोटे बच्चों के लिये पोषण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन पोषण विशेषज्ञों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि मातृत्त्व स्वास्थ्य और कल्याण उनकी संतानों में बौनेपन को कम करने की कुंजी है।
- अंतर-पीढ़ीगत लाभों के लिये मध्याह्न भोजन योजना के विस्तार एवं सुधार की आवश्यकता है। जैसे-जैसे भारत में लड़कियाँ स्कूल स्तर की पढ़ाई पूरी करती हैं, उनकी शादी हो जाती है और कुछ ही वर्षों के बाद वे संतान को जन्म देती हैं, इसलिये स्कूल-आधारित हस्तक्षेप वास्तव में मदद कर सकता है।

नोट :

इंडिया इनइक्क्वेलिटी रिपोर्ट 2021: ऑक्सफैम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) द्वारा जारी "इंडिया इनइक्क्वेलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज़ अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी" (India Inequality Report 2021: India's Unequal Healthcare Story) शीर्षक वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ व्याप्त हैं और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) की अनुपस्थिति के कारण हाशिये पर रहने वाले समुदायों के स्वास्थ्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

- इस रिपोर्ट के अनुसार, जो राज्य मौजूदा असमानताओं को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च कर रहे हैं, उन राज्यों में कोविड-19 के कम मामले दर्ज किये गए।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट के विषय में:

- यह रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य असमानता के स्तर को मापने के लिये विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में स्वास्थ्य परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है।
- इसके निष्कर्ष मुख्य रूप से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey) के तीसरे और चौथे दौर के माध्यमिक विश्लेषण तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) के विभिन्न दौरों पर आधारित हैं।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- विभिन्न समूहों का प्रदर्शन: सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तुलना में; हिंदू, मुसलमानों से; अमीर का प्रदर्शन गरीबों की तुलना में; पुरुष, महिलाओं की तुलना में तथा शहरी आबादी, ग्रामीण आबादी की तुलना में विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर बेहतर है।
  - कोविड-19 महामारी ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया है।
- राज्यों का प्रदर्शन: जो राज्य (तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान) पिछले कुछ वर्षों से सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच जैसी असमानताओं को कम कर रहे हैं, उनमें कोविड के कम मामले देखे गए।
  - दूसरी ओर जिन राज्यों (असम, बिहार और गोवा) में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का खर्च अधिक है, उनमें कोविड मामलों की रिकवरी दर अधिक है।
  - केरल ने बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश किया है, जिसे सामुदायिक स्तर पर बुनियादी सेवाओं हेतु प्रथम संपर्क पहुँच प्रदान करने के खातिर डिज़ाइन किया गया है और साथ ही इसने निवारक तथा उपचारात्मक सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुँच प्राप्त करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार किया है।
- ग्रामीण-शहरी विभाजन: कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 'ग्रामीण-शहरी विभाजन' और अधिक गंभीर रूप से सामने आया, जब ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षण, ऑक्सीजन और अस्पताल में बिस्तरों की भारी कमी देखी गई थी।
- डॉक्टर- रोगी अनुपात: वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के तहत प्रत्येक 10,189 लोगों के लिये एक सरकारी एलोपैथिक डॉक्टर और प्रत्येक 90,343 लोगों के लिये एक सरकारी अस्पताल रिकॉर्ड किया गया था।
- अस्पताल के बिस्तरों की कमी: सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना में निवेश की कमी के कारण बीते कुछ वर्षों में देश के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या वास्तव में कम हो गई है, उदाहरण के लिये वर्ष 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रति 10,000 व्यक्तियों पर 9 बिस्तर मौजूद थे, जबकि वर्तमान में प्रति 10,000 व्यक्तियों पर केवल 5 बिस्तर ही मौजूद हैं।
  - भारत ब्रिक्स देशों में प्रति हज़ार जनसंख्या पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या (0.5) के मामले में सबसे निचले स्थान पर है। भारत में यह संख्या बांग्लादेश (0.87), चिली (2.11) और मैक्सिको (0.98) जैसे अल्प-विकसित देशों से भी कम है।

नोट :

- महिला साक्षरता: यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सामाजिक समूहों में महिला साक्षरता में सुधार हुआ है, किंतु इस मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएँ सामान्य वर्ग से क्रमश: 18.6% और 27.9% पीछे हैं।
  - वर्ष 2015-16 में शीर्ष 20 प्रतिशत आबादी और निम्न 20 प्रतिशत आबादी के बीच 55.1% का अंतर मौजूद था।
  - हालाँकि मुस्लिमों महिलाओं के बीच साक्षरता दर (64.3%) सभी धार्मिक समूहों की तुलना में सबसे कम है, किंतु समय के साथ असमानता में कमी देखी गई है।
- स्वच्छता: जहाँ तक स्वच्छता का प्रश्न है तो सामान्य श्रेणी में 65.7% घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच उपलब्ध है, जबकि अनुसूचित जाति के परिवार इस मामले में 28.5% और अनुसूचित जनजाति के परिवार 39.8% पीछे हैं।.
  - जहाँ एक ओर देश के शीर्ष 20% घरों में से 93.4% घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाएँ हैं, वहीं केवल निम्न 20% घरों में से केवल 6% घरों में ही बेहतर स्वच्छता सुविधाएँ मौजूद हैं, इस तरह दोनों के बीच कुल 87.4% का अंतर है।
- टीकाकरण: एसटी परिवारों में 55.8% टीकाकरण अभी भी राष्ट्रीय औसत से 6.2% कम है और मुस्लिम वर्ग में टीकाकरण की दर सभी सामाजिक-धार्मिक समूहों में सबसे कम यानी 55.4% ही है।
  - बालिकाओं में टीकाकरण की दर बालकों की तुलना में कम है।
  - देश में 50% से अधिक बच्चों को अभी भी पूरक आहार (Supplements Food) नहीं मिलता है।
- जीवन प्रत्याशा: 20% परिवारों में धन/संपत्ति के आधार पर जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) 65.1 वर्ष से कम है, जबकि शीर्ष 20% हेतु जीवन प्रत्याशा 72.7 वर्ष है।
- प्रसवपूर्व देखभाल: प्रसवपूर्व देखभाल सुविधा प्राप्त करने वाली माताओं का प्रतिशत वर्ष 2005-06 में 35% था जो वर्ष 2015-16 में घटकर 21 % हो गया।
  - भारत में संस्थागत प्रसव की हिस्सेदारी 2005-06 के 38.7% से बढ़कर 2015-16 में 78.9% हो गई है।
- शिशु मृत्यु दर: शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate- IMR) में समग्र सुधार सभी सामाजिक समूहों में एक समान नहीं है। सामान्य वर्ग की तुलना में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का IMR का प्रतिशत अधिक है।
  - आदिवासी समुदायों में IMR 44.4% है जो सामान्य वर्ग से 40% अधिक तथा राष्ट्रीय औसत से 10% अधिक है।

सुझाव

- स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनियमित किया जाना चाहिये जो सरकार के लिये उचित गुणवत्ता के साथ समय पर, स्वीकार्य और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल की समान पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य को अनिवार्य बनाता है तथा स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों को संबोधित करता है ताकि अमीर और गरीब के बीच स्वास्थ्य परिणामों में अंतर को समाप्त' किया जा सके।
- नि:शुल्क वैक्सीन नीति के लिये एक समावेशी मॉडल को अपनाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका लिंग, जाति, धर्म या स्थान कुछ भी हो, साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बिना किसी देरी के टीका मिल जाए।
- देश में अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्वास्थ्य हेतु केंद्रीय बजटीय आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो।
- कमज़ोर/हाशिये की आबादी वाले क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिये और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (IPHS) के अनुसार स्थापित, सुसज्जित और पूरी तरह कार्यात्मक बनाया जाना चाहिये।
- बाह्य रोगी देखभाल को शामिल करने हेतु बीमा योजनाओं के दायरे का विस्तार करना। स्वास्थ्य पर प्रमुख व्यय बाह्य रोगी लागतों के माध्यम से होता है जैसे- परामर्श, नैदानिक परीक्षण, दवाएँ इत्यादि।
- एक केंद्र प्रायोजित योजना को संस्थागत बनाना जो सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये मुफ्त आवश्यक दवाओं और निदान के प्रावधान हेतु धन आवंटित करे।
- यह सुनिश्चित करना कि निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को विनियमित कैसे किया जाए ताकि सभी राज्य सरकारें नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम या समकक्ष राज्य कानून को अपनाएँ और उसे प्रभावी ढंग से लागू करें।

नोट :

- कोविड -19 महामारी के दौरान शुरू की गई मूल्य निर्धारण नीति का विस्तार करें ताकि निदान तथा गैर-कोविड उपचार को शामिल किया जा सके और निजी अस्पतालों द्वारा लगाए जाने वाले अत्यधिक शुल्क को रोका जा सके और स्वास्थ्य पर होने वाले व्यापक व्यय को कम किया जा सके।
- महिला फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की सेवाओं को नियमित करके स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मानव संसाधन और बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना तथा मज़बूत करना।
- महामारी की दूसरी लहर जैसी परिस्थितियों के लिये आकस्मिक योजनाएँ स्थापित करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा दिया जाना चाहिये ताकि पानी और स्वच्छता, साक्षरता आदि मुद्दों का समाधान किया जा सके जो स्वास्थ्य की स्थिति में योगदान करते हैं।

निष्कर्ष

- इस असमानता को दूर करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का मज़बूती से समर्थन किया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और भारत में अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के लगातार कम वित्तपोषण को दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव के पश्चात् भी सरकार द्वारा समाधान किया जाना शेष है। अन्यथा स्वास्थ्य आपात स्थिति केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ाएगी और गरीब एवं हाशिये पर स्थित व कमज़ोर वर्ग के लोगों को इससे नुकसान ही होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने राज्यसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) समर्थित स्वास्थ्य प्रणाली में सुधारों के परिणामस्वरूप लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों का विकास हुआ है।

संदर्भ:

- NHM को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2005 में शुरू) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2013 में शुरू) को मिलाकर शुरू किया गया था।
- मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) तथा संचारी एवं गैर-संचारी रोगों के लिये स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करना शामिल है।
- NHM न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच की परिकल्पना करता है जो लोगों की ज़रूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को सहायता:

- स्वास्थ्य सुविधाएँ:
  - NHM के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मानदंडों के अनुसार नई सुविधाओं और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन हेतु उनकी आवश्यकता के आधार पर बुनियादी ढाँचे के अंतराल को कम करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
- स्वास्थ्य सेवाएँ:
  - NHM सहायता में मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और तपेदिक जैसी प्रमुख बीमारियों तथा वेक्टर जनित बीमारियों जैसे- मलेरिया, डेंगू , काला आजार एवं कुष्ठ रोगआदि से संबंधित मुफ्त सेवाओं का प्रावधान है।

NHM के तहत प्रमुख पहलें:

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)।

नोट :

- नि:शुल्क दवाओं और नि:शुल्क निदान सेवा पहल।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम।
- सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासनढाँचे का कार्यान्वयन।
- मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (MMUs) और टेली-परामर्श सेवाओं को भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करने हेतु लागू किया जा रहा है।
- आयुष्मान भारत।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)।

एनएचएम की उपलब्धियाँ

स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार:

- एनएचएम ने कार्यान्वयन के 15 वर्षों में स्वास्थ्य के लिये सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goal) की उपलब्धि को सक्षम किया है।
  - एमडीजी को सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal) से हटा दिया गया है।
- इससे मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य संकेतकों, विशेष रूप से मातृ-मृत्यु अनुपात, शिशु मृत्यु दर आदि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें भारत में गिरावट की दर वैश्विक औसत से काफी अधिक है तथा एनएचएम के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान इन गिरावटों में तेज़ी आई है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि:

- एनएचएम एक स्वास्थ्य प्रणाली दृष्टिकोण अपनाता है और नागरिकों को व्यापक प्राथमिक तथा माध्यमिक देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिये ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों व ज़िला अस्पतालों के साथ मज़बूत रेफरल लिंकेज सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु एक नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखता है।
- एनएचएम ने न केवल सेवा वितरण के लिये संस्थागत क्षमताओं में वृद्धि करने में योगदान दिया है बल्कि एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लक्षित हस्तक्षेप हेतु क्षमताओं का विकास भी किया गया है।

समान विकास:

- इसके तहत वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी आबादी और शहरी गरीबों के स्वास्थ्य पर भी निरंतर ध्यान दिया गया था।
- पहुँच एवं उपयोग में समानता सुनिश्चित करने का एक और हालिया प्रयास, 'आकांक्षी ज़िला' कार्यक्रम है, जिसमें अतिरिक्त संसाधनों के आवंटन तथा क्षमता वृद्धि के लिये कमज़ोर सामाजिक और मानव विकास संकेतक वाले 28 राज्यों के 115 ज़िलों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें अधिक प्रगतिशील राज्यों के स्तर पर पहुँचाया जा सके।

राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवाएँ:

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2005) के शुभारंभ के समय देश में एंबुलेंस नेटवर्क न के बराबर था।
- 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' के तहत अब तक 20,990 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा वाहन चालू किये गए हैं।
- इसके अलावा 5,499 रोगी परिवहन वाहन भी तैनात किये गए हैं, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को 'मुफ्त पिकअप और ड्रॉप' सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से।

मानव संसाधन में वृद्धि:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) सेवा वितरण हेतु डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं जैसे मानव संसाधन को शामिल करने के लिये राज्यों का समर्थन करता है तथा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम को भी लागू करता है।
  - NHM के तहत 10 लाख से अधिक आशा और आशा फैसिलिटेटर जुड़े हुए हैं।

नोट :

- NHM ने राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्त, योजना तथा प्रबंधन में कौशल प्राप्त करने से संबंधित योजना बनाने एवं हस्तक्षेप करने के साथ ही नैदानिक कर्मचारियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने समर्थन किया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार:

- NHM ने विशेष रूप से शासन, खरीदारी और प्रौद्योगिकी से संबंधित सुधारों के डिज़ाइन और कार्यान्वयन को सक्षम बनाया है।

उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) का समाधान करना:

- OOPE के वर्तमान उच्च स्तर को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि OOPE का लगभग 70% हिस्सा दवाओं और निदान के कारण है, NHM के तहत मुफ्त दवाएँ और नि:शुल्क नैदानिक सेवा संबंधी पहल लागू की गई है।
- राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची (NEDL) और आवश्यक निदान सूची (EDL) को अधिसूचित किया गया है तथा नई पहल के आधार पर अधिक आवश्यक दवाओं को शामिल करने के लिये समय-समय पर इन्हें अद्यतन किया जाता है।

स्माइल (SMILE) योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने "स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE) नामक योजना तैयार की है।

- इसमें केंद्रीय क्षेत्र की 'भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिये योजना' नामक एक उपयोजना भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिये मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद यह एक नई योजना है।
- यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिये भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिये पुनर्वास सुनिश्चित करती है।
  - मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता के मामले में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नए समर्पित आश्रय गृह स्थापित किये जाएंगे।

मुख्य केंद्र:

- इस योजना के केंद्र में बड़े पैमाने पर पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज़, शिक्षा, कौशल विकास आदि हैं।
- अनुमान है कि इस योजना के तहत लगभग 60,000 सबसे गरीब व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लाभान्वित किया जाएगा।

कार्यान्वयन:

- इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (CBOs), संस्थानों और अन्य के सहयोग से लागू किया जाएगा।

भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिये योजना:

- भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिये यह एक व्यापक योजना होगी।
- इस योजना को चुनिंदा शहरों में पायलट आधार पर लागू किया गया है जहाँ भिखारी समुदाय की संख्या अधिक है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान मंत्रालय ने भिखारियों के कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD) को 1 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) को 70 लाख रुपए की राशि जारी की।

नोट :

भारत में भिक्षावृत्ति की स्थिति:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 (2,21,673 पुरुषों और 1,91,997 महिलाओं सहित) है और पिछली जनगणना के बाद से इस संख्या में वृद्धि हुई है।
- पश्चिम बंगाल इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लक्षद्वीप में भिखारियों की संख्या मुश्किल से केवल दो है।
- केंद्रशासित प्रदेशों में नई दिल्ली में सबसे अधिक 2,187 भिखारी थे, उसके बाद चंडीगढ़ में इनकी संख्या 121 थी।
- पूर्वोत्तर राज्यों में असम 22,116 भिखारियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि मिज़ोरम 53 भिखारियों के साथ निचले स्थान पर है।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत विभिन्न राज्यों में भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिये एक याचिका पर विचार करने हेतु सहमत हुआ है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

- NBCFDC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में भारत सरकार का उपक्रम है।
- इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 13 जनवरी, 1992 को एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
- इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को लाभ पहुँचाने हेतु आर्थिक एवं विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा कौशल विकास व स्वरोज़गार उपक्रमों में इन वर्गों के गरीबों की सहायता करना है।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (NISD)

- NISD एक स्वायत्त निकाय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी), दिल्ली सरकार के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत है।
- यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हेतु एक केंद्रीय सलाहकार निकाय है।
- यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है।
- संस्थान वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजिक रक्षा संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।
- संस्थान का अधिदेश प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों हेतु जानकारी प्रदान करना है।

नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिये समझौते

चर्चा में क्यों ?

भारत ने 26 द्विपक्षीय समझौतों, 15 समझौता ज्ञापनों और विभिन्न देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को लेकर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, ताकि रासायनिक पूर्ववर्तियों (Chemical Precursors) के अलावा मादक पदार्थों, दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी का मुकाबला किया जा सके।

प्रमुख बिंदु

भारत में नशीली दवाओं का खतरा:

- भारत के युवाओं में नशे की लत तेज़ी से बढ़ रही है।
- भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों (एक तरफ स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र और दूसरी तरफ स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र) के बीच स्थित है।
  - स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र में थाईलैंड, म्याँमार, वियतनाम और लाओस शामिल हैं।
  - स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं।

नोट :

- वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत (विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता) में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और उनके अवयवों को मनोरंजक उपयोग के साधनों में तेज़ी से परिवर्तित किया जा रहा है।
  - भारत वर्ष 2011-2020 में विश्लेषण किये गए 19 प्रमुख डार्कनेट (काला बाज़ारी) बाज़ारों में बेची जाने वाली दवाओं के शिपमेंट से भी जुड़ा हुआ है।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) द्वारा वर्ष 2019 में जारी 'भारत में पदार्थ के उपयोग का परिमाण रिपोर्ट' के अनुसार:
  - सर्वेक्षण के समय (वर्ष 2018 में आयोजित) लगभग 5 करोड़ भारतीयों ने भाँग और ओपिओइड (Opioids) का उपयोग करने की सूचना दी थी।
  - अनुमान है कि लगभग 8.5 लाख लोग ड्रग्स का इंजेक्शन लगाते हैं।
  - रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित कुल मामलों में से आधे से अधिक पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से हैं।
  - अनुमान के अनुसार, लगभग 60 लाख लोगों को अपनी ओपिओइड उपयोग की समस्याओं के लिये सहायता की आवश्यकता होगी।

उठाए गए विभिन्न कदम:

- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय:
  - नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिये सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय किया है।
  - इनमें सार्क (SAARC), ब्रिक्स (BRICS), कोलंबो योजना (Colombo Plan), आसियान (ASEAN), बिम्सटेक (BIMSTEC), ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime) और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (International Narcotics Control Board) शामिल थे।
- विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय:
  - प्रभावी दवा कानून प्रवर्तन हेतु वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय द्वारा नार्को समन्वय केंद्र (Narco Coordination Centre-NCORD) तंत्र स्थापित किया गया था।
    - इस एनसीओआरडी प्रणाली को बेहतर समन्वय के लिये जुलाई 2019 में ज़िला स्तर तक चार स्तरीय योजना में पुनर्गठित किया गया था।
  - बड़ी बरामदगी से जुड़े मामलों की जाँच की निगरानी के लिये जुलाई 2019 में एनसीबी के महानिदेशक के अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया गया था।
- ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल:
  - अखिल भारतीय ड्रग ज़ब्ती डेटा के डिजिटलीकरण के लिये गृह मंत्रालय ने वर्ष 2019 में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act) के जनादेश के अंतर्गत सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों हेतु ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (Seizure Information Management System- SIMS) नामक एक ई-पोर्टल लॉन्च किया।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष:
  - इसका गठन नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने, नशा करने वालों के पुनर्वास और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जनता को शिक्षित करने आदि के संबंध में किये गए खर्च को पूरा करने हेतु किया गया था।
- राष्ट्रीय ड्रग दुरुपयोग सर्वेक्षण:
  - सरकार एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (National Drug Dependence Treatment Centre) की मदद से और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग का अध्ययन करने हेतु एक राष्ट्रीय ड्रग सर्वेक्षण (National Drug Abuse Survey) भी कर रही है।

नोट :

- प्रोजेक्ट सनराइज़:
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते एचआईवी के प्रसार से निपटने के लिये विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु 'प्रोजेक्ट सनराइज़' (Project Sunrise) शुरू किया गया था।
- नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, (NDPS) 1985:
  - यह किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ या साइकोट्रॉपिक पदार्थ के उत्पादन, बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण, और/या उपभोग को प्रतिबंधित करता है।
  - इस अधिनियम में अब तक तीन बार- वर्ष 1988, वर्ष 2001 और वर्ष 2014 में संशोधन किया जा चुका है।
  - यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है और साथ ही यह भारत के बाहर निवास करने वाले सभी भारतीय नागरिकों एवं भारत में पंजीकृत जहाज़ों तथा विमानों पर मौजूद सभी व्यक्तियों पर भी भी लागू होता है।
- नशा मुक्त भारत अभियान:
  - यह सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित है।

मादक पदार्थों के खतरे पर नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सम्मेलन:

- भारत मादक पदार्थों के खतरे से निपटने हेतु निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्त्ता है:
  - नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) कन्वेंशन (1961)।
  - साइकोट्रोपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1971)।
  - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)।
  - ट्रांसनेशनल क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC) 2000.

आगे की राह

- सीमा पार तस्करी पर अंकुश लगाकर, NDPS अधिनियम के तहत कठोर दंड या नशीली दवाओं के प्रवर्तन में सुधार कर आपूर्ति को रोकने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये तथा भारत को मांग पक्ष को ध्यान में रखकर समस्या का समाधान करना चाहिये।
- व्यसन को चरित्र दोष के रूप में नहीं बल्कि एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिये। साथ ही नशीली दवाओं के सेवन से जुड़े कलंक (Stigma) को समाप्त करने की ज़रूरत है। समाज को यह समझने की भी ज़रूरत है कि नशा करने वाले अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित होते हैं।
- कुछ दवाएँ जिनमें 50% से अधिक अल्कोहल और ओपिओइड होता है, को शामिल करने की आवश्यकता है। देश में नशीली दवाओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस अधिकारियों व आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग (Excise and Narcotics Department) की ओर से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।
- शिक्षा पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों की लत, इसके प्रभाव और नशामुक्ति पर भी अध्याय शामिल होने चाहिये। उचित परामर्श एक अन्य विकल्प हो सकता है।

मृत्युपूर्व घोषणा' और संबंधित नियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो' (CBI) की एक विशेष अदालत ने हत्या के एक आरोपी की हिरासत में मौत के लिये दो पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई, जो कि पीड़ित द्वारा की गई 'मृत्युपूर्व घोषणा' पर आधारित है।

- 'केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो' (CBI) भारत की प्रमुख जाँच एजेंसी है। यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग [जो प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अंतर्गत आता है] के अधीक्षण में कार्य करता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

'मृत्युपूर्व घोषणा' का आशय

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-32(1) 'मृत्युपूर्व घोषणा' को मृत व्यक्ति द्वारा दिये गए प्रासंगिक तथ्यों के लिखित या मौखिक बयान के रूप में परिभाषित करती है। यह उस व्यक्ति का कथन होता है जो अपनी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में बताते हुए मर गया था।
  - यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि 'एक व्यक्ति झूठ के साथ अपने सृजनकर्त्ता के समक्ष नहीं जा सकता।
- अधिनियम की धारा 60 के तहत सामान्य नियम यह है कि सभी मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होने चाहिये यानी पीड़ित ने इसे सुना, देखा या महसूस किया हो।

'मृत्युपूर्व घोषणा' संबंधी नियम

- 'मृत्युपूर्व घोषणा' को मुख्यत: दो व्यापक नियमों के आधार पर स्वीकृति दी जा सकती है:
  - जब पीड़ित प्राय: अपराध का एकमात्र प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य हो।
  - 'आसन्न मृत्यु का बोध', जो न्यायालय में शपथ दायित्व के समान ही होता है।

'मृत्युपूर्व घोषणा' की रिकॉर्डिंग:

- कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति मृतक का मृत्युपूर्व बयान दर्ज कर सकता है। हालाँकि न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया मृत्युकालीन बयान अभियोजन मामले में अतिरिक्त शक्ति प्रदान करेगा।
  - 'मृत्युपूर्व घोषणा' कई मामलों में "घटना की उत्पत्ति को साबित करने के लिये साक्ष्य का प्राथमिक हिस्सा" हो सकती है।
- इस तरह की घोषणा के लिये अदालत में पूरी तरह से जवाबदेह होने की एकमात्र आवश्यकता पीड़ित के लिये स्वेच्छा से बयान देना और उसकी मानसिक स्थिति का स्वस्थ्य होना है।
  - मृत्यु से पहले की गई घोषणा को दर्ज करने वाले व्यक्ति को इस बात से संतुष्ट होना चाहिये कि पीड़ित की मानसिक स्थिति ठीक है।

ऐसी स्थितियाँ जहाँ न्यायालय इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है:

- हालाँकि 'मृत्युपूर्व घोषणा' अधिक प्रभावकारी होती है क्योंकि आरोपी के पास जिरह की कोई गुंजाइस नहीं होती है।
  - यही कारण है कि अदालतों ने सदैव इस बात पर ज़ोर दिया है कि 'मृत्युपूर्व घोषणा' इस तरह की होनी चाहिये कि अदालत को इसकी सत्यता पर पूरा भरोसा हो।
- अदालतें इस बात की जाँच करने के मामले में सतर्क होती हैं कि मृतक का बयान किसी प्रोत्साहन या कल्पना का उत्पाद तो नहीं है।

पुष्टि की आवश्यकता (सबूत के समर्थन में):

- कई निर्णयों में यह उल्लेख किया गया है कि यह न तो कानून का नियम है और न ही विवेक का, कि मृत्यु से पहले की घोषणा की बिना पुष्टि किये कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
  - यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मृत्युपूर्व घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है तो बिना पुष्टि के उस आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है।
- जहाँ मृत्युपूर्व घोषणापत्र संदेहास्पद हो, उस पर बिना पुष्ट साक्ष्य के कार्रवाई नहीं की जानी चाहिये क्योंकि मृत्युपूर्व घोषणा में घटना के बारे में विवरण नहीं होता है।
  - इसे केवल इसलिये खारिज नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह एक संक्षिप्त कथन है। इसके विपरीत कथन की संक्षिप्तता ही सत्य की गारंटी देती है।

चिकित्सकीय राय की वैधता:

- आमतौर पर अदालत इस बात की संतुष्टि के लिये चिकित्सकीय राय ले सकती है कि क्या व्यक्ति मृत्युकालीन घोषणा करने के समय स्वस्थ मानसिक स्थिति में था।
- लेकिन जहाँ चश्मदीद गवाह के कथन के अनुसार व्यक्ति ने मौत से पहले घोषणा मानसिक रूप से स्वस्थ और सचेत अवस्था में की है, वहाँ चिकित्सकीय राय मान्य नहीं हो सकती।

नोट :

कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

गृह मंत्रालय के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस' (निमहांस) ने कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

दिशा-निर्देश

- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोग की पहचान के लिये 'गेटकीपर मॉडल':
  - इस मॉडल के तहत आत्महत्या के जोखिम वाले कैदियों की पहचान करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित चयनित कैदी, अन्य कैदियों को उपचार एवं सहायक सेवा प्रदान करेंगे।
  - यह देश भर की जेलों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से प्रेरित आत्महत्याओं को रोकने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - जेल कैदियों में से लगभग 80% लोगों में मानसिक बीमारी और मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकार की व्यापकता देखी गई है।
- मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिये:
  - मानसिक विकारों वाले कैदियों को आत्महत्या के जोखिम से बचाने के लिये उनका नियमित रूप से मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण करना आवश्यक होता है और नियमित रूप से दवा दी जानी भी महत्त्वपूर्ण होती है।
  - कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये सुधार सुविधाओं में 'ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' जैसे समुदाय आधारित पहलों के लिंक किया जाना चाहिये।
- सामाजिक हस्तक्षेप के लिये 'बडी सिस्टम' (Buddy System):
  - यह प्रशिक्षित कैदियों के माध्यम से एक प्रकार का सामाजिक समर्थन कार्यक्रम है, जिसे 'बडी' या 'श्रोता' के रूप में जाना जाता है।
  - आत्महत्या की इच्छा से पीड़ित कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य पर इस पहल का बेहतर प्रभाव पाया गया है। इसके अलावा मित्रों और परिवार के साथ समय-समय पर टेलीफोन पर बातचीत करना भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
    - ई-मुलाकात एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कैदियों के रिश्तेदारों/ दोस्तों/अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल के माध्यम से कैदियों के साक्षात्कार हेतु बुकिंग करने में सक्षम बनाता है।

आवश्यकता:

- भारतीय जेलों में लंबे समय से चली आ रही तीन संरचनात्मक बाधाएँ: भीड़भाड़, कर्मचारी एवं धन की कमी तथा हिंसक झड़पें।
- वर्ष 2019 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा प्रकाशित प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2016, रिपोर्ट भारत की जेलों में बंद कैदियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालती है।
- अंडर-ट्रायल पापुलेशन/जनसंख्या: भारत की अंडर-ट्रायल पापुलेशन विश्व में सर्वाधिक है। वर्ष 2016 के अंत में 4,33,033 लोग जेल में थे, जिनमें से 68% अंडर-ट्रायल थे।
  - रिमांड की सुनवाई के दौरान गैर-ज़रूरी गिरफ्तारियों और अप्रभावी कानूनी सहायता का परिणाम समग्र रूप से जेलों में विचाराधीन कैदियों का उच्च अनुपात हो सकता है।
  - कोविड-19 भी एक कारण है जिसने ट्रायल को स्थगित करने तथा अदालती सुनवाई में देरी को और अधिक बढ़ाया है।
- निवारक निरोध के तहत रखे गए लोग: जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक (या 'रोकथाम') निरोध कानूनों के तहत पकड़े गए लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।
  - वर्ष 2015 में जहाँ बंदियों की कुल संख्या 90 थी वहीँ वर्ष 2016 में 431 बंदियों के चलते तुलनात्मक रुप से 300% की वृद्धि हुई है।
  - प्रशासनिक या 'निवारक' निरोध का उपयोग अधिकारियों द्वारा बिना किसी आरोप या मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने एवं नियमित आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं को दरकिनार करने हेतु किया जाता है।

नोट :

- सी.आर.पी.सी की धारा 436ए विचाराधीन कैदियों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने की अनुमति देती है यदि वे दोषी पाए जाने पर उनके द्वारा झेली जाने वाली कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा पूरा कर चुके हों।

- जेल में अप्राकृतिक मौतें: जेलों में "अप्राकृतिक" मौतों की संख्या वर्ष 2015 और वर्ष 2016 के बीच बढ़कर 115 से 231 तक यानी दोगुनी हो गई है।
  - कैदियों के बीच आत्महत्या की दर में भी 28% की वृद्धि हुई। वर्ष 2015 में आत्महत्याओं के 77 मामले थे, वहीँ वर्ष 2016 में यह संख्या बढ़कर 102 हो गई।
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने वर्ष 2014 में कहा था कि जेल से बाहर रहने वाले एक व्यक्ति की तुलना में जेल में आत्महत्या करने की संभावना डेढ़ गुना अधिक होती है। यह भारतीय जेलों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की भयावहता का एक संभावित संकेतक है।
- मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी: वर्ष 2016 में प्रत्येक 21,650 कैदियों पर केवल एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद था, वहीं केवल छह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक मौजूद थे।
  - साथ ही NCRB ने कहा था कि वर्ष 2016 में मानसिक बीमारी से ग्रसित लगभग 6,013 व्यक्ति जेल में थे।
  - जेल अधिनियम, 1894 और कैदी अधिनियम, 1900 के अनुसार, प्रत्येक जेल में एक कल्याण अधिकारी तथा एक कानून अधिकारी होना चाहिये लेकिन इन अधिकारियों की भर्ती अभी भी लंबित है। यह पिछली शताब्दी के दौरान जेलों को मिली राज्य की कम राजनीतिक और बजटीय प्राथमिकता की व्याख्या करता है।

आगे की राह

- जेल या पुलिस लॉक-अप में आत्महत्या को रोकना प्राथमिक रूप से एक चिकित्सा मामला नहीं है, बल्कि इसके लिये विभिन्न एजेंसियों के सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है।
- सभी पुलिसकर्मियों के लिये यह आवश्यक है कि वे हिरासत में आत्महत्या के व्यवहार को एक गंभीर मामले के रूप में तथा इसे रोके जा सकने वाले विकार के रूप में लें, जैसा कि किसी भी अन्य परिस्थिति में होता है।
- व्यक्तियों को जेल में रखने से पूर्व उनकी जाँच करना, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग या मानसिक बीमारी जैसे महत्त्वपूर्ण जोखिम कारकों की पहचान करना आवश्यक है तथा इस संबंध में उचित चिकित्सा सहायता प्राप्त करने से ऐसी घटनाओं की संख्या में काफी कमी आ सकती है।
- इस तरह की घटनाएँ, जेल या पुलिस लॉक-अप के वातावरण पर ही निर्भर करती हैं क्योंकि इनकी अनदेखी आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिये जेल के वातावरण में क्रमिक परिवर्तन व्यक्ति को स्थिति के अनुकूल होने और समस्याओं से निपटने के लिये सीखने में मदद कर सकता है।

निमोनिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि शिशु मृत्यु के मामले में 16.9 प्रतिशत का कारण निमोनिया है तथा यह शिशु मृत्यु दर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है (समय से पहले जन्म और कम वज़न के बाद)।

- नवंबर 2020 में इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर (IVAC) द्वारा वार्षिक निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- निमोनिया फेफड़ों का एक तीव्र श्वसन संक्रमण है। यह एक न्यूमोकोकल रोग भी है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है।

नोट :

कारण:

- इसके फैलने का एक कारण नहीं है- यह हवा में बैक्टीरिया, वायरस या कवक से विकसित हो सकता है।

भेद्यता:

- जिन बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली अपरिपक्व (अर्थात् नवजात शिशु) या कमज़ोर होती है, जैसे कि अल्पपोषण, या एचआईवी रोग- निमोनिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

विस्तार:

- निमोनिया संक्रामक है और खाँसने या छींकने से फैल सकता है। यह तरल पदार्थों के माध्यम से भी फैल सकता है, जैसे बच्चे के जन्म के दौरान रक्त, या दूषित स्थानों से।

टीका:

- भारत ने यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) की तर्ज़ पर ही PCV की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की है।
- बैक्टीरिया के कारण होने वाले निमोनिया को टीकों से आसानी से रोका जा सकता है। इसे रोकने के लिये प्राथमिक टीके 'न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन' (Pneumococcal Conjugate Vaccine-PCV) की 3 खुराक दी जाती है।
- निमोनिया के मुख्य संक्रमण कारणों हेतु एक नया टीका विकसित किया जा रहा है।

रोग भार:

- वैश्विक स्तर पर: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल मौतों में आधे से अधिक निमोनिया के कारण होती हैं।
- सालाना, भारत में निमोनिया से होने वाली अनुमानित मौतें 71% हैं और गंभीर निमोनिया के 57% मामले देखे जाते हैं।

निमोनिया से संबंधित पहल:

- निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (SAANS): इसका उद्देश्य निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करना है, जो सालाना पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के मामले में लगभग 15% है।
  - सरकार ने बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों के नियंत्रण हेतु वर्ष 2025 तक प्रति 1000 जीवित बच्चों पर मौतों को 3 से कम करने का लक्ष्य रखा है।
- वर्ष 2014 में भारत ने डायरिया और निमोनिया से संबंधित पाँच वर्ष से कम उम्र की मौतों की रोकथाम के लिये सहयोगात्मक प्रयास करने हेतु 'निमोनिया और डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी एकीकृत कार्ययोजना (Integrated Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia and Diarrhoea- IAPPD) शुरू की है।
  - WHO और UNICEF ने निमोनिया एवं डायरिया की रोकथाम के लिये एक एकीकृत वैश्विक कार्ययोजना (GAPPD) शुरू की थी।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 राज्यसभा में पारित किया गया है।

- यह विधेयक 'किशोर न्याय अधिनियम, 2015' में संशोधन करना चाहता है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने वर्ष 2020 में 'चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस' (CCIs) का ऑडिट किया था, जिनमें से 90% 'गैर-सरकारी सगठनों' द्वारा चलाए जा रहे थे, इसमें पाया गया कि वर्ष 2015 में संशोधन लाए जाने के बाद भी 39% CCIs पंजीकृत नहीं थे।

नोट :

- इसमें यह भी पाया गया कि 20% से कम CCIs, विशेष रूप से लड़कियों के लिये, असम में स्थापित ही नहीं किये गए थे और 26% में बाल कल्याण अधिकारियों की ही नियुक्ति नहीं की गई थी।
- इसके अलावा प्रत्येक पाँच में से तीन 'चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन' में शौचालय नहीं है, दस में से एक CCI में पीने का पानी ही उपलब्ध नहीं है और 15% में अलग बिस्तर या आहार योजना के प्रावधान नहीं हैं।
- 'चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस' के लिये बच्चों का पुनर्वास प्राथमिकता नहीं है, बल्कि बच्चों को कथित तौर पर फंड प्राप्त करने के लिये ऐसे संस्थानों में रखा जाता है।

विधेयक द्वारा प्रस्तावित प्रमुख संशोधन:

- गंभीर अपराध: गंभीर अपराधों की श्रेणी में ऐसे अपराध शामिल होंगे, जिनके लिये अधिकतम सज़ा सात वर्ष से अधिक है, जबकि न्यूनतम सज़ा या तो निर्धारित नहीं की गई है या फिर सात वर्ष से कम है।
  - वर्तमान में गंभीर अपराध वे हैं, जिनके लिये भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत तीन से सात वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।
- असंज्ञेय अपराध:
  - वर्तमान अधिनियम के मुताबिक, तीन से सात वर्ष तक की सज़ा वाले अपराध संज्ञेय (जहाँ बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति है) और गैर-जमानती हैं।
    - यह विधेयक इस प्रावधान में संशोधन करते हुए इस प्रकार के अपराधों को गैर-संज्ञेय घोषित करता है।
- दत्तक ग्रहण: वर्तमान में न्यायालय यह प्रावधान करता है कि अदालत के बजाय ज़िला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट सहित) ऐसे गोद लेने के आदेश जारी करेगा।
- अपील: बिल में प्रावधान है कि ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित गोद लेने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस तरह के आदेश के पारित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
- ज़िला मजिस्ट्रेट के अन्य कार्य: इनमें शामिल हैं: जिला बाल संरक्षण इकाई का पर्यवेक्षण और बाल कल्याण समिति के कामकाज की त्रैमासिक समीक्षा करना।
- नामित न्यायालय: विधेयक का प्रस्ताव है कि पहले के अधिनियम के तहत सभी अपराधों की सुनवाई बाल न्यायालय में की जाए।
- बाल कल्याण समितियाँ (सीडब्ल्यूसी): यह प्रावधान करती है कि कोई ऐसा व्यक्ति सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा यदि वह-
  - मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का दोषी है,
  - नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है,
  - केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है,
  - एक ज़िले में एक बाल देखभाल संस्थान के प्रबंधन का हिस्सा है।
- सदस्यों को हटाना: समिति के किसी भी सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जाँच के बाद समाप्त कर दी जाएगी यदि वह बिना किसी वैध कारण के लगातार तीन महीने तक सीडब्ल्यूसी की कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहता है या यदि एक वर्ष में तीन-चौथाई से कम बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

- संसद ने किशोर अपराध कानून और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को बदलने के लिये किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को पारित किया था।
- यह अधिनियम जघन्य अपराधों में संलिप्त 16-18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों (जुवेनाइल) के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।

नोट :

- इस अधिनियम में गोद लेने के लिये माता-पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को शामिल किया गया है। अधिनियम ने हिंदू दत्तक ग्रहण व रखरखाव अधिनियम (1956) और वार्ड के संरक्षक अधिनियम (1890) को अधिक सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक कानून के साथ बदल दिया।
- अधिनियम गोद लेने से संबंधित मामलों के लिये केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority-CARA) को वैधानिक निकाय बनाता है यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल एवं उन्हें गोद देने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

केंदू पत्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में कई बच्चों को केंदू (तेंदू) पत्ते का संग्रहण करते हुए पाया गया।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- केंदू (Kendu) पत्ते को ओडिशा का हरा सोना कहा जाता है। यह बाँस और साल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। यह ओडिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण गैर-लकड़ी वनोपज में से एक है।
  - तेंदू (केंदू) पत्ते का वानस्पतिक नाम डाइऑस्पिरॉस मेलानॉक्सिलॉन (Diospyros melanoxylon) है।
- स्थानीय लोगों के बीच इसकी पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण उद्योग के लिये प्रचलित है।

केंदू पत्ते का उत्पादन करने वाले राज्य:

- भारत में केंदू पत्तियों से बीड़ी का उत्पादन करने वाले राज्यों में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात तथा महाराष्ट्र शामिल हैं।
  - मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा केंदू के पत्ते का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

विशिष्टता:

- ओडिशा के तेंदू (केंदू) पत्ते की विशिष्टता संसाधित/प्रसंस्कृत रूप में है, जबकि भारत के शेष राज्य इसके फलों के प्रसंस्कृत रूप का उपयोग करते हैं।
  - प्रसंस्कृत रूप में केंदू के पत्तों को विभिन्न गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जो कि पत्तों का रंग, बनावट, आकार और ढाँचागत स्थिति के अनुसार ग्रेड I से ग्रेड IV तक होते हैं तथा पैकेट को पाँच किलोग्राम के बंडल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

महत्त्व:

- औषधि के रूप में:
  - पारंपरिक चिकित्सक केंदू के फलों का उपयोग मलेरिया, दस्त और पेचिश के उपचार के लिये करते हैं।
  - रोगाणुरोधी गुणों के कारण इन पत्तियों का उपयोग कट और खरोंच लगने पर भी किया जाता है।
- आजीविका का स्रोत:
  - आदिवासी गाँवों के लिये तेंदू (केंदू) के पत्ते आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि यह राज्य की सबसे प्रमुख लघु वन उपज है।
    - लघु वन उत्पादों में पौधे के सभी गैर-लकड़ी वन उत्पाद और बाँस, बेंत, चारा, पत्ते, गोंद, मोम, डाई, रेजिन और कई प्रकार के भोजन व नट, जंगली फल, शहद, लाख, टसर आदि शामिल हैं।
    - वे इससे अपने भोजन, फलों, दवाओं और अन्य उपभोग की वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं और बिक्री के माध्यम से नकद आय भी प्राप्त करते हैं।

नोट :

- ओडिशा का वन राजस्व में प्रमुख हिस्सा:
  - वर्ष 1990-2000 तक ओडिशा के कुल 868 मिलियन रुपए के वन राजस्व में से तेंदू (केंदू) का भाग अकेले 635 मिलियन रुपए है।
  - ओडिशा में बीड़ी पत्ती का वार्षिक उत्पादन लगभग 4.5-5 लाख प्रति क्विंटल है, जो कि देश के वार्षिक उत्पादन का लगभग 20% है।

चिंता:

- कम भत्ता:
  - केंदू पत्ता संग्रह केंद्रों पर काम करने वाले बच्चे अक्सर हर वर्ष अप्रैल-मई के दौरान आते हैं। उनका ज़्यादातर काम इन पत्तों को तोड़ना, सुखाना, इकट्ठा करना आदि है लेकिन उन्हें इस काम के लिये बेहद कम मज़दूरी का भुगतान किया जाता है।
- बच्चों का शोषण:
  - 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रमिक के रूप में कम पर नहीं लगाया जा सकता है तथा 14-18 वर्ष के बीच के बच्चों को केवल गैर-खतरनाक क्षेत्रों में ही लगाया जा सकता है।
  - ऐसे में उनका शोषण किया जाता है।

आगे की राह

- इस क्षेत्र को बाल श्रम से मुक्त करने के लिये और कड़े कानूनों की ज़रूरत है। साथ ही माता-पिता तथा बच्चों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है।
- बाल संरक्षण प्रणाली के अलावा चाइल्ड लाइन, ज़िला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति आदि को बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने में अधिक सतर्क और सक्रिय रहना होगा।
- चूँकि केंदू पत्ता ग्रामीण समाज की वन अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिये लघु वन उत्पादों का विनियमन आवश्यक है ताकि आदिवासी और ग्रामीण लोग MFP पर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

भारत में गंभीर तीव्र कुपोषण

चर्चा में क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, नवंबर 2020 तक भारत में 9.2 लाख से अधिक बच्चे (छह महीने से छह साल तक के) 'गंभीर रूप से कुपोषित' थे।

- यह इस चिंता को रेखांकित करता है कि कोविड-19 महामारी गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों के बीच स्वास्थ्य और पोषण संकट को बढ़ा सकती है।

प्रमुख बिंदु

गंभीर तीव्र कुपोषण (SAM) :

- WHO की परिभाषा: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ऊँचाई की तुलना में बहुत कम वज़न या 115 मिमी. से कम मध्य-ऊपरी बांह की परिधि या पोषण संबंधी एडिमा की उपस्थिति को 'गंभीर तीव्र कुपोषण' (SAM) के रूप में परिभाषित करता है।
- SAM से पीड़ित बच्चों की कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण उनकी मृत्यु की संभावना बीमारियों की तुलना में नौ गुना अधिक होती है।
- पोषण संबंधी एडिमा: भुखमरी या कुपोषण की स्थिति में प्रोटीन की कमी के परिणामस्वरूप ऊतकों में असामान्य द्रव की वृद्धि (स्फाय-Oedema) हो जाती है।
- भले ही एल्ब्यूमिन का रक्त स्तर कम न हो लेकिन भुखमरी के परिणामस्वरूप एडिमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

संबंधित निष्कर्ष:

- SAM से पीड़ित बच्चों की संख्या (राष्ट्रीय परिदृश्य): नवंबर 2020 तक देश भर में छह महीने से छह साल तक के अनुमानित 9,27,606 'गंभीर रूप से कुपोषित' बच्चों की पहचान की गई।

नोट :

- SAM बच्चों की संख्या से संबंधित राज्य:
  - SAM से प्रभावित बच्चों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक (3,98,359) और उसके बाद बिहार (2,79,427) में है।
  - देश में सबसे ज़्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार में ही हैं।
  - महाराष्ट्र (70,665) > गुजरात (45,749) > छत्तीसगढ़ (37,249) > ओडिशा (15,595) > तमिलनाडु (12,489) > झारखंड (12,059) > आंध्र प्रदेश (11,201) > तेलंगाना (9,045) > असम (7,218) > कर्नाटक (6,899) > केरल (6,188) > राजस्थान (5,732)।
- वे राज्य जहाँ गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या नगण्य है: लद्दाख, लक्षद्वीप, नगालैंड, मणिपुर और मध्य प्रदेश में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे नहीं हैं।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण निष्कर्ष:
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस-4) 2015-16 से पता चलता है कि बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण की प्रसार दर 7.4% थी।
  - एनएफएचएस-5 से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बच्चों में कुपोषण बढ़ा है।
  - स्टंटिंग: सर्वेक्षण में शामिल 22 में से लगभग 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने वर्ष 2015-16 की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्टंटिंग प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की है।
    - स्टंटिंग स्थिति तब होती है जब किसी बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है, आमतौर पर बच्चों में कुपोषण बार-बार होने वाले संक्रमण के कारण होता है।

चाइल्ड वेस्टिंग:

- इस श्रेणी के अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनका वज़न उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है।
- भारत में हमेशा चाइल्ड वेस्टिंग का उच्च स्तर रहा है।
  - चाइल्ड वेस्टिंग में कमी किये जाने के बजाय इसमें तेलंगाना, केरल, बिहार, असम और जम्मू-कश्मीर में वृद्धि देखी गई है तथा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में स्थिरता की स्थिति है।
    - वर्ष 2019-20 में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई।
    - वेस्टिंग बच्चों में उनकी लंबाई के अनुपात में कम वजन होना है जो तीव्र अल्पपोषण को दर्शाता है। यह पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर को बढ़ावा देता है।
    - गंभीर वेस्टिंग तथा अल्पवज़नी बच्चों की संख्या: वर्ष 2019-20 में 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 5 साल से कम उम्र के वेस्टिंग तथा अल्पवज़नी बच्चों की संख्या के मामले में वृद्धि दर्ज की।
- कोविड-19 का प्रभाव:
  - कोविड-19 महामारी ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है और इससे भी कहीं अधिक लोगों की आय पर प्रभाव पड़ा है, साथ ही महामारी के कारण आर्थिक रूप से वंचित लोगों की आजीविका पर भी गंभीर प्रभाव देखने को मिला है, जो कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है।
  - महामारी के कारण लागू किये गए लॉकडाउन ने आवश्यक सेवाओं जैसे- आँगनवाड़ी केंद्रों के तहत पूरक आहार, मध्याह्न भोजन, टीकाकरण और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की पूरकता आदि को बाधित किया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- पोषण अभियान: भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) या पोषण अभियान शुरू किया है।
- एनीमिया मुक्त भारत अभियान: वर्ष 2018 में शुरू किये गए इस मिशन का उद्देश्य एनीमिया की वार्षिक दर को एक से तीन प्रतिशत तक कम करना है।

नोट :

- 'मिड-डे मील' योजना: इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है, जिससे स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: इसका उद्देश्य संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सबसे संवेदनशील लोगों के लिये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि भोजन तक पहुँच को कानूनी अधिकार बनाया जा सके।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने हेतु 6,000 रुपए प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किये जाते हैं।
- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना: इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा उनकी माताओं को भोजन, पूर्व-स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाएँ प्रदान करना है।

नोट: सतत् विकास लक्ष्य (SDG-2: ज़ीरो हंगर) के तहत वर्ष 2030 तक सभी प्रकार की भूख और कुपोषण को समाप्त करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों, विशेषकर बच्चों को पूरे वर्ष पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिले।

आगे की राह

- घर तथा सुविधा आधारित देखभाल: कोविड-19 महामारी खाद्य विविधता को संकुचित करने के साथ ही कम खाद्यान्न तथा कई बार भोजन को स्किप करने जैसे विभिन्न कारण कुपोषण की स्थिति को अधिक गंभीर बना सकते हैं। इसका समाधान घर-आधारित और सुविधा-आधारित दोनों तरह की देखभाल हो सकता है।
- समन्वय स्थापित करना: गंभीर तीव्र कुपोषण का भोजन की उपलब्धता, उपयोग और जागरूकता से सीधा संबंध है। ऐसे में इसे दूर करने अथवा कम करने के लिये एक तात्कालिक कदम यह हो सकता है कि सरकारी प्रणालियों के साथ उचित समन्वय स्थापित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिवारों को न केवल राशन/भोजन बल्कि आवश्यक शिक्षा और सहायता भी मिले।
- पोषण पुनर्वास केंद्रों (NRCs) को सुदृढ़ बनाना: गंभीर तीव्र कुपोषण (SAM) की समस्या से निपटने हेतु बनाए गए पोषण पुनर्वास केंद्रों (Nutrition Rehabilitation Centres- NRCs) को मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है।
  - विभिन्न अध्ययन इस बात का संकेत देते हैं कि NRCs बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहे हैं।
  - कई मामलों में यह देखा गया है कि SAM के मामलों को NRCs से जल्दी छुट्टी दे दी गई क्योंकि या तो केंद्र एक ही मामले की लगातार देखभाल नहीं कर सकता है या देखभाल करने वाले व्यक्ति सुविधा केंद्र पर अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं या उच्चाधिकारियों द्वारा पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है।
- अनुकूलित मेन्यू तैयार करना: SAM मामलों के लिये विशेषज्ञों के परामर्श से अनुकूलित मेन्यू और दिशा-निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है।
- SAM मामलों का पृथक्करण: प्रशासनिक और परिचालन सुविधा के साथ-साथ बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये SAM से जुड़े मामलों को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है।
  - ज़िला/ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य कर्मचारियों के समग्र मार्गदर्शन में छोटी इकाइयों के प्रबंधन/समन्वय और निगरानी की ज़िम्मेदारी मेडिकल कॉलेजों, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, महिला समूहों जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को सौंपी जा सकती है।
- आँगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका: SAM से ग्रसित बच्चों की पहचान देश भर के 10 लाख से अधिक आँगनवाड़ी केंद्रों द्वारा की गई है।
  - आँगनवाड़ियों को पहले की तुलना में अधिक कार्यात्मक बनाए जाने की आवश्यकता है और यदि लॉकडाउन के कारण बच्चे आँगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आँगनवाड़ियों को बच्चों तक पहुँचने की आवश्यकता है।

ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम: टीम क्लॉ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर की चढ़ाई के लिये दिव्यांग लोगों की एक टीम का नेतृत्त्व करने और दिव्यांगों की सबसे बड़ी टीम के लिये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु टीम 'क्लॉ' (CLAW) को मंज़ूरी दी है।

नोट :

- यह 'ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' अभियान का हिस्सा है।
- ट्रिपल एलीमेंटल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वर्ष 2021 में दिव्यांग लोगों के समूहों द्वारा भूमि, हवा और जल के भीतर सामूहिक प्रयास के माध्यम से विभिन्न उपलब्धियाँ हासिल कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की एक शृंखला है।

सियाचिन ग्लेशियर

- सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, जो प्वाइंट NJ9842 के उत्तर-पूर्व में है, यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है।
- यह दुनिया के गैर-ध्रुवीय क्षेत्रों का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है।
  - ताज़िकिस्तान के 'यज़्गुलेम रेंज' में स्थित 'फेडचेंको ग्लेशियर' दुनिया के गैर-ध्रुवीय क्षेत्रों का सबसे लंबा ग्लेशियर है।
- सियाचिन ग्लेशियर उस जल निकासी विभाजन क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, जो काराकोरम के व्यापक हिमाच्छादित हिस्से में यूरेशियन प्लेट को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करता है, जिसे कभी-कभी 'तीसरा ध्रुव' भी कहा जाता है।
- सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है, जिसे अब केंद्रशासित प्रदेश में बदल दिया गया है।
- सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र है।
- पूरा सियाचिन ग्लेशियर वर्ष 1984 (ऑपरेशन मेघदूत) में भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया था।

प्रमुख बिंदु

अभियान के बारे में:

- प्रारंभ में 20 दिव्यांग लोगों की एक टीम को प्रशिक्षण के लिये चुना जाएगा, जिसके उपरांत अंतिम अभियान दल का चयन किया जाएगा।
  - अंतिम अभियान दल (कम-से-कम 6 दिव्यांग लोग), सियाचिन बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक ट्रेकिंग करेगा।
  - कुमार पोस्ट करीब 15,632 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।

टीम क्लॉ और ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम:

- टीम क्लॉ (Team CLAW) : टीम क्लॉ (Conquer Land Air Water) पूर्व भारतीय विशेष बल कमांडो की एक टीम है।
  - सामान्यत: ये सभी या तो भारतीय सेना के पैरा कमांडो या नेवल मरीन कमांडो होते हैं, जिन्हें मार्कोस (MARCOS) के नाम से भी जाना जाता है।
  - इन कमांडो के पास कई विशेषज्ञताएँ हैं - ये न केवल युद्ध में बल्कि अन्य विशिष्ट कौशल जैसे- स्काइ डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, पर्वतारोहण, आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया और किसी भी अन्य परिस्थितियों में सभी क्षेत्रों में रहने के लिये तैयार रहते हैं।
  - इस पहल की शुरुआत एक पैरा (विशेष बल) अधिकारी मेजर विवेक जैकब ने की थी।
- ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम: ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक सामाजिक प्रभाव वाला उपक्रम है जिसका उद्देश्य अनुकूली साहसिक खेलों के माध्यम से दिव्यांग लोगों का पुनर्वास करना है।
  - इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों से जुड़ी दया, दान और अक्षमता की आम धारणा को तोड़ना और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता एवं क्षमता को पुनर्जीवित करना है।
  - इसके अतिरिक्त उनका ध्यान दिव्यांग लोगों के लिये 'बड़े पैमाने पर स्थायी रोज़गार संबंधी समाधानों को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना' है, विशेष रूप से 'पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता' के क्षेत्र में।
  - इसे वर्ष 2019 में Team CLAW द्वारा लॉन्च किया गया था।
- CLAW ग्लोबल: टीम CLAW विश्व भर में केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जहाँ विशेष बल के कमांडो और दिव्यांग लोग न केवल दिव्यांग व्यक्तियों हेतु बल्कि गैर- दिव्यांग लोगों के लिये भी बेहतर जीवन अनुभव जैसे कार्यों में योगदान दे रहे हैं।

नोट :

दिव्यांगता की समस्या:

- दिव्यांगता एक व्यापक पद है, जिसमें असमर्थता, बाधित शारीरिक गतिविधियाँ और सामाजिक भागीदारी में असमर्थता शामिल हैं।
  - असमर्थता का आशय शारीरिक कार्य करने या संरचना में किसी समस्या से है।
  - बाधित शारीरिक गतिविधियों का आशय किसी कार्य या क्रिया को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति के समक्ष आने वाली कठिनाइयों से है।
  - असमर्थता का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा जीवन की विभिन्न सामाजिक भागीदारी में शामिल होने में अनुभव की जाने वाली समस्या से है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल 121 करोड़ की आबादी में से लगभग 2.68 करोड़ लोग (कुल जनसंख्या का 2.21%) दिव्यांग हैं।
  - 2.68 करोड़ दिव्यांगों में 1.5 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएँ शामिल हैं।
  - अधिकांश विकलांग जनसंख्या (69%) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
- विश्व स्तर पर दिव्यांग लोगों की संख्या 1 बिलियन है जो कि वैश्विक जनसंख्या का 15% है।
- इन्हें समग्र पुनर्वास की कमी, अपर्याप्त कौशल, निर्बाध आवागमन की कमी और उपयुक्त रोज़गार की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- इन कारकों ने एक साथ बड़े पैमाने पर दिव्यांग व्यक्तियों को उनके घरों तक सीमित कर दिया है, जिसने इनसे संबंधित मुद्दों पर नकारात्मकता और उनकी क्षमताओं के बारे में गलत धारणाओं को जन्म दिया।
- इस प्रकार उनकी उत्पादक क्षमता काफी हद तक अप्रयुक्त है, जिसके चलते मुख्यधारा के जीवन से उनका वैश्विक बहिष्कार हो रहा है।

भारत में विकलांगों के लिये कार्यक्रम/पहल

- सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांगजनों के लिये सुगम वातावरण का निर्माण
- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
- सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना (ADIP)
- विकलांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप (RGMF)
- विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016

The Vision

नोट :

कला एवं संस्कृति

आषाढ़ पूर्णिमा- धम्म चक्र दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने 'अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ' (IBC) के साथ साझेदारी में 24 जुलाई, 2021 को 'आषाढ़ पूर्णिमा- धम्म चक्र दिवस 2021' का आयोजन किया।

- इस दिवस को बौद्धों और हिंदुओं द्वारा अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा को चिह्नित करने हेतु गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है।

गुरु पूर्णिमा

- हिंदू कैलेंडर के अनुसार, गुरु पूर्णिमा आमतौर पर आषाढ़ में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है।
- यह दिवस महर्षि वेदव्यास को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने पवित्र हिंदू पाठ, वेदों का संपादन किया और 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भागवत की रचना की।
- बौद्धों के लिये यह त्योहार भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक है, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इसी दिन दिया था।
- साथ ही इसे मानसून की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है।

प्रमुख बिंदु

आषाढ़ पूर्णिमा- धम्म चक्र दिवस

- यह दिवस बुद्ध द्वारा अपने पाँच पहले तपस्वी शिष्यों को दिये गए उपदेश का प्रतीक है। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद दुनिया को अपना पहला उपदेश दिया था।
- यह दिन वाराणसी के पास वर्तमान सारनाथ में 'हिरण पार्क', शिपटाना में भारतीय सूर्य कैलेंडर में आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन, संघ की स्थापना का प्रतीक है।
  - इसे श्रीलंका में एसाला पोया तथा थाईलैंड में असान्हा बुचा के नाम से भी जाना जाता है।
  - बुद्ध पूर्णिमा या वेसाक के बाद बौद्धों के लिये यह दूसरा सबसे पवित्र दिवस है।
- धम्म चक्र-पवट्टनसुता (पाली) या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र (संस्कृत) का यह उपदेश धर्म के प्रथम चक्र के घूमने के नाम से भी विख्यात है और चार आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग से निर्मित है।
  - चार आर्य सत्य:
    - दुख संसार का सार है।
    - हर दुख का एक कारण होता है- समुद्य
    - दुख का नाश हो सकता है-निरोध।
    - इसे 'अथंगा मग्गा' (अष्टांगिक मार्ग) का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है।
  - अष्टांगिक मार्ग:
- भिक्षुओं के लिये वर्षा ऋतु प्रवास (वर्षा वास) भी इस दिन से ही शुरू होता है जो जुलाई से अक्तूबर तक तीन चंद्र महीनों तक चलती थी, इसके दौरान वे एक ही स्थान पर रहते थे, आमतौर पर उनके विहार/चैत्य गहन ध्यान के लिये समर्पित होते थे।.

गौतम बुद्ध

- उन्हें भगवान विष्णु (दशावतार) के दस अवतारों में से आठवाँ अवतार माना जाता है।

नोट :

- उनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व लुंबिनी में हुआ था और वे शाक्य वंश के थे।
- गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि (निर्वाण) प्राप्त किया।
- बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ गाँव में दिया था।
- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है।

भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान:

- अहिंसा की अवधारणा बौद्ध धर्म का प्रमुख योगदान है। बाद के समय में यह हमारे राष्ट्र के पोषित मूल्यों में से एक बन गई।
- भारत की कला एवं वास्तुकला में इसका योगदान उल्लेखनीय है। सांची, भरहुत और गया के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं।
- इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- पाली और अन्य स्थानीय भाषाएँ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से विकसित हुईं।
- इसने एशिया के अन्य हिस्सों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को भी बढ़ावा दिया था।

कोविड-19 के दौरान बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता:

- बुद्ध की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, आज मानवता कोविड-19 महामारी के रूप में सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। बुद्ध के सिद्धांत मानवता को मज़बूत करते हुए देशों को एक साथ जोड़ते हैं।
- आज विश्व के सभी राष्ट्र बुद्ध द्वारा दिखाए गए मानवता की सेवा के मार्ग का अनुसरण करते हुए महामारी के समय में एक-दूसरे का हाथ थामे हुए हैं और एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं।
- बुद्ध के चार महान सत्य और अष्टांग मार्ग कर्म के सिद्धांत को समझने, विश्व को आरोग्य बनाने तथा इस संसार को एक श्रेष्ठ स्थान बनाने में मदद कर सकते हैं।

बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थल

- नालंदा, बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्त्विक स्थल
- साँची, मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक
- बोधगया, बिहार में महाबोधि विहार परिसर
- अजंता गुफाएँ, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

भारत का 40वाँ विश्व धरोहर स्थल: धौलावीरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilisation- IVC) की पहली साइट है।

- इस सफल नामांकन के साथ भारत अब विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के लिये सुपर-40 क्लब (Super-40 Club for World Heritage Site Inscriptions) में प्रवेश कर गया है।
- भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्राँस में 40 या अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं।
- भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल शामिल है। रामप्पा मंदिर (तेलंगाना) भारत का 39वाँ विश्व धरोहर स्थल था।

नोट :

प्रमुख बिंदु

धौलावीरा के बारे में:

- यह दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है।
- इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्त्वविद् जगतपति जोशी द्वारा की गई थी।
- पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला और हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) का पाँचवा सबसे बड़ा महानगर है।
  - IVC जो कि आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में पाई जाती है, लगभग 2,500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फली-फूली। यह मूल रूप से एक शहरी सभ्यता थी तथा लोग सुनियोजित और अच्छी तरह से निर्मित कस्बों में रहते थे, जो व्यापार के केंद्र भी थे।
- साइट में एक प्राचीन आईवीसी/हड़प्पा शहर के खंडहर हैं। इसके दो भाग हैं: एक चारदीवारी युक्त शहर और शहर के पश्चिम में एक कब्रिस्तान।
  - चारदीवारी वाले शहर में एक मज़बूत प्राचीर से युक्त एक दृढ़ीकृत गढ़/दुर्ग और अनुष्ठानिक स्थल तथा दृढ़ीकृत दुर्ग के नीचे एक शहर स्थित था।
  - गढ़ के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक शृंखला पाई जाती है।

अवस्थिति:

- धोलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ ज़िले में एक पुरातात्त्विक स्थल है, जो ईसा पूर्व तीसरी से दूसरी सहस्राब्दी तक का है।
- धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है।
- यह कच्छ के महान रण में कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है।
- अन्य हड़प्पा पूर्वगामी शहरों के विपरीत, जो आमतौर पर नदियों और जल के बारहमासी स्रोतों के पास स्थित हैं, धौलावीरा खादिर बेट द्वीप पर स्थित है।
  - यह साइट विभिन्न खनिज और कच्चे माल के स्रोतों (तांबा, खोल, एगेट-कारेलियन, स्टीटाइट, सीसा, बैंडेड चूना पत्थर तथा अन्य) के दोहन हेतु महत्त्वपूर्ण थी।
  - इसने मगन (आधुनिक ओमान प्रायद्वीप) और मेसोपोटामिया क्षेत्रों में आंतरिक एवं बाहरी व्यापार को भी सुगम बनाया।

पुरातात्त्विक परिणाम:

- यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मुहरें, मछलीकृत हुक, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश एवं कुछ महत्त्वपूर्ण बर्तन शामिल हैं।
  - तांबे के स्मेल्टर या भट्टी के अवशेषों से संकेत मिलता है कि धौलावीरा में रहने वाले हड़प्पावासी धातु विज्ञान जानते थे।
  - ऐसा माना जाता है कि धौलावीरा के व्यापारी वर्तमान राजस्थान, ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात से तांबा अयस्क प्राप्त करते थे और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते थे।
  - यह अगेट (Agate) की तरह कौड़ी (Shells) एवं अर्द्ध-कीमती पत्थरों से बने आभूषणों के निर्माण का भी केंद्र था तथा इमारती लकड़ी का निर्यात भी करता था।
- सिंधु घाटी लिपि में निर्मित 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख है, शायद यह दुनिया का सबसे पुराने साइन बोर्ड है।
- प्राचीन शहर के पास एक जीवाश्म पार्क है जहाँ लकड़ी के जीवाश्म संरक्षित हैं।
- अन्य IVC स्थलों पर कब्रों के विपरीत धौलावीरा में मनुष्यों के किसी भी नश्वर अवशेष की खोज नहीं की गई है।

धौलावीरा स्थल की विशिष्ट विशेषताएँ:

- जलाशयों की व्यापक शृंखला।
- बाहरी किलेबंदी।

नोट :

- दो बहुउद्देश्यीय मैदान, जिनमें से एक उत्सव के लिये और दूसरा बाज़ार के रूप में उपयोग किया जाता था।
- अद्वितीय डिज़ाइन वाले नौ द्वार।
- अंत्येष्टि वास्तुकला में ट्यूमुलस की विशेषता है - बौद्ध स्तूप जैसी अर्द्धगोलाकार संरचनाएँ।
- बहुस्तरीय रक्षात्मक तंत्र, निर्माण और विशेष रूप से दफनाए जाने वाली संरचनाओं में पत्थर का व्यापक उपयोग।

धौलावीरा का पतन:

- इसका पतन मेसोपोटामिया के पतन के साथ ही हुआ, जो अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण का संकेत देता है।
  - हड़प्पाई, जो समुद्री लोग थे, ने मेसोपोटामिया के पतन के बाद एक बड़ा बाज़ार खो दिया जो इनके स्थानीय खनन, विनिर्माण, विपणन और निर्यात व्यवसायों को प्रभावित करते थे ।
- जलवायु परिवर्तन और सरस्वती जैसी नदियों के सूखने के कारण धौलावीरा को गंभीर शुष्कता का परिणाम देखना पड़ा।
  - सूखे जैसी स्थिति के कारण लोग गंगा घाटी की ओर या दक्षिण गुजरात की ओर तथा महाराष्ट्र से आगे की ओर पलायन करने लगे।
- इसके अलावा कच्छ का महान रण, जो खादिर द्वीप के चारों ओर स्थित है और जिस पर धोलावीरा स्थित है, यहाँ पहले नौगम्य हुआ करता था, लेकिन समुद्र का जल धीरे-धीरे पीछे हट गया और रण क्षेत्र एक कीचड़ क्षेत्र बन गया।

गुजरात में अन्य हड़प्पा स्थल

- लोथल: धौलावीरा की खुदाई से पहले अहमदाबाद ज़िले के ढोलका तालुका में साबरमती के तट पर सरगवाला गाँव में लोथल, गुजरात सबसे प्रमुख सिंधु घाटी स्थल था।
  - इसकी खुदाई वर्ष 1955-60 के बीच की गई थी और इसे प्राचीन सभ्यता का एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह शहर माना जाता था, जिसमें मिट्टी की ईंटों से बनी संरचनाएँ थीं।
  - लोथल के एक कब्रिस्तान से 21 मानव कंकाल मिले हैं।
  - यहाँ से तांबे के बर्तन की भी खोज की गई है।
  - इस स्थल से अर्द्ध-कीमती पत्थर, सोने आदि से बने आभूषण भी मिले हैं।
- सुरेंद्रनगर ज़िले में भादर (Bhadar) नदी के तट पर स्थित रंगपुर, राज्य का पहला हड़प्पा स्थल था जिसकी खुदाई की गई थी।
- राजकोट ज़िले में रोजड़ी, गिर सोमनाथ ज़िले में वेरावल के पास प्रभास।
- जामनगर में लखबावल और कच्छ के भुज तालुका में देशलपार, राज्य के अन्य हड़प्पा स्थल हैं।

गुजरात में अन्य विश्व साइट्स

- गुजरात में धौलावीरा के अलावा 3 अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।
  - अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर
  - रानी की वाव, पटना
  - चंपानेर और पावागढ़ी

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

पुलिस सुधार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने खुलासा किया कि 1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2015 के बीच पुलिस श्रेणी के तहत 25,357 मामले दर्ज किये गए, जिनमें पुलिस हिरासत में मौत के 111 मामले, हिरासत में यातना के 330 मामले और अन्य 24,916 मामले शामिल हैं।

- ये आँकड़े फिर से पुलिस को जवाबदेह बनाने और पुलिस सुधारों को लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।

प्रमुख बिंदु:

पुलिस सुधार (अर्थ):

- पुलिस सुधारों का उद्देश्य पुलिस संगठनों के मूल्यों, संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं को बदलना है।
- यह पुलिस को लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और कानून के शासन के सम्मान के साथ कर्तव्यों का पालन करने की परिकल्पना करता है।
- इसका उद्देश्य पुलिस सुरक्षा क्षेत्र के अन्य हिस्सों, जैसे कि अदालतों और संबंधित विभागों, कार्यकारी, संसदीय या स्वतंत्र अधिकारियों के साथ प्रबंधन या निरीक्षण ज़िम्मेदारियों में सुधार करना भी है।
- पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची के अंतर्गत आती है।

पुलिस सुधार पर समितियाँ/आयोग:

पुलिस बलों से संबंधित मुद्दे:

- औपनिवेशिक विरासत: देश में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और भविष्य के किसी भी विद्रोह को रोकने के लिये वर्ष 1857 के विद्रोह के पश्चात् अंग्रेज़ों द्वारा वर्ष 1861 का पुलिस अधिनियम लागू किया गया था।
  - इसका मतलब यह था कि पुलिस को सदैव सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करना था।
- राजनीतिक अधिकारियों के प्रति जवाबदेही बनाम परिचालन स्वतंत्रता: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने उल्लेख किया है कि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा अतीत में राजनीतिक नियंत्रण का दुरुपयोग पुलिसकर्मियों को अनुचित रूप से प्रभावित करने और व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों की सेवा करने के लिये किया गया है।
- मनोवैज्ञानिक दबाव: यद्यपि वेतनमान और पदोन्नति में सुधार पुलिस सुधार के आवश्यक पहलू हैं, किंतु मनोवैज्ञानिक स्तर पर आवश्यक सुधार के विषय में बहुत कम बात की गई है।
  - भारतीय पुलिस बल में निचले रैंक के पुलिसकर्मियों को प्राय: उनके वरिष्ठों द्वारा अपनामित किया जाता है या वे अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं।
  - इस प्रकार की गैर-सामंजस्यपूर्ण कार्य परिस्थितियों का प्रभाव अंतत: जनता के साथ उनके संबंधों पर पड़ता है।
- जनधारणा: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के मुताबिक, वर्तमान में पुलिस-जनसंपर्क एक असंतोषजनक स्थिति में है, क्योंकि लोग पुलिस को भ्रष्ट, अक्षम, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और अनुत्तरदायी मानते हैं।
  - इसके अलावा नागरिक आमतौर पर पुलिस स्टेशन जाने में भी डर महसूस करते हैं।
- अतिभारित बल: वर्ष 2016 में स्वीकृत पुलिस बल अनुपात प्रति लाख व्यक्तियों पर 181 पुलिसकर्मी था, जबकि वास्तविक संख्या 137 थी।
  - संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति लाख व्यक्तियों पर 222 पुलिस के अनुशंसित मानक की तुलना में यह बहुत कम है।
  - इसके अलावा पुलिस बलों में रिक्तियों का एक उच्च प्रतिशत अतिभारित पुलिसकर्मियों की मौजूदा समस्या को बढ़ा देता है।

नोट :

- कांस्टेबुलरी से संबंधित मुद्दे: राज्य पुलिस बलों में कांस्टेबुलरी का गठन 86% है और इसकी व्यापक ज़िम्मेदारियाँ हैं।
- अवसंरचनात्मक मुद्दे: आधुनिक पुलिस व्यवस्था के लिये मज़बूत संचार सहायता, अत्याधुनिक या आधुनिक हथियारों और उच्च स्तर की गतिशीलता आवश्यक है।
  - हालाँकि वर्ष 2015-16 की CAG ऑडिट रिपोर्ट में राज्य पुलिस बलों के पास हथियारों की कमी पाई गई है।
  - उदाहरण के लिये राजस्थान और पश्चिम बंगाल में राज्य पुलिस के पास आवश्यक हथियारों में क्रमश: 75% और 71% की कमी थी।
  - साथ ही 'पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो' ने भी राज्य बलों के पास आवश्यक वाहनों के स्टॉक में 30.5% की कमी का उल्लेख किया है।

सुझाव

- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण: पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) की योजना 1969-70 में शुरू की गई थी और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई संशोधन हुए हैं।
  - हालाँकि सरकार द्वारा स्वीकृत वित्त का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है।
  - MPF योजना की परिकल्पना में शामिल हैं:
    - आधुनिक हथियारों की खरीद
    - पुलिस बलों की गतिशीलता
    - लॉजिस्टिक समर्थन, पुलिस वायरलेस का उन्नयन आदि
    - एक राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क
- राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता: सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक प्रकाश सिंह मामले (2006) में सात निर्देश दिये जहाँ पुलिस सुधारों में अभी भी काफी काम करने की ज़रूरत है।
  - हालाँकि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण इन निर्देशों को कई राज्यों में अक्षरश: लागू नहीं किया गया।
- आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार: पुलिस सुधारों के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मेनन और मलीमथ समितियों (Menon and Malimath Committees) की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:
  - दोषियों के दबाव के कारण मुकर जाने वाले पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिये एक कोष का निर्माण करना।
  - देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधियों से निपटने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर अलग प्राधिकरण की स्थापना।
  - संपूर्ण आपराधिक प्रक्रिया प्रणाली में पूर्ण सुधार।

आकाश मिसाइल और MPATGM: DRDO

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (DRDO) ने नई पीढ़ी की 'आकाश मिसाइल' (Akash-NG) और 'मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल' (MPATGM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

- जून 2021 में 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' द्वारा नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-पी' (प्राइम) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
- फरवरी 2021 में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम 'हेलिना' और 'ध्रुवस्त्र' का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

- यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ सशक्त बनाना है।

नोट :

- इसकी स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (Defence Science Organisation- DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (Technical Development Establishment- TDEs) तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (Directorate of Technical Development & Production- DTDP) के संयोजन के बाद की गई थी।

प्रमुख बिंदु

नई पीढ़ी की 'आकाश मिसाइल' (Akash-NG):

- परिचय
  - यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह आकाश मिसाइल का एक नवीनतम संस्करण है जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर हमला कर सकती है और 2.5 मैक तक की गति से उड़ान भर सकती है।
  - एक बार तैनात होने के पश्चात् नई पीढ़ी की 'आकाश मिसाइल' हथियार प्रणाली भारतीय वायु सेना की वायु रक्षा क्षमता के लिये एक महत्त्वपूर्ण गुणक साबित होगी।
- विकास और उत्पादन:
  - इस मिसाइल प्रणाली को हैदराबाद स्थित 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला' (DRDL) द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है।
  - इसका निर्माण 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' (BEL) और 'भारत डायनेमिक्स लिमिटेड' (BDL) द्वारा किया जा रहा है।
- आकाश मिसाइल:
  - आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कई दिशाओं, कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है।
    - इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से युद्धक टैंकों या ट्रकों से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लगभग 90% तक लक्ष्य को भेदने की सटीकता की संभावना है।
    - इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार 'राजेंद्र' द्वारा किया जाता है।
    - यह मिसाइल ठोस ईंधन तकनीक और उच्च तकनीकी रडार प्रणाली के कारण अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों (US' Patriot Missiles) की तुलना में सस्ती और अधिक सटीक है।
    - यह मिसाइल ध्वनि की गति से 2.5 गुना तीव्र गति से लक्ष्य को भेद सकती है तथा निम्न, मध्यम और उच्च ऊँचाई पर लक्ष्यों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकती है।
  - आकाश मिसाइल प्रणाली को भारत के 30 वर्षीय एकीकृत निर्देशित-मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided-Missile Development Programme- IGMDP) के हिस्से के रूप में डिज़ाइन और विकसित किया गया है।

मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल:

- यह एक स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है।
  - एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करना है।
- यह कम वज़न वाली दागो और भूल जाओ (Fire and Forget) प्रणाली पर काम करने वाली मिसाइल है।
- इसे 15 किग्रा. से कम वज़न के साथ 2.5 किमी. की अधिकतम रेंज में लॉन्च किया गया है।
- इसके सफल परीक्षण ने सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया और भारतीय सेना को मज़बूती प्रदान की।

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)

- इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में अनुमोदित किया गया था और मार्च 2012 में पूरा किया गया था।

नोट :

- इस कार्यक्रम के तहत विकसित 5 मिसाइलें (P-A-T-N-A) हैं:
  - पृथ्वी: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल।
  - अग्नि: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अग्नि (1,2,3,4,5)।
  - त्रिशूल: सतह-से-आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल।
  - नाग: तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल।
  - आकाश: सतह-से-आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल।

कटलैस एक्सप्रेस' अभ्यास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज़ 'तलवार' ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर आयोजित एक बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास 'कटलैस एक्सप्रेस' 2021 में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

'कटलैस एक्सप्रेस' अभ्यास के विषय में

- यह पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है।
- इस अभ्यास के वर्ष 2021 के संस्करण में 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO), ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC), इंटरपोल, यूरोपीय संघ नौसेना बल (EUNAVFOR) तथा क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स इंडियन ओसियन (CRIMARIO) के भागीदार शामिल हैं।
- इस अभ्यास को संयुक्त समुद्री कानून प्रवर्तन क्षमता का आकलन करने और उसमें सुधार करने, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन को बढ़ाने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- भारत का 'सूचना संलयन केंद्र- हिंद महासागर क्षेत्र' (IFC-IOR) भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है।
  - इस अभ्यास में भारत की भागीदारी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग हेतु भारत द्वारा घोषित 'सागर' (Security and Growth for All in the Region- SAGAR) पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

पश्चिमी हिंद महासागर का महत्त्व:

- पश्चिमी हिंद महासागर का आशय उस क्षेत्र से है जहाँ हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया को जोड़ता है, इसलिये रणनीतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण है।
- पश्चिमी हिंद महासागर (WIO) क्षेत्र में 10 देश शामिल हैं: सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोज़ाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरीशस और रीयूनियन द्वीप।
- प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के कारण हाल के वर्षों में विश्व के कई बड़े देशों की रुचि इस क्षेत्र के प्रति काफी बढ़ गई है।
- ऊर्जा सुरक्षा के लिये भारत की मजबूरी और विदेशी संसाधनों पर देश की निर्भरता इसे इस क्षेत्र के करीब लाने में सबसे बड़ा आकर्षण रही है।

WIO क्षेत्र में अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की प्रकृति:

- क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु मेस (MASE) कार्यक्रम: मेस कार्यक्रम को वर्ष 2010 में मॉरीशस में अपनाया गया तथा इसका संचालन संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ (EU) और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) द्वारा किया जाता है।
  - कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री डकैती के खिलाफ क्षेत्रीय रणनीति और कार्ययोजना को लागू करने हेतु पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका तथा WIO क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा क्षमता को मज़बूत करना है।
  - हिंद महासागर आयोग (IOC) इसका एक हिस्सा है।

नोट :

- जिबूती आचार संहिता (DCOC): इसे पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में समुद्री चोरी एवं सशस्त्र डकैती को रोकने के विषय से संबंधित एक आचार संहिता एक रूप में जाना जाता है।
  - यह पश्चिमी हिंद महासागर के जल पर लागू होने वाली पहली ऐसी आचार संहिता है। इस पर जनवरी 2009 में हस्ताक्षर किये गए थे।
- जिबूती आचार संहिता में जेद्दा संशोधन (DCoC+): इसे वर्ष 2017 में मानव तस्करी और गैर-रिपोर्टेड तथा अनियमित तरीके से मछली पकड़ने सहित अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों को कवर करने एवं समुद्री क्षेत्र के सतत् विकास के आधार के रूप में व्यापक समुद्री सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने हेतु राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय क्षमता निर्माण करने के लिये बनाया गया था।
  - वर्ष 2017 में सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित 'जिबूती आचार संहिता' के लिये हस्ताक्षरकर्त्ताओं की उच्च-स्तरीय बैठक में एक संशोधित आचार संहिता को अपनाया गया, जिसे जिबूती आचार संहिता में जेद्दा संशोधन के रूप में जाना जाता है।
  - भारत जिबूती संहिता/जेद्दा संशोधन में शामिल हो गया है।
- हिंद महासागर आयोग: IOC वर्ष 1982 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर में पाँच छोटे-द्वीप राज्य कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, रीयूनियन (एक फ्राँसीसी विभाग) और सेशेल्स शामिल हैं।
  - भारत को IOC में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन: हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association- IORA) एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसे 7 मार्च, 1997 को स्थापित किया गया था। यह एक क्षेत्रीय मंच है जो सर्वसम्मति-आधारित, विकासवादी और घुसपैठ को रोकने हेतु दृष्टिकोण के माध्यम से समझ और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग का निर्माण और विस्तार करना चाहता है।
  - IORA में 22 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई और यमन शामिल हैं।

INS तलवार

- आईएनएस तलवार भारतीय नौसेना के तलवार-श्रेणी के युद्धपोतों या क्रिवक श्रेणी के स्टील्थ जहाज़ों का प्रमुख पोत/जहाज़है।
- 'मेक इन इंडिया' के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) द्वारा रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ क्रिवाक श्रेणी के स्टील्थ जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है। जहाज़ों के लिये इंजन की आपूर्ति यूक्रेन द्वारा की जा रही है।
  - अक्तूबर 2016 में भारत और रूस ने चार क्रिवाक या तलवार स्टील्थ फ्रिगेट के लिये एक अंतर-सरकारी समझौते (IGA) पर हस्ताक्षर किये थे।
  - पहले दो युद्धपोत रूस के कैलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में बनाए जाएंगे, जबकि अन्य दो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जाएंगे।
- मौजूदा फ्रिगेट: नौसेना पहले से ही छह क्रिवाक III फ्रिगेट संचालित करती है।
  - अप्रैल 2012 और जून 2013 के बीच बेड़े में शामिल हुए नए क्रिवाक युद्धपोत आईएनएस तेग, तरकश तथा त्रिकंद हैं।
- उपयोग: इनका उपयोग मुख्य रूप से दुश्मन पनडुब्बियों एवं बड़े सतह जहाजों को खोजने और नष्ट करने जैसे विभिन्न प्रकार के नौसैनिक मिशनों को पूरा करने हेतु किया जाता है।

नोट :

चर्चा में

AI द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन

हाल ही में रक्षा मंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया। जिसको रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी-कानपुर की मदद से विकसित किया है।

- इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India- CJI) द्वारा कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पोर्टल 'SUPACE' लॉन्च किया गया था।

प्रमुख बिंदु

एप्लीकेशन के विषय में:

- यह परियोजना शिकायत निवारण में AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करने के लिये सरकार द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। यह एक नागरिक केंद्रित सुधार है।
- इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईटी-कानपुर की मदद से विकसित किया है।
- यह लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से देखकर उनका विश्लेषण करेगा और मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, समय की बचत करेगा तथा शिकायतों के निपटान में अधिक पारदर्शिता लाएगा।

महत्त्व:

- इस एप्लीकेशन का अधिकाधिक उपयोग शिकायतों की प्रकृति को समझने तथा जहाँ से शिकायतें आ रही उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में होगा जिससे ऐसे नीतिगत बदलाव लाने में मदद मिलेगी जिनकी सहायता से शिकायतों को दूर करने हेतु प्रणालीगत सुधार किये जा सकते हैं।
- इस एप्लीकेशन की शुरुआत शासन और प्रशासन में AI-आधारित नवाचारों की शुरूआत का प्रतीक है। इस परियोजना की सफलता अन्य मंत्रालयों में इसके विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms & Public Grievances- DARPG) के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievances Redress and Monitoring System- CPGRAMS) पोर्टल पर बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं।
  - CPGRAMS, नागरिकों को संबंधित विभाग के साथ की जा रही शिकायत को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाता है और DARPG को शिकायत की निगरानी करने में भी सक्षम बनाता है।

गेको की नई प्रजाति: ओडिशा

हाल ही में ओडिशा के वन अधिकारियों ने हेमीफिलोडैक्टाइलस (Hemiphyllodactylus) वर्ग की नई खोजी गई सूक्ष्म गेको प्रजाति को संरक्षित करने हेतु कुछ उपायों की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- इस गेको प्रजाति को पहली बार वर्ष 2014 में ओडिशा के गंजम ज़िले में देखा गया था। हेमीफिलोडैक्टाइलस मिनिमस (Hemiphyllodactylus minimus) की नई प्रजाति इस वर्ग का सबसे छोटा सदस्य है, जिसके शरीर का आकार छह सेंटीमीटर से थोड़ा अधिक है।

नोट :

- इसे गंजम स्लेंडर गेको (Ganjam Slender Gecko) कहा जाता है।
- यह इस वर्ग की सातवीं भारतीय प्रजाति, उत्तरी पूर्वी घाट से दूसरी और विश्व स्तर पर 41वीं प्रजाति है। यह इस वर्ग की पहली गैर-द्वीपीय प्रजाति है जो तराई क्षेत्र के आवासों में पाई गई है।

गेको (Geckos):

- गेको, जीवों की सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आती हैं और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाई जाती हैं। इन रंगीन छिपकलियों ने वर्षावनों से लेकर रेगिस्तानों तथा ठंडे पहाड़ी ढलानों तक के आवासों के लिये स्वयं को अनुकूलित किया है।
- गेको की अधिकाँश प्रजातियाँ रात्रिचर होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे रात में सक्रिय होती हैं, लेकिन दिन के दौरान सक्रिय रहने वाली गेको प्रजातियाँ कीटों, फलों और फूलों के पराग पर निर्भर होती हैं।
- गेको को प्रजातियों को छह श्रेणियों के तहत विभाजित किया गया है:
  - कारफोडैक्टिलिडे (Carphodactylidae)
  - डिप्लोडैक्टाइलिडे (Diplodactylidae)
  - यूबलफेरिडे (Eublepharidae)
  - गेकोनिडे (Gekkonidae)
  - फाइलोडैक्टाइलिडे (Phyllodactylidae)
  - स्फेरोडैक्टिलिडे (Sphaerodactylidae)

भारत में गेको की अन्य प्रजातियाँ:

- इंडियन गोल्डन गेको (श्रेणी- Gekkonidae) भारत (तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश) के लिये स्थानिक है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
  - IUCN रेड लिस्ट: कम चिंतनीय (Least Concern- LC)
- गेकोनिडे श्रेणी की टोके गेको (Tokay Gecko) भारत-मलय क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
  - IUCN रेड लिस्ट: कम चिंतनीय (Least Concern- LC)

उमंग एप

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने उमंग (Unified Mobile Application for New-age Governance- UMANG) एप में मैप सेवाओं को सक्षम किया है।

- इस एप के माध्यम से नागरिक एक बटन के क्लिक पर अपने आस पास के निकटतम स्थान पर सरकारी सुविधाओं, जैसे मंडियाँ, ब्लड बैंक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा वे इसे मैप माई इंडिया द्वारा निर्मित भारत के सबसे विस्तृत और संवादात्मक सड़क और ग्राम स्तर के नक्शों पर भी देख सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- उमंग मोबाइल एप (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) भारत सरकार का एकल, एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी-चैनल, मल्टी-प्लेटफॉर्म, बहुभाषी, मल्टी-सर्विस मोबाइल एप है।
- यह केंद्र तथा राज्य के विभिन्न संगठनों के उच्च प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है। वर्तमान में इसकी 2000+ सेवाएँ हैं।
  - 'उमंग' का उद्देश्य भारत में मोबाइल गवर्नेंस को फास्ट ट्रैक करना है।
- 'उमंग' भारत सरकार की ढेर सारी सेवाओं जैसे- स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, शिक्षा, आवास, ऊर्जा, कृषि, परिवहन से लेकर उपयोगिता और रोज़गार एवं कौशल तक तक आसान पहुँच प्रदान करके नागरिकों के लिये 'ईज ऑफ लिविंग' को सक्षम बनाता है।

नोट :

- 'उमंग' के प्रमुख साझेदार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना से जुड़े विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा, कृषि, पशुपालन और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) हैं।
- उमंग एप को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न (National e-Governance Division- NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था।
  - यह 'डिजिटल इंडिया' से जुड़ी एक पहल है।
- उमंग एप के के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 में 'उमंग इंटरनेशनल' नाम इसे इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया था।
  - अंतर्राष्ट्रीय संस्करण उन चुनिंदा देशों के लिये है जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
  - यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, NRIs और विदेशों में भारतीय पर्यटकों को किसी भी समय भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।
  - यह उमंग पर उपलब्ध 'भारतीय संस्कृति' सेवाओं के माध्यम से भारत को विश्व भर में प्रस्तुत करने में भी मदद करेगा और विदेशी पर्यटकों के बीच भारत आने के लिये रुचि पैदा करेगा।
    - उमंग ने फरवरी 2018 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित छठे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में 'सर्वश्रेष्ठ एम-सरकारी सेवा' (Best m-Government service) का पुरस्कार प्राप्त किया।

भारतीय श्रम सम्मेलन

हाल ही में 'भारतीय मज़दूर संघ' ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 'भारतीय श्रम सम्मेलन' (ILC) आयोजित करने का आह्वान किया है।

- 'भारतीय मज़दूर संघ' का तर्क है कि चूँकि भारतीय संसद ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन नंबर 144 की पुष्टि की है, अत: इस त्रिपक्षीय तंत्र को मज़बूत करने हेतु 'भारतीय श्रम सम्मेलन' का आयोजन करना भारत सरकार का कानूनी दायित्व है।

प्रमुख बिंदु

भारतीय श्रम सम्मेलन

- 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन' की तर्ज़ पर आयोजित 'भारतीय श्रम सम्मेलन' को देश की 'श्रम संसद' के रूप में भी जाना जाता है, यह श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय में शीर्ष स्तर की त्रिपक्षीय (सरकार, नियोक्ता और श्रमिक) सलाहकार समिति है।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में भी जाना जाता है, को प्रतिवर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' द्वारा आयोजित किया जाता है।
  - प्रत्येक सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया जाता है जिसमें दो सरकारी प्रतिनिधि, एक नियोक्ता प्रतिनिधि, एक कार्यकर्त्ता प्रतिनिधि और उनके संबंधित सलाहकार शामिल होते हैं।
- भारतीय श्रम सम्मेलन (जिसे तब 'त्रिपक्षीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन' कहा जाता था) की पहली बैठक वर्ष 1942 में आयोजित की गई थी और अब तक कुल 46 सत्र आयोजित किये जा चुके हैं।
  - इसका सबसे हालिया सत्र 2015 में आयोजित किया गया था।
- 'भारतीय श्रम सम्मेलन' के एजेंडे को एक स्थायी श्रम समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, जो स्वयं में एक त्रिपक्षीय निकाय है।

कार्य

- देश में मज़दूर वर्ग से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देना।

सदस्य

- केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन, नियोक्ताओं के केंद्रीय संगठन, सभी राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश तथा इस एजेंडा से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग 'भारतीय श्रम सम्मेलन' के सदस्य हैं।

नोट :

मज़दूर वर्ग के लिये सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- नई श्रम संहिता, 2020
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन
- व्यापारियों और स्वरोज़गार वाले व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना

प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियाँ को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।
  - वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ (League of Nations) की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई।
- वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया।
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

ILO का कन्वेंशन 144

- वर्ष 1976 का कन्वेंशन 144 जिसे त्रिपक्षीय परामर्श (अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक) पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, एक आवश्यक सिद्धांत के अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना की गई थी:
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के विकास और कार्यान्वयन में त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के संबंध में त्रिपक्षीयवाद व्यापक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सामाजिक संवाद की राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देता है।

मंकी बी वायरस

हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस (Monkey B virus) से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है।

प्रमुख बिंदु

मंकी बी वायरस के विषय में:

- मंकी बी वायरस मैकाक बंदरों में पाया जाने वाला अल्फाहर्पीसवायरस एनज़ूटिक (Alphaherpesvirus Enzootic) यानी यह मूल रूप से इनमें पाया जाता है और सर्वप्रथम इसकी पहचान वर्ष 1932 में की गई थी।
  - अल्फाहर्पीसवायरस रोगजनक या न्यूरोइनवेसिव वायरस हैं जो मनुष्यों और अन्य कशेरुकियों के परिधीय तंत्रिका तंत्र (Nervous System) को संक्रमित करते हैं।
- बी वायरस को आमतौर पर हर्पीज बी (Herpes B), हर्पीसवायरस सिमिया (Herpesvirus Simiae) और हर्पीसवायरस बी (Herpesvirus B) के रूप में भी जाना जाता है।
- बी वायरस सतह (खासकर नम सतह) पर घंटों तक जीवित रह सकता है।

संचरण:

- इंसानों में यह वायरस मैकाक बंदरों के काटने, खरोंचने या संक्रमित बंदर की लार, मल-मूत्र आदि के संपर्क में आने से भी फैलता है और इसके संक्रमण के कारण होने वाली वाली मृत्यु दर 70% से 80% है।
- मानव-से-मानव में संचरण: अब तक एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बी वायरस के संचरण/प्रसार का केवल एक मामला दर्ज किया गया है।

नोट :

लक्षण:

- इस वायरस के प्रारंभिक लक्षण फ्लू जैसे होते हैं जैसे- बुखार और ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, थकान तथा सिरदर्द आदि, जिसके बाद संक्रमित व्यक्ति को घाव या शरीर की त्वचा पर छोटे-छाले हो जाते हैं।
- इस वायरस के प्रारंभिक लक्षणों के बाद मांसपेशियों में अकड़न और तंत्रिका संबंधी क्षति होती है।

उपचार:

- वर्तमान में इसका कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है जो इसके संक्रमण से बचा सके।
- समय पर एंटीवायरल दवाएँ इसके जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।

स्टैंड अप इंडिया' योजना

वित्त मंत्रालय ने स्टैंडअप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

योजना की शुरुआत:

- इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य:

- महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ताकि व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में तैयार एवं प्रशिक्षु दोनों प्रकार के उधार लेने वालों की मदद की जा सके।

बैंक ऋण को सुविधा प्रदान करना:

- इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम-से-कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्त्ता और कम-से-कम एक महिला उधारकर्त्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
- यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है।

योग्यता:

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी; 18 वर्ष से अधिक आयु।
- योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिये उपलब्ध हैं।
  - 'ग्रीनफील्ड परियोजना' का तात्पर्य ऐसी परियोजना से है, जिसमें किसी पूर्व कार्य/परियोजना का अनुसरण नहीं किया जाता है। अवसंरचना में अप्रयुक्त भूमि पर तैयार की जाने वाली परियोजनाएँ जिनमें मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें 'ग्रीन फील्ड परियोजना' कहा जाता है।
- उधारकर्त्ता को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में चूककर्त्ता नहीं होना चाहिये।
- गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, कम-से-कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिये।

नए परिवर्तन:

- योजना के तहत ऋण के लिये मार्जिन मनी की आवश्यकता को '25 प्रतिशत तक' से घटाकर '15 प्रतिशत तक' कर दिया गया है और कृषि से संबंधित गतिविधियों को योजना में शामिल किया गया है।

नोट :

कनेक्ट सेंटर:

- सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) और नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के कार्यालय को स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर (SUCC) के रूप नामित किया गया है।

अभी तक का प्रदर्शन:

- बैंकों ने पिछले पाँच वर्षों में योजना के तहत लगभग 1,16,266 लाभार्थियों के लिये 26,204 करोड़ रुपए के ऋण मंज़ूर किये हैं।
- इस योजना से 93,094 से अधिक महिला उद्यमियों को लाभ हुआ है।

विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर हुआ लिवरपूल

हाल ही में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है।

- इससे पहले छह भारतीय स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया था।

प्रमुख बिंदु

लिवरपूल:

- इस बंदरगाह शहर को इसकी स्थापत्य सुंदरता के लिये प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया था और 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के दौरान विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक के रूप में इसकी भूमिका को मान्यता दी गई थी।
- इसे वर्ष 2004 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जिसे चीन की महान दीवार, ताजमहल और पीसा की झुकी हुई मीनार जैसे सांस्कृतिक स्थलों के साथ इस सूची में शामिल किया गया था।
  - लिवरपूल इस प्रतिष्ठित सूची से हटाया जाने वाला तीसरा स्थल है।

सूची से हटाए जाने का कारण:

- नई इमारतें जिनमें फुटबॉल स्टेडियम हैं, इसके विक्टोरियन डॉक के आकर्षण को कम करने के साथ-साथ तट के विरासत मूल्य को नष्ट कर रही हैं।
- अति विकास ऐतिहासिक बंदरगाह की विरासत को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुँचाएगा।

अन्य असूचीबद्ध स्थल:

- वर्ष 2007 में ओमान में वन्यजीव अभयारण्य।
  - कारण: अवैध शिकार और निवास स्थान की क्षति।
- वर्ष 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्बे घाटी।
  - कारण: नदी के ऊपर चार लेन का मोटरवे पुल बनाया गया था।

विश्व धरोहर स्थल

परिचय:

- विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जो यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्त्व के लिये सूचीबद्ध है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची का रखरखाव यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय 'विश्व विरासत कार्यक्रम' द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य विश्व भर में मानवता के लिये उत्कृष्ट मूल्यों के रूप में मानी जाने वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान और उसका संरक्षण करना है।
- यह सूची यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई 'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है।
  - यह विश्व भर में सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण तथा संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये रूपरेखा प्रदान करती है।

नोट :

प्रकार:

- सांस्कृतिक विरासत (Cultural Heritage) स्थलों में ऐतिहासिक इमारत, शहर स्थल, महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थल, स्मारकीय मूर्तिकला और पेंटिंग कार्य शामिल किये जाते हैं।
- प्राकृतिक विरासत (Natural Heritage) में उत्कृष्ट पारिस्थितिक और विकासवादी प्रक्रियाएँ, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएँ, दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास स्थल आदि शामिल किये जाते हैं।
- मिश्रित विरासत (Mixed Heritage) स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के महत्त्वपूर्ण तत्त्व शामिल होते हैं।

भारत में विश्व धरोहर स्थल:

- भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 38 विरासत धरोहर स्थल (30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं। इनमें शामिल जयपुर शहर (राजस्थान) सबसे नया है।

गाँव बूरा: असम

हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने घोषणा की है कि ज़िला प्रशासन के ग्राम स्तर के अधिकारी जिन्हें 'गाँव बूरा' कहा जाता है, को अब 'गाँव प्रधान' कहा जाएगा।

- सरकार ने तर्क दिया है कि कई युवा पुरुष (और महिलाएँ) 'गाँव बूरा' बन रहे हैं, इसलिये 'बूरा' ('असमी' भाषा में जिसका अर्थ है 'पुराना') शब्द अब उपयुक्त नहीं है।

प्रमुख बिंदु

'गाँव बूरा'

- 'गाँव बूरा', ग्राम प्रधान होते हैं। वे ग्राम स्तर पर ज़िला प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- असम में करीब 6,000 'गाँव बूरा' हैं। 'गाँव बूरा' के रूप में महिलाओं का चुना जाना बहुत आम नहीं हैं और अक्सर पति की मृत्यु के बाद वे यह पद संभाल लेती हैं।

इतिहास

- यह एक औपनिवेशिक युग की व्यवस्था है, तब अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा गाँव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाता था, जो एक विशेष क्षेत्र में भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों की देखरेख करते थे।
- स्वतंत्रता के बाद भी सरकार ने 'गाँव बूरा' की व्यवस्था को जारी रखा और 'गाँव बूरा' को असम राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का औपचारिक हिस्सा बना दिया गया, साथ ही उनकी ज़िम्मेदारियों को भी बढ़ा दिया तथा उनकी भूमिका के लिये उन्हें एक छोटा मानदेय भी दिया जाने लगा।
- अरुणाचल प्रदेश में भी 'गाँव बूरा' सबसे महत्त्वपूर्ण ग्राम स्तर के पदाधिकारी हैं।

कर्तव्य:

- गाँव के जनसंख्या रजिस्टर को व्यवस्थित रखना, भूमि अभिलेखों का रखरखाव, पुलिस को अपराध की जाँच में मदद करना आदि।
- इसमें अब गाँव में कोविड-19 मामलों का विवरण रखना, टीकाकरण शिविर आयोजित करना, चुनाव के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों के रूप में कार्य करना आदि शामिल हैं।
- 'गाँव बूरा प्रमाण पत्र' (Gaon Bura Certificate) जारी करना। यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो किसी विशेष गाँव में स्थायी निवास को प्रमाणित करता है।
  - राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं के लिये अपने पति और माता-पिता के साथ संबंध स्थापित करना आवश्यक हो गया।

नोट :

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

पेगासस विवाद के बीच यह बताया गया कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय' (NSCS) पर केंद्र सरकार का व्यय वर्ष 2016-17 में 33 करोड़ रुपए से बढ़कर 333 करोड़ रुपए हो गया, जो कि तकरीबन 10 गुना बढ़ोतरी है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

- 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' (NSC) एक त्रिस्तरीय संगठन है, जो सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों की देखरेख करता है।
- 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार' (NSA) 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' की अध्यक्षता करता है और वे प्रधानमंत्री का प्राथमिक सलाहकार भी होता है। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं।

गठन:

- इसका गठन वर्ष 1999 में किया गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करता है।

त्रिस्तरीय संरचना:

- NSC में तीन स्तरीय संरचना शामिल है- रणनीतिक नीति समूह (SPG), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय।
  - कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में SPG अंतर-मंत्रालयी समन्वय और एकीकरण हेतु प्रमुख मंच है।
  - NSAB दीर्घकालिक मुद्दों का विश्लेषण करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दृष्टिकोण प्रदान करता है।

कार्य:

- यह भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय के तहत संचालित होता है, सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क करता है एवं खुफिया तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर नेतृत्व को सलाह देता है।

सदस्य:

- गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं।

भारत का 39वाँ विश्व धरोहर स्थल: रामप्पा मंदिर

हाल ही में तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर (जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है) को यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है।

- इस मंदिर को सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन हेतु प्रस्तावित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर के विषय में:

- रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने कराया था।
- यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं।
- 40 वर्षों तक मंदिर निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है।
- मंदिर छह फुट ऊँचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है, जिसमें दीवारों, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी से सजावट की गई है, जो काकतीय मूर्तिकारों के अद्वितीय कौशल को प्रमाणित करती है।
- इसकी नींव "सैंडबॉक्स तकनीक" से बनाई गई है, जिसमें फर्श ग्रेनाइट पत्थरों से है और स्तंभ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हैं।

नोट :

- मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है जबकि सफेद गोपुरम को हल्की ईंटों से बनाया गया है जो कथित तौर पर पानी पर तैर सकती हैं।
- एक शिलालेख के अनुसार मंदिर के निर्माण की तिथि माघ माह की अष्टमी (12 जनवरी, 1214) शक-संवत 1135 है।
- मंदिर परिसरों से लेकर प्रवेश द्वारों तक काकतीयों (Kakatiya) की विशिष्ट शैली, जो इस क्षेत्र के लिये अद्वितीय है, दक्षिण भारत में मंदिर और शहर के प्रवेश द्वारों में सौंदर्यशास्त्र के अत्यधिक विकसित स्वरूप की पुष्टि करती है।
- यूरोपीय व्यापारी और यात्री मंदिर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे तथा ऐसे ही एक यात्री ने उल्लेख किया था कि मंदिर "दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा" था।

सैंडबॉक्स तकनीक:

- इस तकनीक में इमारतों के निर्माण से पहले गड्ढे को भरना शामिल है- जिसमे नींव रखने के लिये खोदे गए गड्ढों को रेत-चूने, गुड़ (बांधने ले लिये) और करक्कया (हरड़ का काला फल) के मिश्रण के साथ भरा जाता है।
- भूकंप की स्थिति में सैंडबॉक्स तकनीक से निर्मित यह नींव एक कुशन (Cushion)के रूप में कार्य करती है।
- भूकंप के कारण होने वाले अधिकांश कंपन इमारत की वास्तविक नींव तक पहुँचने से पहले ही रेत से गुज़रते समय ही क्षीण हो जाते हैं।

गरीब नवाज़ रोज़गार योजना

हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री द्वारा संसद में दिये गए जवाब के अनुसार, गरीब नवाज़ रोज़गार योजना के तहत देश भर में कुल 371 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं।

प्रमुख बिंदु

योजना के बारे में:

- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में इस योजना को शुरू किया गया था।
- इस योजना का कार्यान्वयन मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तत्त्वावधान में गठित एक स्वायत्त निकाय है, द्वारा किया जाता है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के युवाओं को कौशल आधारित रोज़गार के लिये सक्षम बनाने हेतु अल्पकालिक रोज़गार उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है।
- यह योजना पैनलबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (Program Implementation Agencies- PIA) के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship- MSD&E) के सामान्य मानदंडों के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।
- PIA को कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से न्यूनतम 70% प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना अनिवार्य है।
- लाभार्थियों को अधिकतम तीन माह की मासिक छात्रवृत्ति और रोज़गार मिलने के बाद नियुक्ति उपरांत अधिकतम दो माह तक सहायता का भुगतान भी सीधे उनके खाते में किया जाता है।

अल्पसंख्यक

- भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।
  - भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय: जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, सिख और मुस्लिम (सरकार द्वारा अधिसूचित)।
- अनुच्छेद 29: इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, को उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
  - यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को संरक्षण प्रदान करता है।

नोट :

- अनुच्छेद 30: इस अनुच्छेद के तहत सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
  - अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) तक ही सीमित है, अनुच्छेद 29 की तरह यह नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिये उपलब्ध नहीं है।
- अनुच्छेद 350-B: मूल रूप से, भारतीय संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन, 1956 के सातवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 350-B को जोड़ा गया।
  - इसके अनुसार, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिये एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
  - विशेष अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिये उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे।
- विधिक प्रावधान:
  - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992
  - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004

अल्पसंख्यक समुदायों के लिये अन्य योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
- सीखो और कमाओ
- 'उस्ताद' यानी विकास के लिये पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development- USTTAD)
- गरीब नवाज़ कौशल विकास योजना
- नई मंज़िल (स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिये औपचारिक कौशल विकास की एक योजना)
- नई रोशनी (अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्त्व क्षमता विकास की योजना)
- बेगम हज़रत महल बालिका छात्रवृत्ति

कारगिल विजय दिवस

26 जुलाई, 2021 को कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

- यह दिवस कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को समर्पित है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच कई सैन्य संघर्ष हुए थे। वर्ष 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किये जिससे तनाव और बढ़ गया तथा अंतत: वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ।
- कारगिल युद्ध, जिसे कारगिल संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 1999 में मई से जुलाई के बीच जम्मू और कश्मीर के कारगिल (अब केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का एक ज़िला) ज़िले में नियंत्रण रेखा (Line of Control- LoC) पर लड़ा गया था जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की।

ऑपरेशन विजय:

- वर्ष 1999 में, भारत और पाकिस्तान ने शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर मुद्दे को पारस्परिक रूप से हल करने के लिये लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किये।

नोट :

- लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने ऑपरेशन बद्र के तहत नियंत्रण रेखा (LoC) के भारतीय हिस्से की ओर घुसपैठ करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि सियाचिन में भारतीय सैनिकों को अलग-थलग कर दिया जाएगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत कर पाकिस्तानी सेना के इस ऑपरेशन का जवाब दिया।
- लगभग 5000 सैनिकों के साथ कारगिल के चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों पर घुसपैठ करने और उस पर कब्जा करने के बाद 3 मई, 1999 को पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत की।
- जब भारत सरकार को इसकी जानकारी मिली, तो भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने वाले घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिये भारतीय सेना द्वारा 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया गया था।

अभ्यास इंद्र-21

भारत और रूस के बीच 12वाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 (Exercise INDRA) का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

अभ्यास इंद्र-21 के विषय में:

- दोनों देशों की सेनाएँ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई संबंधी संयुक्त राष्ट्र (UN) अध्यादेश के अनुपालन में आतंक विरोधी अभ्यास करेंगी।
- इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, जिसे दोनों देशों के बीच बारी-बारी से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। हालाँकि पहला संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास (Tri-Services Exercise) वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था।
- भारत और रूस के बीच पिछला संयुक्त, त्रि-सेवा अभ्यास दिसंबर 2019 में भारत में आयोजित किया गया था। यह बबीना (झांसी के निकात), पुणे और गोवा में एक साथ आयोजित किया गया था।
- सैन्य अभ्यास का महत्त्व:
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सैन्य कूटनीति हाल के वर्षों में राष्ट्रों के राजनयिक हितों को आगे बढ़ाने के लिये एक प्रमुख उपकरण के रूप में उभरी है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैन्य अभ्यासों में भाग लेना सदस्य देशों के बीच उच्चतम स्तर के विश्वास और आत्मविश्वास का संकेत है।
- सैन्य अभ्यास सेनाओं को एक-दूसरे के अभ्यास और प्रक्रियाओं को समझने, भाषा की बाधाओं को दूर करने तथा उपकरण क्षमताओं से परिचित कराने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- यह संयुक्त अभियानों की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है, (चाहे युद्ध में या युद्ध के अलावा अन्य ऑपरेशनों में, जैसे- मानवीय सहायता, आपदा राहत, एंटी-पायरेसी आदि - जब राष्ट्र एक सामान्य कारण के लिये एक साथ आते हैं)।
- संभवत: संयुक्त सैन्य अभ्यास का सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ 'रणनीतिक संकेत' प्रदान करना है।
  - एक या अधिक देशों के साथ एक संयुक्त अभ्यास तीसरे देश को इस क्षेत्र में हमारे प्रभाव का संकेत देने और हमारे राजनयिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के हमारे संकल्प का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से कार्य करता है।
- अप्रत्यक्ष तौर पर, सैन्य अभ्यास सैनिकों और सेनाओं के बीच भाईचारे तथा सौहार्द को बढ़ावा देते हैं।
  - सद्भावना के अलावा, यह राष्ट्र की सॉफ्ट पावर- संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाजों, विश्वासों, भोजन की आदतों और जीवन शैली के आदान-प्रदान का एक साधन है।

नोट :

अन्य देशों के साथ भारत के सैन्य अभ्यास

अभ्यास का नाम	देश
गरुड़ शक्ति	इंडोनेशिया
एकुवेरिन	मालदीव
हैंड-इन-हैंड	चीन
बोल्ड कुरुक्षेत्र	सिंगापुर
मित्र शक्ति	श्रीलंका
नोमेडिक एलीफैंट	मंगोलिया
शक्ति	फ्राँस
सूर्य किरण	नेपाल
युद्ध अभ्यास	संयुक्त राज्य अमेरिका

कांजीवरम सिल्क साड़ी: तमिलनाडु

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकर बी. कृष्णमूर्ति ने कांजीवरम सिल्क साड़ी बुनाई के लिये सभी पारंपरिक डिज़ाइन, पैटर्न और रूपांकनों के नमूनों का एक भंडार तैयार किया है, जो भावी पीढ़ी के लिये टुकड़ों को संरक्षित करता है।

प्रमुख बिंदु

कांजीवरम साड़ियों के विषय में:

- परंपरागत रूप से कांजीवरम साड़ी को प्राय: शहतूत के रेशमी धागों से हाथ से बुना जाता है और इसमें शुद्ध सोने या चांदी की ज़री प्रयोग होती है जो इसे एक महत्त्वपूर्ण गुणवत्ता प्रदान करती है।
  - हथकरघा निर्मित रेशम की साड़ी को भारतीय पारंपरिक कपड़ों में सबसे शानदार और उत्तम दर्जे के कपड़े के रूप में जाना जाता है।
- तमिलनाडु के 'कांचीपुरम' गाँव में निर्मित कांजीवरम साड़ी को 'रेशम की साड़ियों की रानी' भी माना जाता है।
- दक्षिण भारत विशेष रूप से कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों की मंदिर वास्तुकला पारंपरिक कांजीवरम रूपांकनों के लिये डिज़ाइन प्रेरणा के रूप में काम करती है।
  - कांजीवरम साड़ी के डिज़ाइन में ऐसे कई रूपांकन खोजे जा सकते हैं, जैसे- पौराणिक पक्षी 'यली' (हाथी-शेर का संलयन) और 'गंडाबेरुंडा (दो सिर वाला राजसी पौराणिक पक्षी) आदि।
- चोल राजवंश से शुरू हुए लंबे और समृद्ध इतिहास के साथ कांचीपुरम साड़ियों को वर्तमान में भारतीय कपड़ा उद्योग की सबसे पुरानी एवं समृद्ध विरासतों में से एक माना जाता है।
- कांचीपुरम रेशम को वर्ष 2005-06 में भौगोलिक संकेत (GI टैग) भी प्राप्त हुआ है।

अन्य जीआई (GI) टैग प्राप्त साड़ियाँ:

- तमिलनाडु: कंडांगी साड़ी, थिरुबुवनम सिल्क साड़ी, कोवई कोरा कॉटन साड़ी।
- उत्तर प्रदेश: बनारस ब्रोकेड।
- कर्नाटक: इलकल साड़ी, मोलाकलमुरु साड़ी।
- आंध्र प्रदेश: उप्पदा जामदानी साड़ी, वेंकटगिरि साड़ी, मंगलगिरी साड़ी।
- केरल: बलरामपुरम साड़ी, कासरगोड साड़ी, कुथमपल्ली साड़ी
- तेलंगाना: गडवाल साड़ी, पोचमपल्ली इकत (लोगो)
- मध्य प्रदेश: चंदेरी साड़ी, महेश्वर साड़ी।
- ओडिशा: उड़ीसा इकत, बोमकाई साड़ी, हबसपुरी साड़ी।

नोट :

- पश्चिम बंगाल: शांतिपुर साड़ी, बलूचरी साड़ी, धनियाखली साड़ी।
- महाराष्ट्र: पैठानी साड़ी और कपड़े, करवाथ कटी साड़ी एवं कपड़े।
- छत्तीसगढ़: चंपा सिल्क साड़ी।
- गुजरात: सूरत जरी क्राफ्ट, पटोला साड़ी।

भारत में रेशम उत्पादन:

- भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो विश्व के कुल रेशम का लगभग 18% उत्पादन करता है।
- वाणिज्यिक महत्त्व के रेशम के पाँच प्रमुख प्रकार हैं, जो रेशम के कीड़ों की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होते हैं। ये हैं शहतूत, ओक टसर और ट्रॉपिकल टसर, मुगा एवं एरी।
  - शहतूत को छोड़कर रेशम की अन्य गैर-शहतूत किस्में जंगली रेशम हैं, जिन्हें वान्या रेशम (Vanya Silk) के रूप में जाना जाता है।
- रेशम की इन सभी व्यावसायिक किस्मों के उत्पादन में भारत को अद्वितीय गौरव प्राप्त है।
- दक्षिण भारत देश का प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है और कांचीपुरम, धर्मावरम, अरनी आदि को प्रसिद्ध रेशम बुनाई परिक्षेत्रों के लिये भी जाना जाता है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2017 में देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिये "सिल्क समग्र" (Silk Samagra) नामक योजना शुरू की।

SLDE एवं GHG कैलकुलेटर

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease Of Doing Business) को और ज़्यादा बेहतर बनाने के उद्देश्य से ग्रीनहाउस गैस (GreenHouse Gas) उत्सर्जन हेतु कैलकुलेटर के साथ-साथ 'सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज' (SLDE) की शुरुआत की गई है।

- विश्व बैंक (World Bank) की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, 2020 में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज:

- यह एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटलीकृत, सुरक्षित और समेकित दस्तावेज़ विनिमय प्रणाली के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स दस्तावेज़ों का निर्माण, आदान-प्रदान एवं अनुपालन की वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करने का एक उपाय है।
- यह डेटा सुरक्षा एवं प्रमाणीकरण के लिये आधार और ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का डिजिटल उपयोग करते हुए लॉजिस्टिक्स संबंधित दस्तावेज़ों का उत्पादन, भंडारण एवं वस्तु-विनिमय को संभव बनाएगा।
- यह दस्तावेज़ हस्तांतरण से संबंधित एक पूरा ऑडिट मार्ग भी प्रदान करेगा, साथ ही तीव्र गति से लेन-देन का निष्पादन, प्रेषण की लागत में कमी, संपूर्ण कार्बन फुटप्रिंट, दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता का सरल सत्यापन, धोखाधड़ी के जोखिम में कमी भी लाएगा।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कैलकुलेटर:

- GHG कैलकुलेटर एक कुशल और उपयोगकर्त्ता के अनुरूप उपकरण है तथा विभिन्न उपायों के माध्यम से GHG उत्सर्जन की गणना एवं तुलना की सुविधा प्रदान करता है।
- यह सड़क और रेल द्वारा आवाजाही के बीच GHG उत्सर्जन एवं उनकी पर्यावरणीय लागत सहित परिवहन की कुल लागत की कमोडिटी के अनुसार तुलना की अनुमति देता है।
- उपकरण का उद्देश्य सभी संबद्ध वस्तुओं के लिये उपयुक्त मॉडल विकल्प की सुविधा प्रदान करना है।

लाभ:

- बेहतर दक्षता:
  - इस डिजिटल पहल की शुरुआत लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने और मल्टी-मॉडलिटी एवं निरंतरता को बढ़ावा देने हेतु की गई है। इन डिजिटल पहलों की शुरुआत अंतराल क्षेत्रों को पूर्ण करने हेतु की गई हैं, जहाँ पर अब तक किसी भी निजी कंपनी या संबंधित मंत्रालयों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

नोट :

- लक्ष्य प्राप्त करना:
  - यह लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में भारत की रैंकिंग में सुधार लाने, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और लॉजिस्टिक्स में निरंतर सुधार हेतु स्वदेशी भारत-विशिष्ट मेट्रिक्स की स्थापना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।
    - वर्ष 2018 में LPI में भारत 44वें स्थान पर था।

संबंधित पहलें:

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC):
  - यह एक उच्च गति और उच्च क्षमता वाला रेलवे कॉरिडोर है जो विशेष रूप से माल या दूसरे शब्दों में माल एवं वस्तुओं के परिवहन के लिये है।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2020:
  - इसका उद्देश्य देश में रसद यानी लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करना है, ताकि इस क्षेत्र से संबंधित विकास को बढ़ावा दिया जा सके और निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं LPI में रैंकिंग बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन दिया जा सके।
- लॉजिक्स इंडिया 2019:
  - इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय निर्यात संगठनों के संघ (FIEO) द्वारा भारत के वैश्विक व्यापार के लिये रसद लागत प्रभावशीलता एवं परिचालन क्षमता में सुधार हेतु एक पहल के रूप में आयोजित किया गया था।
- मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क:
  - पार्क व्यापार लागत में 10% की कमी करेगा और इसकी कार्गो क्षमता प्रतिवर्ष 13 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की होगी।
- भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट:
  - हाल ही में इसे माल परिवहन को लागत प्रभावी बनाने और भारत की रसद लागत को कम करने के लिये लॉन्च किया गया था।
- पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम 'PCS1x':
  - इस प्लेटफॉर्म में भारत के समुद्री व्यापार में क्रांति लाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के समान बनाने तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस वर्ल्ड रैंकिंग व LPI रैंक में सुधार का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता है।

सूर्य की 'नियर-सर्फेस शीयर लेयर'

हाल ही में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेज़ (ARIES) और भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू के भारतीय खगोलविदों ने पहली बार सूर्य की एक 'नियर-सर्फेस शीयर लेयर' (Near-Surface Shear Layer- NSSL) के अस्तित्व की सैद्धांतिक व्याख्या की है।

- ARIES विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।

नियर-सर्फेस शीयर लेयर के बारे में (NSSL):

- हेलियोसिज़्मोलॉजी आधारित ऑब्ज़र्वेशन से पता चला है कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों के मध्य परिवर्तित रोटेशन के अलावा सूर्य में एक नियर-सर्फेस शीयर लेयर (NSSL) विद्यमान है।
- NSSL का अस्तित्व, जहाँ सूर्य के घूर्णन प्रोफाइल (Rotation Profile) में परिवर्तन होता है, के बहुत निकट मौजूद होता है।
- यह लेयर/परत सौर सतह के बहुत करीब मौजूद है, जिसमें भीतरी त्रिज्या के साथ कोणीय वेग तेज़ी से घटता है।
- माना जाता है कि NSSLबड़े पैमाने पर सूर्य के चुंबकत्व को संचालित करने वाले संवहन पैटर्न (Convective Patterns) की प्रकृति को परिभाषित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नोट:

- कोणीय वेग: यह वह समय दर है जिस पर कोई वस्तु एक अक्ष के चारों ओर घूमती है या जिस पर दो निकायों के बीच कोणीय विस्थापन की स्थिति बदलती है।

नोट :

- हेलियोसिज़्मोलॉजी (Helioseismology): यह सूर्य के अंदर की गतिविधियों का पता लगाने के लिये ध्वनि तरंगों का उपयोग करने की एक तकनीक है।

अध्ययन का निष्कर्ष:

- यह व्याख्या करती है कि किस प्रकार सौर ध्रुवों और भूमध्य रेखा (जिसे थर्मल विंड टर्म कहते हैं) के तापमान में मामूली अंतर का संतुलन सोलर डिफरेंशियल रोटेशन की वजह से प्रतीत होने वाले सेंट्रिफुगल फोर्स के कारण होता है।
- अपने अध्ययन में उन्होंने तापीय पवन संतुलन समीकरण (Thermal Wind Balance Equation) नामक एक समीकरण का प्रयोग किया है।
- NSSL को समझना कई सौर परिघटनाओं जैसे- सौर कलंक का निर्माण, सौर चक्र और अन्य ऐसी घटनाओं को समझने में भी मदद करेगा।

सूर्य के विभेदक घूर्णन के बारे में:

- यह लंबे समय से ज्ञात था कि सूर्य का विभेदक घूर्णन भी है, जिसका अर्थ है कि सूर्य के विभिन्न भाग अलग-अलग गति से घूमते हैं।
  - सूर्य ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर तेज़ी से घूमता है।
- समय के साथ सूर्य की विभेदक घूर्णन दर इसके चुंबकीय क्षेत्र की ओर मुड़कर उलझा देती है।
  - चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में स्थित 'टैंगल्स' बहुत मज़बूत स्थानीयकृत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं।
  - सूर्य की सतह पर ये स्थानीयकृत चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय हैं, जहाँ सनस्पॉट होते हैं।
  - इसके अलावा ये सक्रिय क्षेत्र अक्सर सौर तूफान उत्पन्न करते हैं: सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs)।

जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल

जनजातीय मामलों का मंत्रालय "आदिवासी अनुसंधान संस्थान के समर्थन" से आदिवासी महोत्सव, अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा संबंधी योजनाओं का संचालन कर रहा है, जिसके माध्यम से आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की गई हैं।

- इन योजनाओं का उद्देश्य अनुसंधान कार्यों, उनका मूल्यांकन, अध्ययन, प्रशिक्षण, आदिवासियों के मध्य जागरूकता पैदा करना, भाषाओं, आवासों और खेती एवं उत्पादन प्रथाओं सहित समृद्ध जनजातीय विरासत के प्रदर्शन में गुणवत्ता व एकरूपता सुनिश्चित करना है।

प्रमुख बिंदु

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिये संग्रहालय:

- जनजातीय लोगों की वीरता और उनके देशभक्तिपूर्ण कार्यों को स्वीकार करने हेतु मंत्रालय ने 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने की मंज़ूरी दी है।

स्वदेशी प्रथाओं का प्रलेखन:

- आदिवासी चिकित्सकों, औषधीय पौधों, आदिवासी भाषाओं, कृषि प्रणाली, नृत्य और पेंटिंग आदि द्वारा स्वदेशी प्रथाओं के अनुसंधान एवं प्रलेखन को बढ़ावा देना।

डिजिटल भंडार/ रिपोज़िटरी:

- समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने तथा अन्य लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये अनुसंधान योग्य डिजिटल भंडार विकसित किया गया है।

जनजातीय त्योहारों को अनुदान:

- मंत्रालय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आदि महोत्सवों व उत्सवों के आयोजन हेतु ट्राइफेड (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) को वित्त सुविधा उपलब्ध कराता है।

नोट :

आदिवासियों से संबंधित अन्य पहलें:

- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन: पहले चरण में 250 एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूलों (EMRS) को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपनाया गया है, जिनमें से 50 EMRS को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें 500 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना शामिल है।
- PVTGs का विकास: इसमें 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को उनके व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये शामिल किया गया है।
- प्रधानमंत्री वन धन योजना: यह बाज़ार से जुड़ा हुआ जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम है जो आदिवासी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन कर उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों के रूप में आधार प्रदान करता है।

ट्राइफेड

- यह एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- ट्राइफेड जनजातियों को अपना उत्पाद बेचने हेतु एक सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है।
- ट्राइफेड का उद्देश्य है जनजातीय लोगों को जानकारी, उपकरण और सूचनाओं से सशक्त करना ताकि वे अपने कार्यों को अधिक क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से कर सकें।
- यह जनजातीय उत्पादकों के आधार के विस्तार हेतु राज्यों/ज़िलों/गाँवों में सोर्सिंग स्तर पर नए कारीगरों और नए उत्पादों की पहचान करने के लिये जनजातीय शिल्प मेलों का आयोजन करता है।
- यह ट्राइफूड और लघु वनोत्पाद योजनाओं हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में भी भूमिका निभाता है।

आमागढ़ फोर्ट: राजस्थान

जयपुर स्थित 'आमागढ़ फोर्ट' (राजस्थान) आदिवासी मीणा समुदाय और स्थानीय हिंदू समूहों के बीच संघर्ष के केंद्र बन गया है।

- मीणा समुदाय के सदस्यों का कहना है कि 'आमागढ़ किला' जयपुर में राजपूत शासन से पहले एक मीणा शासक द्वारा बनाया गया था और सदियों से उनका पवित्र स्थल रहा है।
- उन्होंने हिंदू समूहों पर आदिवासी प्रतीकों को हिंदुत्व में शामिल करने की कोशिश करने और 'अंबा माता' का नाम बदलकर 'अंबिका भवानी' करने का आरोप लगाया है।

मीणा समुदाय

- मीणा, जिन्हें मेव या मेवाती के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में रहने वाली एक जनजाति है।
- मीणा समुदाय ने वर्तमान पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था, जिस क्षेत्र को इस समुदाय द्वारा 'मिंदेश' (मीणाओं का देश) भी कहा जाता है। बाद में उन्हें राजपूतों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसमें कछवाहा राजपूत भी शामिल हैं, जिन्होंने अंबर राज्य की स्थापना की, इसे बाद में जयपुर के नाम से जाना गया।
- राजस्थान में इस समुदाय का काफी प्रभाव है। अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये आरक्षित 25 विधानसभा सीटों (कुल 200) में से अधिकांश का प्रतिनिधित्व मीणा विधायकों द्वारा किया जाता है।
  - नौकरशाही में भी इस समुदाय का बेहतर प्रतिनिधित्व है। इसके आलावा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की आबादी 13.48% है।
  - साथ ही राज्य भर में बिखरी हुई आबादी के कारण यह समुदाय अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

आमागढ़ फोर्ट

- आमागढ़ किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 18वीं शताब्दी में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था।

नोट :

- यह माना जाता रहा है कि जय सिंह द्वितीय द्वारा किले के निर्माण से पहले भी इस स्थान पर कुछ संरचनाएँ मौजूद थीं।
  - दावे के मुताबिक, यह नदला गोत्र (जिसे अब बड़गोती मीणा के नाम से जाना जाता है) के एक मीणा सरदार द्वारा बनवाई गई थी।
- कछवाहा राजवंश के राजपूत शासन से पहले जयपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में मीणा समुदाय का शासन एवं राजनीतिक नियंत्रण था।
- गौरतलब है कि मीणा समुदाय के सरदारों ने लगभग 1100 ईस्वी तक राजस्थान के बड़े हिस्से पर शासन किया।

महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय (1693-1744):

- वह एक महान योद्धा और खगोलशास्त्री थे, जो अपने पिता महाराजा बिशन सिंह की मृत्यु के पश्चात् सत्ता में आए थे।
- वह मुगलों के सामंत थे, जिन्हें औरंगज़ेब ने 'सवाई' की उपाधि प्रदान की थी, जिसका अर्थ है एक-चौथाई, यह उपाधि 'जय सिंह' के सभी वंशजों को प्राप्त थी।
- उन्हें कला, विज्ञान, दर्शन और सैन्य मामलों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों एवं विद्वानों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
- 'जय सिंह' मूलत: कछवाहा राजपूत वंश के थे, जो 12वीं शताब्दी में सत्ता में आए थे।
- उन्होंने दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में खगोल विज्ञान वेधशालाओं का निर्माण किया जिन्हें जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है।
  - 'जयपुर' शहर को अपना नाम उन्हीं से प्राप्त हुआ है। हाल ही में 'जयपुर' शहर को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।

बायोटेक-प्राइड

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा बायोटेक-प्राइड (डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना-Biotech-PRIDE) हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

- इसके अलावा भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC) की एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई।

प्रमुख बिंदु

बायोटेक-प्राइड दिशा-निर्देश:

- इन दिशा-निर्देशों में अन्य मौजूदा जैविक डेटासेट/डेटा केंद्रों को IBDC के साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई है, जिसे बायो-ग्रिड (Bio-Grid) कहा जाएगा।
  - यह बायो-ग्रिड जैविक ज्ञान, सूचना और डेटा हेतु एक राष्ट्रीय भंडार होगा।
  - साथ ही बायो-ग्रिड अपने एक्सचेंज को सक्षम करने, डाटासेट के लिये सुरक्षा मानकों और गुणवत्तापूर्ण उपाय विकसित करने तथा डेटा तक पहुँच सुनिशित करने हेतु विस्तृत तौर-तरीके स्थापित करने के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- इन दिशा-निर्देशों को भारतीय जैविक डेटा केंद्र (Indian Biological Data Centre- IBDC) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- वर्तमान में जैविक डेटाबेस में योगदान करने वाले शीर्ष 20 देशों में भारत चौथे स्थान पर है।

बायो-ग्रिड की आवश्यकता और इसके लाभ:

- 135 करोड़ से अधिक की आबादी और देश के विषम स्वरूप के साथ भारत को भारतीय अनुसंधान और समाधान हेतु अपने स्वयं के विशिष्ट डेटाबेस की आवश्यकता है।
- इस स्वदेशी डेटाबेस में भारतीय नागरिकों के लाभ के लिये युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्त्ताओं द्वारा डेटा के आदान-प्रदान एवं कार्यान्वयन हेतु एक विशाल सक्षम तंत्र होगा।
- बड़े पैमाने पर डेटा की एक विस्तृत शृंखला साझा करना आणविक और जैविक प्रक्रियाओं की समझ को बढ़ाने में सहायक है।
  - यह मानव स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, मौलिक अनुसंधान में योगदान देगा और इस प्रकार सामाजिक लाभों तक विस्तारित होगा।

नोट :

- डीएनए अनुक्रमण और अन्य उच्च-प्रवाह क्षमता प्रौद्योगिकियों में प्रगति के साथ-साथ डीएनए अनुक्रमण लागत में आई महत्त्वपूर्ण कमी ने सरकारी एजेंसियों को जैव-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जैविक डेटा के सृजन की दिशा में अनुसंधान के वित्तपोषण में सक्षम बनाया है।

बायोटेक से संबंधित महत्त्वपूर्ण योजनाएँ और नीतियाँ:

- बायोटेक-किसान कार्यक्रम
- अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन - राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवाचार (UNaTI) का उपक्रम
- डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक, 2019
- जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट

भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 36वाँ संस्करण

भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच समन्वित गश्ती-कॉरपेट (India-Indonesia Coordinated Patrol (India-Indonesia CORPAT) के 36वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

नौसैनिक अभ्यास:

- भारत और इंडोनेशिया समुद्री सहयोग को मज़बूत करने के लिये वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष दो बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (International Maritime Boundary Line- IMBL) पर समन्वित गश्ती कर रहे हैं।
- भारतीय नौसेना का जहाज़ (INS) सरयू, एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है, जो 36वें संस्करण में समुद्री गश्ती विमान के साथ हिंद-प्रशांत में दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत बनाने के लिये भाग ले रहा है।

उद्देश्य:

- क्षेत्र में नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- कॉरपेट अभ्यास नौसेनाओं के बीच समझ और अंतरसंचालनीयता का निर्माण करने में मदद करते हैं साथ ही गैर कानूनी, बिना कोई लेखा-जोखा रखे एवं अनियमित ढंग से संचालित मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी करने, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती तथा समुद्री डकैती जैसी गतिविधियों को रोकने के लिये संस्थागत ढाँचे के निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं।

SAGAR मिशन के अनुरूप:

- भारत सरकार के 'सागर' (Security And Growth for All in the Region- SAGAR) दृष्टिकोण के अंतर्गत, भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ समन्वित गश्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone- EEZ) निगरानी में सहयोग, मार्ग अभ्यास (Passage Exercises) और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अभ्यासों के लिये सक्रिय रूप से संलग्न है।
  - इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करना है।

इंडोनेशिया के साथ अन्य सैन्य अभ्यास:

- समुद्र शक्ति: एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास।
- गरुड़ शक्ति: एक संयुक्त सैन्य अभ्यास।

नोट :

विविध

महँगाई भत्ते' और 'महँगाई राहत' में बढ़ोतरी

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये 1 जुलाई से प्रभावी 'महँगाई भत्ते' (DA) और 'महँगाई राहत' (DR) में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी है। 'महँगाई भत्ते' और 'महँगाई राहत' दरों को मौजूदा 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। इस निर्णय के कारण केंद्र सरकार को अतिरिक्त 34,400 करोड़ रुपए का खर्च वह करना होगा। गौरतलब है कि बीते दिनों कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 'महँगाई भत्ते' और पेंशनभोगियों के 'महँगाई राहत' की तीन इनस्टॉलमेंट्स को रोक दिया गया था। यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, जो काफी समय से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत 'महँगाई भत्ते' और 'महँगाई राहत' में बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे थे। इस निर्णय के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि और ग्रेच्युटी योगदान में भी बढ़ोतरी होगी। 'महँगाई भत्ता' मूल रूप से एक समायोजन भत्ता है, जो सरकार द्वारा कर्मचारियों को मुद्रास्फीति की भरपाई के लिये प्रदान किया जाता है। इसे वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई में) संशोधित किया जाता है। 'महँगाई राहत' भी 'महँगाई भत्ते' के समान ही होती है, किंतु यह केंद्र सरकार के पेंशनभोगी कर्मचारियों को दी जाती है।

जगन्नाथ राव जोशी

गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देशभक्त कर्मयोगी और गोवा मुक्ति संग्राम के मुख्य स्तंभ के रूप में संबोधित किया। केसरी जगन्नाथ राव जोशी का जन्म 23 जून, 1920 को वर्तमान गडग ज़िले (तत्कालीन अविभाजित धारवाड़ ज़िले) के नरगुंड में हुआ था। स्थानीय प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा पूरी करने के बाद जगन्नाथ राव नरगुंड छोड़कर उच्च अध्ययन के लिये पुणे चले गए। इसके पश्चात् वह क्लर्क के रूप में सैन्य लेखा विभाग में शामिल हो गए। वर्ष 1945 में जगन्नाथ राव ने सैन्य लेखा विभाग से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में बतौर प्रचारक के रूप में शामिल हो गए। वर्ष 1948 में जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया तब जगन्नाथ राव जोशी ने इस प्रतिबंध का विरोध किया और उन्हें गिरफ्तार कर बेलगाम की हिंदडाल्गा जेल में बंद कर दिया गया। 23 जून, 1955 को जगन्नाथ राव जोशी ने तटीय शहर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ के हज़ारों कार्यकर्त्ताओं का नेतृत्त्व किया। उन्हें बिना परमिट गोवा में प्रवेश करने के लिये गिरफ्तार कर लिया गया तथा जून 1955 से फरवरी 1957 तक एकांत कारावास में रखा गया।

वास्तविक-समय निगरानी हेतु दिल्ली सरकार और गूगल के बीच सहयोग

दिल्ली सरकार ने यात्रियों को अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय के आधार पर बस के आगमन और प्रस्थान के समय एवं मार्ग को ट्रैक करने में सक्षम बनाने के लिये एक प्रणाली विकसित करने हेतु 'गूगल' के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग के माध्यम से 3,000 बसों की वास्तविक समय पर निगरानी की जा सकेगी। इससे यात्रियों को गूगल मैप्स के माध्यम से बसों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। गूगल मैप्स के ज़रिये उपयोगकर्त्ताओं को यह भी पता चल जाएगा कि उनकी यात्रा में कितना समय लगने वाला है। गूगल मैप्स के साथ इस वर्तमान साझेदारी के पश्चात् दिल्ली वैश्विक शहरों की उस सूची में शामिल हो गई है, जो सार्वजनिक परिवहन के वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं ताकि लोग बिना देरी के यात्रा कर सकें। यह सहयोग कई अन्य ट्रांज़िट एप्स को परिवहन विभाग के ओपन डेटा पोर्टल का उपयोग कर दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सभी के लिये सुगम विकल्प बनाने हेतु अभिनव समाधान तैयार करने में मदद करेगा।

कुमारस्वामी कामराज

15 जुलाई, 2021 को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज की जयंती मनाई गई। गौरतलब है कि कुमारस्वामी कामराज ने वर्ष 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत की राजनीति को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 15 जुलाई, 1903 को तमिलनाडु के एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वह अठारह वर्ष के थे, तब गांधीजी के आह्वान पर अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग के लिये वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। अप्रैल 1930 में कामराज, वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए और उन्हें दो वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई। वर्ष 1937 में के. कामराज मद्रास विधानसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुए। वर्ष 1946 में वह भारत की संविधान सभा और बाद में

नोट :

वर्ष 1952 में संसद के लिये भी चुने गए। वर्ष 1954 में वह मद्रास के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1963 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया कि कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को संगठनात्मक कार्य करने के लिये मंत्री पद छोड़ देना चाहिये, इस सुझाव को 'कामराज योजना' के नाम से जाना जाता है। 9 अक्तूबर, 1963 को कामराज को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 2 अक्तूबर, 1975 को के.कामराज की मृत्यु हो गई और वर्ष 1976 में उन्हें मरणोपरांत 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था।

अरूणा आसफ अली

16 जुलाई, 2021 को उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता सेनानी और वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली 'अरूणा आसफ अली' की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 16 जुलाई, 1909 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत में अरूणा गांगुली के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता में बतौर शिक्षक अपने कॅरियर की शुरुआत की। वर्ष 1928 में उन्होंने प्रसिद्ध भारतीय वकील और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के प्रमुख सदस्य आसफ अली से विवाह किया। इसके पश्चात् उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश किया और वर्ष 1932 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। हालाँकि जल्द ही विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वर्ष 1932 में उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिये एक बार फिर गिरफ्तार किया गया और कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में जेल में रहते हुए उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। वर्ष 1942 में जब देश के सभी प्रमुख नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध एक पूर्व उपाय के रूप में अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्होंने गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन को आवश्यक नेतृत्त्व और मज़बूती प्रदान की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करके महिलाओं की स्थिति के उत्थान की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। वर्ष 1958 में उन्होंने दिल्ली की पहली निर्वाचित मेयर के रूप में कार्य किया। उन्हें वर्ष 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1997 में उन्हें मरणोपरांत 'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया गया था।

कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड

हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB और GRMB) के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। यह अधिसूचना कृष्णा बेसिन में 35 और गोदावरी बेसिन में 71 परियोजनाओं को इन बोर्डों के दायरे में लाती है, जो उन्हें बैराज, बाँधों, जलाशयों, विनियमन संरचनाओं, नहर नेटवर्क के हिस्से, ट्रांज़ीशन लाइनों एवं बिजली घरों को संचालित करने हेतु सशक्त बनाती है। इस कदम से दोनों राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होने की उम्मीद है। यह अधिसूचना दोनों बोर्डों को दोनों राज्यों में संबंधित नदी घाटियों से पानी और बिजली की आपूर्ति को विनियमित करने का अधिकार देती है। दोनों बोर्डों, 'गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण' और 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' द्वारा दिये गए निर्णयों के आधार पर जल बँटवारे को नियंत्रित करेंगे। गौरतलब है कि कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' की स्थापना की गई थी, जबकि 'गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण' का गठन अप्रैल 1969 में किया गया था।

भारत का पहला 'ग्रेन एटीएम'

अपनी तरह की पहली पहल में हरियाणा सरकार ने हाल ही में गुरुग्राम के फर्रुखनगर में खाद्यान्न वितरण के लिये पहली एटीएम मशीन यानी 'ग्रेन एटीएम' स्थापित किया है। 'ग्रेन एटीएम' बैंक एटीएम की तरह ही एक स्वचालित मशीन है, जिसमें अनाज की माप में त्रुटि नगण्य होती है। मशीन में टच-स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी है, जहाँ लाभार्थियों को अपना अनाज प्राप्त करने के लिये आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं में मिलने वाले अनाज के वितरण को सुगम एवं पारदर्शी बनाना है। इसके तहत प्रत्येक मशीन एक बार में पाँच से सात मिनट के भीतर 70 किलो अनाज का वितरण कर सकती है। इस पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में हरियाणा सरकार राज्य भर में सरकार द्वारा संचालित राशन की दुकानों में 'ग्रेन एटीएम' स्थापित करने की योजना बना रही है। यह मशीन संयुक्त राष्ट्र के 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' के तहत स्थापित की जाएगी। यह मशीन तीन प्रकार के अनाज- चावल, बाजरा और गेहूँ का वितरण करेगी। इस मशीन के माध्यम से सरकारी डिपो में खाद्यान्न की कमी की शिकायतों का भी निराकरण किया जा सकेगा।

'कोविहोम' कोविड-19 परीक्षण किट

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-हैदराबाद (IIT-H) के शोधकर्त्ताओं द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित 'कोविहोम' (COVIHOME) नामक एक कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की गई है, जिसे घर पर आसानी से उपयोग किया जा सकता है। यह परीक्षण किट रोगसूचक और

नोट :

स्पर्शोन्मुख दोनों रोगियों के लिये 30 मिनट के भीतर परीक्षण परिणाम दे सकती है तथा इस परीक्षण किट का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें आरटी-पीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन) एवं आरएनए के निष्कर्षण के लिये बीएसएल-2 प्रयोगशाला सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिये कोई भी व्यक्ति बिना विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के घर पर ही परीक्षण कर सकता है। वर्तमान में प्रत्येक परीक्षण की लागत लगभग 400 रुपए है, हालाँकि परीक्षण किट के व्यापक उत्पादन से लागत को कम कर लगभग 300 रुपए प्रति परीक्षण किया जा सकता है।

डॉ. कादंबिनी गांगुली

हाल ही में गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल के माध्यम से भारत की पहली प्रशिक्षित महिला चिकित्सक डॉ. कादंबिनी गांगुली को उनके 160वें जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कादंबिनी गांगुली, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला भी थीं, जहाँ से उन्होंने वर्ष 1886 में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने चिकित्सा सेवा के साथ-साथ भारतीय महिला अधिकार आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। गांगुली भी उन छह महिलाओं में से एक थीं, जिन्होंने वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की पहली सर्व-महिला प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था। कलकत्ता से अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने स्त्री रोग में विशेषज्ञता के साथ तीन अतिरिक्त डॉक्टरेट प्रमाणपत्र भी हासिल किये थे, जो कि तत्कालीन समय में महिलाओं के लिये काफी दुर्लभ था। 1890 के दशक में वह भारत वापस लौटीं और उन्होंने अपना एक निजी क्लिनिक शुरू किया। प्रसिद्ध लेखिका एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक में कादंबिनी गांगुली को 'भारत की आज़ादी में भारत की नारीत्व का प्रतीक' बताया है। 'गूगल' द्वारा यह सम्मान ऐसे समय में दिया गया जब संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और डॉक्टर फ्रंटलाइन पर इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं।

फरीदाबाद में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र

हाल ही में पुरातत्त्वविदों ने फरीदाबाद (हरियाणा) के पास प्रागैतिहासिक स्थल मंगर बानी पहाड़ी जंगल में गुफा चित्रों की खोज की है, जो कि अनुमानत: एक लाख वर्ष पुराने हो सकते हैं। खोजकर्त्ताओं द्वारा किये गए अध्ययन के मुताबिक, इस स्थल पर प्रागैतिहासिक निवास की तिथि लगभग 1,00,000 से 15,000 वर्ष पूर्व की हो सकती है। हालाँकि शोधकर्त्ताओं को यहाँ 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी तक निवास संबंधी प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। यह कहा जा सकता है कि मंगर बानी पहाड़ी जंगल भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े पुरापाषाण स्थलों में से एक हो सकता है, जहाँ खुले मैदानों के साथ-साथ रॉक शेल्टर से पाषाण युग के उपकरण बरामद किये गए थे। ये गुफाएँ ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पहुँचना अपेक्षाकृत काफी मुश्किल है और संभवत: यही कारण है कि ये गुफाएँ व चित्र अभी तक यथास्थिति में बने हुए हैं। ज्ञात हो कि यह पहली बार है जब हरियाणा में व्यापक स्तर पर गुफा चित्र और रॉक कला के नमूने एक साथ पाए गए हैं, हालाँकि पुरापाषाण काल के औज़ारों की पहचान अरावली के कुछ हिस्सों में पहले भी की जा चुकी है।

विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस

वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के प्रयासों को मान्यता देने एवं इस प्रणाली को और अधिक मज़बूत करने हेतु प्रतिवर्ष 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पीड़ितों के अधिकारों, न्याय हेतु समर्थन, अपराध को रोकने और विश्व में शांति, सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने में न्याय प्रणाली की भूमिका को बढ़ावा देता है। इस दिवस का प्राथमिक लक्ष्य दंड से मुक्ति के खिलाफ लड़ने तथा युद्ध अपराधों, मानवता एवं नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाना है। इस वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की मुख्य विषय-वस्तु 'ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकॉनमी' है। यह दिवस वर्ष 1998 में 'रोम घोषणा' को स्वीकार करने के उपलक्ष में मनाया जाता है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर 'रोम संविधि' के माध्यम से ही 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' (ICC) की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई, 2002 रोम संविधि के लागू होने के साथ ही 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' (ICC) का गठन शांति और कानून के शासन की स्थापना के उद्देश्य से किया गया था। हालाँकि यह राष्ट्रीय न्याय प्रणाली का स्थान नहीं लेता है। इस न्यायालय की संधि पर 139 देशों ने हस्ताक्षर किये गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस

शांति के लिये नोबेल पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस (18 जुलाई) को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस' के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 2010 में प्रतिवर्ष 18 जुलाई को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। गौरतलब है कि कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के दौरान नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 27 साल वहाँ की जेलों में बिताए थे। यह दिवस, शांति स्थापना, रंगभेद उन्मूलन, मानवाधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता की स्थापना के प्रति नेल्सन मंडेला द्वारा किये गए सतत् प्रयासों को

नोट :

मान्यता प्रदान करता है। नेल्सन मंडेला को साहस, करुणा और स्वतंत्रता, शांति एवं सामाजिक न्याय के लिये प्रतिबद्धता का वैश्विक प्रतीक माना जाता है। वह 10 मई, 1994 से 14 जून, 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे तथा अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उन लोगों की उपलब्धियों को पहचानने के लिये नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत की जिन्होंने मानवता की सेवा के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

हाल ही में राजस्थान सरकार ने 'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' के मसौदे को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर का प्रयोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह 1,000 रुपए और एक वर्ष में अधिकतम 12,000 रुपए प्रदान किये जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस व्यवस्था के तहत बिजली वितरण कंपनियों द्वारा द्विमासिक आधार पर बिजली बिल जारी किये जाएंगे। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी तथा अन्य आयकरदाता सब्सिडी हेतु पात्र नहीं होंगे। पात्र उपभोक्ताओं को योजना के साथ अपना आधार नंबर व बैंक खाता लिंक कराना होगा, जिसके पश्चात् वे इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योजना के तहत अनुदान राशि केवल तभी प्रदान की जाएगी, जब उपभोक्ताओं द्वारा सभी प्रकार की बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान करने के बाद ही उपभोक्ता को आगामी बिजली बिल पर सब्सिडी राशि देय होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के दौरान की गई थी। इस योजना हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है।

सीमा नंदा

संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा नंदा की नियुक्ति श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में की है। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीमा नंदा ने ओबामा प्रशासन के दौरान भी श्रम विभाग में काम किया था। सीमा नंदा ने ओबामा-बाइडेन प्रशासन में अमेरिकी श्रम विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और डिप्टी सॉलिसिटर के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व उन्होंने श्रम एवं रोज़गार अधिवक्ता के तौर पर विभिन्न भूमिकाओं में 15 वर्ष से अधिक समय तक सरकारी विभागों में कार्य किया था। सीमा नंदा वर्तमान में हार्वर्ड लॉ स्कूल के लेबर एंड वर्कलाइफ प्रोग्राम में फेलो हैं। वह कनेक्टिकट (अमेरिका) में पली-बढ़ी और ब्राउन यूनिवर्सिटी तथा बोस्टन कॉलेज लॉ स्कूल से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह मैसाचुसेट्स बार एसोसिएशन की सदस्य भी हैं। इसके अतिरिक्त वह कई गैर-लाभकारी संगठनों के निदेशक मंडल का हिस्सा रही हैं। गौरतलब है कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन में कई भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया था, जिसमें सबसे प्रमुख उदाहरण अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं।

यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज़ 2021

हाल ही में 'संयुक्त राष्ट्र विकास कोष' (UNDP) द्वारा दो भारतीय इकाइयों को प्रतिष्ठित 'इक्वेटर प्राइज़' के लिये चुना गया है। तमिलनाडु स्थित 'अधीमलाई पझंगुडियिनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' और कर्नाटक स्थित 'स्नेहकुंजा ट्रस्ट' को संरक्षण एवं जैव विविधता के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गए कार्य के लिये इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। 'अधीमलाई पझंगुडियिनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' एक 1,700 सदस्यीय सहकारी संगठन है, जिसका प्रबंधन और संचालन पूरी तरह से तमिलनाडु के नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व के स्वदेशी लोगों द्वारा किया जाता है। इस संगठन ने पिछले आठ वर्षों में वन उत्पादों और फसलों की विविध श्रेणी के प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से 147 गाँवों के लोगों की आजीविका में सुधार किया है। वहीं 'स्नेहकुंजा ट्रस्ट' बीते 45 वर्षों से समुदाय आधारित बहाली और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पश्चिमी घाट एवं कर्नाटक तट में संवेदनशील आर्द्रभूमि व तटीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा कर रहा है। इस ट्रस्ट ने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर संसाधनों के सतत् प्रबंधन हेतु सैकड़ों स्वयं सहायता समूहों और ग्राम वन समितियों का समर्थन किया है। ट्रस्ट वर्तमान में देश की पहली ब्लू कार्बन परियोजना का संचालन कर रहा है। 'संयुक्त राष्ट्र विकास कोष' द्वारा जैव विविधता के संरक्षण तथा सतत् उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के सामुदायिक प्रयासों को मान्यता देने हेतु यह द्विवार्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

जयनगर-कुर्था रेल ट्रैक

भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क बहाल करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में हाल ही में जयनगर (भारत) और कुर्था (नेपाल) के बीच रेल ट्रैक का सफल परीक्षण किया गया है। बिहार के मधुबनी ज़िले के जयनगर और पड़ोसी देश नेपाल के धनुसा ज़िले के कुर्था के बीच इस 34.50 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेन के साथ ट्रायल किया गया। 619 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस रेलवे लाइन में पाँच

नोट :

स्टेशन शामिल हैं- जयनगर, इनरवा, खजूरी, बैदेही और नेपाल में प्रसिद्ध तीर्थस्थल जनकपुर के पास कुर्था। इस परियोजना का 17 किलोमीटर लंबा दूसरा चरण कुर्था और भंगहा को जोड़ेगा, जबकि 17 किलोमीटर लंबा तीसरा चरण भंगहा से बर्दीबास को जोड़ेगा। जयनगर-कुर्था रेलवे लिंक की स्थापना 'इरकॉन इंटरनेशनल' द्वारा भारत-नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा दिये गए वित्त के माध्यम से की गई है। 'इरकॉन इंटरनेशनल' भारतीय रेल मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक सार्वजानिक उपक्रम है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया था।

मून लैंडिंग डे

प्रतिवर्ष 20 जुलाई को वैश्विक स्तर पर 'मून लैंडिंग डे' का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्तियों एवं उनकी उपलब्धियों के सम्मान में मनाया जाता है। गौरतलब है कि 'अपोलो-11' अंतरिक्ष मिशन में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और मॉड्यूल पायलट- बज़ एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिन्स शामिल थे। यद्यपी बज़ एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर पहली क्रू लैंडिंग की थी, वहीं माइकल कॉलिन्स चंद्रमा के चारों ओर अपोलो-11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया को उड़ा रहे थे। दो अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह से 21.5 किलोग्राम वज़न के नमूने एकत्र किये थे, जिन्हें विश्लेषण के लिये पृथ्वी पर वापस लाया गया था। 'नेशनल मून डे' या 'मून लैंडिंग डे' को वर्ष 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा घोषित किया गया था। इस मिशन की सफलता के बाद नासा ने इस लैंडिंग को 'सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि' के रूप में वर्णित किया था। 20 जुलाई न केवल अमेरिका के इतिहास में बल्कि दुनिया के सबसे महत्त्वपूर्ण दिनों में से एक है, क्योंकि इस दिन आकाश में अन्वेषण और संभावनाओं का नवीन मार्ग प्रशस्त हुआ।

राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार

कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिये लॉजिस्टिक क्षेत्र में विभिन्न संगठनों द्वारा किये गए असाधारण उपायों की सराहना करने हेतु केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत रसद प्रभाग ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देने हेतु 'राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार' शुरू करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार दो श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा- पहली श्रेणी में लॉजिस्टिक अवसंरचना/सेवा प्रदाता शामिल हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में विभिन्न उपयोगकर्त्ता उद्योगों को शामिल किया गया है। 'राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार' भारतीय रसद क्षेत्र में हो रहे नवाचार और परिवर्तन को पहचानने तथा उसे उजागर करने हेतु एक मंच के रूप में काम करेगा। साथ ही पुरस्कार के माध्यम से 'केस स्टडीज़' का एक भंडार एकत्रित किया जा सकेगा, जो उद्योग के दिग्गजों द्वारा संदर्भित और पालन की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन होगा। पुरस्कार समेकन, प्रक्रिया मानकीकरण, तकनीकी उन्नयन, डिजिटल परिवर्तन तथा महामारी में प्रयोग की गईं सर्वोत्तम प्रथाओं को रेखांकित करेगा। इन पुरस्कारों का प्राथमिक लक्ष्य उन लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं पर ध्यान केंद्रित करना है, जिन्होंने परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त की है, डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को अपनाया है, ग्राहक सेवा में सुधार किया है और अन्य उपलब्धियों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया है।

पेरू के नए राष्ट्रपति- पेड्रो कैस्टिलो

हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को पेरू का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 51 वर्षीय पूर्व स्कूल शिक्षक और यूनियन नेता पेड्रो कैस्टिलो को 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। पेड्रो कैस्टिलो तकरीबन चार वर्ष पूर्व राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में तब सामने आए थे, जब उन्होंने वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक सफल राष्ट्रीय हड़ताल में हज़ारों शिक्षकों का नेतृत्त्व किया था। इतिहासकारों का कहना है कि पेड्रो कैस्टिलो पेरू के राष्ट्रपति बनने वाले पहले किसान हैं, वहाँ अब तक स्वदेशी लोगों को सबसे खराब सार्वजनिक सेवाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। पेरू प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है तथा पाँच देशों- उत्तर दिशा में इक्वाडोर, कोलंबिया, पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण-पूर्व में बोलिविया तथा दक्षिण में चिली के साथ सीमा रेखा बनाता है। पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा (क्षेत्रफल में) देश है। पेरू में 'ऐंग्लोबीज' नामक मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अमेज़न नदी का उद्गम एंडीज़ पर्वत, पेरू से होता है, जबकि अंत में इसका जल अटलांटिक महासागर में मिल जाता है।

मथुरा में देश का पहला 'ग्रीन हाइड्रोजन' प्लांट

तेल एवं ऊर्जा के स्वच्छ रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य के तहत भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी 'इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन' (IOC) अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला 'ग्रीन हाइड्रोजन' प्लांट स्थापित करेगी। 'इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन' (IOC) ने एक रणनीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी 10 वर्षों में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार को बढ़ावा देना है। कंपनी भविष्य में अपनी सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजनाओं

नोट :

में कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित नहीं करेगी और इसके बजाय सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होने वाली 250 मेगावाट बिजली का उपयोग करेगी। ध्यातव्य है कि हाइड्रोजन को विश्व भर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। यद्यपि हाइड्रोजन स्वयं एक स्वच्छ ईंधन है, किंतु इसका निर्माण अत्यधिक ऊर्जा-गहन है और इसमें कार्बन उपोत्पाद शामिल हैं। 'ग्रीन हाइड्रोजन' के उत्पादन में हाइड्रोजन ईंधन बनाने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है।

ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स

ब्रिटिश फॉर्मूला वन रेसर 'लुईस हैमिल्टन' ने हाल ही में रिकॉर्ड आठवीं बार 'ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स' का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस स्पर्द्धा में मोनाको के रेसर 'चार्ल्स लेक्लेर्क' को दूसरे, जबकि 'लुईस हैमिल्टन' की मर्सीडीज़ टीम के 'वाल्टेरी बोटास' तीसरे स्थान पर रहे। 07 जनवरी, 1985 को इंग्लैंड में जन्मे रेस-कार ड्राइवर 'लुईस हैमिल्टन' को वर्तमान में सबसे सफल फॉर्मूला वन (F1) 'ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग ड्राइवरों में से एक माना जाता है। वर्ष 2008 में वह फॉर्मूला वन वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले अश्वेत ड्राइवर बने थे। हैमिल्टन ने अपने ड्राइविंग कॅरियर की शुरुआत मात्र आठ वर्ष की उम्र में की थी और 10 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश कार्ट चैंपियनशिप जीती थी। 15 वर्ष की उम्र में वह रेसिंग में नंबर एक स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर बने थे। 'ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स' रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाने वाली एक ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेस है, जिसका आयोजन पहली बार वर्ष 1926 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1948 से 'ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स' को प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस (International Chess Day) मनाया जाता है, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (International Chess Federation-FIDE) के स्थापना दिवस की याद में किया जाता है। हाल ही में 20 जुलाई, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (FIDE) की 97वीं वर्षगाँठ मनाई गई। दुनिया भर में खेले जाने वाले शतरंज को हमारे युग के सबसे पुराने खेलों में शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (FIDE) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के खेल का शासी निकाय है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। एक गैर-सरकारी संस्थान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (FIDE) की स्थापना 20 जुलाई, 1924 को पेरिस (फ्राँस) में की गई थी। गौरतलब है कि वर्ष 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (FIDE) को एक वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की थी।

स्पेस राइस

हाल ही में चीन ने 'स्पेस राइस' की अपनी पहली फसल की कटाई की है, चीन ने नवंबर में 'चांग ई-5' मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे। ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम वज़न वाले इन बीजों पर चीन के 'अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र' में अनुसंधान किया जा रहा है। ज्ञात हो कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में पर्यावरण के संपर्क में आने वाले चावल के बीज पृथ्वी पर उत्परिवर्तित हो सकते हैं और अधिक पैदावार दे सकते हैं। चीन 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा है और उन पर अनुसंधान कर रहा है। चीन में कपास और टमाटर सहित 200 से अधिक पौधों की किस्मों को अंतरिक्ष में रोपण के लिये अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2018 में चीन में स्वीकृत अंतरिक्ष फसलों के लिये कुल वृक्षारोपण क्षेत्र 2.4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक तक पहुँच गया था। ज्ञात हो कि पृथ्वी के जीवों पर ब्रह्मांडीय किरणों का ज़ीरो ग्रेविटी प्रभाव को जानने के उद्देश्य से अंतरिक्ष प्रजनन वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिये सदैव काफी महत्त्वपूर्ण रहा है।

आदर्श स्मारक योजना

'आदर्श स्मारक योजना' के तहत आंध्र प्रदेश में तीन स्मारकों की पहचान की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान कर पर्यटकों के अनुकूल बनाना है। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने संसद को सूचित किया है कि 'आदर्श स्मारक योजना' के तहत गुंटूर के नागार्जुनकोंडा में मौजूद स्मारकों, श्रीकाकुलम के सालिहुंडम में बौद्ध अवशेषों और अनंतपुर में वीरभद्र मंदिर (लेपाक्षी) को 'आदर्श स्मारक' के रूप में चुना गया है तथा इसके तहत इन स्थानों पर वाई-फाई, कैफेटेरिया एवं व्याख्या केंद्र जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी, ताकि इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सके। 'आदर्श स्मारक योजना' की शुरुआत वर्ष 2014 में ऐतिहासिक स्मारकों में आगंतुकों (मुख्यत: शारीरिक रूप से अक्षम लोगों) को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने लिये की गई थी। यह योजना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इन स्थलों पर नागरिक सुविधाओं में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय रूप से संरक्षित 135 स्मारक और स्थल मौजूद हैं।

नोट :

बान की मून

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को एक बार पुन: 'अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति' के 'नैतिकता आयोग' के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 77 वर्षीय दक्षिण कोरियाई राजनेता और राजनयिक 'बान की मून' वर्ष 2017 से 'नैतिकता आयोग' के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और वे अब अगले चार वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। बान की मून संयुक्त राष्ट्र के आठवें महासचिव थे। 'बान की मून' ने 01 जनवरी, 2007 से 31 दिसंबर, 2016 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के तौर पर कार्य किया। 21 जून, 2011 को उन्हें सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिये महासभा द्वारा फिर से चुना गया था। बान की मून का जन्म 13 जून, 1944 को कोरिया गणराज्य में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1970 में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से 'अंतर्राष्ट्रीय संबंध' में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। वर्ष 1985 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री हासिल की। महासचिव के रूप में अपने चुनाव के समय बान की मून कोरिया गणराज्य के विदेश मामलों और व्यापार मामलों के मंत्री थे। वहीं 'अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति' ऐसा पहला खेल संगठन था, जिसने ओलंपिक आंदोलन के नैतिक सिद्धांतों की रक्षा के लिये वर्ष 1999 में एक स्वतंत्र नैतिकता आयोग की स्थापना की थी। ये सिद्धांत आचार संहिता और इसके कार्यान्वयन प्रावधानों में निर्धारित किये गए हैं।

हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट

हाल ही में मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को के 'हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट' के तहत चुना गया है। वर्ष 2011 में शुरू किये गए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए ऐतिहासिक शहरों का समावेशी एवं सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को, भारत सरकार और मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया जाएगा। ज्ञात हो कि भारत में अजमेर और वाराणसी सहित दक्षिण एशिया के छह शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं। ओरछा तथा ग्वालियर को क्रमश: 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। इन शहरों के विकास और प्रबंधन की संपूर्ण योजना यूनेस्को द्वारा तैयार की जाएगी और इस योजना के तहत शहर के सभी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, खान-पान, रहन-सहन, आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास समेत तमाम पहलुओं को शामिल किया जाएगा। यूनेस्को की इस परियोजना से मध्य प्रदेश पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। पर्यटन के विकास के साथ-साथ रोज़गार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित होंगे। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिये लोकप्रिय है तथा 16वीं शताब्दी में यह बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। प्रसिद्ध स्थान राज महल, जहाँगीर महल, रामराजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मीनारायण मंदिर आदि ओरछा में स्थित हैं। ग्वालियर को 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल कछवाहो व सिंधिया द्वारा शासित था।

केरल राज्य विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों के लिये आयु सीमा समाप्त

केरल सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध कला एवं विज्ञान कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिये अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। केरल सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, राज्य विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर छात्रों के लिये ऊपरी और निचली आयु सीमा को हटाने के प्रावधान को शामिल करने के लिये अपने नियमों में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। ऊपरी आयु सीमा को समाप्त करने के निर्णय से राज्य में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालयों को ट्रांसजेंडर छात्रों के समक्ष आने वाले शैक्षणिक और अन्य मुद्दों के समाधान हेतु एक आवश्यक ट्रांसजेंडर नीति अपनाने का निर्देश दिया गया। केरल देश का पहला राज्य था, जिसने वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर नीति की घोषणा की थी। राज्य सामाजिक न्याय विभाग के एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि ट्रांसजेंडर छात्रों को सामाजिक मुद्दों के कारण प्राय: अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। राज्य ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड के मुताबिक, ट्रांसजेंडर छात्रों के लिये विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश पाना अपेक्षाकृत काफी चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर तब जब उनकी लिंग पहचान सार्वजनिक हो गई हो।

लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंज़ूरी दी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में उच्च शिक्षा स्तर के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और वहाँ के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को 750 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का पहला चरण आगामी चार वर्षों में पूरा होगा। आगामी केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह और कारगिल समेत संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र को कवर करेगा। गौरतलब है कि राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद ये क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में मौजूद केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए थे, जिसके कारण प्रदेश के लोगों के लिये स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो गई थी।

नोट :

बाल गंगाधर तिलक

23 जुलाई, 2021 को प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 23 जुलाई, 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि में जन्मे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक नेताओं में से माना जाता है, जिन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसका अर्थ है 'लोगों द्वारा एक नेता के रूप में स्वीकृत'। वे पेशे से एक वकील थे तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें 'आधुनिक भारत के निर्माता' के रूप में संबोधित किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय बाल गंगाधर तिलक ने 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा' का नारा दिया था। लोकमान्य तिलक पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य (स्व-शासन) के सबसे प्रारंभिक एवं सबसे मुखर प्रस्तावकों में से एक थे। लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल के साथ ये लाल-बाल-पाल की तिकड़ी (गरम दल/उग्रपंथी दल) का हिस्सा थे। वे वर्ष 1890 में 'भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस' में शामिल हुए। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया तथा लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिये प्रोत्साहित किया। उन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगाम में 'अखिल भारतीय होम रूल लीग' की स्थापना की, जिसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र (बॉम्बे को छोड़कर), मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार तक विस्तृत था। उन्होंने वेदों पर 'गीता रहस्य' तथा 'आर्कटिक होम' नामक पुस्तकें लिखीं।

राष्ट्रीय प्रसारण दिवस

भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, गौरतलब है कि इसी दिन वर्ष 1927 में पहली बार मुंबई स्टेशन से 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' के नाम से एक निजी कंपनी ने देश में रेडियो प्रसारण शुरू किया था। एक माध्यम के रूप में प्रसारण (Broadcasting) भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक सशक्त उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि ज्ञान, सूचना और मनोरंजन के एक प्रभावी तथा विश्वसनीय माध्यम के रूप में रेडियो ने भी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1930 में रेडियो प्रसारण को अपने अधीन कर लिया और 'भारतीय राज्य प्रसारण सेवा' (ISBS) की शुरुआत की। 8 जून, 1936 को 'भारतीय राज्य प्रसारण सेवा' को ऑल इंडिया रेडियो (AIR) में बदल दिया गया तथा वर्ष 1957 में इसका नाम बदलकर 'आकाशवाणी' कर दिया गया। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी 'प्रसार भारती' संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक स्वायत्त निकाय है।

चंद्रशेखर आज़ाद

23 जुलाई, 2021 को उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त एवं दृढ़ नेता के रूप में संबोधित किया। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 को मध्य प्रदेश के एक गाँव में हुआ था और उन्हें उच्च शिक्षा के लिये काशी विद्यापीठ बनारस भेजा गया था। भारत के असहयोग आंदोलन के दौरान मात्र 15 वर्ष की आयु में आज़ाद राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने थे। असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद वे 'राम प्रसाद बिस्मिल' द्वारा गठित 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HRA) में शामिल हो गए। वे भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे और वर्ष 1928 में 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HRA) को 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HSRA) में बदल दिया गया। काकोरी ट्रेन रॉबरी, असेंबली बम घटना तथा लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या जैसी घटनाओं में शामिल होकर चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी भारत का चेहरा बन गए। 27 फरवरी, 1931 को मात्र 24 वर्ष की उम्र में तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क (अब आज़ाद पार्क) में चारों ओर से घिरने के पश्चात् उन्होंने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

'2008 GO20' क्षुद्रग्रह

अमेरिकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक, जल्द ही एक बड़ा क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास से गुज़रेगा। '2008 GO20' नामित यह 'नियर-अर्थ एस्टेरॉइड' लंबाई में लगभग 200 मीटर है, जो कि एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। नासा के अनुमानों के अनुसार, यह 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के पास से गुज़रेगा और पृथ्वी से लगभग तीन से चार मिलियन किलोमीटर दूर होगा। '2008 GO20' क्षुद्रग्रह इससे पूर्व 20 जून, 2008 को पृथ्वी के करीब से गुज़रा था और नासा के अनुमान के मुताबिक 25 जुलाई, 2034 को यह क्षुद्रग्रह पुन: पृथ्वी के करीब से गुज़रेगा। नासा के अनुसार, 'नियर-अर्थ एस्टेरॉइड' जो कि 0.05 खगोलीय इकाइयों से नीचे या 7.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुज़रते हैं उन्हें संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह कहा जाता है और चूँकि '2008 GO20' क्षुद्रग्रह 0.02 से 0.03 खगोलीय इकाई की दूरी से गुज़रता है, अत: इसे संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। एक खगोलीय इकाई लगभग 150 मिलियन किलोमीटर या लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के समान होती है।

नोट :

पावर आइलैंडिंग सिस्टम

भारत बिजली ग्रिड पर संभावित साइबर और हैकिंग हमलों से महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना की रक्षा के लिये कई शहरों में 'पावर आइलैंडिंग सिस्टम' बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। बंगलूरू, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है और जामनगर, जहाँ भारत की दो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियाँ मौजूद हैं, जैसे महत्त्वपूर्ण शहरों में 'पावर आइलैंडिंग सिस्टम' की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा नई दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में स्थापित मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार किया जा जाएगा। गौरतलब है कि एक पावर आइलैंडिंग सिस्टम में उत्पादन क्षमता होती है और पावर आउटेज की स्थिति में मुख्य ग्रिड से स्वचालित रूप से अलग हो सकता है। पिछले वर्ष भारत के वित्तीय केंद्र- मुंबई में एक प्रमुख पावर आउटेज देखने को मिला था, जिसके कारण शहर की तमाम गतिविधियाँ रुक गई थीं, विशेषज्ञों का मानना था, यह पावर आउटेज साइबर हमले से प्रेरित था। इससे एक वर्ष पूर्व देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कंप्यूटर सिस्टम पर मैलवेयर के माध्यम से साइबर हमलों की रिपोर्ट की गई थी। दुनिया भर में पावर ग्रिड्स को तेज़ी से डिजिटल किया जा रहा है, जिसके कारण वे साइबर हमलों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो गए हैं। 'पावर आइलैंडिंग सिस्टम' का उद्देश्य इसी संवेदनशीलता को कम करना है।

गोल्डन राइस

हाल ही में फिलीपींस आनुवंशिक रूप से संशोधित 'गोल्डन राइस' के वाणिज्यिक उत्पादन को मंज़ूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलीपींस द्वारा लिया गया निर्णय देश में खाद्य असुरक्षा की चुनौती को संबोधित करेगा और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करेगा। इसके अलावा विटामिन-ए (बीटा कैरोटीन) से भरपूर होने के कारण 'गोल्डन राइस' दृष्टिहीनता और कैंसर जैसे रोगों से बचाव के लिये भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आँकड़ों की मानें तो विटामिन-ए की कमी के कारण प्रतिवर्ष बचपन में अंधेपन के 5,00,000 मामले सामने आते हैं, जिनमें से आधे लोगों की 12 माह के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। गौरतलब है कि चावल, गेहूँ और सोयाबीन जैसी फसलों के साथ-साथ कई फलों और सब्जियों में प्राकृतिक रूप से कुछ आनुवंशिक कमियाँ मौजूद होती हैं, जिसके कारण उनकी उत्पादकता में भारी कमी आती है। ऐसे में उनके पदार्थ को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है, ताकि फसल की उत्पादकता में वृद्धि हो सके तथा फसल को कीट प्रतिरोधी अथवा सूखा रोधी बनाया जा सके। हालाँकि स्थानीय लोगों द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित इस किस्म का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यह जैविक चावल की परंपरागत किस्मों को प्रतिस्थापित करके पर्यावरण और कृषकों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है।

विश्व मस्तिष्क दिवस

दुनिया भर में मस्तिष्क स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 जुलाई को 'विश्व मस्तिष्क दिवस' का आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि यह दिवस 22 जुलाई, 1957 को 'वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी' की स्थापना के उपलक्ष में मनाया जाता है। 22 सितंबर, 2013 को 'वर्ल्ड कॉन्ग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी' की 'पब्लिक अवेयरनेस एंड एडवोकेसी कमेटी' ने प्रतिवर्ष 22 जुलाई को 'विश्व मस्तिष्क दिवस' अथवा 'वर्ल्ड ब्रेन डे' के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके पश्चात् 22 जुलाई, 2014 को पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इस वर्ष 'विश्व मस्तिष्क दिवस' की विषय-वस्तु 'स्टॉप मल्टीपल स्केलेरोसिस' है, जो 'मल्टीपल स्केलेरोसिस' के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने पर ज़ोर देती है। 'वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी' द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 2.8 मिलियन से अधिक लोग 'मल्टीपल स्केलेरोसिस' रोग से पीड़ित हैं। दुनिया के कई हिस्सों के लोगों की इलाज और प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों तक पहुँच नहीं है।

'अलेक्जेंडर डेलरिम्पल' पुरस्कार

भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल 'विनय बधवार' को हाल ही में ब्रिटिश सरकार द्वारा हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गए कार्यों हेतु प्रतिष्ठित 'अलेक्जेंडर डेलरिम्पल' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वाइस एडमिरल विनय बधवार के लिये वर्ष 2019 में इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, किंतु मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं किया जा सका था। वर्ष 1982 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले वाइस एडमिरल 'विनय बधवार' को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का व्यापक अनुभव है। 'एलेक्जेंडर डेलरिम्पल' पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2006 में 'यूनाइटेड किंगडम हाइड्रोग्राफिक ऑफिस' द्वारा की गई थी और इसका नाम ब्रिटिश नौवाहन विभाग के पहले हाइड्रोग्राफर 'अलेक्जेंडर डेलरिम्पल' के नाम पर रखा गया था। पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं का चयन हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की कार्यकारी समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिये किया जाता है।

नोट :

MyGov-मेरी सरकार' पोर्टल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 'MyGov-मेरी सरकार' (MyGov-Meri Sarkar) पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार आम लोगों से फीडबैक प्राप्त कर सकेगी और साथ ही इसकी सहायता से आम लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ले सकेंगे। इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य सरकार के साथ आम नागरिकों के जुड़ाव को और बढ़ाना है। यह प्रशासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा उन पर आम नागरिकों की राय जानने के एक प्रमुख मंच के तौर पर कार्य करेगा। 'मेरी सरकार' पोर्टल राज्य के लोगों को अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रिया को राज्य सरकार तथा प्रशासन तक संप्रेषित करने में मदद करेगा। यह पोर्टल जनभागीदारी और सुशासन के लिये देश भर में एक अभिनव मंच का उदाहरण बन सकता है। उत्तर प्रदेश का यह पोर्टल केंद्र सरकार के 'MyGov' पोर्टल से प्रेरित है। 'MyGov' एक ऐसा मंच है जो लोगों, विशेष रूप से युवाओं के लिये सरकार से सक्रिय रूप से जुड़ने एवं राष्ट्र के विकास के प्रति उनके जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिये एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह मंच देश भर के आम जनमानस को विभिन्न कार्यों और चर्चाओं के माध्यम से सुशासन की दिशा में योगदान करने में सशक्त बनाता है।

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन

सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिये एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' को एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो अनुसंधान व विकास, शिक्षा एवं उद्योग के बीच संबंधों में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' का कुल प्रस्तावित परिव्यय लगभग 50,000 करोड़ रुपए है और इसे आगामी पाँच वर्षों की अवधि में तैयार किया जाएगा। इस संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों में देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान तंत्र को विकसित करना तथा उसे सुविधाजनक बनाना है। इस संगठन की परिकल्पना 'नई शिक्षा नीति-2020' के तहत भी की गई है। वित्त आवंटन का अभाव प्राय: भारत में शोध और शोधकर्त्ताओं की कमी के सबसे बड़े कारणों में से एक है तथा इस फाउंडेशन का उद्देश्य इसी कमी को पूरा करना है। गौरतलब है कि देश में अनुसंधान के लिये आवंटित धन वर्ष 2008 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.84 प्रतिशत था, जो कि वर्ष 2014 में घटकर 0.69 प्रतिशत तक पहुँच गया, यह संयुक्त राज्य अमेरिका (2.8%), इज़राइल (4.3%) और दक्षिण कोरिया (4.2%) की तुलना में काफी कम है।

ओडिशा में आपदा प्रबंधन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम

हाल ही में ओडिशा सरकार ने राज्य के कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व ओडिशा सरकार ने हाई स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में आपदा एवं महामारी प्रबंधन को शामिल करने का निर्णय लिया था। इन पाठ्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य राज्य भर में छात्रों को आपदाओं के कारण उत्पन्न चुनौतियों जैसे कि बार-बार आने वाले चक्रवात एवं कोरोना वायरस महामारी आदि का सामना करने हेतु बेहतर तैयारी हेतु प्रशिक्षित करना है। गौरतलब है कि बीते दिनों चक्रवात यास ने राज्य में काफी नुकसान किया था और भारी बारिश, घरों को नुकसान पहुँचने, खेतों के नष्ट होने एवं विद्युत नेटवर्क के बाधित होने की घटनाएँ देखने को मिली थीं। 'ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट' 2020 के अनुसार, भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में पाँचवाँ सबसे संवेदनशील देश है। हाल के वर्षों में देश भर में भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और वनाग्नि की घटनाएँ काफी सामान्य हो गई हैं। संवेदनशील समुदायों, विशेष रूप से गरीबों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर जलवायु आपातकाल के गंभीर प्रभाव को देखते हुए इसे जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से लचीला बनाना काफी महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में उच्च शिक्षा के स्तर पर आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम में शामिल करना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।

रूस का 'नौका' मॉड्यूल

हाल ही में रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' के लिये 'नौका' (Nauka) नाम से एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है, जो स्पेस स्टेशन पर देश की मुख्य अनुसंधान सुविधा के रूप में काम करेगा। ज्ञात हो कि अब तक रूस द्वारा 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' 'पीर' नाम से मॉड्यूल का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे मुख्यत: अनुसंधान और डॉकिंग पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 42 फीट लंबे और 20 टन वज़न वाले इस 'नौका' मॉड्यूल को मूलत: वर्ष 2007 की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था। हालाँकि कई तकनीकी मुद्दों के कारण इसे अब तक लॉन्च नहीं किया जा सका था। 'नौका'- जिसका अर्थ रूसी भाषा में 'विज्ञान' है- रूस की अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है तथा यह मुख्य रूप से एक शोध सुविधा के रूप में काम करेगी। 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' पर 'नौका' मॉड्यूल को 'ज़्वेज़्दा मॉड्यूल' (Zvezda Module) से जोड़ा जाएगा, जो कि अंतरिक्ष स्टेशन पर 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' के रूप में कार्य करने के साथ ही 'रूसी ऑर्बिटल सेगमेंट' (ROS) के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

नोट :

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

27 जुलाई, 2021 को देश भर में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की छठी पुण्यतिथि मनाई गई। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्तूबर, 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे न केवल एक सुविख्यात एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे, बल्कि महान शिक्षक भी थे, जिन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ काम किया था। डॉ. कलाम वर्ष 1962 में 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' से जुड़े और वहाँ उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह (SLV- lll) प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, वे 'आम जनमानस के राष्ट्रपति' के तौर पर प्रसिद्ध हैं। डॉ. कलाम ने अपने 'सादा जीवन, उच्च विचार' के दर्शन से भारत समेत दुनिया भर के लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने डॉ. कलाम के जन्म दिवस को चिह्नित करते हुए वर्ष 2010 में 15 अक्तूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में नामित किया था। डॉ. कलाम की उपलब्धियों को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्हें भारत एवं विदेशों के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 1992 से वर्ष 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। डॉ. कलाम को वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण और वर्ष 1997 में 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

"इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे।"

बाईपायराज़ोल आर्गेनिक क्रिस्टल

हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा मैटेरियल विकसित किया है, जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक घटकों की स्वयं ही मरम्मत करने में सक्षम है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-खड़गपुर के शोधकर्त्ताओं ने 'भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता' के शोधकर्त्ताओं के साथ मिलकर ऐसे 'पीज़ोइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल' विकसित किये हैं, जो अपनी स्वयं की यांत्रिक क्षति की मरम्मत करने में सक्षम हैं। 'बाईपायराज़ोल आर्गेनिक क्रिस्टल' नामक यह पीज़ोइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यांत्रिक फ्रैक्चर के बाद बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के पुनर्संयोजित हो जाते हैं और क्रिस्टलोग्राफिक परिशुद्धता के साथ मिलीसेकंड में स्वायत्त रूप से स्वयं ही मरम्मत करने में सक्षम हैं। इस विशिष्ट गुण के कारण किसी भी टूटे हुए घटक के टुकड़ों में विद्युत आवेश होता है और क्षतिग्रस्त हिस्से स्वायत्त मरम्मत के लिये एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा पुन: जुड़ जाते हैं। दैनिक आधार पर उपयोग किये जाने वाले उपकरण प्राय: यांत्रिक क्षति के कारण टूट जाते हैं, जिससे उपकरणों की जीवन अवधि कम हो जाती है एवं उनके रखरखाव की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा अंतरिक्षयानों के क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक घटकों की मरम्मत और बहाली के लिये मानव हस्तक्षेप संभव नहीं है। ऐसी स्थितियों में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह मैटेरियल काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।

'पुरी': ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा वाला पहला शहर

ओडिशा राज्य का 'पुरी' शहर देश में 'ड्रिंक फ्रॉम टैप' सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है। इसका अर्थ है कि शहर में अब सभी के लिये सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, नल के माध्यम से उपलब्ध इस जल का प्रयोग खाना पकाने और पीने के लिये किया जा सकता है। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 'सुजल' या ड्रिंक-फ्रॉम-टैप मिशन का उद्घाटन किया है, इसके साथ ही 'पुरी' देश का पहला ऐसा शहर बन गया है, जिसके पास 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने की क्षमता है। 'सुजल' योजना के तहत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर नल से पानी पी सकता है और इसके लिये किसी भी प्रकार के भंडारण या फिल्टर की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से 'पुरी' शहर के लगभग 2.5 लाख निवासियों को लाभ होगा। साथ ही इससे प्रतिवर्ष 'पुरी' आने वाले दो करोड़ पर्यटकों को भी फायदा होगा और उन्हें अपने साथ प्लास्टिक की बोतल नहीं लानी होगी तथा शहर के पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो

हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को 'नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो' (BCAS) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नासिर कमल 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। 'नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो' भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिये नियामक प्राधिकरण है, जिसे जनवरी 1978 में पांडे समिति की सिफारिश पर 'नागर विमानन महानिदेशालय' (DGCA) में एक सेल के रूप में स्थापित किया गया था। 1 अप्रैल, 1987 को 'नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो' का पुनर्गठन किया गया और इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया। 'नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो' का प्राथमिक कार्य

नोट :

भारत में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों की सुरक्षा के संबंध में मानकों तथा उपायों का निर्धारण करना है। यह आकस्मिक योजनाओं की प्रभावशीलता और विभिन्न एजेंसियों की परिचालन क्षमताओं का परीक्षण करने के लिये अभ्यास का भी आयोजन करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा इसके चार अन्य क्षेत्रीय कार्यालय चार शहरों- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं।

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये लोगों में जागरुकता पैदा करने हेतु प्रतिवर्ष 20 जुलाई को 'विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया को स्वस्थ रखने के लिये पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विलुप्त होने की कगार पर मौजूद पौधों और जानवरों को बचाना विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का प्राथमिक लक्ष्य है। इस दिवस पर प्रकृति के विभिन्न घटकों को अक्षुण्ण बनाए रखने पर भी ज़ोर दिया जाता है। इनमें वनस्पति और जीव, ऊर्जा संसाधन, मृदा, जल तथा वायु आदि शामिल हैं। यह भावी पीढ़ी के लिये पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण मानव समाज आज ग्लोबल वार्मिंग, विभिन्न बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं, बढ़े हुए तापमान आदि के प्रकोप का सामना कर रहा है। पर्यावरण के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक प्लास्टिक का उपयोग है। यद्यपि प्लास्टिक एक सस्ती और सुविधाजनक सामग्री है, किंतु यह प्रकृति को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। प्लास्टिक उत्पाद गैर-बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला कदम प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग में कटौती करना है। भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक संरक्षण के लिये स्वच्छ भारत अभियान और प्रोजेक्ट टाइगर जैसी कई प्रमुख पहलें शुरू की गई हैं।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस

प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को 'विश्व हेपेटाइटिस दिवस' मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम 'हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट' है। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिवस को चिह्नित करता है, जिन्होंने 'हेपेटाइटिस बी वायरस' (HBV) की खोज की थी। उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस के इलाज के लिये एक नैदानिक परीक्षण और टीका भी विकसित किया था। इस दिवस का उद्देश्य हेपेटाइटिस A, B, C, D और E नामक संक्रामक रोगों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना तथा हेपेटाइटिस की रोकथाम, निदान एवं उपचार को प्रोत्साहित करना है। दुनिया भर में वायरल हेपेटाइटिस के कारण वार्षिक तौर पर लगभग 1.3 मिलियन मौतें होती हैं, वहीं 300 मिलियन लोग इस बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं किंतु वे अपने संक्रमण की स्थिति से अनजान हैं। वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'एलिमिनेट हेपेटाइटिस बाई 2030' नामक अभियान शुरू किया था। स्क्रीनिंग एवं शुरुआती पहचान इस बीमारी से निपटने का एकमात्र तरीका है। हालाँकि हेपेटाइटिस A एवं B वायरस के लिये टीका उपलब्ध है।

राकेश अस्थाना

गृह मंत्रालय की आधिकारिक सूचना के मुताबिक, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के वर्ष 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना, दिल्ली के पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जिन्हें इस वर्ष जून माह में दिल्ली पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। राकेश अस्थाना का जन्म 9 जुलाई, 1961 को रांची में हुआ था और उन्होंने झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात् उन्होंने दिल्ली के 'जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय' (JNU) से उच्च शिक्षा प्राप्त की और सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद वे 'भारतीय पुलिस सेवा' (IPS) में शामिल हो गए। वर्ष 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद वर्ष 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेज़ों द्वारा पुलिस व्यवस्था को एक संगठित रूप दिया गया। वर्ष 1912 में दिल्ली के पहले मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई और उन्हें पुलिस महानिरीक्षक की शक्तियाँ और कार्य दिये गए। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली पुलिस को पुनर्गठित किया गया और इसमें कर्मियों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई।

नंदू नाटेकर

28 जुलाई, 2021 को विश्व प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 'नंदू नाटेकर' का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नंदू नाटेकर वर्ष 1956 में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। छह बार के राष्ट्रीय एकल चैंपियन नंदू नाटेकर ने 20 वर्ष की आयु में भारत की ओर से अपना पदार्पण किया और वर्ष 1951-1963 तक (लगभग एक दशक से अधिक समय) 'थॉमस कप चैंपियनशिप' की पुरुष टीम में भारत का नेतृत्त्व किया। वर्ष 1933 में महाराष्ट्र के सांगली में जन्मे, नंदू नाटेकर ने 15 वर्ष के अपने कॅरियर में भारत के लिये 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। इसके अलावा नंदू नाटेकर वर्ष 1961 में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता भी थे।

नोट :

राष्ट्रीय किसान डेटाबेस

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई हालिया घोषणा के मुताबिक, सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों का उपयोग कर एक 'राष्ट्रीय किसान डेटाबेस' की स्थापना की योजना बना रही है। यह राष्ट्रीय डेटाबेस किसानों को सक्रिय एवं व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करेगा। साथ ही सरकार इस डेटाबेस में किसानों के व्यक्तिगत विवरण संबंधी डेटा की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगी। इस पहल का उद्देश्य उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर समाधान विकसित करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। 'राष्ट्रीय किसान डेटाबेस' यह सुनिश्चित करेगा कि इनपुट लागत में कमी किये जाने से गुणवत्ता में सुधार हो, कृषि गतिविधियों को आसान बनाया जा सके और किसानों को उनके कृषि उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके। यह डेटाबेस सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन साइन-इन सुविधा प्रदान करेगा और किसानों को व्यक्तिगत एवं सक्रिय सेवाओं जैसे- मिट्टी व पौधों की स्वास्थ्य सलाह, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सिंचाई सुविधाएँ, मौसम संबंधी सलाह, बीज, उर्वरक, बाज़ार पहुँच की सूचना, ऋण देने की सुविधा, कृषि उपकरण आदि प्रदान करेगा। वहीं यदि केंद्र सरकार पहले से ही ऐसी व्यवस्था बना चुकी है, तो उसे केंद्र सरकार के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा तथा उसमें और अधिक सुधार किया जाएगा। वर्तमान में इस डेटाबेस के तहत केवल वे किसान शामिल होंगे जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कृषि भूमि के कानूनी मालिक हैं। भूमिहीन किसानों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

बसवराज बोम्मई

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ नेता बी.एस. येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद 'बसवराज बोम्मई' ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बसवराज बोम्मई ने वर्ष 2008 से वर्ष 2013 के बीच राज्य के 'जल संसाधन मंत्री' और जुलाई 2019 से राज्य के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। उत्तरी कर्नाटक के हावेरी ज़िले के 'शिगगाँव' से तीन बार विधायक रह चुके 61 वर्षीय बसवराज बोम्मई, दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री 'एस.आर. बोम्मई' के पुत्र हैं। बसवराज बोम्मई सक्रिय राजनीति में शामिल होने से पूर्व एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने पुणे में टाटा कंपनी के साथ अपने इंजीनियरिंग कॅरियर की शुरुआत की थी।

बाँस औद्योगिक पार्क

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'दीमा हसाओ' ज़िले के मंडेरडीसा में एक 'बाँस औद्योगिक पार्क' की आधारशिला रखी है। इस परियोजना को 'मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नार्थ ईस्टर्न रीजन' द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया जाएगा। 'बाँस औद्योगिक पार्क' इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा और स्थानीय युवाओं के लिये रोज़गार के व्यापक अवसर पैदा करेगा। ज़िले में उत्पादित बाँस अब तक केवल अधिकतर पेपर मिलों को निर्यात किया जाता था, हालाँकि इस पार्क के बन जाने के साथ ही ज़िले के बाँस उद्योग के लिये टाइल्स और अगरबत्ती आदि के उत्पादन में संलग्न होने के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वैश्विक उद्योग रिपोर्ट (2019) के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर बाँस उद्योग का मूल्य तकरीबन 72.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि वर्ष 2026 तक 98.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है। यद्यपि भारत के पास दुनिया के बाँस संसाधनों का 30% हिस्सा मौजूद है, किंतु भारत अपनी बाँस क्षमता का केवल दसवें हिस्से का ही उत्पादन करता है, जो कि वैश्विक बाँस बाज़ार का केवल 4% है। असम संपूर्ण भारत में प्राकृतिक एवं घरेलू बाँस के प्रमुख स्रोतों में से एक है। असम में बाँस सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। असम में बाँस की 51 प्रजातियाँ उगाई हैं, यदि इसका उचित उपयोग किया जाए तो इसमें पर्याप्त रोज़गार और राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है।

'बृहस्पति' का 'गैनिमीड' चंद्रमा

हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का विश्लेषण कर शोधकर्त्ताओं ने हाल ही में 'बृहस्पति' ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा 'गैनिमीड' के वातावरण में जलवाष्प के साक्ष्य प्राप्त किये हैं। इससे पूर्व पिछले कई अध्ययनों में भी पाया गया था कि 'गैनिमीड' में पृथ्वी की तुलना में अधिक पानी हो सकता है, किंतु चूँकि यह बेहद ठंडा है (-100 से -180 डिग्री सेल्सियस), इसलिये इसकी सतह पर पानी ठोस रूप में हो सकता है। यह अनुमान है कि तरल रूप में महासागर 'गैनिमीड' की सतह से लगभग 160 किलोमीटर नीचे हो सकता है। ऐसे में 'गैनिमीड' पर जल की मौजूदगी के साक्ष्य, जीवन और रहने योग्य ग्रह की खोज में महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। वर्ष 1998 में 'हबल' के 'स्पेस टेलीस्कोप इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ' (STIS) ने 'गैनिमीड' की पहली पराबैंगनी तस्वीरें ली थीं। उत्सर्जन का अध्ययन करने पर शोधकर्त्ताओं ने यह भी पाया कि 'गैनिमीड' में स्थायी चुंबकीय क्षेत्र और कुछ परमाणु ऑक्सीजन मौजूद है। सूर्य से पाँचवीं पंक्ति में बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो अन्य सभी ग्रहों के मुकाबले दोगुने से अधिक बड़ा है। यह लगभग प्रत्येक 10 घंटे में एक बार घूर्णन (एक जोवियन दिवस) करता है, परंतु सूर्य की परिक्रमा (एक जोवियन वर्ष) करने में इसे लगभग 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के पास 75 से अधिक चंद्रमा हैं।

नोट :

मुंशी प्रेमचंद

हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक और उपन्यास सम्राट का जन्म 31 जुलाई, 1880 में लमही गाँव (वाराणसी के पास) में हुआ था। उन्हें 20वीं सदी की शुरुआत के सुप्रसिद्ध लेखकों में से एक माना जाता हैं। उनका बचपन लमही गाँव में एक संयुक्त परिवार में बीता। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 1900 में उन्हें सरकारी ज़िला स्कूल, बहराइच में सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी मिली। इसी बीच उन्होंने अपना पहला लघु उपन्यास 'असरार-ए मुआबिद' शीर्षक से लिखा, जिसका अर्थ है 'देवस्थान रहस्य' यानी 'भगवान के निवास का रहस्य'। वर्ष 1907 में उन्होंने 'ज़माना' पत्रिका में 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' नाम से अपनी पहली कहानी प्रकाशित की। वर्ष 1914 में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और अपना नाम 'नवाब राय' से बदलकर 'प्रेमचंद' कर लिया। उनका पहला लेख 'सौत' सरस्वती पत्रिका में दिसंबर 1915 में प्रकाशित हुआ। मुंशी प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास 'सेवा सदन' वर्ष 1919 में प्रकाशित हुआ। वर्ष 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके पश्चात् वर्ष 1923 में उन्होंने वाराणसी में 'सरस्वती प्रेस' नाम से एक प्रकाशन हाउस स्थापित किया, जहाँ उन्होंने रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, हंस, जागरण आदि का प्रकाशन किया। सेवासदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि उपन्यासों से लेकर नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, सोज़े वतन, प्रेम तीर्थ, पाँच फूल, सप्त सुमन, बाल साहित्य जैसे कहानी संग्रहों की रचना कर उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई ऊँचाई पर पहुँचाया।

राजा मिर्च

पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक संकेत (GI) उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगालैंड की 'राजा मिर्च', जिसे किंग चिली भी कहा जाता है, की एक खेप को हाल ही में लंदन निर्यात किया गया है। नगालैंड की इस मिर्च को 'भूत जोलोकिया' और 'घोस्ट पेपर' भी कहा जाता है। इसे वर्ष 2008 में जीआई सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ था। यह 'स्कोविल हीट यूनिट्स' (SHUs) के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में शीर्ष पाँच में रही है और इसे अपनी विशिष्ट सुगंध तथा स्वाद के लिये जाना जाता है। नगालैंड की 'किंग चिली' या 'राजा मिर्च' सोलानेसी परिवार के शिमला मिर्च की प्रजाति से संबंधित है। 'राजा मिर्च' भारत में मूलत: असम, नगालैंड और मणिपुर में पाई जाती है। इन क्षेत्रों का तापमान एवं यहाँ की उच्च आर्द्रता 'राजा मिर्च' में मौजूद विशिष्ट गुणों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। राजा मिर्च, विटामिन-A और विटामिन-C का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो एंटीऑक्सिडेंट हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने तथा त्वचा के भीतर क्षति की मरम्मत में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार की मिर्च में 'कैप्साइसिन' की भी उच्च मात्रा पाई जाती है, जो कि एक रासायनिक यौगिक है और मस्तिष्क को गर्मी या मसाले की अनुभूति महसूस करने के लिये प्रेरित करता है।

विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस

मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 30 जुलाई को 'विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का लक्ष्य आम जनमानस को मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध के विषय में शिक्षित करना है, ताकि महिलाओं और बच्चों को जबरन श्रम एवं वेश्यावृत्ति से बचाया जा सके। यह दिवस मानव तस्करी के कारण होने वाले नुकसान तथा आम लोगों के जीवन पर इसके गंभीर प्रभाव को समझने का अवसर प्रदान करता है। 'विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस' को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव तस्करी के मुद्दों से निपटने के साधन के रूप में वर्ष 2013 में नामित किया गया था। साथ ही इस दिवस के माध्यम से मानव तस्करी से पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। वर्ष 2003 से 'यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम' (UNODC) लोगों को बंदी बनाने वाले रैकेट से बचाने और उनकी पहचान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। वर्ष 2021 के लिये इस दिवस की थीम 'विक्टिम्स वॉइस लीड द वे' है। यह थीम मानव तस्करी से पीड़ित लोगों के अनुभवों को साझा करने व उनसे सीखने के महत्त्व पर प्रकाश डालती है।

14 कलाकृतियाँ भारत को लौटाने की घोषणा

'नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया' ने हाल ही में अपने एशियाई कला संग्रह से 14 कलाकृतियाँ भारत को वापस लौटाने की घोषणा की है। इनमें कांस्य या पत्थर की मूर्तियाँ, चित्रित स्क्रॉल और कुछ तस्वीरें शामिल हैं। इससे तमिलनाडु को 12वीं सदी के दो चोल-युग के दो कांस्य प्रतिमाएँ प्राप्त होंगी, जिन्हें तमिलनाडु के मंदिरों से चुराया गया था। इसके पश्चात् इन कलाकृतियों के मूल स्थान की पहचान करने के लिये भारत में और अधिक शोध किया जाएगा। 'नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया' ने एक नया 'उद्गम मूल्यांकन फ्रेमवर्क' निर्धारित किया है, जो ऐतिहासिक कलाकृतियों के कानूनी और नैतिक दोनों पहलुओं के बारे में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करता है। इस फ्रेमवर्क के आधार पर यह माना जाता है कि यदि वह वस्तु चोरी की है, अवैध रूप से प्राप्त की गई थी, किसी अन्य देश के कानून के उल्लंघन कर निर्यात की गई थी या अनैतिक रूप से अर्जित की गई थी तो 'नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया' द्वारा उसे उद्गम देश को वापस लौटा दिया जाएगा।

नोट :